अष्टम माला, खंड 52, अंक 11 Friday, 4th August, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 52 में अंक 11 से 22 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[मूल्य : चार रुपये]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 4 अगस्त, 1989/13 श्रावण, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (।।)	नीचे से 4	"उपवर्णों" के स्थान पर "उपखंडों" पढ़िये
27	4	"(ग)" के स्थान पर "(ज)" पढ़िये ।
31	नीचे से 1	"(ड॰)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
38	नीचे से 5	"(च)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
54	नीचे से 9	प्रश्न संख्या "2569" के स्थान पर "2596" पढ़िये ।
58	15	उत्तर से पहले "(क) और (ख)" पढ़िये ।
70	नीचे से 3	"(ग), (घ) और (ङ)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये ।
111	7	"(ग) और (घ)" के स्थान पर "(घ) और (ङ॰)" पढ़िये ।
123	2	उत्तर से पहले "(क)" पढ़िये ।
127	नीचे से 3	उत्तर से पहले "(क)" पढ़िये ।
138	नीचे से 2	उत्तर से पहले "(क)" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 52 चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 14, शुक्रवार, 4 अगस्त, 1989/13 श्रावण, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 263, 264, 269, 271 से 274 और 276 से 278	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 265, 267, 268, 275, और 279 से 282	19— 23
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2543 से 2565, 2567 से 2589, 2591 से 2610, 2612 से 2639, 2641, से 2685, 2687 से 2698, 2701 से 2705, 2708 से 2715, 2719 से 2733, और 2735 से 2748	23— 147
सभा पटल पर रखे गए पत्र	151—157
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	157—158
सभा में बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	158
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
20वां प्रतिवेदन	158
सभा का कार्य	159
समिति के लिए निर्वाचन	
प्राक्कलन समिति	160
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	160—170
यू० एस० ओम्नीबस ट्रेड एंड कम्पीटीटिवनेस एक्ट, 1988 के "सुपर 301" प्रावधान के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका सरकार द्वारा भारत को "अनुपयुक्त व्यापारी" की संज्ञा दिया जाना।	
डा० गौरी शंकर राजहंस	160, 161—163
श्री दिनेश सिंह	161

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित (*) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 163
श्री उत्तम राठौड़ 164
श्री जी० एस० वासवराजू 165
श्री एस० बी० सिदनाल 166

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में कोटा और बूंदी जिलों के चम्बल कमान क्षेत्र में भूमि सुधार के लिए "जलग्रहण कार्यक्रम" की समीक्षा किए जाने की मांग

श्री शांति धारीवाल 170

(दो) गुजरात के बलसार जिले में समुद्र के किनारे दीवार बनाई जाने की मांग ताकि दरिया-समुद्र के पानी को समुद्र किनारे बसे मच्छीमारों के घरों, खेतों आदि में जाने से रोका जा सके

श्री उत्तम भाई ह० पटेल 170

(तीन) भोपाल में गैस रिसाव से प्रभावित लोगों की सहायता करने संबंधी योजनाओं को मंजूरी दिये जाने की मांग

श्री के० एन० प्रधान 171

(चार) स्वतन्त्रता सेनानियों को अधिक सुविधाएं प्रदान किये जाने, विशेषकर प्रत्येक रेल डिब्बे में उनके लिए एक सीट आरक्षित किए जाने की मांग

श्री मानकूराम सोडी 171

(पांच) मद्रास-बंगलौर रेल सैक्शन पर अराकोनम-कटपाड़ी-तिरुथानी और मद्रास नगर के बीच ई० एम० यू० और शटल रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग

श्री आर० जीवरत्नम 172

(छः) तमिलनाडु में डिगुल रेलवे जंक्शन के निकट रेल फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने की मांग

श्री के० आर० नटराजन 172

(सात) रोजगार के अवसर पैदा किए जाने तथा एक राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार किए जाने की मांग

श्री सैयद शाहबुद्दीन 173

(आठ) नये मोटर यान अधिनियम के उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित किए जाने की मांग

श्री शरद दिघे 173

विषय		पृष्ठ
कर्नाटक बजट, 1989-90 सामान्य चर्चा		
	और	
अनुदानों की मांगें (कर्नाटक), 1989-90		
	श्री जी० एस० बासवराजू	174
	श्री सैयद शाहबुद्दीन	178
	श्री जनार्दन पुजारी	182
विधेयक पुरःस्थापित		
(एक)	भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 6 में संशोधन)	
	श्री शांताराम नायक	190
(दो)	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	
	श्री शांताराम नायक	191
(तीन)	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक (धारा 20 में संशोधन)	
	श्री शांताराम नायक	191
उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक		192—210
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री राम भगत पासवान	192
	श्री चिन्तामणि जेना	194
	श्री जगन्नाथ पटनायक	197
	श्री हरिहर सोरन	200
	श्री शांताराम नायक	204
	श्री जुझार सिंह	206
	श्री डाल चन्द्र जैन	208
	श्री नन्दलाल चौधरी	208
	चौधरी लच्छी राम	210
	श्री राम श्रेष्ठ खिरहर	211
	श्री सुखराम	212
	श्री जी० एस० बासवराजू	218
फसल बीमा योजना विधेयक		
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्रीमती ऊषा चौधरी	220

लोक सभा

शुक्रवार, 4 अगस्त, 1989/13 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी-निवेश

[अनुवाद]

*263. **श्री जी० एस० बासवराजू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश किए जाने की प्रगति उत्साह-वर्धक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में और अधिक रियायतें देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे किस सीमा तक लोकप्रिय बनाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनिवासी भारतीय निवेश से संबंधित विद्यमान स्कीमों, नियमों और विनियमों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

श्री जी० एस० बासवराजू : महोदय, मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। अनिवासी भारतीय लोग भारत में विभिन्न योजनाओं, विशेषकर इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में अपना विदेशी धन निवेश करने को बहुत उत्सुक हैं क्योंकि यह उद्योग इस देश में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। इस संबंध में क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि कितने अनिवासी भारतीय लोगों ने पूंजी निवेश किया है और विभिन्न क्षेत्रों में इस देश में कितनी पूंजी निवेश की गई है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को बताता हूं कि इस देश में कितना धन निवेश किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 1983 को बैंक में जमा धनराशि जो 1866.04 करोड़ रुपये थी वह 31 मार्च, 1989 को बढ़कर 13,971 करोड़ रुपये हो गई है।

अतः केवल बैंक जमा राशि 1866 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,971 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा देश प्रत्यावर्तन आधार सम्बन्धी निवेश, देश-अप्रत्यावर्तन आधार संबंधी निवेश, ऋणीबद्ध निवेश, भारतीय कम्पनियां आदि में जमा धनराशि जैसे विभिन्न अन्य शीर्षों में भी निवेश किया गया है, इसके अतिरिक्त विभिन्न जमा धनराशियों से काफी धन यहां आता है। इन सभी कारणों से अनिवासी भारतीयों द्वारों निवेश की जाने वाली धनराशि में वृद्धि हुई है।

श्री जी० एस० वासवराजू : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न विद्यमान स्कीमों, नियमों और विनियमों के बारे में है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन नियमों और विनियमों को सभा पटल पर रखें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हुए हैं और क्या सरकार यह निर्देश देती रही है कि उन्हें केवल गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी धनराशि लगानी होगी और यदि हां, तो कर्नाटक से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह सूचना इस प्रश्न से सीधे पैदा नहीं होती है। इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या माननीय मंत्री इस सभा को यह बताएंगे कि किन देशों में अनिवासी भारतीय अधिक निवेश कर रहे हैं ? क्या माननीय मन्त्री प्रथम तीन अथवा चार देशों के नाम बताएंगे जहां उन देशों में अनिवासी भारतीय निवेश करने में अग्रणी रहे हैं ? क्या माननीय मंत्री विदेशों में केरल के लोगों द्वारा किये गये निवेश के अंशदान की मात्रा के बारे में हमें बताएंगे अथवा यदि उनके पास इसके आंकड़े नहीं हैं, तो क्या वह उन्हें एकत्र करेंगे और मुझे देंगे ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह संभव नहीं है। हम विदेशों में केरल के लोगों तथा अन्य लागों के लिए इस प्रकार के रिकार्ड नहीं रखते हैं। सब भारतीय हैं। मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्य को कुछ पता लग सकता है क्योंकि मैं अभी हाल ही में खाड़ी के देशों में गया था। मैं कुछ समय पहले बहरीन में था और खाड़ी के देशों से अनिवासी भारतीय लोगों ने काफी निवेश किया है।

बिहार में रेल परियोजनाएं

[हिन्दी]

*264. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में लम्बित रेलवे परियोजना का ब्यौरा क्या है और ये कब से लम्बित हैं;

(ख) इन योजनाओं को आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1974–75 में अनुमोदित किया गया छितौनी-बगहा रेल सम्पर्क का निर्माण तथा समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव लम्बित है।

जहां तक छितौनी-बगहा परियोजना का संबंध है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस परियोजना की लागत में अपना हिस्सा वहन करने की सहमति सूचित करें।

समस्तीपुर-दरभंगा के मामले में समानान्तर बड़ी लाइन के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि यह वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

श्रीमती मनोरमा सिंह : अध्यक्ष महोदय,हमारे मंत्री जी बहुत ही सुयोग्य मंत्री हैं। इन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस सदी के अन्त में देश में जो दो हजार भाप इन्जन बचते हैं उनकी जगह पर डीजल और विद्युत इंजनों को चालू किया जायेगा। हमारे क्षेत्र झाझा में सौ वर्षों से एक लोको शेड बना हुआ है। कलकत्ता से जो गाड़ी पश्चिम को आती थी, वहां उसका इंजिन बदला जाता था। उस लोको शेड में चार हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर भाप इंजिन समाप्त कर दिये जायेंगे तो क्या उस लोको शेड को डीजल या विद्युत शेड में परिवर्तित करने की कोई योजना है या नहीं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ ? अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो उन मजदूरों का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि अगली योजना में कोई प्रारूप ऐसे लोको शेड के लिए तैयार किया है या नहीं ?

श्री माधवराव सिन्धिया : यह प्रश्न मुख्यतः रेलवे योजनाओं के बारे में है। जो महत्वपूर्ण रेलवे योजनाएं हैं उनके बारे में है। जहां तक भाप इंजिनों का सवाल है, इंडियन रेलवे प्रणाली से भाप इंजिनों को 2013 तक समाप्त किया जाना था। उस तारीख को आगे बढ़ाते हुए अब इनको 1995 तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। कुछ भाप इंजिन उसके बाद रह जायेंगे —छोटे-मोटे कार्यों के लिए। मुख्यतः रेल प्रणाली से भाप इंजिन 95 तक रद्द कर दिये जायेंगे। प्रत्येक वर्ष जब चार-पांच सौ भाप इंजिन रद्द किये जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि भाप इंजिनों के शेड भी बंद होते ही हैं। जहां तक माननीय सदस्या ने इस जगह के बारे में पूछा है, उसके बारे में मैं जानकारी लेकर के माननीय सदस्या को अवश्य पहुँचा दूंगा।

श्रीमती मनोरमा सिंह : मेरा दूसरा प्रश्न है कि भागलपुर लालमटिया कोयला क्षेत्र में रेल योजना शुरू करने की बहुत दिनों से मांग है। केदार पाण्डे जी के समय से, 1953 से यह मांग की जाती रही है और कई बार इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि अगली योजना में इसको शुरू करने का प्रावधान रखा गया है या नही।

श्री माधवराव सिन्धिया : अभी कोई प्रावधान नहीं है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में प्रधानमंत्री जी पटना गए थे और कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि पटना के गांधी मैदान में सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने नरकटियागंज रेलवे लाइन के आमान-परिवर्तन की महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति दी है, क्या इस पर कोई गहन विचार चल रहा है, क्या इसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर रहे हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज आमान-परिवर्तन के बारे में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि आज की लागत का अन्दाजा लगाया जा सके। यह उत्तर-पूर्व रेलवे द्वारा किया जा रहा है और 1989 तक इसकी रिपोर्ट पेश होने की संभावना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी, कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसको सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा।

श्री मोहम्मद अयूब खाँ (झुंझुनू) : जनाब सदर-ए-मोहतरम, मैं आपका ध्यान राजस्थान की तरफ ले जाना चाहता हूं। खेतड़ी जहां पर आपका बहुत बड़ा अशीर्वाद है, उस खेतड़ी में डायरी से सिंहाना के बीच खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के लिए मालगाड़ी चलती है, 1958 से लगातार चल रही है। 10000 मजदूर खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस मालगाड़ी में 1-2 सवारी डिब्बे लगाने पर भविष्य में विचार करेंगे, ऐसी कोई योजना है या नहीं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद आता है कि सन् 1972 में जब ललित बाबू रेल मंत्री थे तो बिहार सरकार की बहुत सारी योजनायें रेल मंत्रालय के सामने रखी थीं और उसके बाद 15 वर्ष के बाद मार्च 1987 में जो मुख्यमंत्री थे बिहार के वे रेल मंत्री जी से मिले और उनके सामने उन्होंने कुछ नई पुरानी योजनायें रखीं। जवाब उनको यह दिया गया कि आप मार्च के आखिर में आए हैं, लिहाजा अगले साल के प्रारम्भ में इनको जोड़ना संभव नहीं होगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 1987 में बिहार के उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने जो रेल योजनायें रखीं थीं, अब तक किन-किन पर कार्य हो चुका है, किन पर सर्वे हो चुका है और किनको मंजूर या नामंजूर किया गया है।

श्री माधवराव सिन्धिया : अध्यक्ष महोदय, काफी लंबी सूची है, मैं माननीय सदस्य के पास पहुँचा सकता हूं। जहां तक बिहार का सवाल है, मुझे जानकारी देने में प्रसन्नता है कि बिहार में 1981 से लेकर 1985 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना में 770 किलोमीटर के गेज कन्वर्शन किए गए थे, 200 करोड़ रुपये का उस समय की लागत के अनुसार यह काम था। इसके अलावा नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है छपरा ओरिहार, इसका कुछ हिस्सा बिहार से गुजरता है। इसको इस वर्ष के बजट में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा पूरे देश का जो डबलिंग बजट है उसका 19 प्रतिशत बिहार के लिए इस वर्ष प्रावधान किया गया है और ट्रेफिक फेसिलिटीज में भी पूरे देश का साढ़े 13 प्रतिशत बिहार के लिए रखा गया है। अध्यक्ष जी, मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि रेलवे ट्रैक्स पर-थाउजेंड स्कवेयर किलोमीटर के आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे राष्ट्र में चौथे नम्बर पर है। समस्त प्रदेशों की तुलना में काफी कुछ रेलवे लाईन बिहार में हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार में योजनाएं रोक दी गई हैं, आगे भी बिहार के हितों को मद्देनजर रखा जायेगा।

तेलुगु गंगा परियोजना के लिए तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

*269. **डा० पी० वल्लल पेरुमल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेलुगु गंगा परियोजना पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० पी० वल्लल पेरुमल : जून के महीने में प्रकाशित समाचार पत्र के समाचार के अनुसार श्री करुणानिधि ने तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री का पद ग्रहण करने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह आश्वासन दिया था कि डी० एम० के० सरकार तेलुगु गंगा परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा देगी ।

तमिलनाडु में डी० एम० के० सरकार और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम सरकार अधिक समय तक नहीं चलेगी । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह देखने के लिए कि डी० एम० के० सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी धनराशि का अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग न किया जाए, कोई कदम उठाएगी और क्या केन्द्रीय दल परियोजना के निष्पादन तथा सार्वजनिक धनराशि का उपयोग किए जाने पर निगरानी रखेगा ।

श्री एम० एम० जैकब : यह मद्रास शहर के लिए जब सप्लाई योजना के संबंध में है । केंद्रीय सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में भी काफी प्रयास किए थे जबकि उन्होंने मद्रास शहर को पेय जब की सप्लाई के प्रश्न पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के बीच चर्चा शुरू की थी । अब, हालांकि केन्द्रीय सरकार ने इसमें कभी कोई आपत्ति नहीं की थी, वास्तविक आपत्ति संबंधित राज्यों के बीच कुछ विषयों के कारण है, उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और स्वयं आंध्र प्रदेश, कृष्णा जल बंटवारे के पहले के समझौते की सीमाओं के अन्दर बात नहीं कर रहे जिसके अनुसार पांच 'टी० एम० सी०' जल कर्नाटक, आंन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा मद्रास शहर को दिये जाने का विचार था । अब माननीय सदस्य हाल ही में श्री करुणानिधि द्वारा मुख्य मंत्री का पद संभालने के द्वारा वह मुख्य मन्त्री की राय के बारे में जानने को इच्छुक हैं । महोदय, यह सच है और हमारे पास इसकी सूचना है कि श्री करुणानिधि ने लगभग एक सप्ताह पहले प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा था कि वह इस विषय को कर्नाटक के राज्यपाल के साथ उठा रहे हैं और यह पानी प्राप्त करने के लिए कर्नाटक से स्वीकृति लेने के लिए उन्होंने 8 अगस्त की तारीख निश्चित की है । इसी बीच, ऐसे कुछ समाचार प्रकाशित हुए थे कि तमिलनाडु से कुछ मन्त्री परियोजना और जल की उपलब्धता आदि को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे । यह सरकार निश्चित रूप से गम्भीर है कि तमिलनाडु को बिना किसी बाधा के जल की सप्लाई की जाए । लेकिन अन्तर्राज्यीय मामले इसके लिए रुकावट हैं । हम इन मामलों को सुलझाने का अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सुलझ उत्तर देकर बहुत अच्छा कार्य किया है ।

श्री एम० एम० जैकब : धन्यवाद, महोदय ।

डा० पी० वल्लल पेरुमल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इस परियोजना को अपने हाथ में लेने पर विचार करेगी जिससे कि हजारों लोगों को रोजगार मिल सके ।

श्री एम० एम० जैकब : जी, हां। इस काम के बारे में निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। हम उन्हें परामर्श देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिये मात्र एक एजेंसी हैं। यह राज्य का विषय है और यह राज्य को करना होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश सरकार और उनके मन्त्रियों से शिकायतें मिली हैं कि केन्द्र संबंधित राज्य सरकारों की पर्याप्त सहायता नहीं कर रहा है जिससे कि वे इस मामले के बारे में कुछ सहायक हल निकल सके। क्या मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध कर सकता हूं कि यह इस सभा को बताएं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? इस मामले के हल के लिए इन सरकारों की सहायता करने के लिए आपका क्या कदम उठाने का विचार है जिससे इस परियोजना विशेष को शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके और मद्रास के लिए जल की सप्लाई की जाए?

श्री एम० एम० जैकब : केन्द्रीय सरकार ने सरकारी स्तर, तकनीकी स्तर और मुख्य मंत्रियों के स्तर पर गत कई बैठकों में कार्यवाही शुरू की है। लेकिन अन्त में क्या हुआ कि हम सभी मुख्य मन्त्रियों को एक साथ नहीं ला सके। वास्तव में, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने उस समय भारत सरकार को लिखा था, मेरे पास उस पत्र की प्रति है—कि उनके लिए इस बैठक में भाग लेना संभव नहीं था और उनके विचार से कि बैठक में भाग लेने की उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं है। उनके अनुसार राज्यों के बीच यह मामला बिल्कुल नहीं है।

समझौते के अनुसार, जोकि हम रिकार्डों में देखते हैं, यह एक अन्तर्राज्यीय विषय है जिसमें मद्रास शहर को जल की सप्लाई के लिए श्रीमती गांधी के समय सभी राज्य सहमत हुए थे। नवीनतम स्थिति यह है।

श्री जी० देवराय नायक : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या तेलुगु गंगा परियोजना शुरु में सिंचाई प्रयोजन अथवा पेय जल की व्यवस्था करने के लिए बनाई गई थी।

श्री एम० एम० जैकब : यह मूल योजना इस लिए तैयार की गई थी क्योंकि मद्रास शहर को पेय जल सप्लाई प्राप्त करने में बहुत कठिनाई आ रही थी। मद्रास शहर को जल की व्यवस्था करने के लिए इस योजना पर विचार किया गया था।

राजधानी एक्सप्रेस को सूरत में रोकना

[हिन्दी]

*271. **श्री सी० डी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत नगर के औद्योगिक महत्व तथा वहां के लोगों की जोरदार मांग को ध्यान में रखते हुए वहां पर राजधानी एक्सप्रेस को रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सी० डी० गामित : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में सूरत दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है जिसकी आबादी 17 लाख है। वहां भारत सरकार और राज्य सरकार के बड़े-बड़े दफ्तर भी हैं और टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज भी हैं जिनका कि काफी विकास हुआ है। सूरतगढ़ से कई सालों से अन्य जगहों पर माल सप्लाई किया जाता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सूरत में राजधानी एक्सप्रेस का स्टापेज न दिये जाने का क्या कारण है। आपने जो नहीं देने का निर्णय किया है उस पर क्या फिर विचार करेंगे ?

श्री माधवराव सिन्धिया : सूरत का जो महत्व है हम उससे भली-भांति परिचित हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस का उद्देश्य जो है वह मुख्य रूप से राष्ट्र की राजधानी दिल्ली और एक तरफ पूर्व की ओर हावड़ा और दक्षिण की तरफ बम्बई के बीच ओवर नाईट सर्विस की कसेंट है। इसलिए यह नीतिनुसार निर्णय किया है कि मात्र आपरेशनल कार्यों के कारण यह गाड़ी रुकेगी, वरना इसका स्टापेज नहीं दिया जायेगा। इसलिए सूरत में रोकने का सवाल नहीं उठता। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सूरत से 16 मेल एक्सप्रेस हैं जो बम्बई की ओर जाती हैं और 5 ऐसी हैं जो नई दिल्ली से कनेक्टेड हैं। पर्याप्त मात्रा में वहां रेल सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री सी० डी० गामित : सूरत के कई लोगों ने रिप्रेजेटेशन इसके बारे में दिया है क्या मन्त्री महोदय उसके बारे में सोचेंगे ?

श्री माधवराव सिन्धिया : इस पर अभी कोई विचार नहीं चल रहा है और भविष्य में भी विचार करने की सम्भावना कम ही है।

श्रीमती ऊषा ठक्कर : अध्यक्ष जी, मैं 31 डाउन और 32 अप एक्सप्रेस ट्रेन के सम्बन्ध में माननीय रेल मन्त्री जी से जानना चाहती हूँ....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इस प्रश्न से कनैक्टेड सवाल ही आप कर सकती हैं।

श्री अनूपचन्द शाह : अध्यक्ष जी, अभी माननीय रेल मन्त्री जी ने राजधानी एक्सप्रेस का कन्सैप्ट बताया, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक मेरी नौलेज है, पिछले दिनों डिवीजनल रेलवे कन्सलटेटिव रेलवे मैनेजर, बम्बई डिवीजन, ने बताया था कि राजधानी एक्सप्रेस को सूरत में स्टौपेज देने का अण्डर कंसीडरेशन है। बोरीविल्ली स्टेशन बम्बई का एन्ट्रैंस माना जाता है और बड़ौदा से छूटने के बाद राजधानी एक्सप्रेस डायरैक्ट बम्बई सैन्ट्रल पर आकर खड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि बम्बई सबरबन इलाकों में रहने वाले पैसेंजर्स भी इस गाड़ी का उपयोग कर सकें, उन्हें भी इस गाड़ी का स्टौपेज देना चाहिए। डी. आर. यू. सी. की मीटिंग में इस विषय पर डिस्कशन हो चुका है। क्या माननीय मन्त्री जी इन दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में डिवीजनल रेलवे मैनेजर और डिवीजनल रेलवे मुख्यालय से जानकारी मंगवा कर, इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री माधवराव सिन्धिया : डिवीजनल रेलवे यूजर्स कमेटी में क्या चर्चा हुई, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि डिवीजनल मैनेजर रेलवे ने वहां कुछ कहा था तो उनको ऐसा कहने का अधिकार नहीं था क्योंकि हमारी नीति है कि इस ट्रेन का स्टापेज हम सिर्फ औपरेशनल कारणों से ही देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि राजधानी एक्सप्रेस से सम्बन्धित कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री उत्तम भाई ह० पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली और राजधानी के आजू-बाजू 13 गाड़ियों को दो-दो मिनट के लिए रोकने का रेलवे ने निर्णय लिया था। बड़ौदा और बम्बई के बीच की दूरी बहुत अधिक है, उसके बीच में मन्त्री जी आप कोई स्टेशन पसन्द करके इस गाड़ी के ठहराने की व्यवस्था अवश्य करें। सूरत तो बड़ा शहर है ही, खूबसूरत भी है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, यदि आप वहां राजधानी एक्सप्रेस का स्टौपेज नहीं रखना चाहते तो बलसाड में ही रोकने की व्यवस्था कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री बृजमोहन महन्ती **

दक्षिण-पूर्व रेलवे का होटल

[अनुवाद]

*272. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी में दक्षिण-पूर्व रेलवे के होटल को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस होटल की प्रबंध व्यवस्था में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। होटल का पुनरुद्धार करने तथा प्रबन्ध के स्तर को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।

श्री बृजमोहन महन्ती : दक्षिण पूर्व रेलवे का होटल सबसे सुन्दर और रोमान्टिक होटलों में से एक है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी होटल का नवीकरण करने तथा प्रबन्ध के स्तर को अपग्रेड करने का विस्तृत ब्यौरा दें और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या होटल के विस्तार का कोई कार्यक्रम है।

श्री माधवराव सिन्धिया : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह एक बहुत सुन्दर होटल है लेकिन जहां तक इसके रोमानी होने का सम्बन्ध है उनके अनुभव के आधार पर मुझे यह स्वीकार्य है। इस समय हमने नवीकरण योजना के लिए 33 लाख रुपये तुरन्त निर्धारित किये हैं, जिसमें से 25 लाख रुपये तुरन्त लिये जायेंगे और 6 से 7 लाख रुपये बाद में लिये जायेंगे। हमें होटल की प्रबन्ध व्यवस्था कार्यकुशलता और सेवाओं में भी सुधार करना चाहते हैं और इसलिए मैनेजर के पद को अपग्रेड करके जे. ए. ग्रेड किया गया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री जी के पास होटल में निवास की प्रतिशतता और होटल के हानि अथवा लाभ सम्बन्धी आंकड़े हैं। क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या होटल को नियमित रूप से लाभ हो रहा है ?

श्री माधवराव सिन्धिया : मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि होटल को लाभ हो रहा है। मेरे पास 1982 से 1987 तक के आंकड़े हैं। प्रत्येक वर्ष में होने वाला लाभ कम से कम ऐक लाख पचास हजार और अधिक से अधिक पांच लाख 93 हजार है, दुर्भाग्य से इसमें यात्रियों के ठहरने के प्रतिशत में 49 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक की गिरावट आयी है और जैसाकि माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं—यह सब होटलों की अनियन्त्रित वृद्धि के कारण हुआ है, समुद्रतट पर गन्दगी फेंकने की समस्या के संबंध में हम स्थानीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही जहां तक इन होटलों की ऊँची लागत तथा नवीकरण के लिये अपर्याप्त निवेश की बात है हम समझते है कि ऐसा व्यवसायिक प्रबंधन की कमी के कारण हैं क्योंकि हम रेलवे को चलाने में प्रशिक्षित है लेकिन होटलों को चलाने में नहीं। यही वजह है कि हमने यह निवेश योजना शुरू की है क्योंकि हम इसकी पहले वाली छवि को बनाये रखना चाहते हैं तथा यहां प्रबन्धक को पदोन्नत करके प्रबन्ध व्यवस्था में भी सुधार लाना चाहते हैं ताकि वरिष्ठ स्तर पर प्रबन्ध व्यवस्था अधिक व्यवसायिक बनायी जा सके।

श्री चिंतामणि जेना : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस होटल में विदेशी पर्यटक इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसे पांच सितारा होटल का दर्जा नहीं दिया गया है, इस लिये पिछले वर्ष इसमें ठहरने वालों की संख्या कम थी ? क्या सरकार की इस होटल को पांच सितारा होटल बनाने की कोई योजना है जिससे कि ठहरने वालों की संख्या को बढ़ाया जा सके।

श्री माधवराव सिन्धिया : इसे पांच सितारा होटल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां उसकी कोई जरूरत नहीं है।

सोने की तस्करी

*273. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तस्करी से लाए गए सोने की मात्रा का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धन्धा है, इसलिए यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं है कि कुल मिलाकर कितनी मात्रा में सोना तस्करी द्वारा देश में

लाया गया अथवा इसमें से तस्करी द्वारा कितनी मात्रा में सोना प्रत्येक राज्य में भेजा गया। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने की मात्रा एवं इसका मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :—

वर्ष	पकड़े गए सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	पकड़े गए सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1987	2255	65.78
1988	6094	200.53
1989 (24.7.89 तक)	5569	176.38

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

पकड़े गये माल के मूल्यों में हुई वृद्धि का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि तस्करी सम्बन्धी कार्यकलापों में वृद्धि हुई है अपितु यह तेज किए गए तस्करी-रोधी उपायों के कारण हो सकता है।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है तथा समग्र देश में विशेषतया भू-सीमाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के सुगम्य स्थानों पर तस्करी-रोधी तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है। तस्करी का पता लगाने एवं इसे रोकने के लिए उत्तरदायी सभी सम्बन्धित अभिकरणों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है। एक्स-रे असबाब मशीनों, धातु-खोजी मशीनों तथा रात को प्रयोग की जाने वाली दूरबीनों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में तस्करों के विरुद्ध कितने मामले लम्बित पड़े हैं और इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री ए० के० पांजा : मेरे पास 1984 से 1989 तक के आंकड़े हैं। जब मामले दायर किये जाते हैं तो उसी वर्ष उनका निपटान नहीं किया जाता है। उन्हें लम्बित रहने दिया जाता है। 1984 में 2069, 1985—2463; 1986—3106, 1987—3757; 1988—4223 और 1989 में 4589 मामले लम्बित पड़े थे।

श्री प्रकाश चन्द्र : विभिन्न वर्षों में तस्करों से पकड़े गये सोने का निपटान करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री ए० के० पांजा : सरकार की नीति है कि इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बेचा जाता है लेकिन इसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में जमा किया जाता है।

श्री के० एस० राव : चाहे किसी तरह गणना कीजिए कोई तस्कर, तस्करी का सहारा तभी लेगा जब उसे 25 प्रतिशत का लाभ होगा। एक बार पकड़े जाने पर तस्कर को दण्ड के

अलावा तीन गुना सम्पत्ति का नुकसान होता है । इससे हम समझ सकते हैं कि यदि प्रति वर्ष 176 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया तो तस्करी किए हुए सोने की मात्रा दस गुनी होनी चाहिए अर्थात लगभग 2000 करोड़ रुपये हर बार जब हम किसी भी मंच से इस सम्बन्ध में पूछते हैं तो विभाग से हमें यही उत्तर मिलता है कि तस्करी किये गये सोने का कोई ठीक मूल्यांकन नहीं है क्योंकि यह काम चुपचाप किया जाता है 'मैं इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं । अधिकारी हमेशा यह कैसे कह सकते हैं कि यह चुपचाप किया जाता है और उनके पास कोई परिकलन नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी सोने के वजन और मूल्य के सम्बन्ध में सोने की मात्रा का कुछ वैज्ञानिक मूल्यांकन करेंगे और इसकी जांच के लिये कुछ कठोर उपाय करेंगे ?

श्री ए० के० पांजा : हमने इसकी जांच के लिए कठोर उपाय किए हैं, लेकिन यह चोरी छिपे होने वाला धन्धा है । हम यह नहीं कह सकते कि जितने सोने की तस्करी की जाती है वह सब हम पकड़ सकते हैं । महोदय, हमारी तटरेखा 5689 कि. मी. है और हम पाते हैं कि सोने की तस्करी करने वाले लोग समुद्र के रास्ते जल मार्ग, वायु मार्ग से भी तस्करी करते हैं । भूमि सीमा 9,712 कि. मी. है । इसीलिए, इन क्रियाकलापों को रोकने के लिए जहां तक संभव है हम केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की सहायता ले रहे हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका : उन्होंने इस बारे में नहीं पूछा है । पूछे गये प्रश्न के बारे में बताइये ।

श्री ए० के० पांजा : क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूँ ? ..... स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय, कलक्टरी निरोधक और तट रक्षकों, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सीमा सुरक्षा बलों की भी सहायता ली जाती हैं । कुल कितने सोने की तस्करी की गई हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए । माननीय सदस्य ने कहा है कि क्योंकि राशि बढ़ रही है इसलिए सोने की अधिक तस्करी होनी चाहिए ऐसी बात नहीं है हमने नई पद्धति अपनायी है । इसलिए हम वह सोना पकड़ सके हैं जिसके आंकड़े मैंने अपने उत्तर में दिए हैं । पिछले वर्ष, हमें लगभग 200,53,00,000 रुपये प्राप्त हुए । 1987 में यह 65,78,00,000 रुपये थे । नई नीति अपनाये जाने के कारण, आसूचना के कारण और विभिन्न स्थानों पर जानकारी दिये जाने के कारण हम सोना पकड़ने में समर्थ हुए हैं 24 जुलाई, 1989 तक यह 176.38 करोड़ रुपये थे । इसलिए, किसी प्रकार के वैज्ञानिक मूल्यांकन की संभावना नहीं है क्योंकि जानकारी प्राप्त होनी संभव नही है ।

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों की मांगें

*274. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के संबंध में अखिल भारतीय रेलवे संघ से कोई नोटिस प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, मैंने पूछा था कि क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे संघ के कर्मचारियों द्वारा सितम्बर से हड़ताल पर जाने का कोई नोटिस मिला है। उन्होंने कहा है; नहीं। लेकिन 'इण्डियन एक्सप्रेस' दैनिक समाचार पत्र में एक समाचार छपा था। इसमें कहा गया है कि उन्होंने नोटिस तथा अपनी मांगों के बारे में एक ज्ञापन भी सरकार को दिया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल सितम्बर माह में शुरू होगी।

ऐसा लगता है कि उनकी मुख्य मांग चौथे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत स्थाई वेतन समीक्षा निकाय का गठन करना है। क्या माननीय मन्त्री महोदय सभा को बतायेंगे कि जैसाकि ज्ञापन में कहा गया है क्या यह सच है कि चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट में इस प्रकार के स्थाई वेतन-समीक्षा निकाय को गठित करने की सिफारिश की गई थी ?

श्री माधवराव सिन्धिया : मैं यह दोहरा ता हूं कि उत्तर रेलवे को हड़ताल का कोई नोटिस नहीं मिला है।

फिर भी, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मांगों का संबंध है, वे दो श्रेणियों में आती हैं। एक श्रेणी केन्द्र सरकार के समस्त कर्मचारियों के रूप से हैं, इनके मामले में इन मांगों पर रेलवे स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है।

इन मांगों की दूसरी श्रेणी केवल रेलवे कर्मचारियों से सम्बद्ध है और इनसे संबंधित वार्ताएं, बातचीत तथा बैठकें रेलवे प्रबन्धकों तथा रेलवे कर्मचारियों की बीच होती हैं।

जहां तक स्थाई सरकार वेतन समीक्षा निकाय का संबंध है, मैं समझता हूं कि वित्त सचिव की अध्यक्षता के तहत एक समिति है जो इन मांगों पर विचार कर रही है। जैसाकि मैंने कहा है, ये मांगें सरकारी कर्मचारियों को पूर्णरूप में लेकर हैं, सिर्फ रेलवे कर्मचारियों की नहीं हैं। इसलिए, इस मांग विशेष पर हम स्वयं अपनी राय देने में वास्तव में सक्षम नहीं हैं।

श्री पी० एम० सईद : हम सदा ही यह देखते रहे हैं कि इन हड़तालों के कारण बहुत से कार्य-दिवसों का नुकसान होता है और सरकार को काफी धनराशि का नुकसान होता है। मुख्य प्रश्न मजदूरों को गैर-सरकारी एजेंसियों तथा ठेकेदारों द्वारा बहुत कम धनराशि देकर, न्यूनतम देय वेतन से भी कम अदायगी करके उनका शोषण करने से संबंधित है। मैं यहां पर इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार को प्रमाणित करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन वे मांगों का ब्यौरा पहले ही दे चुके हैं। एक मांग ठेकेदारों तथा गैर-सरकारी एजेंसियों को रेलवे के कार्य देने को रोका जाना था। मै नहीं जानता कि यह कहां तक व्यावहारिक होगा। क्या माननीय मन्त्री महोदय सभा को बतायेंगे कि ठेकेदारों और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा इतने बड़े स्तर पर शामिल होने को रोका जाएगा या नहीं ? यदि ऐसा पूर्ण रूप से करना संभव नहीं है तो मन्त्री महोदय, कम से कम, ठेकेदारों और गैर-सरकारी एजेंसियों की तादाद को तो कम कर सकते हैं और विभाग द्वारा कार्य करवा सकते हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : इतने विशाल उद्यम में यह स्वाभाविक है कि कुछ कार्य ठेकेदारों द्वारा होता है। फिर, माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सभी मामले, जैसाकि मैंने कहा है, रेलवे प्रबन्धकों तथा दो संघों अर्थात, अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ तथा भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के बीच इस पर बातचीत हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इन बैठकों में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : डा० राजहंस।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या माननीय सदस्य के मुख्य प्रश्न के अलावा कोई पूरक प्रश्न नहीं है ? क्या हमें यह आश्वासन दिया जा सकता है.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया चर्चा को दूसरा कोई रूप मत दीजिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या हमें यह आश्वासन दिया जा सकता है कि इन ठेकेदारों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप तो मौके का फायदा उठा रहे हैं।

संथाल परगना और हजारीबाग जिलों के बीच रेल सेवा

*276. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में संथाल परगना और हजारीबाग जिलों के बीच रेल सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० गौरी शंकर राजहंस : माननीय मन्त्री महोदय के कथन के बाद और अधिक पूछने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्या मैं उनसे थोड़ा उदार होने और इस मुद्दे पर दुबारा गौर करने के लिए कह सकता हूं ?

श्री माधवराव सिन्धिया : मन्दार पहाड़ी-दुमका-बैद्यनाथ धाम की नई बड़ी लाईन का रेल मार्ग इस क्षेत्र में आता है। हमने सर्वेक्षण को अद्यतन करने का निर्णय किया है और फिर यह विचार किया जाएगा कि इसे योजना आयोग को प्रेषित किया जाए या नहीं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशी सहायता

*277. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशी संगठनों से वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

औद्योगिक निर्यात (इन्जीनियरिंग उत्पाद) परियोजना के लिए जनवरी 1986 में और निर्यात विकास परियोजना के लिये मई 1989 में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए ऋण समझौतों के तहत भारत सरकार ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है जिसे प्रतिस्पर्धा और निर्मित माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये टेक्नालाजी के संवर्धन और उन्नयन के वास्ते भारत में उद्यमियों को ऋण के रूप में देने के लिये कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक को दिया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा ये ऋण पांच वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित 20 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को वापस किए जायेंगे। ब्याज दर प्रत्येक छः महीने में परिवर्तनशील है जो अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की उधार लागत पर निर्भर करेगी।

श्री एन० डेनिस : मैं जानता हूँ कि यह सहायता प्राप्त कर रहे उद्यमों की संख्या कितनी है, इनके क्या नाम हैं तथा इनका चयन करने का आधार क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह सहायता दी जा रही है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमने दो परियोजनाओं पर बातचीत की है। पहली परियोजना औद्योगिक निर्यात (इन्जीनियरिंग उत्पाद) परियोजना है जिस पर 21 जनवरी, 1986 को बातचीत की गई थी और इसकी ऋण राशि 70 मिलियन अमरीकी डालर है। इस परियोजना तथा दूसरे समझौते में, जिसका मैं अभी उल्लेख करूंगा, के लाभ बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तथा केनरा बैंक को इक्विटी के मुताबिक तथा स्टेट बैंक को अर्ध-इक्विटी के मुताबिक दिये जायेंगे। दूसरी परियोजना निर्यात विकास परियोजना है जिसपर हाल ही में 26 मई को बातचीत की गई थी और यह 66 मिलियन अमरीकी डालर की है।

श्री एन० डेनिस : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस राशि का उपयोग ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि बैंकों के लिए ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी और उद्यमों से लिए जाने वाले ब्याज की दर क्या है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जिन भाग ले रहे बैंकों का मैंने उल्लेख किया है, वे निर्मित उत्पादों के निर्यात तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा इसका स्तर ऊंचा करने के लिए भारत में उद्यमों को ऋण उपलब्ध करायेंगे।(**व्यवधान**)

कृषि ऋणों को माफ करना

*278. **श्री एच० वी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कृषि ऋणों को माफ करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि अगर यह प्रथा जारी रहती है तो, इससे कृषि प्रणाली पूरी तरह ठप्प हो जायेगी;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफ किए हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने ऋण माफ किए हैं; और

(ङ) अब तक इससे कुल कितने किसानों को लाभ पहुँचा है और ये कुल कितनी राशि के ऋण थे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सिद्धांत रूप में कृषि (और अन्य) ऋणों को व्यापक रूप में माफ करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि इससे वसूली के वातावरण तथा समग्र रूप से ऋण ढांचे की अर्थक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने 1987 के दौरान 33.52 करोड़ रुपये के अल्प/मध्य एवं दीर्घ अवधि के सहकारी ऋण माफ किए थे । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने आगे बताया है कि उनकी सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने संबंधित सहकारी संस्थाओं को इस रकम की पूर्णरूप से प्रतिपूर्ति नहीं की है ।

श्री एच० वी० पाटिल : महोदय, विवरण में यह कहा गया है कि सरकार तथा रिजर्व बैंक सिद्धांत रूप में कृषि ऋणों को व्यापक रूप में माफ करने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि उद्योगों को अनेक रियायतें दी जाती हैं । सरकार इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं सोच रही है ? जब कुछ इकाईयां रुग्ण हो जाती हैं तो आप उनके ऋण माफ करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जब सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को कोई पैदावार नहीं मिलती तब सरकार उन्हें रियायतें देने तथा उनके ऋण माफ करने इत्यादि पर विचार क्यों नहीं करती ?

श्री एदुआर्डो फैलीरो : ऋणों को माफ करने के संबंध में उद्योग और कृषि के मामले में भिन्नता नहीं है । ऋणों को माफ करना उन सामान्य सिद्धांतों के तहत किया जाता है जो दिवालिये पन के कानून के अन्तर्गत आते हैं । जब राशि वापस नहीं ली जा सकती, पूर्णतया वापस न लेने योग्य हो जाती है तब राशि माफ करना ही एक मात्र उपाय होता है । इस मूलभूत सिद्धांत पर उद्योग और कृषि के बीच कोई भेदभाव नहीं होता ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा अलग से करा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : पहले 15 मिनिट करिए, फिर आधा घंटा भी लगा देंगे ।

[अनुवाद]

श्री एच० वी० पाटिल : मैं माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ । जब उद्योग रुग्ण हो जाते हैं तो वे उनकी सहायता के लिए सभी संभव कार्यवाही करते हैं तथा उनके ऋण भी माफ

करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लगातार दो या तीन वर्षों तक सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में किसानों को दिए गए ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है। इन ऋणों को माफ करने के लिए सरकार इस प्रकार क्यों नहीं सोचती ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं ऋणों को माफ करने को संचालित करने संबंधी सिद्धांत का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। सूखा इत्यादि के मामले में कई प्रकार की सहायता तथा सुविधायें दी जाती हैं जिनका इस सभा में पहले ही जिक्र किया जा चुका है।

श्री शांताराम नायक : माननीय मंत्री ने कहा है कि जब एक ऋण विशेष वसूल नहीं हो सकता तो ऋण माफ करने का यही मापदंड होता है। लेकिन कभी-कभी अनेक परिस्थितियों में तहत ऋणों को माफ करने पर विचार किया जा सकता है और इस बारे में विचार होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में क्या सरकार किसानों के ऋणों को माफ करने के लिए एक नीति तैयार करने के लिए विचार करेगी ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : माननीय सदस्य जानते हैं कि इन मामलों पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती, इन पर केन्द्रीय, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कार्यवाही करता है। ऐसा भारत में है; ऐसा दूसरे देशों में है, और उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : जहां तक इस विषय में सरकार की नीति का संबंध है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनन्तः जमाकर्ताओं की धनराशि ही दी जाती है। कभी-कभी इस बात की तुलना की जाती है कि उद्योग की क्या सुविधायें उपलब्ध हैं और कृषकों को क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। इस संबंध में एक प्रस्ताव विचारधीन है कि क्या हम दोनों को समान स्तर प्रदान कर सकते हैं। यह एक मुद्दा सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है लेकिन यदि ऋणों को माफ करना है, यदि उस राशि को बट्टे खाते डालना है तो सरकार को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह बैंको की पूरी तरह से क्षति-पूर्ति कर सके। मैं नहीं समझता हूँ कि वित्त मंत्रालय और सरकार सम्बद्ध बैंकों की पूरी तरह से क्षति-पूर्ति कर सकने की जिम्मेदारी ले सकती है। एक प्रस्ताव और भी है जो वास्तव में सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है और वह एक निधि की स्थापना से संबंधित है कि जब कोई विपत्ति आ जाए और यदि कृषकों को रियायतें देनी पड़े तो क्या बैंकों की क्षति-पूर्ति की जा सकती है ?

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण माफ करने की नीति के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, विभिन्न वर्गों और विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की सिफारिशों और मांग उपस्थित की गई हैं। उसके माध्यम से उन व्यक्तियों ने राजनीतिक लाभ भी उठाया है और उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भ्रान्तियां किसानों के दिमाग में पैदा करने और उनको गुमराह करने की जो नीति है, वह राष्ट्र और अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार को इस संबंध में कोई निश्चित नीति का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है, जिससे किसानों के अन्दर इस तरह की भ्रान्ति न हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जहां पर अकाल है, बाढ़ है और इस तरह की जो प्राकृतिक आपदायें हैं, उनमें जो किसानों को नुकसान हुआ है और विशेष कर जो ऋण की अदायगी की स्थिति में नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा, हरियाणा

के मुख्यमन्त्री जी ने जो इस तरह से एक धोखा देकर किसानों से वोट लिये, क्या उन्होंने इस संबंध में कुछ किया है और क्या आप से कोई स्वीकृति लेकर इस प्रकार की कोई घोषणा की थी तथा उसमें आज तक आपका क्या रवैया रहा है, इस संबंध में स्पष्ट रूप से सूचना आप सदन को देने की कृपा करें ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हरियाणा के मुख्यमन्त्री जी ने काफी चीजें इलैक्शन के पहले और पावर में आने के बाद कहीं है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी नाबार्ड की तरफ से आई है, उसमें उन्होंने ऋण माफ नहीं किया है, किसी को भी उन्होंने ब्याज भी माफ नहीं किया । अगर कुछ किया होगा तो इन्टरैस्ट-फ्रीलोन बैंकों को देने की कोशिश की है । इसके सिवाय कुछ नहीं किया है ।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दे दूंगा ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक नेता इस प्रकार के सस्ते लोकप्रिय हथकंडे अपनाते हैं जो कि राष्ट्र के लिए अहितकर हैं । यदि बैंकों द्वारा दिये गये ऋण माफ कर दिये जायें तो बैंक कैसे काम करेंगे ? भविष्य में इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? अतः देश के मूलहित में ऐसा करना हानिकारक है । कुछ राजनीतिक नेताओं तथा मुख्यमन्त्रियों ने भी इसके बारे में घोषणा की है । श्री वी० पी० सिंह जो कि अब त्याग पत्र दे चुके हैं, उन्होंने भी घोषणा की थी कि एक बार यदि वे सत्ता में आ जायेंगे तो वे भी ऐसा करेंगे । मैं समझता हूँ कि वे जानते हैं कि वे सत्ता में नहीं आयेंगे और इसलिये ही उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया । जब वे वित्त मन्त्री थे तब उन्होंने कभी ऐसा सुझाव नहीं दिया था । वित्त मन्त्री श्री वी. पी. सिंह वास्तविक वी. पी. सिंह से भिन्न हैं । इनके दो भिन्न व्यक्तित्व हैं जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है । अतः मुख्यतः बात यह है कि कैसे आप इन नेताओं को इस तरह के वक्तव्य देने की अनुमति देते हैं और उन्हें मुक्त जाने देते हैं जबकि आप जानते हैं कि ये वक्तव्य राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं ? इस सन्दर्भ में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सरकार किसी भी व्यक्ति को कोई वक्तव्य देने से नहीं रोक सकती है । चाहें यह एक जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य हो अथवा गैरजिम्मेदारीपूर्ण, अन्ततः इसका फैसला करना जनता के हाथ में है । मैंने अभी कहा है कि सरकार इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत पहुँचायें, किस प्रकार एक निधि की स्थापना की जाए ताकि एक ओर हम बैंक की भी मदद कर सकें और दूसरी ओर कृषि क्षेत्र की भी सहायता कर सकें ।

श्री मुरलीधर माने : माननीय वित्त मन्त्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि सम्बन्धी ऋणों पर ब्याज की दर में कमी लाने के लिये क्या महाराष्ट्र की सरकार ने संघ सरकार अथवा नाबार्ड से कहा है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक मेरी जानकारी है कि ब्याज की दर में कमी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के साथ मिल कर एक प्रयास किया गया था। नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, "उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का जो पालन करेगा उन्हें वित्तीय सहायता दी जायेगी। यदि आप इसका पालन करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अन्ततः यह निश्चित करना होगा कि वे क्या चाहते हैं।" लेकिन अन्ततः शीर्षस्थ सहकारी बैंकों ने नाबार्ड को यह लिख कर दिया कि वे यह बात स्वीकार करने को तैयार हैं और वे आर. बी. आई. तथा नाबार्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। यही कारण है कि अब कोई समस्या ही नहीं है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा लिये गये ऋणों के ब्याज और दाण्डिक ब्याज के भुगतान में विलम्ब हो जाने पर क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन ब्याज और दाण्डिक ब्याज को माफ कर देने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किये हैं ? इसे दमड़ पट्टू कहा जाता है। छोटे और सीमान्त किसानों में भेद बरता जाना उचित नहीं है क्योंकि भूमि सम्बन्धी कानून के पश्चात अधिकांश किसान छोटे और सीमान्त किसान हो गये हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप सभी किसानों को समान दर्जा देते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक छोटे और सीमान्त किसानों को परिभाषित करने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य महोदया को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी जमीन की एक निश्चित सीमा से कम जमीन हो तो उन्हें छोटा और सीमान्त किसान का दर्जा दिया जाता है। दमड़ू-पट्टू का सिद्धान्त सिर्फ उन पर ही लागू होता है, दूसरों पर नहीं।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकृत बैंक प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 2000 करोड़ रुपये वसूल न किए जा सकने वाले ऋण कह कर बट्टे खाते में डाल देते हैं। उनकी चर्चा यहां भी नहीं की जाती है। अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें सुरक्षा प्रदान की गयी है।

माननीय वित्त मन्त्री के वक्तव्यानुसार अब उद्योग और कृषि दोनों को ही समान दर्जा दिया जाने वाला है। हम इसका स्वागत करते हैं। मैं यह भी चाहूँगा कि सरकार यह भी घोषणा करे कि जो दाण्डिक ब्याज किसानों से लिए जाते हैं उन्हें बन्द कर दिया जायेगा। अन्तिम निर्णय लेने तक तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक कृषक समुदाय का सम्बन्ध है उन्हें उद्योग के समकक्ष रखा जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य महोदया ने सर्वप्रथम यही अर्थ लगाया है कि जैसेकि कुछ बैंकों द्वारा दिये ऋण माफ कर दिए गए थे उसी प्रकार सभी के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। मेरे अनुसार इसका अर्थ उद्योग क्षेत्र की उपलब्ध रियायतों से होगा और कुछ संभावित हद तक, हम इसकी जाँच कर रहे हैं कि कहां तक हम कृषि समुदाय को भी वही रियायतें प्रदान कर सकने में सक्षम होंगे ताकि कृषि को भी व्यापारिक आधार पर चलाया जा सके। सरकार यही विचार रखती है।

जहां तक ब्याज को दण्ड रूप में वसूल करने का सम्बन्ध है, हमें इस लिहाज से देखना चाहिए कि किसी एक वर्ग के पास धनराशि पड़ी न रह जाये क्योंकि अंततः धनराशि का परिचालन होते रहना चाहिये। जब तक कि लोग ऋण का भुगतान नहीं कर देते मैं नहीं समझता

कि दूसरे वर्ग और स्वयं कृषकों द्वारा भी धन की आवश्यकता पड़ने पर बैंक उन्हें ऋण दे सकने की स्थिति में होंगे ।

श्री जोर्ज जासफ मुंडाकल : क्या यह सच है कि उद्योगों में लगे लोग बिना किसी बड़ी जमानत के ऋण प्राप्त कर लेते हैं ? गरीब किसान को जमानत के तौर पर जमीन देनी पड़ती है और उसे उसके मूल्य का 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत ही ऋण प्राप्त होता है । यही कारण है कि आप इसे माफ नहीं कर रहे हैं ।

साथ ही आप औद्योगिक ऋणों और प्रत्यक्ष ऋणों को भी माफ नहीं कर रहे हैं । वे बच सकते हैं । लेकिन ब्याज के मामले में किसानों को कोई रियायत नहीं मिल रही है । औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों की तुलना में नाबार्ड और रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की दर बहुत अधिक है । क्या आप ब्याज की दर में कमी कर सकते हैं ? आपको जमानत के मुद्दे पर विचार करना होगा । आपको यह देखना है कि कृषि को भी उद्योग के समान स्तर पर लाना चाहिए ।

श्री एस० बी० चव्हाण : ऐसा लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र से और कृषि के क्षेत्र से ली जाने वाली जमानत के संबंध में कुछ गलतफहमी है । वास्तव में हम इस प्रकार का कोई भेद नहीं करते हैं । यदि कोई भेद बर्ता भी जाता है तो यह कृषकों के पक्ष में होता है न कि यह कहना सही होगा कि हमें ऋण माफ कर देने चाहिए । यदि हमें कुछ ऋण माफ करने हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं । लेकिन फिर कृषकों को ऋण देने के लिए धनराशि नहीं रहेगी । यही कारण है कि ऋण माफ कर देना किसी भी समुदाय के हित में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रेलवे के कार्य-निष्पादन के बारे में टिप्पणियां

[अनुवाद]

*265. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की संघ सरकार (रेलवे) सम्बन्धी रिपोर्ट (1989 की सं० 10), जो 10 मई, 1989 को सभा पटल पर रखी गई थी, में की गई टिप्पणियों पर कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

31-3-1988 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1988 की संख्या 10) में अन्तर्विष्ट कुल 69 पैराग्राफों में से चार पैराग्राफ लोक लेखा समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए चुने गये हैं। इन पैराग्राफों में से तीन के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के सचिवालय से प्रश्नावलियां प्राप्त हुई हैं तथा एक मामले के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना भेज दी गई है। अन्य दो को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

2.1 रिपोर्ट के शेष 65 पैराग्राफों पर इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन

*267 **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से सम्बन्धित मार्गनिर्देशों में संशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारत सरकार को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

दाहोद में रेल लाइन के नीचे का पुल

*268. **श्री सोमजी भाई डामर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दाहोद (गुजरात) में चकालिया रोड के रेलवे फाटक पर एक निचला पुल बनाये जाने की सामान्य मांग को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक ऐसा पुल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर यह पुल कब तक बनाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से इस स्थान पर निचले सड़क के पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मैसर्स इन्डियन एक्सप्रेस द्वारा सीमा-शुल्क की अदायगी न करना

*275. **श्री नटवर सिंह सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्डियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई वित्तीय अनिय-

मितताओं और अखबारी कागज और अन्य वस्तुओं पर सीमा-शुल्क की अदायगी न किये जाने के सम्बन्ध में "कम्पनी ला बोर्ड" द्वारा 1987 में प्रस्तुत प्रतिवेदन की इस बीच में जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-क के अन्तर्गत किए निरीक्षण के उद्धरण की जांच की गयी थी जो केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड में 26-2-87 को प्राप्त हुआ था। निरीक्षण रिपोर्ट का यह उद्धरण मैसर्स इन्डियन एक्सप्रैस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अखबारी कागज पर सीमाशुल्क की दर के प्रश्न पर दायर की गई रिट याचिका से सम्बन्धित है। मैसर्स इन्डियन एक्सप्रैस (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड आयातित अखबारी कागज पर शुल्क पहले उच्चतम न्यायालय के 2-6-1981 के अन्तरिम आदेश की शर्तों के अनुसार अदा कर रहा था। उच्चतम न्यायालय द्वारा 6-12-84 को पारित अन्तिम आदेशों की शर्तों के अनुसार 1-3-81 से यह शुल्क 550/- रु. प्रति मीटरी टन की दर से निश्चित किया गया था। इस आधार पर कम्पनी से 87.64 लाख रुपये की कुल राशि वसूल कर ली गयी है।

हाल ही में, राजस्व आसूचना निदेशालय को इस बारे में सूचना प्राप्त हुई कि इंन्डियन एक्सप्रैस ग्रुप ऑफ कम्पनीज ने राज्य व्यापार निगम से "गहरे समुद्र में बिक्री (हाई-सी-सेल) आधार पर" और पुनः पूर्ति आयात लाइसेंस पर खरीदे गये अखबारी कागज की कुल मात्रा का सही और वास्तविक हिसाब नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में संगत दस्तावेज राज्य व्यापार निगम के मुख्यालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई से और पंजीयक, समाचार-पत्र, नई दिल्ली से ले लिए गए थे। उपरोक्त दस्तावेजों की जांच करने के परिणाम स्वरूप यह यह देखा गया कि इंडियन एक्सप्रैस ग्रुप ऑफ न्यूजपेपर ने 27,947 मीटरी टन अखबारी कागज आयात किया था। खरीदा था जब कि उन्होंने 1-3-1981 से 6-12-1984 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा बताये अनुसार आयात किए गए/खरीदे गए 21,495 मीटर टन अखबारी कागज की मात्रा पर कम दर पर सीमाशुल्क अदा किया गया था। सीमाशुल्क की कम अदायगी को लगभग 20 लाख रुपए आंका है। कम वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

नागपुर रेलवे स्टेशन

*279. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो नागपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कोई कार्य किया जाना अभी शेष है; और

(घ) यदि हां, तो समूचा कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) अभी तक 73.00 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) नागपुर स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में विकास करने का सम्पूर्ण कार्य मार्च, 1992 तक पूरा हो जायेगा वशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

कर्नाटक में नदी बेसिन के लिए वृहत योजना

*280. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में विभिन्न नदी बेसिनों के लिए कोई वृहत योजना तैयार की है तथा उसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस वृहत योजना की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस वृहत योजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जंकव) : (क) और (ख) कर्नाटक में नदी बेसिन के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई मास्टर योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। ये केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

*281. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिरला समूह की कम्पनियों और अन्य दस प्रमुख औद्योगिक गृहों की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी; और

(ग) सरकार ने उक्त कम्पनियों, उनके अध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों तथा निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सागर में ऊपरि पुल का निर्माण

[हिन्दी]

*282. श्री नन्द लाल चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में सागर रेलवे स्टेशन के निकट कल्पना भवन के सामने वाले रेल फाटक पर ऊपरी पुल के निर्माण की स्वीकृति अन्तिम रूप से कब तक देने का विचार है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार उपरोक्त परियोजना में अपने हिस्से की धनराशि देने को सहमत हो गई है;

(ग) उपरोक्त ऊपरि पुल का निर्माण कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस पुल के निर्माण पर कितनी अनुमानित धनराशि व्यय होगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) राज्य सरकार से प्रस्तावित ऊपरी पुल के सड़क पहुँचमार्गों के लिए तकनीकी ब्यौरे तथा अनुमानित लागत प्राप्त हो जाने पर कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी जायेगी।

(ख) जी हां।

(ग) योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने तथा मंजूरी प्रदान कर दियें जाने के बाद रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया जायेगा। कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से समय-अनुसूची तैयार की जायेगी।

(घ) इस कार्य पर आने वाले खर्च का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है।

तस्करी करने वाले गिरोह

[अनुवाद]

2543. श्री के० एस० राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तस्करों के एक ऐसे गिरोह का पता लगा है जो सीमा-शुल्क अधिकारियों की साठ गांठ से अपनी गुप्त गतिविधियों को छिपाने के लिए वास्तविक आयातकों को ब्लेकमेल करते हैं, जैसा कि 9 जुलाई, 1989 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने सीमा-शुल्क अधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) सरकार का वास्तविक आयातकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) से (घ) 7 जुलाई, 1989 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए देय मामले में सीमाशुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के सतबीर सिंह नामक एक निरीक्षक को, 8 जुलाई, 1989 को उसके निवास स्थान सं. 234, गगन विहार, नई दिल्ली में 60,000/- रु. की राशि स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया गया था। उसको निलम्बित भी कर दिया गया है।

इस मामले और इससे सम्बधित पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे मामलों में ग्रस्त पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। उपयुक्त मामलों में उनके खिलाफ अदालतों में मुकद्दमा भी चलाया जाता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

2544. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से कोई बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है तथा इसकी शर्तें क्या होंगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) परियोजना के लिये 3 करोड़ डालर के एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋण और 25 करोड़ डालर के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उधार हेतु विश्व बैंक के साथ 16 जून, 1989 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। परियोजना के घटकों में, लगभग 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण लगभग 100 नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा नये व्यवसाय (ट्रेड) शुरू करना शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋण पर परिवर्तनशील ब्याज लगता है जो अर्द्ध-वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है तथा यह दर इस समय 7.74 प्रतिशत है। इसकी वापसी अदायगी 20 वर्षों में की जानी होती है जिसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि भी सम्मिलित है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के उधार की वापसी अदायगी 35 वर्षों में करनी होती है जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के उधार दोनों ही को असंवितरित शेष राशियों पर बचनबद्धता प्रभार अदा करने की व्यवस्था भी है। चालू वर्ष के दौरान, बचनबद्धता शुल्क की दर, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋण पर 0.25 प्रतिशत और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उधार पर शून्य है।

राष्ट्रीयकृत बैंक को सलाह देने के लिए क्षेत्रीय समितियां

2545. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए सरकार द्वारा कुछ संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को शामिल करके कुछ क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये समितियां किन तारीखों को गठित की गई हैं तथा इस सम्बन्ध हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों के लिए गठित समितियों के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी समितियां गठित की जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) दिनांक 16 नवम्बर, 1970 को अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के अनुसरण में बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 में निर्धारित प्रत्येक छः क्षेत्रों में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियां गठित की गई थीं। प्रत्येक क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन से अधिक व्यक्ति नामित नहीं किये जाएंगे।

(2) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा संबद्ध क्षेत्रों में शामिल किए गए प्रत्येक राज्य से दो और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से एक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, नामित किए जाएंगे; और

(3) क्षेत्र में कार्यालय वाले प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा पदनामित किया गया हो, एक प्रतिनिधि नामित किया जाएगा।

क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की अध्यक्षता वित्त मंत्री या संघीय वित्त मंत्रालय में ऐसे किसी मन्त्री या उपमन्त्री द्वारा की जाएगी। संसद सदस्य/विधान सभाओं के सदस्यों को क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों में शामिल नहीं किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान राज्य तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य उत्तरी क्षेत्र के हिस्से हैं।

इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय समीक्षा समितियों की बैठकों में अब संसद सदस्यों को आमन्त्रित किया जाएगा।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा में खनिजों की खरीद

2546. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिजों और धातु व्यापार निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में इन वर्षों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विभिन्न प्राइवेट कम्पनियों और राज्य सरकार की खानों से लौह अयस्क, कच्चे लोहे, मैंगनीज, वाक्साइट और अन्य खनिजों की कुल कितनी मात्रा की खरीद की है; और

(ख) लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं और उड़ीसा में प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खनिजों की खरीद करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान एम. एम. टी. सी. द्वारा विभिन्न प्राइवेट कम्पनियों तथा उड़ीसा राज्य सरकार की खानों से खरीदे गये लौह अयस्क की कुल मात्रा नीचे दी गई है :—

	मात्रा लाख मे० टन में
1986-87	21.12
1987-88	20.25
1988-89	10.36

उड़ीसा राज्य से लौह अयस्क की खरीद का एम. एम. टी. सी. कोई अलग लक्ष्य नहीं रखता है। मिश्रित खरीद लक्ष्य उड़ीसा तथा बिहार दोनों राज्य के लिए रखा जाता है।

उड़ीसा से गत तीन वर्षों के दौरान क्रोम अयस्क की खरीद के लिए एम. एम. टी. सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक खरीद की मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा : लाख मे० टन में)

मद	1986-87		1987-88		1988-89	
	लक्ष्य	खरीद	लक्ष्य	खरीद	लक्ष्य	खरीद
क्रोम अयस्क	2.03	0.57	1.75	1.39	1.50	4.85

मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में एम. एम. टी. सी. ने कोई लक्ष्य नहीं रखा था। लेकिन, 1988-89 के दौरान, एम.एम.टी. सी. ने उड़ीसा से 0.11 लाख मे० टन मैंगनीज अयस्क खरीदा। उड़ीसा से बाक्साइट की कोई खरीद नहीं की जाती और न ही इसका निर्यात किया जाता है। एम. एम. टी. सी. ने निर्यात के लिये ढलवां लोहा नहीं खरीदा है और इसलिये उड़ीसा से ढलवां लोहे की कोई खरीद नहीं है।

(ख) उड़ीसा/बिहार राज्यों से लौह अयस्क की खरीद का निर्धारित लक्ष्य प्रतिवर्ष लगभग प्राप्त किया गया, किन्तु क्रोम अयस्क की खरीद के लक्ष्य 1986-87 तथा 1988-89 के दौरान मंदी की स्थिति के कारण प्राप्त नहीं किया जा सके। एम. एम. टी. सी. ने क्रोम के लिए नए बाजारों में प्रवेश करने तथा पुराने बाजारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास पहले ही प्रारम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1988-89 के दौरान क्रोम की खरीद लक्ष्य से कहीं ज्यादा रही।

बड़ौदा में वाष्प इन्जनों का बदलना

2547. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ौदा डिविजन में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस पिछड़े क्षेत्र में तेज और कुशल सेवा उपलब्ध कराने के लिए बड़ौदा डिविजन की छोटी लाइन पर वाष्प इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो वाष्प इंजनों के स्थान पर कब तक डीजल इंजन लगाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) वर्तमान स्तर के यातायात के लिये सुविधायें पर्याप्त हैं।

(ख) जी हां।

(ग) बदोदरा मंडल में छोटी लाइन का प्रथम डीजल रेल इंजन चालू वित्त वर्ष के दौरान चलना शुरू हो जायेगा। इस मण्डल में छोटी लाइन के भाप रेल इंजन यथा समय पूर्णतयः समाप्त कर दिये जायेंगे।

कोयले का बीमा

2548. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों में कोयले का बीमा होता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे वैगनों द्वारा ढोये जाने वाले कोयले के कितने प्रतिशत का बीमा किया जाता है; और

(ग) क्या बीमा कम्पनियां छोटे उपभोक्ताओं द्वारा बुक कराये गये कोयले का बीमा नहीं करती हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों पर ढुलाई के लिये बुक किये जाने वाले कोयले के लिये रेलों की कोई बीमा प्रणाली नहीं है। वाहक के रूप में रेलवे की दायिता भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस विषय में रेल मन्त्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

चीनी का निर्यात

2549. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में जनवरी से जून की अवधि के दौरान कितनी भारतीय चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार चीनी के निर्यात सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) 10,000 मी० टन।

(ख) और (ग) चीनी के निर्यात की नीति की स्वदेशी उपलब्धता, आन्तरिक मांग और अन्य सम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखकर बराबर समीक्षा की जाती है।

भू-जल विकास के लिए संस्थानों द्वारा वित्त पोषण

2550. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधन क्षेत्र का संस्थानों द्वारा वित्त पोषण किए जाने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं, क्योंकि भू-जल विकास का अधिकांश भाग किसानों के गैर सरकारी उद्यमियों के आश्रित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित भू-जल विकास के प्रभारी राज्य के सचिवों के सम्मेलन में सामाजिक और पारस्थितिक परिप्रेक्ष्य में भू-जल संसाधन का विकास करने तथा राज्य स्तर पर समन्वय करने के बारे में भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने के लिए संस्थागत वित्त पोषण की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के उपायों में ये शामिल हैं:- लघु सिंचाई विकास के लिए आवधिक ऋण, ग्रामीण ऋण के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाना, 25000 रु० तक के ऋणों के लिए आवेदनों को समयबद्ध रूप से निर्धारित करना तथा फार्मों और प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त बनाना । एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए संस्थागत ऋण की गति की पुनरीक्षा करने के लिए ग्राम विकास विभाग के केन्द्रीय सचिव की अध्यक्षता में एक ऋण संबंधी उच्च स्तरीय समिति भी है। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि ब्लाक कार्यालय से बैंकों तक आवेदनों की एक समान गति सुनिश्चित की जाए, कैम्पों में ऋण आवेदनों की मंजूरी के स्तर तक सभी मामलों को अन्तिम रूप दिया जाए और गैर बैंकिंग कार्य दिवस मनाया जाए ताकि बैंक अधिकारी क्षेत्रों में जा सकें और लाभग्राहियों की समस्याओं पर ध्यान दे सकें । संस्थागत ऋण की गति की पुनरीक्षा के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर समन्वय समितियां भी हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भूजल विकास के प्रभारी राज्य सचिवों ने नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में भूजल को विकास, आयोजना और वित्त पोषण के लिए प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन के रूप में देखा है । इसमें जिन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया गया उनमें ये शामिल हैं :-आसूचना प्रणाली विकसित करने, बेसिनवार संसाधन आयोजना, आवधिक मूल्यांकन उपाय, संयुक्त उपयोग भूजल प्रबोधन, भूजल संबर्धन, अनुसंधान और विकास आवश्यकताओं, लोगों की सहभागिता तथा संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता ।

गैर-विकासीय व्यय

2551. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का गैर-विकासीय व्यय गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में अधिक हो रहा है;

(ख) क्या विकास के लिए निर्धारित की गई राशि भी गत वर्ष की तुलना में कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) वर्ष 1988-89 के बजट अनुमानों में विकास भिन्न व्यय की वृद्धि की दर, वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 के संशोधित अनुमानों में इसी प्रकार की वृद्धि से कम है ।

(ख) वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों में विकास व्यय के लिये निर्धारित राशि, वर्ष 1988-89 के संशोधित अनुमानों में निर्धारित राशि की अपेक्षा अधिक है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बैंक जमा राशियां

2552. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988, 31 मार्च, 1989, 28 अप्रैल, 1989, 26 मई, 1989 और 30 जून 1989 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों में लोगों द्वारा जमा की गई राशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 31 मार्च, 1989 की तुलना में 28 अप्रैल, 1989 को जमाराशियों में कमी हुई है; और

(ग) सरकार ने बैंकों की जमाराशियों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

संशोधित आयकर अधिनियम के अन्तर्गत राहत

2553. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचीबद्ध पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आशय पत्र धारक करदाताओं को संशोधित आयकर अधिनियम 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत राहत नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) कुछेक ब्लाकों तथा तालुकों को जिन्हें इससे पहले आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में निहित पिछड़े क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया था, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधि-

सूचना के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से पिछड़े क्षेत्रों की सूची में से निकाल दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुछेक कर-निर्धारिती जो इससे पहले धारा 80 ज ज के अध्यधीन कर-रियायत प्राप्त करने के पात्र थे, वे अब उक्त रियायत लेने के हकदार नहीं रह गये।

(ग) उक्त अधिसूचना के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों को आवश्यक समझी गई सीमा तक दूर करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 1, मई 1987 को इस आशय का एक सरकारी परिपत्र जारी किया था कि वे सभी क्षेत्र, जिन्हें उक्त आठवीं अनुसूची की सूची में तो विनिर्दिष्ट किया गया था लेकिन उक्त अधिसूचना की सूची में शामिल नहीं किया गया था, उस तरह के मामलों में धारा 80 ज ज के अध्यधीन कर-रियायत को प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठाते रहेंगे, जिनमें औद्योगिक उपक्रमों ने वस्तुओं का विनिर्माण अथवा उत्पादन 10 सितम्बर, 1986 से पूर्व करना शुरू किया था अथवा जहां पर होटल का कारोबार उक्त तारीख से पहले शुरू हुआ था।

तीसरे विश्व के देशों में चीन के साथ संयुक्त उद्यम

2554. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन तीसरे विश्व के देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौतों का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों में ऐसे संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मसालों का निर्यात

2555. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य से काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले के निर्यात के संबंध में चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वित्तीय वर्ष 1989-90 की पहली तिमाही के दौरान कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में मसाले की निर्यात दर में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) केरल में सुपारी का प्रतिवर्ष कितना निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) राज्यवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। लेकिन वर्ष 1989-90 के समग्र लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) कुछ मामलों में निर्यात में वृद्धि हुई है तथा कुछ मामलों में कमी हुई है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) विभिन्न राज्यों से सुपारी के निर्यात के आंकड़े तैयार नहीं किए जाते।

विवरण

भारत से मसालों के निर्यात

मात्रा : मी० टन० मूल्य : लाख रु०

अप्रैल-जून, 89			अप्रैल-जून, 88	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	9250	4929	19304	9038
इलायची (छोटी)	71	96	200	301
इलायची (बड़ी)	45	19	121	51
लाल मिर्च	2450	586	824	140
अदरक	300	286	1152	258
हल्दी	3100	324	2362	284
कड़ी पाउडर	520	45	913	162
बीज और अन्य मसाले	2500	240	5246	550
मसाले का तेल तथा ओलिओरेसिन	80	314	96	365
योग	19346	6879	30218	11149

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा करने के लिए मानदंड

2556. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में ऐसी समीक्षा निरंतर की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान यह समीक्षा दक्षिण पूर्व रेलवे के किन-किन डिवीजनों में किस-किस तिथि को की गई है और इसके परिणामस्वरूप लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों पर श्रेणी-III के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित कार्य के मानदण्डों की समीक्षा करने के लिये कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) आवश्यकता होने पर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे में किसी मानदण्ड की समीक्षा नहीं की गयी क्योंकि इसे आवश्यक नहीं समझा गया था।

आवास विकास के लिए सामान्य बीमा निगम का एक पृथक सहायक कम्पनी की स्थापना

2557. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल के बारे में 24 फरवरी 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 464 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने आवास विकास के लिए पृथक सहायक कम्पनी की स्थापना की है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वर्गों के लोगों के लाभार्थ अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं के प्रारम्भ किए जाने के पश्चात इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों/दावेदारों की संख्या में वृद्धि हुई है और इनके प्रारम्भ होने के पश्चात् देश में समग्र रूप से तिमाही-वार कुल कितने दावे प्रस्तुत किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों ने इन्डियन ओवरसीज बैंक आदि के सहयोग से एक आवास वित्त कंपनी स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इन योजनाओं को लागू किए जाने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वर्गों के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत लाभानुभोगियों/दावेदारों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही है। उदाहरणार्थ, साधारण बीमा निगम द्वारा संचालित व्यक्तिगत दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अन्तर्गत 1989 की पहली तिमाही में लाभानुभोगियों की संख्या 3693 थी जबकि 1988 की अन्तिम तिमाही में यह संख्या 2800 तथा 1988 की तीसरी तिमाही में 2621 थी। इसी प्रकार साधारण बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के लिए चलाई जा रही झोंपड़ी बीमा स्कीम के अन्तर्गत लाभानुभोगियों की संख्या वर्ष 1989 की पहली तिमाही में 13597 थी जब कि वर्ष 1988 की अन्तिम तिमाही में यह संख्या 3865 थी। इसी तरह, भूमिहीन खेतिहार मजदूरों के लिए, जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1989 की पहली तिमाही में निपटाए गए

मामलों की संख्या 12159 थी (इससे पहले की अवधि के दौरान, जीवन बीमा निगम द्वारा निपटाए गए दावों से संबंधित तिमाही आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इस स्कीम के अन्तर्गत, दिसम्बर, 1988 के अन्त तक, जीवन बीमा निगम द्वारा कुल मिलाकर 17186 दावों का निपटान किया गया था।

गोआ को विशेष वित्तीय सहायता

2558. **श्री शांताराम नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गोआ एक नव गठित राज्य है, उसके बजटीय अन्तर को पूरा करने के लिए गोआ सरकार को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर रहीं है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों से इस संबंध में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गोआ के राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेने पर उसके नियोजित विकास पर बुरा असर न पड़े, गोवा को वर्ष 1987-88 के लिए उसकी अनुमोदित योजना परिव्यय के वित्त पोषण के लिए 50 करोड़ रु० का आवधिक ऋण दिया गया था। परन्तु वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सरकार को कोई विशेष ऋण सहायता नहीं दी गई थी चूंकि राज्य योजना 1988-89 के लिए संसाधनों में कोई अन्तर नहीं था।

निर्यात संसाधन जोन की परिधि के अन्तर्गत स्थापित एककों के लिए आयात नीति

2559. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संसाधन जोनों की परिधि के अन्तर्गत स्थापित/स्थापित किए जाने वाले एककों के लिए आयात नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जोनों के अन्तर्गत ऐसे एककों की स्थापना किए जाने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(घ) जिन एकको का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) निर्यात संसाधन जोनों में स्थापित इकाइयों के बारे में आयात एवं निर्यात नीति, 1988-91 में, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किए गए हैं।

(1) आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने की शर्त को हटा दिया गया है।

(2) एजेंटों के जरिये आयात की जिस सुविधा का जिक्र "हैंड बुक आफ प्रोसीजर्स, 1988-91" के पैरा 120 एवं 121 में किया गया है, उसे मुक्त व्यापार जोनों/निर्यात संसाधन जोनों में स्थित एककों के लिए बन्द कर दिया गया है।

(3) संयुक्त राज्य अमरीका से, नियंत्रित मदों के आयात के मामलों में, निर्यात संसाधन जोनों/मुक्त व्यापार जोनों में स्थित इकाइयों को "आयात प्रमाण-पत्र" लेना पड़ेगा। यह प्रमाण-पत्र मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक/इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा सम्बन्धित जोनों के विकास आयुक्त के जरिए जारी किया जाएगा।

(ग) परियोजनायें स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्रों की जांच करते समय जिन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है उनमें शामिल हैं; आर्थिक अर्थक्षमता, मूल्य वर्धित अन्श, निर्यात से घना अर्जन की मात्रा, रोजगार सृजन, कार्य संचालन का स्वरूप, संवर्धनकर्ताओं का अनुभव तथा उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि आदि।

(घ) निर्यात संसाधन जोनों की योजना में प्रतियोगी आधार पर उत्पादन के लिये समुचित निवेश सहायता की व्यवस्था है। इकाई के कार्य-निष्पादन की जिम्मेदारी उद्यम की है। जोनों के विकास आयुक्त इकाई के कार्य को मानीटर करते हैं तथा जहां सम्भव हो वहां मार्गदर्शन करते हैं।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

2560. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया;

(ग) समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियंत्रित समुद्री खाद्य की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	मात्रा (मी० टन)
1986-87	85843
1987-88	97179
1988-89	99777

(ग) भारत जिन देशों को समुद्री खाद्य का निर्यात कर रहा है, वे हैं : जापान, अमरीका ब्रिटेन, स्पेन, सिंगापुर, फ्रांस, ग्रीस, नीदर लैण्ड, इटली, यू. ए. ई., कुवैत, श्रीलंका और बैल्जियम

(घ) डी. जी. सी. आई. एस. के आकड़ों के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान समुद्री उत्पाद के निर्यात भूतपूर्व 632.26 करोड़ रु० मूल्य के हुए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इन आंकड़ों को पार कर लेने की संभावना है।

शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया द्वारा मत्स्य कम्पनियों को दी गई सहायता

2561. **श्री दौलतसिंहजी जडेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 1989 तक की स्थिति के अनुसार शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इन्डिया को मत्स्य कम्पनियों द्वारा देय ऋणों/अतिदेयों और ब्याज का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : दि शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इन्डिया ने सूचित किया है कि उसके द्वारा वित्तपोषित, डीप सी फिशिंग ट्रॉवलर कम्पनियों पर 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण की राशि 9.02 करोड़ रुपये थी और इनमें से किसी भी कम्पनी ने मूलधन के भुगतान में चूक नहीं की थी। 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ब्याज की राशि 1.08 करोड़ रु० थी। दि शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी द्वारा जिन कम्पनियों को सहायता मंजूर की गई है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1.	इन्डस फूड्स लिमिटेड
2.	सुमरा मैरीटाइन ट्रेडस लि०
3.	सील फिशरीज लि०
4.	चन्दर सी फूड्स लि०
5.	मीनम फिशरीज लि०
6.	सूर्य की फूड्स लि०
7.	नव भारत फेरो एलायज लि०
8.	गौतम कन्ट्रक्शन लि०
9.	मदर लैंड ओशन प्रोडक्टस लि०
10.	इन्दमार फिशरीज लि०
11.	यंग फिशरीज लि०
12.	ओसनिक इन्टरप्राइजेज लि०
13.	अटलांटा फिशिंग प्राइवेट लि०
14.	हाई सी फूड्स लि०
15.	अजीज ओ शन फूड्स लि०

16. पल्लवा सी फूड्स प्रा० लि०

17. रायसे मैरिन लि०

18. बंगलौर मैरिन लि०

19. महाराजा फिशरीज लि०

20. नौककांती सी फूड्स लि०

21. सिंधु शिवाथी फिशरीज (प्रा०) लि०

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा खोलना

2562. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर(उत्तर प्रदेश)में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह शाखा कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

अखिल भारतीय बैंकिंग सेवा

2563. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सभी श्रेणियों के पदों के लिए मौजूद क्षेत्रीय बैंकिंग सेवा व्यवस्थाओं के स्थान पर एक नई अखिल भारतीय बैंकिंग सेवा शुरूकरने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

अलीगढ़-चंदौसी रेल मार्ग का नवीकरण

2564. **श्री पूरन चन्द्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़-चंदौसी रेल मार्ग का नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कि वह तेज रफ्तार वाली गाड़ियों के चलने के उपयुक्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदिशा और सांची रेलवे स्टेशन

2565. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदिशा और सांची रेलवे स्टेशनों पर नए प्लेट-फार्म शेडो का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सांची को भी आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

2567. **श्री आई० रामाराय** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के नियमों में परिवर्तन करने का विचार है ताकि विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर रिक्त स्थानों को भरा जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान मानदण्ड पर्याप्त माने गए हैं ।

केरल में नया रेलवे स्टेशन भवन

2568. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में किसी नये रेलवे स्टेशन भवन निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप प्ययनूर और तिरूवनन्तपुरम सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन भवनों का निर्माण कार्य चरणों में शुरू किया जा रहा है। निर्माण कार्य क्रमश: 1990-91 और 1992-93 में पूरा होने की संभावना है।

रेलवे की आय

2569. **श्री के० मोहनदास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की राज्यवार/डिवीजनवार आय क्या है;

(ख) क्या एक विशेष राज्य में रेलवे के विकास में किये जाने वाले पूंजी निवेश का उस राज्य से होने वाली आय से कोई सम्बन्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी केरल के आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलवे की आमदनी के राज्यवार/मण्डल-वार संविभाजन की कोई प्रणाली नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-अमृतसर तथा दिल्ली-जम्मू के बीच तीव्र गति से चलने वाली यात्री गाड़ियां

2570. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और अमृतसर तथा दिल्ली और जम्मू तवी के बीच तीव्र गति से चलने वाली यात्री गाड़ियां चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए ये तीव्र गति से चलने वाली यात्री गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये रेलगाड़ियां कब तक आरम्भ की जाएंगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मई, 1989 से नई दिल्ली और अमृतसर तथा नई दिल्ली और जम्मू तवी के बीच नयी सुपरफास्ट गाड़ियां चलाई गई हैं।

दिल्ली में उत्पाद शुल्क की चोरी के मामले

2571. **श्री रामचन्द्र समुद्धावन** : क्या वित्त मन्त्री दिल्ली में उत्पाद शुल्क की चोरी के मामले के बारे में 21 जुलाई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 609 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थित एककों की गत तीन महीनों के दौरान कितनी बार आकस्मिक जांच की गई;

(ख) मामलों के सम्बन्ध में अविलम्ब निर्णय करने के लिए क्या कदम उठाये गए; और

(ग) गत छह महीनों के दौरान कितने मामलों में न्याय-निर्णय किया गया और गत तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 1-4-1989 से 30-6-1989 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली में स्थित एककों के 58 बार निरीक्षण किए गए। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, कर अपवंचन के 49 मामलों का पता लगाया गया जिनमें 32.66 लाख रु० का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अन्तर्ग्रस्त था।

(ख) मामलों की जांच करने और बिना किसी विलम्ब के कारण बताओ नोटिस जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कारण बताओ नोटिसों का उत्तर प्राप्त होने पर और पार्टियों की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने के पश्चात् मामलों पर शीघ्र न्यायनिर्णयन किया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के पिछले छः-छः महीनों की अवधि के दौरान न्यायनिर्मित मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

1-1-1989 से 20-6-1989		444
1-1-1988 से 30-6-1988		315
1-1-1987 से 30-6-1987	:	323
1-1-1986 से 30-6-1986		150
		1132

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

2572. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने राज्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण सम्बन्धी अपनी अद्यतन रिपोर्ट में उन पर यह टिप्पणी की है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए दी जाने वाली अधिकांश सहायता नगर और शहरी क्षेत्रों को स्थानांतरित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में केन्द्रीय और राज्य सरकार के स्तर पर वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण में क्या सुधार किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता को नगर व शहरी क्षेत्रों को स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट में किए गए किसी उल्लेख की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुसार राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा वर्ष 1985-86, 1986-87 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई सहायता में वृद्धि हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

पिछड़े क्षेत्रों को मंजूर की गई सहायता

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)	
	राज्य वित्त निगम	राज्य औद्योगिक विकास निगम
1985-86	564.9	357.2
1986-87	682.1	362.0
1987-88	718.4	422.5

सभी राज्य वित्त निगमों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को मार्च 1988 तक संचित रूप से मन्जूर की गई सहायता उनके द्वारा मंजूर की गई कुल सहायता का 51.2 प्रतिशत थी। इसी तरह से सभी राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को संचित रूप से मंजूर की गई सहायता उनके द्वारा मंजूर की गई कुल सहायता की 64.3 प्रतिशत थी।

असम में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाना

2573. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए वर्ष 1966 की मतदाता सूची को आधार मानने के बारे में निर्वाचन आयोग के विवादास्पद विनिर्देश के परिणामस्वरूप असम में अल्पसंख्यकों में काफी परेशानी व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर ऐसी परेशानी न होने देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) विधि तथा व्यवहारिक पहलुओं के अनुरूप मतदाता सूची में संशोधन के लिए वर्ष 1985 की मतदाता सूची को स्वीकार करने के लिए निर्वाचन आयोग को सहमत करने हेतु यदि सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, तो वे क्या हैं; और

(घ) असम में मतदाता सूचियों में संशोधन की प्रक्रिया पर निरंतर निगाह रखने के यदि सरकार ने कोई कदम, विशेष रूप से केन्द्रीय कर्मचारियों को तैनात करके, उठाये हैं, तो वे क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है कि असम में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने में 1966 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाए। निर्वाचन आयोग ने गहन पुनरीक्षण के लिए ही आदेश दिया है। ऐसे पुनरीक्षण में, किसी पूर्ववर्ती नामावली को आधार बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी नामावली का उपयोग केवल साक्ष्य स्वरूप ही किया जा सकता है।

असम में, 126 सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में से 121 की बाबत प्रगणना पूरी हो गई है और और यह आशा की जाती है कि शेष निर्वाचन क्षेत्रों की बाबत भी कार्य शीघ्र पूरा हो जावेगा। यह मामला संवेदनशील है, अतः निर्वाचन आयोग इस बाबत अत्यन्त सावधानी बरत रहा है और इस कार्य को दिन-प्रति-दिन के आधार पर मानीटर कर रहा है तथा जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता, वह ऐसा ही करता रहेगा। निर्वाचन आयोग ने कार्य का पर्यवेक्षक और अधिकारी तैनात करने का भी विनिश्चय किया है।

बैंकों में कम्प्यूटर का प्रयोग

2574. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों में किस प्रकार के कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कम्प्यूटर कम्पनियों को बैंकों में प्रयोग में आने वाले कम्प्यूटरों के निर्माण का अवसर प्राप्त होगा; और

(घ) क्या स्वदेशी कम्पनियों द्वारा निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष अनुदेश जारी किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जैसा कि बैंकों में कम्प्यूटरीकरण/यंत्रीकरण के लिए डा० रंगराजम कमेटी ने सिफारिश की थी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने प्रधान कार्यालयों, क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों और शाखाओं में क्रमशः मेनफ्रेम कम्प्यूटर, मिनी कम्प्यूटर और एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें, मिनी कम्प्यूटर और मेनफ्रेम की सप्लाई करने के लिए उसने देशी निर्माताओं/विक्रेताओं की सूची तैयार की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध विक्रेताओं के के नाम और उपस्करों के ब्यौरे समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भेजे जाते हैं।

मतदाता सूचियों में संशोधन

2575. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मतदाता सूचियों में संशोधन करने के लिए कदम उठा रही है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्य किस तिथि तक पूरा हो जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या पुनरीक्षण का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचन आयोग ने तारीख 1-4-1989 को अर्हक तारीख मानते हुए, 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु समूह के मतदाताओं का नामांकन करने के लिए निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। यह कार्य पूरा कर लिया गया है तथा असम राज्य एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के हिमाच्छादित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग को छोड़कर, वे निर्वाचक नामावलियां सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। असम राज्य के मामले में निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण करने का आदेश दिया है और 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रगणना कार्य पूरा कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग यह कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए उसे ध्यान से मनिटर कर रहा है।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों के लिए प्रस्ताव

2576. **श्री जी० एस० वासवराजू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु अनेक प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां ये संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाएंगे;

(घ) इस समय कुल कितने संयुक्त उद्यम कार्यरत हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में वर्ष 1988 के दौरान स्थिति क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) इस समय 22 संयुक्त उद्यम प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इनमें शामिल हैं–केमैन दीप, मलयेशिया, हंगरी, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, सोमालिया, नेपाल, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जोर्डन एवं थाइलैंड में परियोजनाएं। यह बता पाना संभव नहीं है कि इन पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जा सकेगा। जब ये प्रस्ताव विचार के लिये पूरी तरह तैयार होते हैं, तब इन पर विदेशों में संयुक्त उद्यमों पर समिति द्वारा विचार किया जाता है।

(घ) दिनांक 30.6.1989 की स्थिति के अनुसार, 150 संयुक्त उद्यम कार्यरत हैं।

(ङ) दिनांक 31.12.1988 को 152 संयुक्त उद्यम कार्यरत थे।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में पंजीकृत रुग्ण एकक

2577. **श्री देवी धोवाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) में अब तक, राज्य-वार कितने रुग्ण एकक पंजीकृत हैं;

(ख) राज्यवार इनमें से कितने एककों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के सहयोग से अर्थक्षम बनाया जा सकता है;

(ग) राज्यवार कितने एककों को बन्द किया गया है; और

(घ) राज्यवार ऐसे कितने मामले निपटाने के लिए अभी भी विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि दिनांक 30 जून, 1989 तक की स्थिति के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के सम्बन्ध में प्राप्त 716 संदर्भ उसके पास दर्ज करवाये गये हैं। दर्ज करवाये गये एककों की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बोर्ड ने 30 जून, 1989 तक, 30 रुग्ण कम्पनियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए योजनाएं मन्जूर की हैं। उक्त योजनाएं लागू की जा रही हैं।

(ग) 30 जून, 1989 तक की स्थिति के अनुसार, 25 कम्पनियों के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत बोर्ड ने यह मत दिया है कि कम्पनी को बन्द करना उचित और न्यायसंगत है और उस मत को सम्बन्धित उच्च न्यायालय के पास भेजने के लिए रिकार्ड कर लिया है।

(घ) 30 जून, 1989 तक, बोर्ड ने 73 मामलों से सम्बन्धित संदर्भ अस्वीकार कर दिये क्योंकि उन्हें रखने योग्य नहीं समझा गया। अन्य 79 मामलों में बोर्ड ने उक्त अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत, इस बात की तसल्ली करने के बाद अनुमोदन दे दिया कि संबंधित कम्पनी उचित समय के अन्दर, अपने निवल मूल्य को स्वयं सकारात्मक बना सकती है। अन्य मामलों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड विनियमों के तहत अलग-अलग चरणों में जांच चल रही है।

विवरण

वर्ष 1987, 1988 और 1989 में दर्ज करवाये गये रुग्ण एकक

राज्य का नाम	राज्यवार ब्यौरा	एककों की संख्या		
		1987	1988	1989 (30, 1989 तक)
1.	महाराष्ट्र	65	53	15
2.	पश्चिमी बंगाल	40	42	13
3.	गुजरात	34	33	11
4.	आन्ध्र प्रदेश	30	35	9
5.	तमिलनाडु	30	25	7
6.	उत्तर प्रदेश	29	21	7
7.	कर्नाटक	24	28	6
8.	बिहार	18	11	2
9.	राजस्थान	17	13	3
10.	हरियाणा	11	11	6
11.	पंजाब	11	8	—
12.	मध्य प्रदेश	10	10	6
13.	केरल	10	7	3
14.	हिमाचल प्रदेश	3	6	3
15.	उड़ीसा	2	6	2
16.	असम	1	—	—
17.	चण्डीगढ़ (यूटी)	1	—	—
18.	दिल्ली (यूटी)	1	3	1
19.	पांडिचेरी (यूटी)	1	3	—
20.	गोवा	1	2	—
		339	31	94
	रुग्ण कम्पनियों की कुल संख्या, अलग-अलग राज्यों में स्थित उनके एककों की गणना किये बिना	317	300	99

नशीले पदार्थों का उत्पादन और नशीली औषधों का अवैध व्यापार

[हिन्दी]

2578. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीले पदार्थों का उत्पादन तथा नशीली औषधों का अवैध व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) हालांकि अपरिष्कृत हेरोइन/मार्फीन का अवैध रूप से निर्माण करने के कुछ एक प्रयास किए गए हैं, फिर भी यह सच नहीं है कि स्वापकों के अवैध रूप से निर्माण कार्य में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

अवैध नशीले औषध द्रव्यों की आपूर्ति करने वाले 'गोल्डन क्रेसेन्ट' और 'गोल्डन ट्राईएंगल' नामक दो मुख्य स्रोतों के बीच अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत नशीले औषध द्रव्यों के मार्गस्थ अवैध व्यापार की समस्या का उत्तरोत्तर सामना कर रहा है।

सरकार ने विभिन्न जोरदार प्रति उपाय आरम्भ कर दिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ नशीले औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों को कठोर दण्ड दिए जाने की व्यवस्था करना, निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना (विशेषतया सीमाओं तथा सुगम्य क्षेत्रों के आस-पास), अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरुस्कार स्कीम लागू करना, पड़ौसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाना (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित), शामिल है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध द्रव्यों संबंधी अपराधों के लिये अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अब तक 343 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

स्वापक औषध द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट प्रकार के ऐसे अपराधों के लिए, जिन में कतिपय औषध द्रव्यों की विनिर्दिष्ट मात्रा शामिल हो, दूसरी बार दोष सिद्ध हो जाने पर मृत्यु दण्ड दिए जाने की व्यवस्था है तथा इसमें नशीले औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों की सम्पत्ति को जब्त किए जाने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा, नशीले औषध द्रव्यों सम्बन्धी सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है।

नशीले औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों के विरुद्ध चलाए गए जोरदार अभियान के परिणाम-स्वरूप बड़ी मात्रा में नशीले औषध द्रव्य पकड़े गये थे, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:—

नशीले औषध द्रव्य का नाम	1986	1987	1988	1989 (जून तक अनन्तिम)
	(कि० ग्रा० में)			
1. अफीम	8789	2929	3304	576
	(1692)	(433)	(512)	(126)
2. मार्फीन	207	115	23	16
	(45)	(38)	(24)	(5)
3. हेरोइन	2621	2747	3029	1262
	(405)	(351)	(489)	(125)
4. हशीश	18909	14796	17523	2531
	(374)	(301)	(419)	(98)
5. गांजा	60619	53920	45994	23727
	(684)	(635)	(592)	(139)

(ब्रैकटों में दिए गए आंकड़े मामलों की संख्या दर्शाते हैं)

नशीली औषधियों की तस्करी

2579. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी देशों से भारत में नशीली औषधियों की तस्करी में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1988 से इन सीमावर्ती क्षेत्रों से अफीम और अन्य नशीली औषधियों की तस्करी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी मात्रा में विभिन्न नशीली औषधियां पकड़ी गई, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने गिरफ्तार किये गये तथा जेलों में बन्द किये गये और तस्करों के ऐसे गिरोहों की संख्या कितनी है जो अभी भी पकड़े नहीं जा सके हैं तथा उनसे जब्त की गई धन-राशि इत्यादि का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अन्य क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध सप्लाई के लिए दो मुख्य स्रोतों, अर्थात् गोल्डन क्रीसेन्ट और गोल्डन ट्राइएंगल के बीच अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत नशीले औषध-द्रव्यों के मार्गस्थ अवैध व्यापार की समस्या का उत्तरोत्तर सामना कर रहा है।

1988 में और जून, 1989 तक अभिगहीत विभिन्न नशीले औषध-द्रव्यों की मात्रा नीचे दिये अनुसार हैं :—

	1988 (किलोग्राम में)	1989 (जून तक) अनन्तिम
1. अफीम	3,304	576
2. हेरोइन	3,029	1,262
3. हशीश	17,523	2,531
4. गांजा	45,994	23,727

स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो को सूचित किए गए अनुसार उन व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा जिन पर मुकदमा चलाया गया, दोष सिद्ध किया गया और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, नीचे दिया गया है :—

	1988	1989
1. जिन पर मुकदमा चलाया गया, उन व्यक्तियों की संख्या	3,074	730
2. जिन पर दोष सिद्ध किया गया, उन व्यक्तियों की संख्या	339	98
3. जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उन व्यक्तियों की संख्या	2,350	614

अभी तक फरार गिरोहों की संख्या, मर गए व्यक्तियों की संख्या और उनसे वसूल किये गये धन आदि का सही-सही ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए अलग-अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सरकार ने विभिन्न जोरदार प्रत्युपाय शुरू किये हैं; जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों को कठोर दण्ड दिए जाने की व्यवस्था करना, निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना (विशेषकर सीमाओं और तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों के आस-पास), अधिकारियों और मुखबिरों के लिये उदार पुरस्कार योजना अपनाना, पड़ौसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग (ब्लार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) को मजबूत बनाना शामिल है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध-द्रव्यों संबंधी अपराधों के लिए अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि तक निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अभी तक 3431 व्यक्तियों नजरबन्द किया गया है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट अपराधों के सम्बन्ध में, जिनमें कतिपय नशीले औषध-द्रव्यों की विनिर्दिष्ट मात्रा ग्रस्त हो, दूसरी बार दोष सिद्ध हो जाने पर मृत्यु दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था और नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार से सम्बन्धित अपराधियों की सम्पत्ति को समपहृत करने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, नशीले औषध-द्रव्यों से संबंधित सभी अपराधों को संज्ञेय तथा गैर-जमानतीय बना दिया गया है।

खुरई, बीना तथा मकरोनिया के निकट उपरि-पुल

2580. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरई स्टेशन (मध्य रेलवे) के निकट गुरुकुल स्कूल के सामने रेल फाटक पर, बीना जंक्शन के निकट झांसी फाटक क्रासिंग पर तथा मकरोनिया (मध्य रेलवे) स्टेशन के निकट रेल फाटक पर उपरि-पुलों के निर्माण की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक मंजूर किये गये पुलों का ब्यौरा क्या है, इनके लिये किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया जाना बाकी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां। रेलवे को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन ऊपरी पुलों में से अभी तक किसी भी पुल के निर्माण को स्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इनके निर्माण के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

*2581. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक महिला प्रतिनिधि मण्डल ने मांग की है कि न्यायालयों में तीस प्रतिशत आरक्षण करके महिला न्यायाधीशों की नियुक्त की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डोम्बाविल—वी० टी० के बीच रेलगाड़ियां चलाना

[अनुवाद]

2582. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई उपनगरीय रेल मार्ग पर डोम्बाविल से वी० टी० तक डोम्बाविल स्थानीय रेलगाड़ी चलाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

2583. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में कौन-कौन से अन्तर्राज्यीय जल विवाद समाधान हेतु विचाराधीन है; और

(ख) इन विवादों के शीघ्र समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) केवल एक, नामशः कावेरी जल विवाद ।

(ख) इस मामले पर विचार करने के लिये केन्द्र द्वारा अन्तर्राज्यीय बैठकें आयोजित की गई थीं ।

केन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश

[हिन्दी]

2584. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की केन बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के पास मंजूरी के लिए विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) यह परियोजना उपयुक्त संशोधनों के वास्ते फरवरी, 1987 में राज्य सरकार को लौटा दी गई है ।

कर अपवंचक तथा कर की अदायगी न करने वाली बहुराष्ट्रीय तथा अन्य कम्पनियां

[अनुवाद]

2585. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास प्रत्यक्ष करों का अपवंचक तथा भुगतान न करने वाली बहुराष्ट्रीय तथा अन्य कम्पनियों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन कम्पनियों से देय राशि की वसूली तथा इन्हें दण्डित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जांच स्कंध के अधिकारी तथा आयकर विभाग के कर-निर्धारण अधिकारी कम्पनियों तथा अन्य कर-निर्धारितियों के मामलों में कर-अपवंचन का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल का कार्य करते हैं। बहु-राष्ट्रीय तथा अन्य कम्पनियों के विशिष्ट नामों के उपलब्ध न होने के कारण अपेक्षित सूचना को प्राप्त करने के लिए समूचे देश में स्थित सभी कम्पनियों के कर-निर्धारण संबंधी रिकार्डों को देखना पड़ेगा। इसमें काफी श्रम तथा समय लगेगा। प्राप्तव्य परिणाम, किए गए प्रयासों के अनुरूप नहीं होंगे। यदि किसी कम्पनी विशेष के बारे में किसी भी प्रकार की विशिष्ट सूचना मांगी जाए तो वह दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

2586. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों को वर्ष 1989-90 के दौरान (अब तक) कुल कितने ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है और कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए है;

(ग) क्या बैंकों के लिए इस संबंध में कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है और दोषी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "नये बीस सूत्री कार्यक्रम" में शामिल क्रियाकलापों के विविध स्वरूप तथा प्रत्येक सूत्र की ठोस योजना के अभाव को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण बीस सूत्री कार्यक्रम अथवा इसके प्रत्येक सूत्र के लिए बैंकों के वास्ते निश्चत लक्ष्यों का निर्धारण नहीं

किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये अनुसार सूचना की उपलब्ध भी नहीं होती है। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1989 के अन्त तक (नवीनतम उपलब्ध) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 25.85 लाख ऋणकर्ताओं के खाते में बकाया अग्रिम राशि 1097.91 करोड़ रुपये थी।

काफी का निर्यात

[अनुवाद]

2587. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अन्तर्राष्ट्रीय काफी समझौते की अवधि दो वर्ष बढ़ाने से फायदा होगा क्योंकि निर्यातक देशों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) काफी की पर्याप्त निर्यात योग्य बेशी मात्रा उपलब्ध होने तथा भारतीय काफी की बहुत अच्छी क्वालिटी होने के कारण भारत को आई सी ओ द्वारा कोटा प्रतिबन्ध हटाए जाने से फायदा हो सकता है।

वाराणसी-औंड़िहार-छपरा रेल लाइन

[हिन्दी]

2588. **श्री केशवराव पारधी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी-औंड़िहार-छपरा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेल लाइन बदलने का यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) औंड़िहार-छपरा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1989-90 के बजट में 1.51 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसका पूरा होना, आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। वाराणसी-औंड़िहार जो वाराणसी-भटनी आमान परिवर्तन परियोजना का एक भाग है, मार्च, 1991 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि 1990-91 में संसाधन उपलब्ध हों।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और सीतापुर जिलों में ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई सहायता

2589. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और सीतापुर जिलों में गरीबों के उत्थान हेतु कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोई अनियमितता पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का है;

(ग) यदि हां, तो जांच कब तक की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) बाराबंकी ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया और भागीरथ ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक, इलाहाबाद बैंक ने, जो उत्तर प्रदेश के क्रमशः बाराबंकी और सीतपुर जिलों में कार्य कर रहे हैं, ने सूचित किया है कि इन जिलों में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए ये ग्रामीण बैंक समाज के कमजोर वर्गों को ऋण सुविधा उपलब्ध करने के वास्ते सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। दोनों बैंकों ने आगे सूचित किया है कि सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-करण में गम्भीर अनियमितताओं सम्बन्धी कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। अलबत्ता, विभिन्न वर्गों (क्वार्टर) से इन ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण मंजूर न किए जाने संबन्धी शिकायतें मिली हैं और उचित जांच के बाद उपचारी कार्रवाई की गई है।

बरहामपुर-फूलबनी सड़क मार्ग

[अनुवाद]

2591. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 40 करोड़ रुपए मूल्य के अनुमानित लागत से बरहामपुर फूलबनी सड़क मार्ग के सुधार का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सड़क को विश्व बैंक सहायता से निर्मित की जाने वाली सड़कों में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विश्व बैंक से सड़कों के लिए यदि कोई सहायता प्राप्त हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राज्य मार्गों के निर्माण और रख-रखाव में सुधार करने संबंधी एक राज्य सड़क परियोजना के लिये विश्व बैंक 25 करोड़ डालर की सहायता प्रदान कर रहा है। बरहामपुर-फूलबनी मार्ग के सुधार के संबंध में उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव उपरोक्त ऋण के अनुमोदित हो जाने के पश्चात् प्राप्त हुआ था। अन्य किसी राज्य सड़क परियोजना के लिये इस समय विश्व बैंक से सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी बिहार की सिंचाई परियोजनायें

2592. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान बिहार में कितनी सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई थी; और

(ख) कितनी परियोजनायें पूरी हो गयी हैं और अभी पूरी होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सातवीं योजना में निष्पादन हेतु 39 निर्माणाधीन तथा 20 नई सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया था। इनमें से 15 परियोजनाओं को सातवीं योजना के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। आठवीं योजना में लाई जाने वाली शेष परियोजनाओं में सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, बागमती, पश्चिमी कोसी नहर तथा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना शामिल है।

विदेशी ऋण

2593. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1988-89 के अन्त में हमारे देश के ऊपर कितना विदेशी ऋण था;

(ख) क्या इनमें अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश भी शामिल है;

(ग) यदि नहीं, तो अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान भारत में कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(घ) देश ने उपर्युक्त भाग (क) में वर्णित ऋण के ब्याज के रूप में वर्ष 1989-90 के दौरान अब तक कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार, उस तारीख को विद्यमान विनियम दर पर, देश पर बकाया कुल विदेशी ऋण 688.1 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) बकाया विदेशी ऋण पर वर्ष 1989-90 के दौरान चुकाए जाने वाले ब्याज की राशि 3342 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

रेल डिब्बों में विज्ञापन

2594. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा अन्य महानगरों में चलने वाली स्थानीय रेल गाड़ियों के डिब्बों में दिए जाने वाले विज्ञापनों से पिछले वर्ष के दौरान रेलवे को कुल कितनी आय हुई है, और

(ख) सरकार का अधिक विज्ञापनों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1988-89 में 31,131, 95/रुपये।

(ख) और अधिक व्यापार को आकर्षित करने के लिए व्यापार तथा विज्ञापन एजेंसियों के साथ व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जाता है।

स्वापक औषधों के प्रचार पर प्रतिबंध

[हिन्दी]

2595. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वापक औषधों के प्रचार पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने आकाशवाणी, दूरदर्शन पर तथा समाचार पत्रों में स्वापक औषधों के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि स्वापक औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार और इनके दुरुपयोग को बढ़ावा देने के लिये कोई प्रचार किए जाने का प्रयास किया गया हो। ऐसे प्रचार को दुष्प्रेरण के रूप में माना जा सकता है और जो स्वापक औषध द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत दण्डनीय है। तदानुसार इस समय रेडियो, टेलीवीज़न आदि जैसे प्रचार माध्यमों के जरिए स्वापक औषध द्रव्यों के प्रचार पर सांविधिक प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिये अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

जाली करेंसी नोट

2569. **श्री प्रकाश पाण्डे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीने के दौरान एक ऐसे गिरोह का पता लगाया गया है जो जाली करेंसी नोट चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह गिरोह इस कार्य में कब से लिप्त है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे कितने मूल्य के करेंसी नोट बरामद हुये हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सामान का जब्त किया जाना

[अनुवाद]

2597. **श्री टी० बशीर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा यात्रियों से जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए सामान की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त की गई; और

(ग) कितने मूल्य की वस्तुओं को अभी बेचना बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) 1988 के दौरान और 30 जून, 1989 तक चालू वर्ष के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर यात्रियों से सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं का मूल्य और उसी अवधि के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की बिक्री द्वारा प्राप्त हुई रकम का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :–

पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपयों में)

वस्तुएं	1988	1989 (30 जून, 1989 तक)
स्वर्ण	627.12	358.54
भारतीय मुद्रा	1.76	0.06
विदेशी मुद्रा	2.44	0.58
अन्य वस्तुयें	126.42	76.27
बेची गई जब्त वस्तुओं का मूल्य	80.79	31.75

(ग) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क भाण्डागार में 30-6-89 की स्थिति के अनुसार जिन वस्तुओं का निपटान नहीं हुआ उनका मूल्य नीचे दिया गया है :—

स्वर्ण : 508.86 लाख रुपए
अन्य वस्तुयें : 27.96 लाख रुपए

वैशाली एक्सप्रेस में चल पुस्तकालय व पुस्तक दुकान

2598. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और बरौनी के बीच चलने वाली 153 अप/154 डाउन वैशाली एक्सप्रेस में चल पुस्तकालय व पुस्तक दुकान की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो ठेकेदार का विवरण क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए इन गाड़ियों में कितनी शायिकायें (बर्थ) नियत की गई हैं तथा इन पुस्तकालयों के कितने कर्मचारियों को पास जारी किए गए हैं;

(ग) क्या इस बात का ध्यान रखने के लिए कोई जांच की जा रही है कि पुस्तकालय के लिए नियत शायिकाओं का अनधिकृत उपयोग तो नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) ठेका श्रीमती मलका प्रवीण के पास है। प्रत्येक रेल में एक शायिका आवंटित की जाती है। दूसरे दर्जे के 11 पास जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान नौ जांच की गई है और शायिकाओं के अनधिकृत उपयोग का कोई मामला नही पाया गया।

काली मिर्चों का निर्यात

2599. **श्री ववकम पुरुषोत्तमन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की काली मिर्चों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या काली मिर्चों के निर्यात में हाल ही में काफी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसके फलस्वरूप देश में काली मिर्चों के मूल्यों में काफी गिरावट आई है; और

(ङ) क्या सरकार का किसानों के हितों की रक्षा के लिये काली मिर्च का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कालीमिर्च की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु०)
1986-87	37083	20033
1987-88	41011	24058
1988-89	41065	18778

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1988 में विश्व की आपूर्ति स्थिति में सुधार होने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च की कीमतों में वर्ष 1987 की कीमतों की तुलना में गिरावट आई है। इसका प्रभाव भारत की घरेलू कीमतों पर भी पड़ा। लेकिन चालू वर्ष के शुरू से ही कीमतों में मजबूती आने लगी और इस समय कीमतें उचित स्तर पर चल रही हैं।

(ङ) जी, नहीं।

मैसर्स इण्डियन टोबैको कम्पनी से वसूली के लिए लम्बित पड़ा उत्पादन शुल्क

2600. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इन्डियन टोबैको कम्पनी द्वारा वर्ष 1982 से 1987 तक की अवधि के लिए उत्पादन शुल्क के रूप में 20,000/ करोड़ रुपये की बकाया राशि सरकार को दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पूरी बकाया राशि की वसूली के लिये कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या मैसर्स आई० टी० सी० पर 2300/-करोड़ रुपये के उत्पादन शुल्क के अपवचंन का आरोप लगाया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) इस संदर्भ में अभी कुछ भी कहना असामयिक है क्योंकि यह मामला केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के उपबन्धों के अधीन न्यायनिर्णयनाधीन है।

(ख) इस मामले में न्यायनिर्णयन हो जाने के बाद ही ऐसी बकाया राशियों को वसूल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

(ग) कथित रूप से अपबंचित शुल्क की राशि का पुनः निर्धारण किया जा रहा है।

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अप्राधिकृत रूप से सामान बेचने वाले लोग

2601. **श्री ए० सी० वणमुख** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर सभी किस्म का सामान बेचने वाले सैकड़ों अप्राधिकृत व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो सतर्कता जैसी किसी एजेंसी ने इस बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे स्टेशनों पर अप्राधिकृत रूप से सामान बेचने वाले लोगों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (**श्री माधवराव सिन्धिया**) : (क) ऐसे मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे वाणिज्यिक कर्मचारियों, रेल सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों को शामिल करके एक विशेष कृतिक बल बनाया गया है जो अनधिकृत वेंडरों/फेरी वालों को पकड़ने के लिए नियमित रूप से अचानक जांच करता है। इस प्रकार पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

जम्मू-तवी सियालदह रेल लाइन का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2602. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मूतवी-सियालदह (वरास्ता मुरादाबाद-लखनऊ) रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (**श्री माधव राव सिन्धिया**) : जी नहीं। ग्रांड कार्ड के रास्ते सियालदह/हावड़ा-मुगलसराय पहले ही विद्युतीकृत है। केवल मुगलसराय-लखनऊ-मुरादाबाद-सहारनपुर लुधियाना का विद्युतीकरण विचाराधीन है। फिलहाल लुधियाना-जम्मू तवी खण्ड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानपुर में गंगा नदी पर बांध का निर्माण

2603. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में गंगानदी पर एक बांध के निर्माण के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन हेतु अन्शदान के रूप में कोई धनराशि प्रदान की है; और

(ङ) सरकार का इस बांध का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता मेट्रो रेल सेवा

[अनुवाद]

2604. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो रेल कलकत्ता ने पिछले वर्षों की तुलना में दैनिक यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अपने टिकटों की बिक्री बढ़ाई है;

(ख) क्या रेलवे और अधिक यात्री डिब्बे उपलब्ध कराने तथा यात्री गाड़ियों के आने तथा जाने के बीच के समय के आवृत्ति को कम करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) मेट्रो रेल, कलकत्ता के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मेट्रो रेलवे के कार्यसंचालन में सुधार करने के लिए नवीनतम सिगनल/दूरसंचार उपस्करों की स्थापना तथा स्वतः किराया वसूली और यात्री नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था करने जैसे उपाय करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

चावल का निर्यात

2605. **श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य के चावल का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान चावल के निर्यात में और अधिक वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो भारत से चावल का आयात करने वाले देश कौन-कौन से हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान चावल के निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित थे :–

वर्ष	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1987-88	3,88,919	352.35
1988-89	3,85,440	353.76

(अनन्तिम, एपीडा प्राक्कलन)

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है। गैर-बासमती चावल के निर्धारित सीमा में निर्यात की अनुमति है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चावल का निर्यात उपलब्ध निर्यात योग्य बेशी माल और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार माहौल पर निर्भर करेगा।

(ग) भारत से चावल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं; कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ और सेनेगल।

भूमिगत जल का मानव उपभोग के लिये उपयुक्त होने के बारे में सर्वेक्षण

2606. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने भूमिगत जल का मानव उपयोग के लिये उपयुक्त होने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गये अध्ययनों से यह पता चलता है कि कुछ विशेष स्थानों, जहां लवणता, फ्लोराइड, नाइट्रेट अथवा औद्योगिक बहि:स्रावों से संदूषण की समस्यायें पाई गयी हैं, को छोड़कर पूरे देश में भूजल पेय है।

लाइसेंसधारी विक्रेता और स्टालों के मालिक

2607. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों सहित जोनवार लाइसेंस धारी विक्रेताओं और स्टालों के मालिकों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इस वर्ष के दौरान लाइसेंस शुल्क से रेलवे को कुल कितनी आय हुई ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :

(क)	रेलवे	लाइसेंसधारी वेन्डरों और स्टाल धारकों की संख्या
	मध्य	400
	पूर्व	1145
	उत्तर	2139
	पूर्वोत्तर	781
	पूर्वोत्तर सीमा	744
	दक्षिण	451
	दक्षिण मध्य	301
	दक्षिण पूर्व	363
	पश्चिम	1583

(ख) 1988-89 के दौरान लाइसेंस फीस से प्राप्त कुल आमदनी 1.25 करोड़ रु० थी।

किसानों को राहत देने के संबंध में गुजरात सरकार का प्रस्ताव

2608. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गई है कि किसानों को वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से लिए ऋण की अदायगी में राहत दी जाए जो कि अनेक वर्षों से मूलधन पर संचयी ब्याज के कारण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकारी प्रतिक्रिया क्या है।

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में चूक करने वालों को कुछ राहत उपाय प्रदान करने के वास्ते राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास एक प्रस्ताव भेजा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को भी लिखा है।

(ख) प्रस्ताव के मुख्य तत्व नीचे दिये गए हैं :—

		राशि करोड़ रु०
I.	छोटे या बड़े सभी किसानों के सभी अतिदेय ब्याज को माफ करना	60.00
II.	छोटे और सीमान्तिक किसानों के अतिदेय मूलधन का पुनर्निर्धारण-पुनर्निर्धारित किस्तों पर 10 प्रतिशत की दर से सारा ब्याज सरकार वहन करेगी।	12.60

III. अन्य किसानों की अतिदेय मूलधन की किस्तों का पुनर्निर्धारण और ब्याज पर 6% की सब्सिडी । 28.00

(ग) राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

नए आयकर फार्म

[हिन्दी]

2609. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर, सम्पति कर के नए फार्म और "टी० डी० एस० बुक्स" सभी आयकर कार्यालयों में दिनांक 30 जून, 1989 से पहले पहुंच गये थे; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आयकर विवरणी फार्मों के उपलब्ध न होने के कारण आयकर विवरणी देर से दाखिल करने वाले करदाता पर लगने वाले ब्याज को समाप्त करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आयकर निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी, प्रकाशन तथा जन संपर्क), नई दिल्ली ने यह बताया है कि आयकर विवरणी फार्म (आई.टी.एस.-2 तथा आई.टी.एस.-3); धनकर विवरणी फार्म (डब्ल्यू०टी०एस०-1 तथा डब्ल्यू०टी०एस०-1क); तथा स्रोत पर काटे गये कर के प्रमाण-पत्र के लिए निर्धारित फार्म, आयकर आयुक्तों द्वारा 30 जून, 1989 से पहले ही मंगाने के लिए भारत सरकार की प्रेसों में तैयार पड़े थे । आयकर आयुक्तों द्वारा ये फार्म कब मंगाए गए तथा विभिन्न आयकर कार्यालयों को ये कब भेजे गए इसकी सही-सही तारीखों के बारे में सूचना उक्त निदेशालय में उपलब्ध नहीं है तथा यह सूचना समूचे देश के विभिन्न आयकर आयुक्तों तथा आयकर कार्यालयों को इस सम्बन्ध में पत्र आदि भेजकर प्राप्त की जा सकती है ।

(ख) ब्याज को माफ किए जाने के प्रश्न पर केवल तभी विचार करने की आवश्यकता पड़ती है जब यह पाया जाए कि संगत विवरणी फार्मों की अनुपलब्धता के कारण करदाता 30 जून, 1989 तक आय अथवा धन की विवरणियों को प्रस्तुत न कर सके हों ।

दादर-बिरार सैक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ी को रद्द करना

[अनुवाद]

2610. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1989 के दौरान दादर और बिरार के बीच चलने वाली 12 डिब्बों वाली गाड़ी को आठ दिन के लिए रद्द किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अब इसे पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) विरार यार्ड में गाड़ी के पटरी से उतर जाने तथा बाद में चक्रवाती मौसम के कारण 12 कार वाली रेल सेवाएं स्थगित कर दी गयी हैं।

(ग) जी नहीं।

इक्विटी शेयरों के मामलों को अनुमति

2612. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान इक्विटी शेयरों के कुछ मामलों को अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुमति को प्राप्त करने वाली कम्पनियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन इक्विटी शेयरों में पूंजी लगाने वाले लघु निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जनवरी-जून, 1989 की अवधि के दौरान इक्विटी शेयर (बोनस शेयर सहित) जारी करने की अनुमति 160 कम्पनियों को दी गई थी। कम्पनियों के नाम तथा पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा अनुमोदित निर्गमित शेयरों की राशि का प्रकाशन नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति के रूप में होता है जो कि समाचार-पत्रों में छपती हैं।

(ग) से (ङ) लघु निवेशकों सहित निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये जाते हैं। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और जारी रहेगी।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

2613. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी विद्यमान आयात सूची में कुछ और वस्तुओं को शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयात सूची में शामिल किए गए मदों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ङ) पाकिस्तान सरकार ने उन मदों की सूची में विस्तार किया है जिन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भारत से आयात के लिए अनुमति दी गई है। अतिरिक्त मदों की एक सूची सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 8264/89]

रेल के इन्जनों का निर्माण

[हिन्दी]

2614. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेल के इंजनों का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में देश में कितने इंजनों का निर्माण किया जाएगा तथा इनकी मांग कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रेल सेवा का विस्तार करने के लिये ईंधन की कम खपत करने वाले और अधिक इंजनों का निर्माण शुरू करने का है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) रेलवे क्षेत्र में जून, 1989 तक 66 अदद तथा मांग 290 रेल इंजनों की है,

(ग) जी हां। सरकार ने रेल इंजनों की ईंधन क्षमता में सुधार करने के लिये पहले ही कार्यक्रम निर्धारित किया है। अपेक्षित कल-पुर्जे उपलब्ध होते ही कार्यक्रम को कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

जयपुर स्टाक एक्सचेंज के सदस्य

[अनुवाद]

2615. **श्री राज करन सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जयपुर स्टाक एक्सचेंज को किस तारीख को मान्यता दी थी;

(ख) सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने से पहले उक्त एक्सचेंज द्वारा कितने सदस्यों का चयन किया गया था और इनके चयन के लिये किन-किन मार्ग-निर्देशों/मानदण्डों का पालन किया गया था;

(ग) मान्यता मिलने के पश्चात् सदस्यता के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है;

(घ) इनके चयन के लिए क्या मानदण्ड/मार्गनिर्देश अपनाए जा रहे हैं; और

(ङ) कितने सदस्यों को चुना जा रहा है/चुना जायेगा तथा चयन प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार ने जयपुर स्टाक एक्सचेंज को 9 जनवरी, 1989 को मान्यता प्रदान की थी।

(ख) स्टाक एक्सचेंज द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, मान्यता मंजूरी प्रदान किए जाने के पहले इसके द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या, 200 थी। स्टाक एक्सचेंज ने इन सदस्यों का चयन अपने संस्था-अन्तर्नियमों में सदस्यता के संबंध में दी गई पात्रता-अर्हताओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया था।

(ग) स्टाक एक्सचेंज को सदस्यता के लिए 1843 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(घ) और (ङ) एक्सचेंज के नए सदस्यों का चयन, सरकार द्वारा गठित एक संवीक्षा समिति द्वारा, एक्सचेंज के संस्था-अन्तर्नियमों में दी गई पात्रता-अर्हता की अपेक्षाओं, तथा शैक्षिक योग्यताओं, प्रतिभूतियों के कारोबार में अनुभव, वित्तीय स्थिति आदि जैसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। एक्सचेंज ने नये सदस्यों का चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और ऐसे चुने गए सदस्यों की संख्या 300 है।

उत्पाद शुल्क और आयकर का अपबंचन

2616. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न करदाताओं द्वारा उत्पाद शुल्क और आयकर में आज तक कुल कितनी राशि का अपबंचन किया गया है;

(ख) उत्पाद शुल्क तथा आयकर के सम्बन्ध में मुकदमों पर खर्च हुई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान मुकदमों से असम्बद्ध राशि के अतिरिक्त, वसूल की गई बकाया राशि की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) मुकदमें की कार्यवाही में गति लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 (जून, 1989 तक) के दौरान क्रमशः 1198.72 करोड़ रु०, 355.43 करोड़ रु० तथा 179.15 करोड़ रु० (अनन्तिम) के उत्पाद शुल्क का अपबंचन किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा ली गई तलाशी के दौरान पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य तथा प्राधिकारियों के सुपुर्द की गई छिपाई गई आय की राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य	प्राधिकारियों के सुपुर्द की गई छिपाई गई आय की राशि
	(करोड़ रुपयों में)	(करोड़ रुपयों में)
1987-88	145.02	147.49
1988-89	152.07	249.35
1989-90 (जून, 1989 तक)	24.22	24.21

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) बकाया करों की वसूली करना, जिसमें मुकदमेंबाजी में अन्तर्ग्रस्त बकाया राशि की वसूली भी शामिल है, एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए समय-समय पर प्रशासनिक विधिक तथा अन्य उपाय किए जाते रहते हैं। इन उपायों में, स्थगन आदेशों का समाप्त करवाने और शीघ्र निर्णय के प्रयोजनार्थ विभिन्न न्यायालयों और अपीलीय प्राधिकरणों में जाना तथा महत्वपूर्ण मामलों में सरकारी हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए नामी वकीलों की सेवाएं लेना शामिल हैं।

क्यूलोन-मद्रास रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2617. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूलोन-मद्रास रेल लाइन बारास्ता शेनकोट्टई, को चरणबद्ध तरीके से बड़ी लाइन में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, मद्रास-कोल्लम मीटर लाइन मार्ग पर केवल डिंडीगुल-मदुरै-विरुधनगर खण्ड को ही करूर-डिंडीगुल-मदुरै-मणियाच्चि-तुत्तिकोरिन स्वीकृत बड़े आमान की नयी लाइन परियोजना के भाग के रूप में बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, जो इस प्रकार है :—

(I) डिंडीगुल-मदुरै समानान्तर बड़ी लाइन।

(II) मदुरै-विरूधनगर-सीधा आमान परिवर्तन।

समान बिक्री-कर

2618. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सारे देश में समान बिक्री-कर लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने यह अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) कुछ राज्य सरकारों ने कतिपय उच्च मूल्य-वर्धित मदों पर दरों की कटौती करने और इसके परिणाम-स्वरूप व्यापार परिवर्तन एवं बिक्री-कर राजस्व की हानि होने की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस समस्या के बारे में राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया था और बिक्री-कर आयुक्तों की एक समिति की स्थापना की गई थी जिसने ऐसी 29 मदों का पता लगाया था जिनके सम्बन्ध में समिति ने एक-न्यूनतम दरों की सिफारिश की थी। समिति की रिपोर्ट राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को परिचालित की गई थी।

2. इस मामले पर फरवरी, 1989 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें पता लगाई गई 29 मदों के सम्बन्ध में बिक्री-कर की दरों में अन्तर को समाप्त करने का संकल्प किया गया था। वित्त मन्त्री ने इस संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को भी पत्र लिखा है।

3. चूंकि बिक्री-कर की लेवी संविधान के अन्तर्गत राज्य कराधान का विषय है, अत: केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्यों को केवल सलाह ही दे सकती है और बिक्री-कर की दरों में एकरूपता सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों की सहमति तथा सहयोग से ही लाई जा सकती है।

कटनी रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधायें

2619. **श्री अजय मुशरान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटनी रेलवे स्टेशन पर और अधिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) कटनी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए कौन-सी परियोजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(ग) चालू कार्य की प्रगति क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) कटनी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान किये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यों और इसके लिए अपेक्षित धनराशि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

संयुक्त क्षेत्र की पारस्परिक निधियों का जारी किया जाना

2620. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पहले संयुक्त क्षेत्र में पारस्परिक निधियां बनाये जाने की अनुमति देने का निर्णय सिद्धान्त रूप में कर लिया है ताकि बाद में गैर-सरकारी क्षेत्र में भी पारस्परिक निधियां बनाने की अनुमति दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई उपाय किये गये हैं कि निवेशकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशियां सुरक्षित रहें तथा ऐसी निधियों की राशि को तेजी से बढ़ने में रोका जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब नेशनल बैंक को हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिये दिये गये लाइसेंस

2621. **प्रो० नरायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया है कि उक्त बैंक को वर्ष 1989 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में दबात माजरी और रानी कोटला तथा हमीरपुर जिले में गालियन में उप शाखाएं खोलने के लिये दिये गये लाइसेंस को पूर्ण शाखाओं के लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिया जाए क्योंकि वे इन स्थानों पर शाखाओं के संचालन में कठिनाई अनुभव करते हैं और वहां नियमित शाखाएं खोलने के लिए तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन स्थानों पर पूर्ण शाखायें खोलने के लिये इस बीच लाइसेंस जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो ये लाइसेंस किन-किन तारीखों को जारी किए गए; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और ये लाइसेंस कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे बिलासपुर जिले के देहात माजरी और हमीरपुर जिले के गाहली में पूर्ण शाखा खोलने के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से अनुरोध प्राप्तहुआ था और बैंक को इस संबंध में दिनांक 30.6.1989 को भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्रेषित कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को बिलासपुर जिले के रानी कोटला में पूर्ण शाखा खोलने के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

तम्बाकू का उत्पादन

2622. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में इसका कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के तम्बाकू उत्पादकों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख)

	उत्पादन (हजार ट)		
	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4
राज्य-			
आन्ध्र प्रदेश	145.5	152.0	120.0
अरुणाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1

1	2	3	4
असम	2.9	2.4	2.1
बिहार	15.3	16.9	18.8
गुजरात	167.0	182.8	121.8
हरियाणा	0.1	0.1	0.1
हिमाचल प्रदेश	0.1	0.1	नगण्य
जम्मू तथा कश्मीर	नगण्य	0.1	0.1
कर्नाटक	31.9	37.4	27.1
केरल	0.9	0.8	0.8
मध्य प्रदेश	0.5	0.4	0.4
महाराष्ट्र	7.7	7.9	10.3
मेघालय	0.5	0.5	0.5
मिजोरम	0.5	0.6	0.6
उड़ीसा	9.6	9.7	8.7
राजस्थान	2.8	2.6	2.3
तमिलनाडु	18.3	11.4	9.4
त्रिपुरा	0.3	0.2	0.2
उत्तर प्रदेश	21.5	20.4	20.4
पश्चिम बंगाल	14.9	15.2	15.2
योग :	441.2	461.8	358.9

(ग) और (घ) तम्बाकू उत्पादकों से उनके उत्पादों की लाभकारी कीमतों के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यदि नीलामी मंचों पर कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हों तो तम्बाकू बोर्ड न्यूनतम समर्थन कीमतों पर वी एफ सी तम्बाकू खरीदता है। एस टी सी से भी कहा गया है कि वे अपने व्यवसायिक क्रियाकलापों के अंश मानकर तम्बाकू की खरीद करें।

वर्ष 1988-89 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा वी एफ सी तम्बाकू की बिक्री के लिए की गई नीलामी में किसानों को, नीलामी प्रणाली के आरम्भ से लेकर अब तक, सबसे ऊँची औसत कीमत मिली।

गैर-वर्जीनिया तम्बाकू के विनियमन और विपणन के लिए अधिकरण के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित हितों से परामर्श किया जा रहा है ताकि इस बारे में कोई विचार बनाया जा सके।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में चाय का उत्पाद तथा निर्यात

2623. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय के उत्पादन तथा निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है और यदि कोई कमी रही है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चाय बोर्ड ने अपने प्रारूप नीति पत्र (ड्राफ्ट एप्रोच पेपर) में आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान उत्पादन तथा निर्यात के और अधिक लक्ष्य समाविष्ट किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चाय के उत्पादन तथा निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

आंकड़े : मि० कि.ग्रा.

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात
1985-86	651	235	652	214.2
1886-87	677	244	618*	196.23
1987-88	702	252	686*	201.83
1988-89	734	267	683*	208.82*
1989-90	760	281	106*	16.10*

*अनुमानित

*अप्रैल, 89-मई, 89 (अनुमानित)

स्रोतः चाय बोर्ड के आंकड़े ।

देश के चाय उत्पादक क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (जिसका यह अन्तिम वर्ष है) के दौरान उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी हुई । अन्य निर्यातकर्ता देशों से कड़ी प्रतियोगिता तथा सम्बन्धित अवधि के दौरान देश में चाय की घरेलू खपत में अत्यधिक वृद्धि निर्यातों में रुकावट बने रहे ।

(ग) और (ख) चाय बोर्ड के आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये अपने प्रारूप नीति पत्र में उत्पादन तथा निर्यात के और अधिक लक्ष्य हैं । नीति पत्र को विचार और अन्तिम निर्णय के लिये योजना आयोग के पास भेज दिया गया है ।

नई खाद्य पैकेट योजना

2624. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने एक नई खाद्य पैकेट योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन-किन रेलगाड़ियों में शुरू की गई है;

(ग) इस योजना पर यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह योजना सफल सिद्ध हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को अन्य गाड़ियों में भी शुरू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां। अब चुनिन्दा गाड़ियों में एल्युमिनियम के कैसरोल में भोजन दिया जा रहा है।

(ख) 242।

(ग) किए गए मत संग्रह से पता चलता है कि इस सेवा की अधिकांश यात्रियों ने सराहना की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस योजना को अन्य गाड़ियों में धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है।

गुजरात में अहमदाबाद-जामनगर ओखा रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2625. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद से जामनगर और ओखा के बीच के रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) गुजरात राज्य में आने वाले रेलवे जोनों में अब तक कितनी लम्बी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 623 मार्ग किलोमीटर।

भारतीय रिजर्व बैंक के जाली बियरर बाण्डों का पकड़ा जाना

2626. **श्री के० एस० राव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1989 को टाइम्स आफ इन्डिया में "नाइन हैल्ड विद फेक आर. बी. आई. बाण्डस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, गत दो वर्षों के दौरान इस गिरोह के कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं उनसे कितनी धनराशि जब्त की गई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) जी, हां।

(ख) बताया गया है कि इस मामले की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले, पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में (12.2.1988 को) और देवनार में (21-5-1988 को) पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कथित दो गिरोह पकड़े गए थे जिन पर जाली धारक बांडो का धंधा किए जाने का आरोप था और जिनसे कुल 37.40 लाख रु० कीमत के जाली धारक बांड बरामद हुए थे। इन मामलों में और आवश्यक कार्रवाई करना कानून प्रवर्तन अभिकरणों का काम है।

दक्षिण पूर्व रेलवे में निरीक्षण कर्मचारियों की रिक्तयां

2627. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत निरीक्षण कर्मचारियों के अनेक स्वीकृत पद पिछले तीन वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं, यदि हां, तो इन रिक्त पदों का वर्षवार और डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में निरीक्षण कर्मचारियों के पदों के रिक्त होने के कारण बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और इसके फलस्वरूप रेलवे को भारी हानी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को भरने के कौन-कौन से ठोस उपाय किए जा रहे हैं और इन्हें किस निश्चित समय तक भरा जाएगा ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के संबंध में 31-3-87, 31-3-88 तथा 31-3-89 की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शाल की पत्तियों और धूना की ढुलाई

2628. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे पर खड़गपुर और खुर्दा रोड़ डिवीजनों के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर शाल के पत्तों एवं धूना की ढुलाई में गत छः महीनों से अत्यधिक कमी आई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन मदों की शीघ्र ढुलाई के लिए अतिरिक्त वैगन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, इसका मुख्य कारण अपर्याप्त मांग का होना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समुदायों के स्वीय विधियों के बारे में अधिनियम

2629. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट धार्मिक समुदाय में से प्रत्येक के शादी, तलाक, उत्तराधिकार, भरणपोषण धार्मिक विन्यास जैसे वैयक्तिक मामलों पर लागू होने वाले अधिनियमों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे कानूनों के नाम क्या हैं जो धर्म का भेद-भाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं; और

(ग) जनजातियों या किसी विशिष्ट जनजाति दल के रूढ़ि जन्य विधियों को मान्यता प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधान और अधिनियम कौन से हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) इस संबंध में अधिक महत्वपूर्ण उपबन्धों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है ।

विवरण

सूची-1

विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, पूर्त विन्यास, आदि जैसे स्वीय विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियम, जो समुदाय-वार विशिष्ट धार्मिक समुदायों को लागू होते हैं ।

ईसाई

1. भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4) ।
2. भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) ।
3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) ।

हिन्दू

1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) ।
2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का 30) ।
3. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (1956 का 32) ।
4. हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) ।

मुस्लिम

1. काजी अधिनियम, 1880 (1880 का 12)।
2. मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 (1937 का 26)।
3. कच्छी मेमन अधिनियम, 1938 (1938 का 10)।
4. मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का 8)।
5. वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29)।
6. मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 25)।

पारसी

1. पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का 3)।

सूची-2

विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, पूर्त विन्यास आदि जैसे स्वीय विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियम, जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी नागरिकों को लागू होते हैं :—

1. धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (1863 का 20)।
2. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 (1874 का 3)।
3. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2)।
4. पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6)।
5. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8)।
6. शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 (1913 का 2)।
7. पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 (1920 का 14)।
8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 89)।
9. बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19)।
10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43)।
11. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28)।
12. विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33)।
13. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66)।

सूची-3

ऐसे संवैधानिक उपबन्ध जो जनजातियों की रूढ़िजन्य विधि को मान्यता देते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244, 244 (क), 371 क, 371छ, और उसकी अनुसूची 5 तथा अनुसूची 6.

सूची-4

ऐसे अधिक महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियम जो जनजातियों और रुढ़िजन्य विधि को मान्यता देते हैं।

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।
2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25)।
3. हिन्दू उत्तराधिकार, अधिनियम, 1956 (1956 का 30)।
4. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (1956 का 30)।
5. हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78)।
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)।

नशीली औषधियों की तस्करी

[हिन्दी]

2630. **श्रीमती मनोरमा सिंह :**

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई, 1989 से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नशीली औषधियों की तस्करी के कितने मामलों का पता लगाया है, पकड़ी गई औषधियों का मूल्य कितना है तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये व्यक्ति कब से इस धन्धे में संलग्न थे; और

(ग) सरकार ने इन व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने 1 मई, 1989 से नशीले औषध-द्रव्यों की तस्करी सम्बन्धी दो मामलों का पता लगाया है। कानून के तहत उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु, इस सम्बन्ध में कुल मिलाकर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के रहने वाले हैं तथा जो कथित रूप से विगत 4 से 5 वर्षों से इस व्यापार को कर रहे थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दो आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं।

पकड़े गये नशीले औषध-द्रव्य का कोई सही-सही मूल्य नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह इसकी शुद्धता, उद्गम स्रोत, स्थानीय मांग एवं आपूर्ति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

असम में मतदाता सूचियों में संशोधन

[अनुवाद]

2631. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने असम की मतदाता सूचियों में संशोधन सम्बन्धी मौजूदा मार्ग-निर्देशों में 17 मई, 1989 को संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित मार्गनिर्देशों की अन्तर्वस्तु क्या है;

(ग) क्या संशोधित मार्गनिर्देशों के प्रति असम में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों ने आपत्ति और असंतोष प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कई अल्पसंख्यक संगठनों ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने चुनाव आयोग को इस मामले पर पुन: विचार करने की सलाह दी है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है कि निर्वाचित आयोग ने असम में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पुनरीक्षण किया है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सीमा भत्ता

2632. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष सीमा-भत्ता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पहले ही 1.8.1989 से सीमा भत्ता मंजूर किया जा चुका है।

(ख) यह भत्ता जिला, उप-जिला और तहसील मुख्यालयों को छोड़कर राजस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 30 मील के अन्दर तथा पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 16 किमी० के अन्दर के स्थानों में वेतन रेंज के आधार पर 20/- रुपये से 100/- रुपये तक अलग-अलग दरों पर दिया जाता है। यह भत्ता सुरक्षा बलों और केन्दीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं है जिनकी भर्ती की शर्तों में मूलत: सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करना शामिल है।

नशीली औषधियों सम्बन्धी अपराध

2633. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नशीली औषधियों सम्बन्धी आपराधिक मामलों, जो अन्तत: दोष सिद्ध हुए, का कोई मूल्यांकन किया गया है और पुलिस द्वारा कितने मामले न्यायालयों में दर्ज किये गये;

(ख) क्या नशीली औषधियों के उपयोग पर रोक लगाने में न्यायपालिका और पुलिस अधिकारियों की भूमिका के बारे में हाल ही में कोई कार्यशाला आयोजित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, नशीले औषध-द्रव्यों से सम्बन्धित ऐसे अपराधों के बारे में जिनमें विगत तीन वर्षों के दौरान दोष सिद्ध हुए हों और ऐसी मामलों की संख्या के बारे में जो पुलिस द्वारा न्यायालयों में दायर किए गए हों, कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

तथापि, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को देश में विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार 14.11.1985 से 30.6.1989 तक की अवधि के दौरान नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार में ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही निम्नानुसार है :—

		1986 (14.11.85 से 31.12.86 तक)	1987	1988	1989 (30.6.89 तक)
	व्यक्तियों की संख्या :–				
1	जिन पर मुकदमे चलाये गये ।	5525	4863	3074	730
2	जिन पर दोष सिद्ध हुए ।	586	297	339	98
3	दोष मुक्त किए गए ।	170	559	481	116

(ख) और (ग) नशीले औषध-द्रव्यों के प्रयोग पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका के बारे में वित्त मन्त्रालय द्वारा हाल ही में कोई कार्यशाला नहीं चलाई गई थी ।

भारत को अमरीकी सहायता

[हिन्दी]

2634. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका ने कुछ शर्तों के साथ भारत को विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अमरीकी प्रशासन द्वारा प्रस्तावित विदेशी सहायता प्राधिकरण विधेयक पर अभी सीनेट द्वारा चर्चा की जानी है । सीनेट द्वारा इसे पारित किए जाने के पश्चात्, कांग्रेस द्वारा विधान को अन्तिम रूप से स्वीकृत दिये जाने से पहले दोनों अमरीकी सदनों के बीच एक सम्मेलन होगा । इसलिए, इतनी जल्दी यह बता पाना सम्भव नहीं है कि राजकोषीय वर्ष 1990 के लिए भारत को दी जाने वाली विकास सहायता की निश्चित राशि कितनी होगी ।

इराक में रेल परियोजना के लिये ठेका

[अनुवाद]

2635. **श्री जी० एस० बासवराजू :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक ने भारत को रेल परियोजनाओं हेतु ठेके के दो प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या रेल परियोजनाओं हेतु किसी अन्य देश से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। बहर-हाल, भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड (इरकान) को बैजी फर्टीलाइजर फैक्टरी तक शाखा लाइन बिछाने के लिये 19 करोड़ रुपये की लागत का ठेका दिया गया है, लेकिन अभी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के लिये जमा योजना

2636. **श्री जी० एस० बासवराजू :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये एक जमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत देय ब्याज की दर कितनी है;

(घ) क्या ब्याज की दर गैर-सरकारी क्षेत्र की दर से अधिक होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना से सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कितना लाभ होगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) से (ङ) सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिये जमा योजना, 1989 पहली जुलाई, 1989 से आरम्भ की गई है। यह योजना सरकारी क्षेत्र के बैंकों की चुनी हुई शाखाओं के जरिये चलाई जा रही है। इस योजना की विशेष बातें निम्नलिखित हैं :–

(i) इस योजना में केन्द्र/राज्य सरकारों के सेवा-निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी निवेश कर सकते हैं।

(ii) निवेश इस प्रकार के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कुल सेवा-निवृत्त लाभों की अधिकतम सीमा तक किया जा सकता है।

(iii) जमाकर्त्ता इस योजना के अन्तर्गत केवल एक खाता खोल सकता है, जिसकी न्यूनतम जमाराशि 1000 रुपये है।

(iv) जमाकर्त्ता राशि जमा करने की तारीख से तीन वर्ष समाप्त होने के बाद, यदि चाहे तो सम्पूर्ण राशि अथवा आंशिक राशि आहरित कर सकता हे।

(v) जमा राशियों पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा। जमाराशि पर मिलने वाला ब्याज कर से मुक्त होगा।

(vi) राशि जमा करने की तारीख से एक वर्ष के समाप्त होने के बाद, योजना में दी गई शर्तों के अनुसार, समय-पूर्व आहरण की अनुमति है।

(vii) इस योजना के अन्तर्गत जमा राशियों की सम्पूर्ण रकम धन-कर से मुक्त होगी।

दाहोद में सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के ठहरने की तथा उनके आरक्षण की सुविधायें

2637. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दाहोद (गुजरात) के वाणिज्यिक महत्व तथा वहां लम्बी यात्रियों की संख्या को देखते हुए और इस आदिवासी क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए वहां सुपर फास्ट रेल गाड़ियों के ठहरने और सीटों के आरक्षण के लिए कोटा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) दो जोड़ी सुपर-फास्ट गाड़ियां अर्थात् 3/4 फ्रन्टियर मेल और 25/26 पश्चिम एक्सप्रेस दाहोद में पहले से ही रुक रही हैं और इन गाड़ियों में निम्नलिखित आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गई है :

4 फ्रन्टियर मेल	दूसरे दर्जे की 2 शायिकाएं
25 पश्चिम	दूसरे दर्जे की 4 शायिकाएं

दाहोद से फ्रन्टिर मेल द्वारा दिल्ली की ओर और 26 पश्चिम द्वारा बम्बई की ओर की यात्रा दिन की यात्रा है। अतः इन गाड़ियों में कोई आरक्षण कोटे की व्यवस्था नहीं की गई है।

दाहोद में पैदल पार पथ

2638. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दाहोद शहर (गुजरात) के लोगों को दाहोद रेलवे स्टेशन पर उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर रेल लाइन पार करने में हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का दाहोद रेलवे स्टेशन पर एक पैदल पार पथ बनाने का विचार है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । दाहोद में स्टेशन की दोनों दिशाओं को जोड़ने वाले ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कर्मचारी सुविधा कार्य के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है और इसका कार्य प्रगति पर है । इस कार्य की अनुमानित लागत 11.03 लाख रुपये है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हाथी दांत की वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबन्ध

2639. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथी दांत की वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध कब से लगाया गया और प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद हाथी दांत का व्यापार अभी तक किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) भारत में जंगली हाथियों को संरक्षण देने के लिये वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम में एक संशोधन के जरिए नवम्बर, 1986 में भारतीय हाथी दांत के घरेलू व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था भारतीय हाथीदांत से बनी वस्तुओं का निर्यात भी प्रतिबन्धित है ।

(ग) और (घ) भारत में भारतीय हाथीदांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबन्ध है । परन्तु प्राधिकारी (वन्य जीवन संरक्षण निदेशक) बन और वन्य जीवन विभाग द्वारी पुनर्निर्यात प्रमाण-पत्र के आधार पर अफ्रीकी हाथीदांत से बनी वस्तुओं के व्यापार की अनुमति है ।

राज्यों के वन्य जीवन स्कंध तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी व्यापारियों के स्टाक की बार-बार जांच करते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध रूप से प्राप्त हाथी दांत का व्यापार न हो । राज्य सरकारों को वन्य प्राणियों के शिकार और अवैध व्यापार के नियन्त्रण हेतु विशेष सहायता दी जाती है । शिकारियों और अवैध व्यापारियों के सम्बन्ध में सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की प्रणाली शुरू की गई है ।

हाथी दांत के अवैध व्यापार को रोकने के लिये वन्य जीवन विभागों, सीमाशुल्क अधिकारियों और राजस्व आसूचना निदेशालय के बीच अधिक समन्वय किया जा रहा है ।

हेरोइन की तस्करी

2641. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तस्करी से लाई जाने वाली हेरोइन की अनुमानित मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त की गई हेरोइन की मात्रा और मूल्य का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिये हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धन्धा है, इसलिए भारत में तस्कर द्वारा लायी गयी हेरोइन की मात्रा का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। फिर भी, देश में 1986 से 1989 (30.6.89 तक) विभिन्न औषण-द्रव्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़ी गयी नशीले औषध-द्रव्यों की मात्रा नीचे दी गई है :–

	1986	1987	1988	1989
	(किलोग्राम में)			(अनन्तिम)
हेरोइन	2621	2747	3029	1262
(राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)				

पकड़े गए नशीले औषध-द्रव्य का कोई सही-सही मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह औषध-द्रव्य की शुद्धता, उद्गम स्रोत, स्थानीय मांग एवं आपूर्ति जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

सरकार ने विभिन्न जोरदार प्रति-उपाय आरम्भ कर दिए हैं जिन में अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों के लिये कठोर दण्ड देने की व्यवस्था करना, निवारक तन्त्र को सुदृढ़ बनाना (विशेषतया सीमाओं के इर्द-गिर्द तथा सुगम्य क्षेत्रों में), अधिकारियों और मुखबिरों के लिये उदार पुरस्कार स्कीम लागू करना, पड़ौसी देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) भी शामिल हैं। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध-द्रव्यों सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अब तक 343 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

स्वापक औषध-द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट प्रकार के ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें कतिपय औषध-द्रव्यों की विनिर्दिष्ट मात्रा शामिल हो; दूसरी बार-दोष-सिद्ध होने पर मृत्यु दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है तथा इसमें नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों की सम्पत्ति को जब्त किये जाने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा नशीले औषध-द्रव्यों सम्बन्धी सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है।

नार्थ जोन रेलवे यूजर्स कन्सलटेटिव कमेटी

2642. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ जोन की रेलवे यूजर्स कन्सलटेटिव कमेटी के कर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान इस कमेटी ने अपनी कितनी बैठकें आयोजित कीं;

(ग) इन बैठकों में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं अथवा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा इनमें से किन-किन को कार्यान्वित/स्वीकृत किया गया ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1988 में एक बैठक हुई थी ।

(ग) और (घ) बैठक में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये उनमें और अधिक यात्री सुविधाओं की व्यवस्था, गाड़ियों का ठहराव/यात्रा दूरी बढ़ाना/रफ्तार बढ़ाना, आरक्षण सुविधाएं, नयी रेल लाइनों का निर्माण आदि शामिल हैं । प्रत्येक सुझाव की उसके गुण-दोष के आधार पर जांच की गयी है और जहां कहीं व्यावहारिक पाया गया धन की उपलब्धता तथा अन्य तंगियों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित कर दिया गया ।

विवरण

1.	लोक सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य	2
2.	राज्य सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य	1
3.	राज्य विधान सभाओं और महानगर परिषद, दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य तथा महानगर परिषद के सदस्य	6
4.	राज्य सरकारों के नामित सदस्य	7
5.	चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज	5
6.	अर्द्ध सरकारी, उपक्रम	2
7.	कृषि हित से सम्बन्धित	2
8.	यात्री ऐसोसिएशनें	5
9.	मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के निर्वाचित सदस्य	8
10.	विशेष हित	34

पटना में रेलवे पुल

2643. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में पटना में रेलवे पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) आठवीं योजना के दौरान किये जाने वाले विशिष्ट प्रस्तावों का चयन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्याय—प्रदान करने में बिलम्ब

2644. **श्री एन० डेनिस** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक निकायों और गैर न्यायिक निकायों तथा अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा न्याय प्रशासन में बिलम्ब के प्रश्न के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार ने न्याय प्रशासन में बिलम्ब संबंधी विषय अध्ययन के लिए विधि आयोग को सौंपा था और उसकी 'उच्च न्यायालय में बकाया मामले एक पुनर्विलोकन" विषयक रिपोर्ट की राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के परामर्श से, समीक्षा की जा रही है। बकाया मामलों में कमी किए जाने के बारे में वर्ष 1984 में गठित तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति की सिफारशें, समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। इस समस्या का नए सिरे से अध्ययन करने के लिए सरकार ने हाल ही में तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति भी गठित की है।

सलाहकारों की नियुक्ति

2645 **श्री एन० डेनिस** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में विभिन्न मन्त्रालयों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति कर रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों की चयन प्रक्रिया और उनके कार्यकाल का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही उठता।

रुपया-स्टर्लिंग विनियम दर

2646. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1989 में स्टर्लिंग की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) जी, नहीं।

रुपये की विनिमय दर करेंसियों की उपयुक्त रूप से भारित डाली की विनियम दर में होने वाली घटबढ़ के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। परिवर्तनशील विनिमय दरों के इस युग में रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव, जो इन करेंसियों के मूल्यों में होने वाली घट-बढ़ पर निर्भर करता है, एक सामान्य बात है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने उपयोग हेतु ली गई प्राइवेट बिल्डिगों का बीमा

2647. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि प्राइवेट पार्टियों की ऐसी बिल्डिगों का जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने उपयोग हेतु ले ली गई हैं या ली जानी हैं, बीमा होना आवश्यक है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई कानूनी अधिनियम/नियम आदि नहीं है जो सरकार के उसके दखल में प्राइवेट भवनों का बीमा कराने के लिए कोई निर्देश जारी करने हेतु शक्ति प्रदान करता हो/विवश करता हो।

नागपुर रेलवे स्टेशन में आरक्षण का कोटा

2648. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न महत्वपूर्ण एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का आरक्षण का कोटा नागपुर के यात्रियो की मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम हैं।

(ख) यदि हां, तो नागपुर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के, प्रत्येक श्रेणी में आरक्षण के कोटे का ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस आरक्षण कोटे में कब से वृद्धि नहीं की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार नागपुर रेलवे स्टेशन विभिन्न पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के आरक्षण के कोटे में वृद्धि करने का है, यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह ही जाते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पिछली बार 1-5-1989 को आरक्षण कोटा बढ़ाया गया था ।

(घ) सीमित स्थान उपलब्ध होने तथा अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों पर कोटे के अत्यधिक उपयोग होने के कारण फिलहाल नागपुर में इन कोटों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

गाड़ी सं	गंतव्य	1-5-1989 को कोटे की स्थिति				
		पहला दर्जा वातानुकूल	वाता-नुकूल 2 टीयर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा शायि - सीट कायें	
1	2	3	4	5	6	7
1डाउन बम्बईहवड़ा मेल	हवड़ा	2	36	6	74	....
2अप -वही-	बम्बई	6	25	3	70	...
40अप दादर एक्सप्रेस	बम्बई	...	20	14	315	28
39डाउन -वही- (वापसी यात्रा कोटा)		....	....	....	8	....
29डाउन बम्बई-हवड़ा एक्सप्रेस	हवड़ा	...	...	2	64	...
30अप -वही-	बम्बई	...	...	4	32	...
60अप गीतांजलि एक्सप्रेस	बम्बई	...	4	...	...	36
59डाउन -वही-	हवड़ा	...	6	...	95	...
84अप कोल्हापुर एक्सप्रेस	कोल्हापुर	...	...	16	182	...
21डाउन हैदराबाद-निजामु-दीन एक्सप्रेस	दिल्ली	...	2	2	34	...
22अप -वही-	हैदराबाद	...	4	...	8 (6 दिन) 6 (1 दिन)	
15डाउन जी टी एक्सप्रेस	दिल्ली	1	2 (2-वा०कु०या०)	2	50	...
16अप -वही-	मद्रास	2	4	...	33	...
121डाउन तमिलनाडु एक्सप्रेस	दिल्ली	...	4	3	60	...
122अप -वही-	मद्रास	...	2	2	26	...
123डाउन आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस	दिल्ली	...	4	2	28	...
124अप -वही-	सिकन्दराबाद		8	...	66	...
125डाउन केरल एक्सप्रेस	दिल्ली	...	2	2	22	...

1	2	3	4	5	6	8
126 अप केरल एक्सप्रेस	त्रिवेन्द्रम	...	4	4	26	...
133 डाउन अहमदाबाद-हवड़ा एक्सप्रेस	हवड़ा	...	2	...	...	...
134 अप -वही-	अहमदाबाद		5	2	33	21
137 डाउन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस	अमृतसर	...	...	2	18	...
138 अप -वही-	बिलासपुर	...	...	...	3	...
139 डाउन महानगरी एक्सप्रेस	वाराणसी	...	2	4	12	...
140 अप -वही-	मद्रास	...	...	...	8	...
943 डाउन मद्रास-पटना एक्सप्रेस	पटना	...	2	4	12	...
944 अप -वही-	मद्रास	...	...	...	8	...
911 डाउन कोच्चिन गोरखपुर एक्सप्रेस	गोरखपुर	..	2	...	6	...
912 -वही-	कोच्चिन		2	2	4	...
926 अप अमर कंटक एक्सप्रेस	बिलासपुर	...	8	...	70	...
925 डाउन -वही-	भोपाल	...	4	...	38	...
956 अप बिलासपुरकोच्चिन एक्सप्रेस	कोच्चिन	...	2	...	24	
982 अप इन्दौर कोच्चिन एक्सप्रेस	कोच्चिन	...	2	2	6	...
5 डाउन विदर्भ एक्सप्रेस (वापसी यात्रा कोटा)		...	4	...	8	...
6 अप -वही-	बम्बई	...	18	16	234	...
989 डाउन हैदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस	गोरखपुर	...	4	...	25	...
907 डाउन हिमसागर एक्सप्रेस	जम्मूवती	...	....	...	16	...
908 अप हिमसागर एक्सप्रेस	कन्याकुमारी	...	...	...	8	...
131 डाउन मद्रास-जम्मू एक्सप्रेस	जम्मूतवी	...	...	...	18	...
132 अप -वही-	मद्रास	...	...	...	8	...
991 डाउन तिरुपति-वाराणसी	वाराणसी	..	...	...	19	...
992 अप -वही-	तिरूपति	...	...	...	17	...
994 अप लखनऊ-मद्रास एक्सप्रेस	मद्रास	...	...	...	32	...
83 डाउन कोल्हापुर एक्सप्रेस(बा.या.को.)		...	...	...	8	...

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

2649. **श्री बनवारीलाल पुरोहित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान बम्बई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का उल्लंघन करने वाले कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) 30 जून, 1989 को समाप्त होने वाले पिछले छः महीनों के दौरान, बम्बई में परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 46 व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा जा चुका है। दो व्यक्ति अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, क्योंकि वे न्यायालय के आदेशानुसार जमानती बांड आदि प्रस्तुत नहीं कर सके। शेष 15 व्यक्ति न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में हैं।

कानून के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यथा अपेक्षित उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

जाली/अनोखे नोटों का परिचालन

2650. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दिन प्रतिदिन जाली/अनोखे नोटों का परिचालन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत एक वर्ष में पकड़े गये जाली/अनोखे नोटों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जाली अनोखे नोटों का परिचालन किस चैनल से हो रहा है की जांच कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अनोखे करेंसी नोटों की संख्या, जिन्हें त्रुटिपूर्ण मुद्रित नोट भी कहा जाता है, देश में मुद्रित कुल नोटों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। नासिक और देवास स्थित दो करेंसी/बैंक नोट मुद्रणालयों ने 1988 के दौरान 675.40 करोड़ अदद और 1989 (जून तक) में 345.50 करोड़ अदद नोट मुद्रित किए हैं। इनमें से 1988 में केवल 1229 नोट त्रुटिपूर्ण रूप से मुद्रित पाये गये और 1989 (जून तक) में त्रुटिपूर्ण रूप से मुद्रित केवल 180 नोट देखने में आये हैं। करेंसी/बैंक नोट मुद्रणालय सूक्ष्म नियंत्रण रखते हैं ताकि भारतीय रिजर्व बैंक को त्रुटिपूर्ण नोट न भेजे जाएं। जब भी त्रुटिपूर्ण मुद्रित नोटों के सम्बन्धित मामले, सम्बन्धित मुद्रणालयों के ध्यान में लाये जाते हैं, तभी मुद्रण/प्रेषण सम्बन्धी कार्य करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

बर्मा से नशीली औषधों की तस्करी

2651. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान बर्मा से नशीली औषधों की तस्करी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले कुछ महीनों के दौरान सीमा-शुल्क अधिकारियों ने नशीली औषधों का अवैध कारोबार करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए भारत-बर्मा सीमा पर कितनी बार छापे मारे हैं; और

(ग) सरकार ने भारत-बर्मा सीमा पर अपने तंत्र को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) बर्मा के समीप होने के कारण भारत-बर्मा सीमा क्षेत्र नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है और 1988 में पकड़ी गई अफीम और हेरोइन की मात्रा की तुलना में 1989 (जून तक) पकड़ी गई इनकी मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं—जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

	नशीले औषध द्रव्य	1988	1989 (अनन्तिम)
		(किलोग्राम)	
1.	अफीम	21	70
2.	हेरोइन	6	7

(आंकड़े निकटतम किलोग्राम में पूर्णांकित किए गये हैं)

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, शिलांग की रिपोर्ट के अनुसार, मोरेह, चम्पाई, इम्फाल और चौराचान्दपुर में 90 छापे मारे गये थे जिनमें 33 छापे ऐसे भी शामिल हैं जो जुलाई, 1988 से गत एक वर्ष के दौरान नार्कोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मारे गए थे।

(ग) सरकार ने विभिन्न जोरदार प्रत्युपाय शुरू किये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार करने वालों को कठोर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था करना, निवारक और आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ बनाना (विशेषतया सीमाओं और तस्करी के लिए बने सुगम्य क्षेत्रों के आस-पास), अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरुस्कार योजना अपनाना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाना (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित), शामिल हैं। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में औषधद्रव्यों सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए निवारक नजरबन्दी किए जाने की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अब तक 343 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

इस अधिनियम के तहत की गई अधिकतम अवधि के निवारक नजरबन्दी के प्रयोजनार्थ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैण्ड राज्यों की भारत-बर्मा से 100 किलोमीटर

चौड़ाई के अन्तर्देशीय क्षेत्र को नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया गया है। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उक्त अधिनियम के अध्याय 11 ख के उपबंधों के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क अधिकारियों के कार्य सौंपे गये हैं ताकि एसिटिक एन्हाइड्राइड को, (एक रसायनिक पूरोगामी, जो हेरोइन के अवैध निर्माण में प्रयोग किया जाता है) जिसे सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11-1 के तहत "विशिष्ट मद" के रूप में अधिसूचित किया गया है, अवैध रूप से लानेले-जाने और आगे इसकी तस्करी किए जाने से रोका जा सके।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट अपराधों के सम्बन्ध में, जिनमें कतिपय नशीले औषध-द्रव्यों की विनिर्दिष्ट मात्रा शामिल हो, दूसरी बार दोषी सिद्ध हो जाने पर मृत्यु दण्ड दिये जाने और नशीले औषध द्रव्यों का धन्धा करने वाले दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त किये जाने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा नशीले औषध द्रव्यों सम्बन्धी सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानतीय बना दिया गया है।

आयकर/उत्पाद शुल्क की बकाया वसूली

[हिन्दी]

2652. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दस बड़े औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जिनके अप्रैल, 1989 तक आय कर और उत्पाद शुल्क के मामले विचाराधीन थे और ये आयकर और उत्पाद शुल्क की कितनी राशि की वसूली के मामले हैं;

(ख) प्रत्येक मामला कितनी राशि का है;

(ग) कितने और किन-किन औद्योगिक घरानों के विरुद्ध इस धनराशि की वसूली के लिए न्यायालयों में मामले दर्ज किये गये हैं और किन-किन व्यक्तियों/कम्पनियों के विरुद्ध निर्णय दिये जा चुके हैं; और

(घ) वर्ष 1982 से अप्रैल, 1989 तक कितने मामलों का निर्णय सरकार के हक में हुआ और कितने मामलों का निर्णय उद्योगपतियों के हक में हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) 31-3-89 की स्थिति के अनुसार 10 बड़े औद्योगिक घरानों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर की बकाया राशि निम्न प्रकार है :—

औद्योगिक घराने का नाम	निवल बकाया-आयकर (लाख रुपयों में)	बकाया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (लाख रुपयों में)
1 2	3	4
1. टाटा	431.09	1297.31
2. बिरला	381.73	1279.05
3. रिलायंस	180.20	2.97

1	2	3	4
4.	जे० के० सिंघानिया	172.89	2094.98
5.	थापर	—	178.14
6.	मफतलाल	159.72	1417.38
7.	मोदी	1249.42	1822.47
8.	एम० ए० चिदम्बरम	19.93	14.13
9.	बजाज	—	415.20
10.	लारसन एण्ड टूबरो	—	74.36

(ग) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करों की वसूली करने के लिए किसी भी न्यायालय में मुकद्दमा दायर करने की कोई जरूरत नहीं है ।

राशियों की वसूली के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने कोई मुकद्दमे दायर नहीं किये हैं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

समस्तीपुर डिवीजन में रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की कमी

2653. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर डिवीजन में सभी रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की भारी कमी के कारण यात्रियों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस डिवीजन की सभी रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों की व्यवस्था है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार पूर्वोत्तर रेलवे में चलायी जा रही रेलगाड़ियों में पर्याप्त संख्या में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उत्पादन सीमित होने के कारण मीटर लाइन के सवारी डिब्बों की देश-व्यापी कमी है ।

(ख) जी नहीं, कम उपयोग किये जाने के कारण ।

(ग) नये सवारी-डिब्बों का आबंटन एक चालू प्रक्रिया है जो नये स्टाक के उत्पादन और सम्पूर्ण रेलवे प्रणाली की आवश्यकता पर निर्भर करता है ।

फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री तथा फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन द्वारा नई प्रणाली अपनाना

[अनुवाद]

2654. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री तथा फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन ने भारत के निर्यात प्रयासों को नई गति और दिशा देने के लिए कोई प्रणाली अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निर्यात के क्षेत्र में नए प्रयास अपनाने से प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) देश के निर्यात प्रयासों को नई गति और दिशा देने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री (फिक्की) तथा फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन ने एक दूसरे के संगठन को सहयोग दिया है। ये दोनों शीर्ष संगठन विदेशों में संयुक्त रूप से प्रतिनिधि मण्डल प्रायोजित करने, भारत और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय बैठकें, सेमिनार, क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि आयोजित करने के प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त वे निर्यातकों को अन्य देशों में निर्यात के विशिष्ट व्यापारिक अवसरों के बारे में समय पर जानकारी देने के लिए सांख्यिकीय बैंक बनायेंगे। फिक्की और फिओ के बीच इस सम्बन्ध में संभवतः संयुक्त व्यापार परिषदों के कार्यचालन को बढ़ावा मिलेगा। इन दोनों संगठनों के संयुक्त प्रयासों से निर्यात बढ़ाने में निश्चय ही मदद मिलेगी।

सागर में रेल परियोजनायें

[हिन्दी]

2655. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान सागर (मध्य प्रदेश) में किये गये विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान किये जाने वाले निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक निर्माण कार्य पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री साधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेरूमोन दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा

[अनुवाद]

2656. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
श्री ए० चार्ल्स : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरूमोन रेल दुर्घटना से सम्बन्धित मुआवजा का कोई दावा अभी भी निर्णयाधीन है;

(ख) अब तक कितने दावे निपटाये गये हैं;

(ग) कुल कितनी धनराशि का दावा किया गया था;

(घ) क्या मुआवजे के दावों के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हुआ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे सुलझाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) 274.

(ग) दायर किये गये दावों की कुल राशि 4,47,48,513 रुपये थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बालीपत्तनम पुल (केरल)

2657. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालीपत्तनम रेल पुल की सुरक्षा/टिकाऊपन का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल पुल के साथ फिर से पैदल-पथ बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) पुलों के गर्डरों, जिनमें समुद्री वातावरण तथा पहले से मौजूद सड़क डेक के कारण जंग लग गया था, को बदलना आवश्यक हो गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अलग सड़क पुल के निर्माण के पश्चात रेल पुल पर पैदल पथ के साथ बने सड़क डेक को राज्य सरकार की सहमति से तोड़ दिया गया था, जिसने इसके निर्माण तथा अनरक्षण की लागत वहन की थी। इसके पश्चात राज्य सरकार की ओर से पैदल पथ की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

2658. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वर्षवार प्रगति मैदान, नयी दिल्ली में स्थित भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के कम्पलैक्स का कुल कितने दिनों पूर्ण उपयोग किया गया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस कम्पलैक्स का कितने दिनों आंशिक रूप से उपयोग किया गया था;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने इस कम्पलैक्स के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव तथा आन्तरिक सजावट पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च की; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन सुविधाओं के किराये और सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से कुल कितनी आय हुई तथा इस अनुदान का प्रयोजन क्या था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1980 में प्रगति मैदान में "सक्रिय करने का कार्यक्रम" शुरू करने के बाद से ही प्रदर्शनी स्थल पूरे वर्ष व्यापार मेलों, क्रय सुविधाओं, थियेटरों, रेस्तराओं के कारण तथा नेहरू मंडप, इन्दिरा की दृष्टि, ग्राम कम्पलैक्स, रक्षा मण्डप, अप्पू घर आदि स्थायी आकर्षणों से बराबर क्रियाशील रहा है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

टी. एफ. ए. आई. द्वारा प्रगति मैदान काम्पलैक्स पर किये गये व्यय, काम्पलैक्स से अर्जित आय तथा काम्पलैक्स के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुदान सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	1986-87	1987-88
	(लाख रु०)	
टी. एफ. ए. आई. द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित क्रियाकलापों पर किया गया व्यय :		
(1) निर्माण	32.46	14.00
(2) मरम्मत और रख रखाव	169.12	151.51
(3) आन्तरिक सज्जा	35.00	19.92
टी. एफ. ए. आई. द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित सभी क्रियाकलापों से अर्जित आय :	686.51	781.22
प्रगति मैदान काम्पलैक्स के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुदान सहायता :		
(1) प्रगति मैदान का रख रखाव	50.00	50.00
(2) नेहरू मण्डप का रख रखाव	15.50	15.90

वर्ष 1988-89 के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वर्ष 1988-89 के दौरान निर्यात और आयात

2659. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश ने वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कितने मूल्य का आयात तथा निर्यात (सेवाओं सहित) किया;

(ख) रुपयों तथा विशेष आहरण अधिकारों (एस. डी. आर.) में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार को जनवरी, 1989 से आयात की मांग में कमी का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) अन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान भारत के निर्यात और आयात क्रमश: 20280.92 करोड़ रु० और 27692.87 करोड़ रु० के रहे ।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान भारत के निर्यातों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपए की दृष्टि से 29.0% की और विशेष आहरण अधिकार (एस. डी. आर.) की दृष्टि से 14.7% की वृद्धि हुई है । वर्ष 1988-89 के दौरान भारत के आयातों में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में रुपये की दृष्टि से 23.9% की और विशेष आहरण अधिकार (एस. डी. आर.) की दृष्टि से 10.2% की वृद्धि हुई है ।

(ग) जी, हां, । आयात की दर में कमी आई है, जो दिसम्बर, 1988 की 48% से घटकर जनवरी, 1989 में 38%, फरवरी 1989 में 30% और मार्च, 1989 में 11% हो गई ।

(घ) वित्तीय वर्ष 1988-89 के पहले नौ महीने के दौरान आयात में वृद्धि के प्रमुख कारण थे : अनाज के आयात में वृद्धि, अन्न आयात में वृद्धि पिछले दो वर्षों से चल रही प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण समाप्त हो गए भण्डारों को पूरा करने के लिए की गई थी, अर्थ-व्यवस्था में फिर बड़ी अच्छी मजबूती जिसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास की ऊंची दर को बनाए रखने के लिए मशीनरी, कच्चा माल और संघटकों का अतिरिक्त आयात आवश्यक हो गया, धातुओं, उर्वरकों आदि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंची कीमतें । वर्ष 1988-89 के बाद वाले महीनों में आयात की मांग कम हो गई क्योंकि अर्थव्यवस्था फिर अपनी सामान्य रुखवाली वृद्धि दर पर पहुंच गई ।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम

[हिन्दी]

2660. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोने के मूल्यों में तेजी और इसकी तस्करी के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए, उन्होंने अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि वर्तमान स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में कुछ राहत दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं और सरकार ने इस मामले में कब तक निर्णय लेने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण तंत्र तथा सरकार की स्वर्णनीति के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए दो कार्यकारी दलों का गठन किया था। इन दो दलों की रिपोर्ट मिल गई है और उन पर विचार किया जा रहा है। सरकार का निर्णय शीघ्र घोषित कर दिया जायगा।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात को बढ़ावा

[अनुवाद]

2661. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नये क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में कितने तथा किन-किन स्थानों पर कार्यालय/प्रतिष्ठान स्थापित किये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन के लिए ग्रस्ट क्षेत्रों को अभिज्ञात करना एक सतत प्रक्रिया है। विदेशी बाजारों में विशेष ग्रस्ट के लिए अभिज्ञात किए गए मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

1. चाय, विशेषकर पैकेज और मूल्य वर्धित रूप में, 2. अनाज, विशेषकर गेहूं, 3. संसाधित खाद्य जिनमें फल और रस, मास और मांस उत्पाद तथा ताजा फल और सब्जियां शामिल हैं, 4. समुद्री उत्पाद, विशेषकर मूल्य वर्धित रूप में, 5. लोह अयस्क, 6. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद जिनमें से चमड़ा उत्पाद को महत्व दिया जाता है; 7. हस्तशिल्प और आभूषण, पूंजीगत माल तथा उपभोक्ता वस्तुएं; 9. इलेक्ट्रोनिक्स माल और कम्प्यूटर सोफ्टवेयर; 10. मूल रसायन; 11. फैब्रिक्स, यान तथा मेड अप्स; 12. सिले सिलाए परिधान; 13. ऊनी फैब्रिक्स और निट-वीयर; 14. परियोजनाएं और सेवाएं तथा 15. ग्रेनाईट।

(ग) भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में कार्य कर रहे कार्यालयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) भारत की निर्यात वृद्धि पद निरन्तर बढ़ती रही है। वर्ष 1986-87 में यह 14.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1987-88 में 26.44 प्रतिशत और वर्ष 1988-89 में 29.0 प्रतिशत हो गयी। और अन्तिम आंकड़ों के अनुसार भार के निर्यात में चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान 39.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विवरण

इस समय विदेशों में भारतीय मिशनों में 66 व्यापार कार्यालय कार्य कर रहे हैं जिनमें जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन में माट के राजदूत का कार्यालय भी शामिल है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेशों में कार्यरत निर्यात संवर्धन और व्यापार संगठनों के अनेक विदेश कार्यालय भी हैं। ये कार्यालय जहां स्थित हैं, ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1. विदेशों में भारतीय मिशन में व्यापार कार्यालय

1. अकरा	2. अड्डीस अबाबा
3. अडोन	4. अलजीरिया
5. अमन	6. बगदाद
7. बैंकाक	8. बैंलग्राड
9. बुहारेस्ट	10. बुडपेस्ट-11
11. बेरनो	12. ब्रुसेल्स
13. काएरो	14. कोलम्बो
15. जकारता	16. दकर
17. देमस्यूस	18. दर-ए-स.लाम
19. देइया	20. फ्रैंकफुर्ट
21. हम्बुर्ग	22. हांगकांग
23. जेदा	24. कम्पाला
25. खारटोम	26. काठमाण्डू
27. इगास	28. लण्डन
29. लुसाका	30. मनीला
31. मास्को	32. नाएरोबी
33. न्यू यार्क	34. टोरंटो
35. पैरिस	36. प्राग
37. रंगून	38. रोम
39. रबट	40. सन फ्रासिसको
41. सिडनी	42. स्टोकहोम
43. टूनिस	44. टोकियो
45. तेहरान	46. त्रीपोली
47. वैंकूवर	48. वाशिंगटन डी सी
49. वारशा	50. अबू धावी

51.	जैनेवा	52.	बेरलीन
53.	सेफिया (बुलगारिया)	54.	कुवैत
55.	मस्कट	56.	सिंगापोर
57.	इसलामाबाद	58.	यमन अरब गण
59.	बेन	60.	कोपेनहगन
61.	एथेंस	62.	पोर्ट लूइस
63.	सियोल	64.	बेहरीन
65.	रियाद्ध	66.	हेग

2. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

1.	न्यू यार्क	2.	टोकियो

3. इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद

1.	सिकागो	2.	लेस अंगोला
3.	लंदन	4.	दूसेन्दोर्प
5.	अबीझन (अबेरी कास्ट)	6.	नैरोवी
7.	दुबई	8.	सिडनी

4. चाय बोर्ड

1.	लंदन	2.	न्यू यार्क
3.	ब्रुसेल	4.	सिडनी
5.	गेरो	6.	कुवैत

5. व्यापार विकास प्राधिकरण

1.	फ्रैंक्सफोर्ट	2.	न्यू यार्क
3.	टोकियो	4.	हरारे
5.	दुबई	6.	कोलालम्पूर

6. राज्य व्यापार निगम और भारतीय परियोजना व उपस्कर निगम लि०

1.	न्यू यार्क	2.	लंदन
3.	फ्रैंकफोर्ट	4.	मास्को
5.	बर्लीन	6.	नेरोबी
7.	जिम्बावे	8.	कुवैत
9.	जददआ	10.	कोलम्बो
11.	हांगकांग	12.	सिंगापोर
13.	टोकियो	14.	सिडनी

7. भारतीय परियोजना व उपस्कर निगम लि०

1.	पेरिस	2.	अलबोइडा
3.	हनोई		

राजकोट-पोरबन्दर और राजकोट-वेरावल के बीच रेल सम्पर्क

2662. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट और पोरबन्दर को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का विचार किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार जूनागढ़ के ऐतिहासिक महत्व के कारण जूनागढ़ होते हुए राजकोट से वेरावल तक बड़ी रेल लाइन बिछाने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का काम कब शुरू करने का विचार किया गया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) राजकोट, हापा के रास्ते पहले ही बड़ी लाइन द्वारा पोरबन्दर से जुड़ा है ।

(ख) और (ग) राजकोट-जूनागढ़-वेरावल मीटर लाइन (185 कि.मी.) के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेजा गया था । योजना आयोग ने इस पर आठवीं योजना में विचार करने को कहा है ।

ढकुरिया, बेलधरिया और सोदपुर में ऊपरी-पुल

2663. **श्री देवी घोषाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के अन्तर्गत ढकुरिया, बेलधरिया और सोदपुर रेलवे स्टेशनों पर सड़क क्रासिंग का प्रयोग करने वालों को इन स्टेशनों पर ऊपरी पुलों/फ्लाई ओवर का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी, नहीं । बेलधरिया और सोदपुर, जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहां सड़क यातायात/पैदल पार पथ यातायात को समीपवर्ती समपारों/ऊपरी पैदल पुलों की ओर मोड़ने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं । ढकुरिया पर ऊपरी सड़क पुल को यातायात के लिये पहले ही खोल दिया गया है ।

दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी नियम

2664. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1989 के टाइम्स ऑफ इण्डिया (नई दिल्ली) में "एबसेन्स आफ रूल्स हेंडीकैप्स रेलबेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के बारे में विशेष रूप से इस बात के बारे में कि यदि नाबालिग अविवाहित महिलायें और बेरोजगार व्यक्ति किसी रेल दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो उनके मामले में भारतीय रेल नियमों की व्यवस्था न होने के कारण रेलवे उन्हें मुआवजे का भुगतान करने में असमर्थ है और जिसके फलस्वरूप गत वर्ष किवलोन में आलैंड एक्सप्रेस दुर्घटना में मारे गये 106 व्यक्तियों के मामले में मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(घ) ये कमियां दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 82 "ग" की उप-धारा के खण्ड "घ" के उपबन्धों के अनुसार अधिनियम की धारा 82-क में यथा परिभाषित गाड़ी दुर्घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु के कारण मुआवजे के दावों का भुगतान कर्मकार प्रतिकर अधिनियम. 1923 की धारा 2 के खण्ड "घ" के यथा परिभाषित मृतकों के आश्रितों को किया जाता है। 17 मृत यात्रियों के सम्बन्ध में दावों के मामले रद्द कर दिये गये थे क्योंकि मौजूदा अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार दावेदारों को मृतकों का "आश्रित" नहीं समझा गया था। तथापि रेल अधिनियम, 1989, जिसे अभी अधिसूचित किया जाना है, में अधिनियम की धारा 123 के खण्ड "ख" में मृतक के "आश्रितों" की व्याख्या की गयी है। इसमें मृत यात्री के कुछ निकट सम्बन्धी शामिल हैं—यथा पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री। मृत यात्री के अविवाहित या अवयस्क होने के मामले में माता-पिता, ऐसी पुत्री का छोटा बच्चा जो अपनी मृत्यु से पहले मृत यात्री पर पूर्णतः आश्रित थी, मृत यात्री पर पूर्णतः आश्रित दादा-दादी आदि।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखायें खोलना

2665. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात पर ध्यान दिया है कि नई "करन्ट ब्रांच लाइसेंसिंग" नीति के शुरू होने के बाद नई बैंक शाखायें खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा चुने गये और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सर्वेक्षण किये गये केन्द्रों के लिए अभी तक लाइसेंस नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में जिले-वार उन केन्द्रों के नाम क्या हैं, जिनका सातवीं योजना में वर्षवार या तो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सर्वेक्षण किया गया और/अथवा जिन्हें बाद में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बैंक शाखा खोलने हेतु चुना गया किन्तु जिनके लिए अभी तक आवश्यक लाइसेंस नहीं दिए गए हैं;

(ग) क्या "सेवा क्षेत्र योजना" को ध्यान में रखते हुए इन सभी केन्द्रों को लाइसेंस दिये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा किस तिथि तक किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्रों में बैंकों को पात्र केन्द्रों का आबंटन राज्य सरकारों द्वारा अन्तिम रूप दिये गये अग्रणी बैंक समूहों से प्राप्त पता लगाये गये केन्द्रों की सूचियों के आधार पर किया गया है और न कि बैंक से प्राप्त आवेदनों के आधार पर। अतः वर्तमान नीति के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में शाखायें खोलने के वास्ते अलग-अलग बैंकों द्वारा ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आबंटन को बैंकों द्वारा केन्द्रों के सर्वेक्षण तथा अपनी शाखायें खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए अलग-अलग आवेदनों से सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। ग्रामीणों ऋणों संबंधी सेवा क्षेत्र योजना के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंकों/राज्य सरकारों से अतिरिक्त केन्द्रों का पता लगाने के लिये कहा जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों, तदनुसार, निम्नलिखित राज्य सरकारों से प्राप्त पता लगाये गये केन्द्रों की सूचियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में उनके नामों के सामने दर्शाये गये केन्द्रों को बैंकों को आबंटित किया गया है :

राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा पाता लगाए केन्द्रों की संख्या			भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित केन्द्रों की संख्या		
	नीति के अन्तर्गत	सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत	कुल	नीति के अन्तर्गत	सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत	कुल
हिमाचल प्रदेश	233	45	278	162	36	198
पंजाब	339	37	376	117	6	123
हरियाणा	252	129	381	128	10	138
जम्मू एवं कश्मीर	66	7	73	51	4	55

शेष केन्द्र बैंकों को आबंटित नहीं किये गये क्योंकि वे नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। चूंकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति तथा सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत केन्द्रों के आबंटन का काम पूरा कर लिया गया है, इसलिए इस समय किन्हीं और केन्द्रों की अनुमति प्रदान करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 1क, और 21 पर रेलवे क्रासिंगों पर ऊपरि पुल

2666. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 1क और 21 पर रेलवे क्रासिंगों पर ऊपरि पुलों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो जिन रेलवे क्रासिंगों के लिए ये ऊपरि पुल मंजूर किए गए हैं उनके नाम क्या हैं, ये कहां-कहां स्थिति हैं और सातवीं योजना के दौरान ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए अनुमानित कितनी लागत मंजूर की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनुरोध किए जाने पर ऐसे ऊपरि पुलों के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने "निक्षेप शर्तों" पर राष्ट्रीय राजमार्ग न० 1 पर फगवाड़ा में कि०मी० 1/8-9 पर रेल समपार सं० 2-बी के निकट ऊपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए हाल ही में प्रस्ताव प्रायोजित किया है। कार्य योजना के अग्रिम चरण में है। कार्य की लागत अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) जी हां, यदि राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारियों द्वारा नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत् सहमति देते हुए निर्माण कार्यों के लिये ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किये जायें।

विदेशी पूंजी निवेश नीति को उदार बनाना

[हिन्दी]

2667. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश नीति को काफी उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उदारीकरण से विदेशी निदेशकों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूंजी निवेश के मसले पर हाल ही में जापान के प्रतिनिधि मण्डल से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) हमारी निवेश नीति के बुनियादी ढांचे का औद्योगिक नीति संकल्प सहित विभिन्न दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है। यद्यपि यह एक खुली नीति नहीं है, तथापि इसमें पर्याप्त मात्रा में लचीलापन है। इस नीति के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रियाकलापों में तकनीकी और वित्तीय सहयोग की अनुमति है। सरकार का इरादा इस नीति के विस्तृत ढांचे के अन्दर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित करने का है।

आतंकवाद की गतिविधियों के फलस्वरूप हुई क्षति की पूर्ति के लिये बीमा योजना

2668. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम ने आतंकवादी गतिविधियों के फलस्वरूप हुई क्षति की पूर्ति के लिये बीमा योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का उक्त सुझाव पर ध्यान देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम, दंगे हड़ताल एवं दुर्भावपूर्ण क्षति के विस्तार के रूप में बीमा कारोबार के विभिन्न वर्गों में 1 जनवरी, 1987 से आतंकवादी जोखिम के लिये बीमा कवच प्रदान कर रहा है।

(ख) से (घ) साधारण बीमा निगम को कुछ ग्राहकों से ये अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि किसी एक ही स्थान पर स्थित एकमात्र अधिपत्य वाले भवन के मामले में 2.50 करोड़ रुपये और बहु-आधिपत्य वाले भवन के मामले में प्रति बीमाकृत 10 लाख रुपये की मौजूदा क्षतिपूर्ति की सीमा को बढ़ा दिया जाए।

भारतीय बाजार की सीमित अवधारण क्षमता को देखते हुए साधारण बीमा निगम उपर्युक्त अनुरोधों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इसमें कोई संशोधन तभी सम्भव है यदि भारतीय बाजार को, विदेशी पुनर्बीमा बाजार से, स्वीकार्य समुचित शर्तों पर पर्याप्त पुनर्बीमा समर्थन प्राप्त हो जाए।

गैर सरकारी वाणिज्यिक बैंक

[अनुवाद]

2669. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले दस गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों की साख कितनी है; और

(ख) उनकी शाखाओं का बैंकवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों से है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1989 के अन्त में पहले दस गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की रकमों से संबन्धित सूचना नीचे दी गई है :–

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	बैंक का नाम	बैंक ऋण
1.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	440.57
2.	व्यास बैंक लि०	385.09
3.	फेडरल बैंक लि०	308.05
4.	बैंक आफ राजस्थान लि०	300.08
5.	कर्नाटक बैंक लि०	250.54
6.	साउथ इंडियन बैंक लि०	234.70
7.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०	210.64
8.	कैथालिक सीरियन बैंक लि०	187.15
9.	सांगली बैंक लि०	179.43
10.	बैंक आफ मदुरा लि०	174.05

(ख) 31.12.88 की स्थिति के अनुसार, इन शाखाओं की बैंक वार और स्थान वार संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जम्मू व कश्मीर लि०	व्यास बैंक लि०	फेडरल बैंक लि०	बैंक आफ राजस्थान लि०	कर्नाटक बैंक लि०	साउथ इंडियन बैंक लि०	यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक लि०	कैथालिक सीरियन बैंक लि०	सांगली बैंक लि०	बैंक आफ मदुरा लि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1	128	4	1	11	9	1	6	2	6
2.	असम	...	...	5	...	...	...	...	...	...	...
3.	बिहार	...	....	2	...	...	...	....	...	...	2
4.	चंडीगढ़	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...
5.	दिल्ली	9	3	4	12	2	3	1	1	1	6
6.	गुजरात	2	2	2	5	1	1	3	...	1	3
7.	गोवा	...	1	1	...	4	1	1	....	...	...
8.	हरियाणा	4	...	...	5	...	...	...	...	...	...
9.	हिमाचल प्रदेश	2	...	...	...	....	...	...	...	...	...
10.	जम्मू और काश्मीर	241	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.	कर्नाटक	1	96	5	1	219	15	3	7	24	5
12.	केरल	...	10	271	...	9	180	...	182	...	6
13.	मध्य प्रदेश	1	...	1	11	...	...	9	...	...	...
14.	महाराष्ट्र	4	7	5	1	10	5	157	3	135	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मेघालय	...	...	1	...	---	...	...	...	...	...
16.	नागालैंड	...	...	1	...	---	...	...	....	...	...
17.	उड़ीसा	...	...	1	...	---	...	...	...	---	...
18.	पांडिचेरी	...	1	---	...	1	2	...	1	...	1
19.	पंजाब	6	---	...	3	...	...	...	...	...	...
20.	राजस्थान	...	1	...	213	...	---	...	...	....	...
21.	तमिलनाडु	1	26	17	1	12	79	...	27	2	208
22.	उत्तर प्रदेश	2	2	3	4	...	...	...	...	...	3
23.	पश्चिम बंगाल	1	3	9	4	...	5	...	2	...	5
		276	280	332	270	269	300	175	229	166	249

न्यू डोम्बीवाली में रेलवे स्टेशन

2670. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसई दिवा रेलवे लाइन पर न्यू डोम्बीवाली में एक नए रेलवे स्टेशन की निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) दीवा-वसई इकहरी बड़ी लाइन खण्ड पर ई एम. यु. सेवायें शुरू करने के सम्बन्ध में कि. मी. 48/9 तथा किलो. मी. 48/12 के बीच एक स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना

2671. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

श्री हरिहर सोरन : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने पर उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल की कुल कितनी हैक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी;

(ग) बांध के निर्माण से उड़ीसा में कितने गांव जलमग्न होंगे; और

(घ) प्रभावित लोगों को पुर्नवास के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस परियोजना के विभिन्न घटकों पर फरवरी, 1989 तक सूचित की गई प्रगति इस प्रकार है :—

चन्दिल बांध पर 64% इच्चा बांध पर 23% किटानाला बांध पर 86% तथा परियोजना के अन्य घटकों पर 24 से 75% ।

(ख) इस परियोजना में, उड़ीसा में लगभग 94 हजार हैक्टेयर, बिहार में 158 हजार हेक्टेयर तथा पश्चिम बंगाल में 5 हजार हैक्टेयर की कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई की परिकल्पना की गई है ।

(ग) छः गांव ।

(घ) उड़ीसा में राज्य सरकार ने विस्थापितों के प्रभावी पुनर्वास के मामले में सलाह देने के लिए राजस्व मण्डल (डिवीजनल) आयुक्त की अध्यक्षता में एक पुनर्वास सलाहकार समिति का गठन किया है ।

दक्षिण एशियाई तथा पूर्वी देशों को तिलहनों का निर्यात

2672. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई तथा पूर्वी देशों को तिलहनों तथा विलायक निष्कर्षणों (आयल सीड्स एण्ड सोलवेण्ट एक्सट्रेक्शन) के निर्यात की काफी गुन्जाइश है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी संभावना का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों को इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी) : (क) से (ग) इंडियन आयल एन्ड प्रोडयूस एक्सपोर्टस ऐसोसियेशन द्वारा जनवरी 1989, में तथा सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडियन द्वारा मार्च, 1989 में प्रायोजित प्रतिनिधि मण्डलों के दक्षिण पूर्व एशिया तथा सुदूर पूर्व देशों का दौरा करने के जरिए इन देशों में एच. पी. एस. मूंगफली, शाशिम बीज तथा सोलवेंट एक्सटेक्टिड आयल मिल्स की निर्यात संभाव्यता का पता लगाया गया था। इन दौरों के आयतकों के साथ संबंध स्थापित करने में और इन मदों की सप्लाई करने की हमारे क्षमता बताने में मदद मिली है। इन देशों में स्थित आयतकों के साथ संबंध बनाए रखे जा रहे हैं।

उड़ीसा में लोक अदालत

2673. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई;

(ख) इन लोक अदालतों में कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) उन अदालतों तथा महिलाओं को दिए जाने के लिए प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है, जो अपनी शिकायतों के निपटान हेतु, लोक अदालतों से अनुरोध करते हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उड़ीसा विधिक सहायता और सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जून, 1986 तक की अवधि के दौरान 411 लोक अदालतें आयोजित की गई जिनमें 1,16,159 मामले निपटाए गए हैं।

(ग) मुकद्मा लड़ने वालों को लोक अदालतों के समक्ष अपने विवाद लाने और उनके निपटारे के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। जहां तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का संबंध है, ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में अधिकाधिक लोग अदालतें आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रकार, महिलाओं और बालकों को सहायता प्रदान करने के लिए वैवाहिक और कुटेब विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालतों में विशेष पीठें आयोजित की जाती हैं।

केरल में भूमिगत जल के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

2674. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में भूमिगत जल संसाधनों का अध्ययन और उनके आर्थिक उपयोग के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखायें

2675. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखायें प्रत्येक वर्ष कम होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखायें बैंक बिजनेस के लिए स्थानीय क्षमता जुटाने में असफल रही हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के कार्यचालन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है । बैंकों से भी कहा गया है कि वे अपनी विदेशों में स्थित शाखाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करें और अक्षम शाखाओं को बन्द कर दें । यूनाइटेड किंगडम में कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों की शाखाओं के कार्यचालन के युक्तियुक्त और मजबूत बनाने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रयोग किया था । इस प्रयोग के परिणाम-स्वरूप भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित चार शाखाओं को बन्द कर दिया गया और उनकी परिसम्पत्तियों और देयताओं को यूनाइटेड किंगडम में कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य बैंकों की शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था । सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य भारतीय बैंकों ने भी अपनी विदेशों में स्थित शाखाओं के कारबार की समीक्षा करने और उनके कार्यचालन की लागत तथा लाभप्रदता देखने के पश्चात उन्हें बन्द कर दिया ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशों में काम कर रहे भारतीय बैंक उपलब्ध संभाव्यता का सदुपयोग करके और अपने ऋण संपत्तियों के पोर्टफोलियों में विविधता उत्पन्न करके अपने कारोबार की संभावनाओं में सुधार करने के निरन्तर प्रयास कर रहे हैं । ग्राहकों को और चुस्त सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वे अपने कार्यचालन का कम्प्यूटरीकरण भी कर रहे हैं । इसका यह परिणाम निकला कि विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों के कारबार में समग्र रूप से वृद्धि हुई है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मण्डलीय और क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

[हिन्दी]

2676. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने मण्डलीय और क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा खोले गये कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैंट्रल बैंक आफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ये कार्यालय वहां कब तक खोले जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा, जिन्होंने वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में अपने अन्चल/क्षेत्रीय कार्यालय खोले ये संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सैंट्रल बैंक आफ इन्डिया तथा पंजाब नेशनल बैंक से उत्तर प्रदेश के क्रमशः अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में अपने-अपने आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय के खोलने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम	आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय	खुलने की तारीख
1	2	3	4
इलाहबाद बैंक	गौंडा	क्षेत्रीय कार्यालय	8.12.86
तदैव	खेरी	क्षेत्रीय कार्यालय	1.12.86
तदैव	मुरादाबाद	तदैव	22.12.86
तदैव	वाराणसी	आंचलिक कार्यालय उ०प्र०(पूर्व) अन्चल	1.12.86
तदैव	नैनीताल	क्षेत्रीय कार्यालय	29.10.87
बैंक आफ इन्डिया	बरेली	तदैव	20.2.86
तदैव	वाराणसी	तदैव	28.3.87
तदैव	शाहजहांपुर	तदैव	31.3.87
तदैव	मुरादाबाद	तदैव	30.3.87
तदैव	हल्दवानी	तदैव	14.11.87

1	2	3	4
बैंक आफ इण्डिया	मेरठ	आंचलिक कार्यालय प०उ०प्र० अंचला	31.3.87
सैंट्रल बैंक आफ इन्डिया	आगरा	आंचलिक कार्यालय	1.1.87
पंजाब नेशनल बैंक	झांसी	क्षेत्रीय कार्यालय	27.1.86
तदैव	वाराणसी	तदैव	27.1.87
तदैव	बुलन्दशहर	तदैव	19.5.86
तदैव	मुजफ्फर नगर	तदैव	27.1.86
तदैव	सहारनपुर	तदैव	27.1.86
तदैव	मुरादाबाद	तदैव	2.6.86
तदैव	काशीपुर	तदैव	31.3.88
तदैव	फैजाबाद	तदैव	18.7.88
तदैव	अलीगढ़	तदैव	30.9.88
तदैव	बरेली	तदैव	27.1.86
औरियंटल बैंक आफ कामर्स	देहरादून	तदैव	19.12.86
यूनियन बैंक आफ इंडिया	बरेली	तदैव	30.12.86
तदैव	गोरखपुर	तदैव	17.8.87
भारतीय स्टेट बैंक	गोरखपुर	तदैव	23.11.87

पर्वतीय भत्ता

2677. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त कुछ वित्तीय संस्थाओं तथा विभागों के कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता तथा विशेष भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनेक केन्द्रीय विभागों तथा सरकारी उपक्रमों के उन्हीं क्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया जाता है। इसी तरह कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उन्हें विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता भी स्वीकार्य है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की पर्वतीय भत्ता दिए जाने की अलग स्कीमें हैं। तथापि, वे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के आदेशों से शासित नहीं होते हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें खोलना

2678. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वर्तमान ब्रांच लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में बैंक की शाखायें खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के लिए बैंक को कितनी शाखायें खोलने को लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) इन मंडलों के किन-किन जिलों में भारतीय स्टेट बैंक ने अब तक अपनी शाखायें खोली हैं और वे किन-किन स्थानों पर खोली हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सभी स्थानों पर बैंक की शाखायें खोलने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं जिनके लिए अनुरोध किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इन स्थानों के लिए लाइसेंस कब तक जारी कर दिए जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की अवधि के लिए वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत और ग्रामीण ऋणों के संदर्भ में सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखायें खोलने के लिए 57 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने निम्न-लिखित केन्द्रों में शाखायें खोल दी हैं।

केन्द्र का नाम	जिले का नाम
1	2
धोलादेवी	अल्मोड़ा
छलनीछिना	तदैव
गगरीगोल	तदैव
पैसिया	तदैव
छिलियानोला	तदैव
गौरीकुण्ड (मौसमी कार्यालय)	चमौली

1	2
पटरानपुर	अल्मोड़ा
सिसैया	नैनीताल
दुधारखल	पौड़ी गढ़वाल
पौड़ी खाल	टिहरी गढ़वाल
सिलका खाल	टिहरी गढ़वाल

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान योजना के अन्तर्गत केन्द्रों का आबंटन राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इन जिलों में पता लगाए गए 257 केन्द्रों में से भारतीय रिजर्व बैंक ने 185 केन्द्रों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए हैं। ये आबंटन बैंकों के जिला/खण्ड/क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर किए जाते हैं। शेष केन्द्रों को आबंटन के लिए नहीं लिया गया क्योंकि वे नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे। गढ़वाल और कुमायूं दोनों मंडलों में वर्तमान योजना और सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बैंक शाखायें खोलने के वास्ते केन्द्रों के आबंटन का काम पूरा हो गया है। अतः वर्तमान योजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक को और लाइसेंस जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों को ऋण

[अनुवाद]

2679. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा लघु क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया; और

(ख) राज्यवार, ऐसे एककों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा प्रस्तुत अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या और उनके पास बकाया राशि निम्न प्रकार है—

अवधि	उत्तर प्रदेश		महाराष्ट्र		मध्य प्रदेश		जोड़	
	एकक	बकाया राशि	एकक	बकाया राशि	एकक	बकाया राशि	एकक	बकाया राशि
दिसम्बर 1986	1	0.06	2	0.44	149	5.49	152	5.99
जून 1987	1	0.05	2	0.45	157	7.77	160	8.27
दिसम्बर 1987	2	0.11	2	0.45	153	8.11	157	8.67
	4	0.22	6	1.34	459	21.37	469	22.93

पुणे अहमदाबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम बदलना

2680. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई है;

(ख) क्या इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में दक्कन पैसेंजर्स एसोसिएशन (शोलापुर) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, मई 1988 से ।

(ख) से (घ) इस गाड़ी का नाम बदलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बैंकों के जरिये वित्तीय कार्यकलापों का संचालन

2681. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में पूंजी निवेश के इच्छुक सभी विदेशियों एवं अनिवासी भारतीयों से अपने वित्तीय कार्यकलापों का भारतीय बैंकों के जरिये संचालन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अनिवासी भारतीय सहमत हो गये हैं;

(ग) कितने अनिवासी भारतीयों ने केन्द्रीय सरकार के सुझाव को मान लिया है; और

(घ) इस संबंध में अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सरकार ने विदेशी अनिवासी भारतीय निवेशों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं अर्थात् विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते, (एफ. सी. एन. आर.), अनिवासी बाह्य खाते (एन. आर. ई.) तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश जैसी योजनाएं तैयार की हैं, जिनका प्रचालन बैंकों के माध्यम से किया जाता है । बैंक अपनी विपणन नीति के भाग के रूप में भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीय जमा राशियों को लाने के लिए प्रयास करते हैं । इस संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया है ।

कर्नाटक की वित्तीय स्थिति

2682. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की वित्तीय स्थिति में हाल ही में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) उक्त राज्य में मितव्ययता अभियान चलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस कार्य में राज्य को कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) कर्नाटक राज्य का वर्ष 1989-90 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 1989 को दिए गए अपने वक्तव्य में इन बातों का उल्लेख किया गया है ।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

2683. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कर्नाटक में विचाराधीन रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) मंगलौर और रोहा के बीच वेस्ट कोस्ट लाइन विचाराधीन परियोजनाओं में से एक है जो अंशतः कर्नाटक में पड़ती है । 1989-90 के दौरान उपर्युक्त लाइन के मंगलौर उदिपी (69 कि० मी०) खण्ड को 52.6 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदन कर दिया गया है और जिसके लिये 0.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । 1989-90 के दौरान किसी अन्य विचाराधीन प्रस्ताव को हाथ में नहीं लिया जा रहा है ।

भूमिगत जल संसाधनों का विकास

2684. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में भूमिगत जल के विकास पर काफी जोर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के लिए इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सातवीं योजनावधि में भूमिगत जल संसाधनों के विकास के लिये क्या विभिन्न कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान भूजल विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। 7.1 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिये लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले सम्भावित उपलब्धि 6.98 मिलियन हेक्टेयर होगी। उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं : (I) राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का नियमित प्रबोधन (II) राज्य तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा की गई भूजल सेवा, अन्वेषण, मूल्यांकन तथा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग (III) ड्रिलिंग रिगों तथा अन्य उपस्करों को प्रदान करने के वास्ते राज्यों को बराबर के आधार पर केन्द्रीय सहायता देना (IV) लघु सिंचाई कार्यों के लिए लघु तथा सीमान्त किसानों को राजसहायता (V) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त किए गए बंधुआ श्रमिकों से सम्बन्धित गरीब, लघु तथा सीमान्त किसानों को निशुल्क सिंचाई कुएं प्रदान करना तथा (VI) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुंओं आदि का निर्माण और (VII) सरकारी तथा संस्थागत अभिकरणों दोनों से पर्याप्त वित्तीय सहायता।

आदिलाबाद–मुदखेड़ सेक्शन पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2685. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिलाबाद-मुदखेड सेक्शन पर सभी रेलवे स्टेशन नालीदार चादरों से बने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत इन स्टेशनों के लिए पक्के भवनों का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) स्टेशन भवनों के ढांचे में परिवर्तन सहित स्टेशनों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे धन की उपलब्धता के अनुरूप आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार चरणों में किया जाता है।

आदिलाबाद-मुदखेड खण्ड पर हदगांव रोड और बोथरोड स्टेशनों पर पक्के स्टेशन भवनों की व्यवस्था से सम्बन्धित निर्माण कार्य को स्वीकृति दे दी गई है और इसे इस वर्ष शुरु कर दिया जाएगा।

रेलवे समय-सारणी का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन

2687. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, रेलवे समय सारणी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा, क्षेत्रीय रेलों की समय सारणियां क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, गुरमुखी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में भी प्रकाशित की जाती हैं जो उन क्षेत्रों पर निर्भर करती हैं, जिनके लिये इन्हें प्रकाशित किया जाता है।

विलासितापूर्ण सामान पर सीमा-शुल्क

2688. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन, वीडियो कैसेट रिकार्डर आदि विलासितापूर्ण सामानों पर सीमा-शुल्क की दर क्या है; और

(ख) क्या सरकार का ऐसे सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि करने का विचार है ताकि देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) टी० वी० और वी० सी० आर० जैसी मदों पर सीमा शुल्क सामान्यतया मूल्यानुसार 145% ऐसी मदों पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क के बराबर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाता है। टी० वी० के मामले में प्रति सैट प्रतिसंतुलनकारी शुल्क शून्य से लेकर 4000/- रुपये तक उद्ग्राह्य है जो कि इसके आकार और कार्यात्मक विशेषताओं पर निर्भर करता है और वी० सी० आर० के मामले में यह 2100/- रुपये प्रति सैट है।

(ख) फिलहाल ऐसी मदों पर सीमा शुल्क बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोक अदालत

[हिन्दी]

2689. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक अदालतों के कार्यकरण में गतिरोध आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का, लोक अदालतों के कार्यकरण को पुनः सुचारु बनाने और लोगों को मितव्ययी और द्रुत न्याय दिलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) जी नहीं। देश के विभिन्न भागों में पिछले एक वर्ष के दौरान 720 लोक अदालतें आयोजित की गई। किन्तु, कुछ राज्यों में दुर्भिक्षवत स्थिति होने, कर्मचारियों या अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल कर दी जाने आदि जैसे स्थानीय कारणों से लोक अदालतों के आयोजन में कुछ गतिरोध हुआ है। फिर भी, विधि सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के कार्यपालक अध्यक्ष निरंतर, जनता, न्यायपालिका

और बार को, लोक अदालतों के माध्यम से विवाद निपटाने के लिए, प्रेरित करते रहते हैं। जहां भी आवश्यक होता है विधि सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति, राज्य विधिक सहायता बोर्डों को अधिक से अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी देती है। अखिल भारतीय आंकड़ों में वृद्धि हो रही है।

रेलवे आरक्षण के लिये कम्प्यूटरीकृत सुविधा

[अनुवाद]

2690. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन नगरों में रेलवे आरक्षण की कम्प्यूटरीकृत सेवा आरम्भ हो गयी है और प्रत्येक नगर में कितने बुकिंग कार्यालय हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में और अधिक कम्प्यूटरीकृत रेलवे बुकिंग कार्यालय स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे नगरों के नाम क्या हैं और ऐसे बुकिंग कार्यालय खोलने के लिये क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई मद्रास तथा सिकन्दराबाद में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधा की व्यवस्था कर दी गयी है। इस समय दिल्ली में नौ, बम्बई में तीन, कलकत्ता में सात, मद्रास में एक तथा सिकन्दराबाद में तीन आरक्षण कार्यालय हैं। इनके अलावा, कलकत्ता में पांच, बम्बई में तीन तथा मद्रास में तीन और आरक्षण कार्यालय खोले जा रहे हैं।

(ख) और (ग) चार और नगरों में अर्थात अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल तथा लखनऊ में दिसम्बर, 1989 तक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। फिलहाल, आठवीं योजना के दौरान नौ और नगरों अर्थात् पुणे, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, गोरखपुर, त्रिवेन्द्रम, जम्मूतवी, भुवनेश्वर तथा कटक में इस परियोजना की व्यवस्था करने की मंजूरी दी गयी है। नगरों का चयन मुख्यतः आरक्षण के कार्य-भार के आधार पर किया जाता है।

छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी रेलवे परियोजनायें

2691. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की इन परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है, जिनमें छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलने का काम चल रहा है;

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में, उड़ीसा राज्य में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई परियोजना चल रही है, यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना में क्या प्रगति हुई है और यह काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजनाओं को जोन-वार ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	निर्माण कार्य	अनुमानित लागत	89-90 में परिव्यय	जून, 89 तक प्रतिशत प्रगति	कार्य समापन की संभाविक तारीख
	पूर्वोत्तर रेलवे				
1.	वाराणसी-भटनी (161 कि० मी०)	80.8	23	75	मऊ-भटनी 31.3.90 तक
2.	काशीपुर-लालकुआ (60 कि०मी०)	20.00	1.0	0	
3.	समस्तीपुर-दरभंगा (37 कि०मी०)	26.02	0.0001	0	
4.	छपरा औंडिहार (171 कि०मी०)	85.13	1.51	3	
	दक्षिण रेलवे				
5.	मैसूर-बंगलौर (138 कि०मी०)	68.29	17	27	
	दक्षिण मध्य रेलवे				
6.	मनमाड-परभनी-पर्ली-बैजनाथ (354 कि०मी०)	140.00	15	21	
7.	गुंटूर-माचेरला (130 कि०मी०)	66.38	23	74	31.3.90
8.	परभनी-पूर्णा तथा मुदखेड-आदिलाबाद आमान परिवर्तन एवं पूर्णा-मुदखेड सामानान्तर बड़ी रेल लाइन (248 कि०मी०)	107.42	0.0001	0	

नोट : अन्य परियोजनाओं का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मद्रास के लिए धनराशि

2692. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार तथा रेलवे ने मद्रास में "मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1989-90 के लिये कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन पर अब तक वस्तुतः कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) क्या इस योजना को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम किया गया, यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना पर कितनी लागत आएगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :

(क) तमिलनाडु सरकार — कुछ नहीं
रेलें — 9.85 करोड़ रुपये ।

(ख) 30.6.1989 तक 34.92 करोड़ रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

राज्य व्यापार निगम का कारोबार

2693. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कारोबार में पिछले कुछ महीनों के दौरान गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो वह क्या था और इस अवधि में उपलब्धि कितनी थी; और

(ग) कारोबार में कमी आने के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के कुल कारोबार में गिरावट आयी है और यह अप्रैल-जून, 1988 के 653 करोड़ रु० की तुलना में इस वर्ष की इसी अवधि में घटकर 371 करोड़ रह गया । परन्तु निर्यात दुगने से भी अधिक हो गया है क्योंकि अप्रैल-जून, 1988 में 72 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में इस वर्ष की इसी अवधि में निर्यात बढ़कर 150 करोड़ रु० का हो गया ।

(ख) वर्ष 1988-89 के लिये लक्ष्य तथा उनकी तुलना में उपलब्धि नीचे दी गयी है :

(करोड़ रु०)

	लक्ष्य	वास्तविक
निर्यात	700	530
आयात	3506	2045
घरेलू	21	19
कुल कारोबार	4227	2594

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान निर्यात में गिरावट मुख्यत: अर्ध-संसाधित चमड़, फुटवियर तथा लेमनग्रास आयल के गैर-सरणीयन और निर्यात के लिये अनाजों के उपलब्ध न होने की वजह से आयी। आयात में गिरावट तिलहनों की अधिक घरेलू उपलब्धता की वजह से खाद्य तेलों के आयात में भारी कटौती के कारण तथा सरकार द्वारा चीनी का आयात के बन्द करने के कारण भी थी।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने वर्ष 1989-90 के लिए व्यापार कार्य योजना बनायी है। जिसमें एस टी सी के विगत वर्ष के निर्यात की तुलना में 32% वृद्धि की व्यवस्था है।

सम्पत्ति/उपहार कर की वसूली

2694. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्त वर्ष के दौरान सम्पत्ति कर तथा उपहार कर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई और कितने निर्धारितियों से की गई; और

(ख) इस प्रकार के करों की वसूली बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) :

(क) : 1988-89

	धनकर	दानकर
निव्वल वसूली	115.06* करोड़ रु०	5.59* करोड़ रु०
कर-निर्धारितियों की संख्या	6,25,000	93,000

*अनन्तिम

(ख) इन करों की वसूली को बढ़ाने के लिये कर-निर्धारणों को शीघ्र पूरा किये जाने के बारे में अनेक अनुदेश दिये गये हैं। कर-निर्धारण के बकाया पड़े मामलों तथा उनके निपटान के से संबंधित मासिक निगरानी रिपोर्टों के साथ-साथ करों की वसूली के माध्यम से इनकी प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

पंजाब में विकास कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता

2695. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कोई विदेशी सहायता ली थी;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में कितनी परियोजनाएं विदेशी सहायता से कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ग) क्या पंजाब में विश्व बैंक सहायता से कोई परियोजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ऐडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) पंजाब सहित 4 राज्यों में निवेश व्यवस्था के लिये, राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III को इस समय विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक ने 8.5 करोड़ डालर का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) उधार देने का वचन दिया है। इस परियोजना के लिये 29.6.1987 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

पंजाब में रेलवे स्टेशनों पर शैड

2696. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शैड नहीं हैं तथा कितने स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छोटे शैड हैं;

(ख) रेलवे स्टेशनों के खुले प्लेटफार्मों पर शैड बनाने के लिए अथवा छोटे शैड बनाने के लिये सरकार ने क्या मापदंड निर्धारित किये हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब में कितने रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शैड बनाये जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 96 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म ैड नहीं हैं तथा 35 रेलवे स्टेशनों पर छोटे शैड़ हैं।

(ख) किसी स्टेशन पर किसी एक समय सम्हाले जाने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या के आधे यात्रियों के लिये प्रति यात्री 6 वर्ग फुट की दर से प्लेटफार्म शैड की सामान्यतः व्यवस्था की जाती है।

(ग) 5 स्टेशन।

आस्ट्रिया के साथ व्यापार

2697. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आस्ट्रिया के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये विभिन्न उपाय क्या हैं; और

(ग) पहले भारत और आस्ट्रिया के बीच किन-किन क्षेत्रों में व्यापार आरम्भ किया गया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि देश के निर्यात-संवर्धन हेतु इसके हित को देखते हुए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जाए। वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, आस्ट्रिया से भारत का द्विपक्षीय व्यापार कारोबार वर्ष 1987-88 में 133.55 करोड़ रु० से बढ़कर 1978-79 में 162.75 करोड़ रुपये का हो गया।

आस्ट्रिया को निर्यात की गई प्रमुख मदों में शामिल हैं : चमड़ा तथा चमड़ा माल, जूतों तथा जूतों के अलावा, वस्त्र तथा सिलेसिलाये परिधान, कालीन, काफी, चाय, मसाले, औजार, रसायन तथा कुछ कृषि उत्पाद, भारत में आस्ट्रिया से आयात की मदों में शामिल हैं लोहा तथा इस्पात, प्रेसिजन तथा परीक्षण उपकरण, कार्बनिक रसायन आदि ।

आस्ट्रिया को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में शामिल हैं– प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान, बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, आदि ।

संयुक्त उद्यमों के लिये दिशानिदेश

2698. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

श्री ऐच० जी० रामुलु : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के बारे में दिशानिदेश में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) विदेशों में संयुक्त उद्यमों के मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करने के बारे में एक अन्तर मन्त्रालयी दल से सुझाव प्राप्त हुए हैं । सरकार ने इन सुझावों पर निर्णय नहीं लिया है ।

चाय बोर्ड द्वारा चाय बागान मजदूरों के लिये चिकित्सा सुविधाओं हेतु अनुदान

2701. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने असम में चाय बागान मजदूरों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले किसी संस्थान को वित्तीय अनुदान मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नये स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने; विद्यमान अस्पतालों और चिकित्सा क्लिनिक भवनों का विस्तार करने तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद करने हेतु कोई विशेष उपाय किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) चाय बोर्ड ने असम में तेजपुर चिल्ड्रेन हास्पिटल के लिये 1 लाख रुपये का पूंजी अनुदान मंजूर किया है 1 वर्ष 1986-87 में 1.14 लाख रुपये का अनुदान मंजूर करके इण्डियन दी एसोसिएशन की सुरमा वैली शाखा को दे भी दिया गया था । यह राशि चाय बागानों के रुग्ण कामगारों की परिवहन आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से एक एम्बुलैन्स खरीदने के लिये दी गई थी ।

बोर्ड ने वर्ष 1988-89 में सिलचर में एक ऐसे अतिरिक्त अस्पताल के निर्माण के लिये रेड-क्रास सोसाइटी, सिलचर (असम) को 6 लाख रुपये का पूंजी अनुदान भी मंजूर किया है जहां इस क्षेत्र के चाय बागानों से भेजे गये रोगियों की चिकित्सा सुविधायें दी जा सकें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत संघ को निर्यात

2702. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ को वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया था;

(ख) इसके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा सोवियत संघ को निर्यात में वृद्धि के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क)और(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान भारत से सोवियत संघ को ये मदें निर्यात की गई : बागान मदें सहित कृषि मदें, खनिज और अयस्क जिनमें अभ्रक तथा अभ्रक उत्पाद भी शामिल हैं, रसायन एवं सहवर्ती उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुयें जिनमें परिष्कृत चमड़ा तथा शू-अपर भी शामिल हैं, वस्त्र जिनमें सूती वस्त्र, सिलेसिलाये परिधान तथा पटसन की वस्तुयें भी हैं, अनेक प्रकार की इंजीनियरी वस्तुयें तथा अन्य विविध मदें जैसे हस्तशिल्प, पुस्तकें तथा पत्रिकायें, आदि। सोवियत संघ को किए गए निर्यात का मूल्य 1986-87 तथा 1887-88 में इस प्रकार था :

1986-87	1859.50 करोड़ रुपये
1987-88	1971.49 करोड़ रुपये

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस

भारत-सोवियत व्यापार समझौते के अनुसार जिसमें रुपया में भुगतान करने का प्रावधान है, निर्यातों का भुगतान अपरिवर्तनीय रुपयों में किया गया।

(ग) निर्यात वस्तुओं का दायरा बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए वर्तमान मदें बढ़ाई जा रही हैं तथा नई मदों को शामिल किया जा रहा है। व्यापार प्रतिमण्डलों की यात्राओं तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है यदि संतुलित रुपया व्यापार प्रणाली की सुविधा हो तो आयात से निर्यातों के लिये धनराशि का सृजन होता है इसलिये आयात को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आयकर अपवंचक

2703. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान आयकर विभाग ने कितने आयकर अपवंचकों का पता लगाया; और

(ख) इनसे, वर्षवार, कितनी रकम वसूल की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : आयकर चूककर्ताओं की संख्या हजारों में है और इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती है। अतः वर्ष 1987-88 तथा 1888-89 के दौरान चूककर्ताओं की संख्या बता पाना संभव नहीं है। फिर भी, यदि किसी तारीख-विशेष की स्थिति के अनुसार सूचना अपेक्षित हो तो उसे बताया जा सकता है।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान 3695.03 करोड़ रु० की कुल बकाया मांग में से 1346.81 करोड़ रु० की रकम घटा दी गई थी/वसूल कर ली गई थी। वर्ष 1988-89 के दौरान 4211.91 करोड़ रु० की कुल बकाया मांग में से 1768.69 करोड़ रु० की रकम वसूल कर ली गई थी/घटा दी गई थी।

इन्जीनियरी सामान का निर्यात

2704. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 में इंजीनियरी सामान, इलेक्ट्रानिकी सामान, आटोमाबाइल पुर्जों और चीनी के निर्यात में कोई गिरावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रवृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के निर्यात के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

मूल्य करोड़ रु०

निर्यात की मद	वर्ष	
	1986-87	1987-88
इन्जीनियरी माल	1043.73	1105.00
सोफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रोनिक मदें	160.00	250.00
आटोमोबाइल पार्टस्	46.93	45.00
चीनी	18.48	13.93

चीनी को छोड़कर जिसके निर्यात में मामूली सी गिरावट आई है, उपरोक्त मदों के निर्यात में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। वर्ष 1986-87 और 1987-88 में चीनी के निर्यात, मुख्यता संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को अधिमानता की शर्तों के आधार पर किये गये तथा द्विपक्षीय संधि के आधार पर नेपाल को थोड़ी मात्रा में किए गए। इसलिए निर्यातित चीनी की मात्रा का निर्धारण उपर्युक्त कोटों तथा द्विपक्षीय संधि के दायित्वों के आधार पर किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर देहात में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वितरित ऋण

[हिन्दी]

2705. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण कानपुर में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) 30 जून, 1989 के अन्त तक इन बैंकों ने कानपुर देहात के उद्यमियों और किसानों को कितनी राशि के ऋण वितरित किये;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण कानपुर में और अधिक बैंक शाखायें खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ऐडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार ग्रामीण कानपुर में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की 130 शाखायें कार्यरत थीं।

(ख) वर्ष 1988 को समाप्त वर्ष के लिये वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के तहत ग्रामीण कानपुर के लिए 2017 लाख रुपये की राशि संवितरित की है।

(ग) और (घ) 1985-90 की अवधि के लिए वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण कानपुर में शाखायें खोलने के लिए बैंकों को 9 केन्द्र आबंटित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंकों ने बनसाथी और सिमही केन्द्रों को छोड़ कर शेष सभी केन्द्रों में शाखायें खोल दी हैं।

पश्चिम बंगाल में बैंक की शाखायें खोलना

[अनुवाद]

2708. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 के दौरान पश्चिम बंगाल में विभिन्न वाणिज्यक बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई, जिले-वार वे किन-किन स्थानों पर खोली गई ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ऐडुआर्डो फैलीरो) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1988 के दौरान पश्चिमी बंगाल में 219 शाखायें खोली गई हैं। इन शाखाओं की जिलावार स्थितियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
बांकुरा	बामानटोर, श्यामनगर, संतुर, कंकड़डांगा मोरे, मानकानाली, घोला-गड़िया, गोरापाडी, राधामाधवपुर, मुनियारा माचाटोरा, रूदरा, नाकाईपुर, पत्राहाटी, पंचौल, जोरहीरा और सुसुनिया ।
वर्द्धवान	कलारा, अगेंरसन, देबशाला, सुनघोषपाड़ा, हुसेनपुर, बेकग्राम कान्द्रा, खासपुर, पीरटोला जलपाड़ा, गारेन, रायग्राम, अन्तपाड़ा बिजयनगर और लक्ष्मीपुर ।
बीरभूम	हशमोर ।
कलकत्ता (महानगर क्षेत्र)	इंडोस्ट्रियल फाइनेंस बी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस बी, चक्रबेरिया-कलकत्ता, रूबी पार्क, बुरटोला-कलकत्ता, केयोपोले-कलकत्ता, ठांगरा, सिप्र लेन एरिया, कलकत्ता-साल्ट लेक, चक्र बेरिया रोड़, श्याम-बाजार मार्किट और बेनियापुकूर ।
दार्जलिंग	भजनपुर और हंसक्या ।
हावड़ा	अंटिला, बानामाली नगर, दक्षिण झापाड़ा, गौरीपुर, घामसिया, गाबेरिया, गुजरपुरहाट, नारित, रूपासगोरी, सामंती और थालिया ।
हुगली	दिहिबंगा, बालिदाह, छब्बीसपुर, फुरफुरा, बारोतेजपुर, हरिपुर, हरिनखोला, अनिया, पार दन्कुनी, न्यसराई, खचुरा और नसीबपुर ।
जलपाईगुडी	चश्पागुडी, दलिमपुर, दम्दीम, जलपेश, कालाबाड़ी, हेगेनहाट, खोर-डांगा, सामुकतला रोड़, और मिम्टीदमोहनी ।
कूच बिहार	बाकला, गुडिया हाटी, हजराहाट, इचागंज, काशीबाड़ी, मौचेंगा, रामुपुरबाजार और थानेश्वरहाट ।
माल्दा	गोपालपुर, जामटोला, जलालपुर (हजरत), काहला, डल्ला, सदरपुर, तनिया, महानंदपुर और टिलासन ।
मिदनापुर	अशुई, तेधरी, कुकई, घोलाकुकुर, बारमपुर, मोतीलाल चाक, छानी-पाट नजिरबाजार, दालपाड़ा, पाकुरसोनी, घारचाकाटाबेरिया, त्रिलोचनपुर, ग्रामराज, हालदेरदीघी, हल्दीया पोर्ट टाउन, हुगीश्पुर, इसमाली चौक, कालीकापुर, शंकरपुर, खड़गपुर, बिरसिंगामौर, श्रीकृष्णपुर, देमारीहाट, विद्यासागर युनीवर्सिटी, मेदनापुर, पांच-ग्रेरिया, भीमतल्ला (प्रतापपुर), मुगबासन, मुगलमारी, लाबान्या बाजार, बैठाबाजार, चौबखाली, छाईपुरा बाजार, अन्नापुरना और बुरूपट ।

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
मुर्शिदाबाद	आसरीअबाहाघाट, बनसाबटी, बाजारडांगा, पुरूलिया, बाजितपुर, खारीबाना, बेलिया, जहांगीरपुर, काशीपुर, खरेरा, मिर्जापुर, नीमतिता, दादपुर, पाटकेलडांगा, रानीतला, लक्ष्मीपुर, सबंनगर और तेनिया ।
नदिया	अनुलिया, बहादुरपुर, बाहिरगाछी बाजार, भजनघाट, रानाबंध, धरमादा, चन्दरघाट, हंसपुखुरिया, दोगाछी, फतेपुर, आनन्दनगर, आरपाड़ा, आईडीडीसी-हरिनघाटा, जौरखाली, कालीनारायणपुर, कन्थालिया, रामनगर, कृष्णनगर, नरसिंहपुर, प्राचीन मायापुर, साधनपाड़ा और सिमुलिया ।
24 परगना (उत्तरी)	आशरू, बालीदापुकुर, बेरामनगर, बोकचोरा, सोवली, हंसपुर, कुरूलिया, चाल्की, हटातगंज, सोहाईहाट, माईकल नगर, नईहटी गौरीपुर, पटुलिया और चौवबेरिया ।
पुरूलिया	अगरदीह, छारा, जारगी, झपरा और मौटूर ।
24 परगना (दक्षिण)	बखाली, उत्तर बोवाली, बेलटोली, छाता, मौदी, हरिनडांगा साभ, रगाबेलिया, खसमअल्लीचकपुर, दक्षिण रायपुर, मसत, नेतरा, गावेरिया, परुलिया, रायना, तारदा बाजार, दीगिरपुरबाजार, बाजार, संतोषपुर और पाना ।
पश्चिम दीनाजपुर	अमलझरी, अमीनपुर, मंगलपुर, मदरगंज, बीखाहर, गाटी, गुंजारिया, हपतियागाज, कुलाइता, हेमताबाद, कालीगंज, कुशकरी और तरंगपुर ।

महिलाओं के लिये वस्त्र डिजाइनिंग में विशिष्टीकरण हेतु कार्यशाला

2709. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1989 के दौरान महिलाओं की वस्त्र डिजाइनिंग में विशिष्टीकरण हेतु कितनी कार्यशालाओं का आयोजन किया था; और

(ख) इन कार्यशालाओं में कितनी महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) शून्य ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इटोला रेलवे स्टेशन पर "गुजरात क्वीन" को रोकना तथा अन्य यात्री सुविधायें देना

2710. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटोला में औद्योगिक विकास तथा यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए वहां यात्रियों के लिये अधिक सुविधायें प्रदान करना न्यायोचित है;

(ख) क्या सरकार को इटोला पर 9 डाउन, 10 अप गुजरात क्वीन को रोकने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जोकि पहले यहां रुकती थी लेकिन कुछ समय बाद इसका रोकना बन्द कर दिया गया; और

(ग) काफी समय से की जा रही इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम गठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ग) इटोला स्टेशन पर मुहैया कराई गई मौजूदा यात्री सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ख) जी हां।

चालू बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें

2711. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी और उनका निर्माण कार्य पूरा करने के क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं;

(ग) क्या अत्यधिक लागत वृद्धि तथा अपर्याप्त धनराशि आबंटन के कारण विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने में बिलम्ब होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 181 निर्माणाधीन बृहद तथा 433 निर्माणाधीन मध्य सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त 18 नई बृहद तथा 29 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया गया है।

(ख) से (घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान 11505.56 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। योजना अवधि के दौरान इन्हें पूरा करने की दृष्टि से आगे लाई गई पूर्ण लागत सहित 58 वृहद तथा 303 मध्यम परियोजनायें प्रदान की गई थीं। इनकी पुनरीक्षा से पता चलता है कि इसमें से 26 वृहद तथा 162 मध्यम परियोजनायें पूरी हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त सातवीं योजनावधि के दौरान 11 वृहद तथा 25 मध्यम परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है।

(ङ) वार्षिक योजना के दौरान निधियों के पर्याप्त प्रावधान करने के लिए स्कीमों को प्राथमिकता देना इसके लिए उठाए गए मुख्य कदमों में से एक है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जल आयोग अन्य बाधाओं को अभिज्ञात करने तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से कुछ चुनी हुई परियोजनाओं का प्रबोधन कर रहा है।

उत्कल एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन

[हिन्दी]

2712. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मई, 1989 से दक्षिण से आने वाली सुपर-फास्ट गाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कुतुब एक्सप्रेस के समय में भी परिवर्तन किया गया है;

(ग) क्या उत्कल एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके समय में परिवर्तन न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां। समय-सारणी अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए।

(ख) इसे मई, 1989 से बदल दिया गया था परन्तु बाद में इसको पुराने समय पर ही चलाया जाने लगा।

(ग) और (घ) अनुरोध प्राप्त हुए थे परन्तु ये व्यवहारिक नहीं पाए गए।

सवारी डिब्बे

2713. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग के पास (श्रेणी-वार) कितने सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं;

(ख) कितने सवारी डिब्बे कम कर दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिवर्ष कितने सवारी डिब्बों का निर्माण करके उन्हें काम में लाना शुरू किया जाता है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सवारी डिब्बों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) आयु एवं हालात के आधार पर 1987-88 के दौरान हटाए गए सवारी डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :–

ब. ला.	807
मी.ला.	374

(ग) 1988-89 के दौरान ब. ला. के 1044 तथा मी.ला. के 374 सवारी डिब्बों को सवारी डिब्बा बेड़े में शामिल किया गया था । 1989-90 के दौरान ब.ला. के 1092 तथा मी. ला. के 439 सवारी डिब्बों का निर्माण करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

विवरण

सवारी डिब्बों की किस्म	ब. ला.	मी.ला.
पहला दर्जा वातानुकूल	98	...
वातानुकूल कुर्सीयान	86	...
वातानुकूल 2-टियर शायिका	417	31
पहला दर्जा	995	536
दूसरा दर्जा	8065	4296
दूसरा दर्जा शायिका	4544	1173
मिश्रित सवारी डिब्बे	3782	2210
जोड़	17987	8246

न्यायिक अधिकारियों के लिये अकादमी

[हिन्दी]

2714. **श्री शांताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

चर्चगेट-दहीसर सेक्शन में रेलवे की भूमि पर स्लम निवासी

2715. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में चर्चगेट और दहीसर के बीच रेल लाइन के किनारे-किनारे कितनी झोंपड़ियां हैं;

(ख) स्लम-निवासियों द्वारा रेलवे भूमि के कुल कितने क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है; और

(ग) रेलवे भूमि से इन गन्दी बस्तियों को हटाने तथा वहां एक सुरक्षात्मक दीवार खड़ी करने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) लगभग 10,580

(ख) 7.41 हेक्टेयर (अनुमानित) ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार से कहा गया है कि रेल पथ की निकटवर्ती रेलवे भूमि पर तथा रेलवे के अपने विकास कार्यों के लिए अपेक्षित भूमि पर बनी झुग्गियों को वैकल्पिक स्थानों पर ले जायें तथा जहां आवश्यक हो, वहां अपनी लागत से चार दीवारी का निर्माण कर दें ।

भर्ती के लिये विशेष अभियान

[हिन्दी]

2719. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल के प्रत्येक डिवीजन/जौन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत सरकार द्वारा इस वर्ष अभी तक कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई है;

(ख) क्या उपर्युक्त भर्ती अभियान के अतिरिक्त रेलवे विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग और अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी इस प्रकार का विशेष अभियान शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस अभियान के अन्तर्गत किन-किन जातियों/जनजातियों को सम्मिलित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पिछड़े वर्ग और अन्य कमजोर वर्गों के लिए कोई आरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है ।

विवरण

रेलवे	की गई भर्ती			
	ग्रुप 'सी'		ग्रुप 'डी'	
	अनु.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
मध्य	52	60	61	65
पूर्व	131	44	64	41
उत्तर	77	23	16	4
पूर्वोत्तर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	119	51	156	185
दक्षिण	147	133	कोई नहीं	कोई नहीं
दक्षिणमध्य	31	12	35	6
दक्षिण पूर्व	17	21	30	107
पश्चिम	36	17	कोई नहीं	कोई नहीं
चि.रे.का.	कोई नहीं	5	45	12
डी.रे.का.	4	कोई नही	कोई नहीं	कोई नहीं
स.डि.का.	11	कोई नहीं	2	कोई नहीं
अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन	3	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
पहिया और धुरा संयंत्र	1	1	3	9
	629	367	412	429

आमों के निर्यात हेतु कार्यशाला

[अनुवाद]

2720. **श्री प्रतापराव जी० भोसले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमों का निर्यात बढ़ाने हेतु नीतियाँ बनाने के लिए नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुझावों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों पर सरकारी प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण (एपीडा) ने दिनांक 2 जुलाई, 1989 को आम के बारे में एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया । इस कार्यशाला में आमों के बारे में फसल

पूर्व तथा फसल पश्चात प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी एककठ्ठी करने और निर्यात उद्देश्य के लिए उन्नत प्रोद्योगिकी तैयार करने हेतु विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इस कार्यशाला की सिफारिशों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि उपयुक्त एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जा सके।

गुवाहाटी स्टाक एक्सचेंज

2721. **श्री राज करन सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड में दूसरी मार्किट के कारोबार में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ख) जून, 1989 को समाप्त होने वाली वर्ष के दौरान इस एक्सचेंज में कितनी राशि का कारोबार हुआ और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई;

(ग) क्या इस एक्सचेंज की दूसरी मार्किट और कारोबार में हो रही वृद्धि को देखते हुए इसके सुचारू रूप से कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु किसी योग्य सचिव और/अथवा कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का एक्सचेंज और निदेशकर्त्ताओं के पूर्ण हित में इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इस एक्सचेंज को निदेश देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) एक्सचेंज ने जनवरी, 1986 में एक प्रशिक्षित सचिव की नियुक्ति की थी और जब यह पद रिक्त हो गया तो इस पद पर जनवरी, 1988 में दुबारा एक प्रशिक्षित सचिव की नियुक्ति की गई थी। परन्तु इस समय यह पद रिक्त है। स्टाक एक्सचेंज को सचिव के पद को भरने के लिए कहा गया है और ऐसा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

शताब्दी एक्सप्रेस (दिल्ली = कानपुर) की बारम्बारता और समय

[हिन्दी]

2722. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कानपुर से दिल्ली के बीच सुपरफास्ट शताब्दी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाने का विचार है;

(ख) इस रेलगाड़ी को प्रायः कानपुर से दिल्ली के लिये और सायं दिल्ली से कानपुर के लिए चलाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब से; और

(ग) दिल्ली और कानपुर रेलवे स्टेशनों पर इस रेलगाड़ी के लिए औसतन कितने टिकटों की बिक्री होती है और उसकी कुल क्षमता कितनी है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इस गाड़ी की क्षमता 536 सीटों की है । 1-6-1989 से 15-7-89 की अवधि के दौरान प्रतिदिन बिक्री किए गए टिकटों की औसतन संख्या नयी दिल्ली पर 365 और कानपुर सेन्ट्रल पर 412 थी ।

वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने की अवधि बढ़ाना

[अनुवाद]

2723. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान संशोधित किए जाने के संबंध में उनके मंत्रालय ने वेतन निर्धारण के लिए विकल्प देने की अवधि 31 अगस्त, 1988 तक बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए थे;

(ख) क्या ये आदेश विभिन्न सरकारी विभागों में व्यापक रूप से परिचालित नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप काफी कर्मचारियों को वित्तीय हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का और समय बढ़ाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी हां, विकल्प देने की अवधि केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के लिये बढ़ाई गई थी जो 1-1-86 के बाद पड़ने वाली अपनी वेतनवृद्धि की तारीख से किंतु 31-12-87 तक संशोधित वेतनमान अपनाने की मंशा रखते थे ।

(ख) ये आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किए गये थे ।

(ग) जी, नहीं । विकल्प देने हेतु आदेश 27-5-88 को जारी किए गए थे तथा विकल्प देने की अन्तिम तारीख 31-9-88 रखी गई थी । इस प्रकार विकल्प देने हेतु पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है ।

कर्नाटक में भूमिगत जल संसाधन को मजबूत करना

2724. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भूमिगत जल संसाधनों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी रकम आवंटित की गई है;

(ख) राज्यवार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य में भूमिगत जल संसाधन संगठन को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आबंटन में वृद्धि करे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु तथा सीमांत कृषकों की सहायता के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत सामान्य कार्यक्रम के लिए 8937 लाख रुपये तथा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 5077 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता आबंटित की गयी है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और विवरण -2 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य भू तथा सतही जल संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत उनसे प्राप्त विशेष प्रस्तावों पर राज्यों को निधियां देने के लिए 765 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, जनजाति क्षेत्र विकास के लिए विशेष सहायता जैसे अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें भी हैं जिनके अन्तर्गत राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है, जो भूजल स्कीमों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं किन्तु इसके लिए कोई निर्धारण नही किया जाता है। केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत देशव्यापी भूजल सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को 2940 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–1

सामान्य कार्यक्रम के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के वास्ते लघु तथा सीमान्त कृषकों की सहायता हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिए वित्तीय आबंटन

(लाख रु० में)

	राज्य	ब्लाकों की संख्या	वित्तीय परिव्यय		
			केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	203	602.75	602.75	1205.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	40	120.00	120.00	240.00
3.	असम*	109	291.25	291.25	682.50
4.	बिहार*	260	895.25	895.25	1790.50
5.	गुजरात*	119	371.75	371.75	743.50
6.	गोवा	10	25.00	25.00	50.00
7.	हरियाणा	93	232.60	232.50	465.00

8.	हिमाचल प्रदेश	69	172.50	172.50	345.00
9.	जम्मू व कश्मीर	75	187.50	187.50	375.00
10.	कर्नाटक	175	437.50	437.50	875.00
11.	केरल	151	377.50	377.50	755.00
12.	मध्य प्रदेश*	185	667.25	667.25	1334.50
13.	महाराष्ट्र	216	600.00	600.00	1200.00
14.	मणिपुर	26	65.00	65.00	130.00
15.	मेघालय	24	60.00	60.00	120.00
16.	मिजोरम	20	50.00	50.00	100.00
17.	नागालैंड	21	52.50	52.50	105.00
18.	उड़ीसा*	166	526.00	526.00	1052.00
19.	पंजाब	113	295.00	295.00	590.00
20.	राजस्थान	236	590.00	590.00	1180.00
21.	सिक्किम	4	10.00	10.00	20.00
22.	तमिलनाडु*	160	563.50	563.50	1127.00
23.	त्रिपुरा	17	42.50	42.50	85.09
24.	उत्तर प्रदेश*	236	1078.25	1078.25	2156.50
25.	पश्चिम बंगाल*	147	508.50	508.50	1017.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5	25.00	...	25.00
27.	चण्डीगढ़	1	5.00	...	5.00
28.	दादरा व नागर हवेली	1	5.00	...	5.00
29.	दिल्ली	5	25.00	...	25.00
30.	दमन और दीव	2	10.00	...	10.00
31	लक्षद्वीप	5	25.00	...	25.00
32.	पांडिचेरी	4	20.00	...	20.00
		2911	8937.00	8822.00	17759.00

*टिप्पणी :— इसमें प्रति ब्लाक 0.50 लाख रु० की दर से मिनीकिटों सभी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम ब्लाकों के लिए 1.00 लाख रु० की दर से स्टाफ की लागत सहित भूमि विकास कार्यों के लिए आवंटन शामिल है ।

विवरण-2

वर्ष 1989-90 के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु तथा सीमांत कृषकों को सहायता देने के लिये केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के वास्ते उथले नलकूपों/खुदाई कुओं संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भौतिक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय

क्र. सं०	राज्य	उथले नलकूपों/खुदाई कुओं संबंधी कार्यक्रम के लिए चयन किए गए जिलों/ब्लाकों की	निर्मित किए जाने वाले उथले नलकूपों खुदाई कुओं की संख्या	वित्तीय परिव्यय (लाख रुपये में) केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8(127)	20000	300	300	600
2.	असम	8(25)	...	...	...	...
3.	बिहार	18(327)	46500	697.5	697.5	1395
4.	गुजरात	7(99)	2000	30.0	30.0	60.0
5.	मध्य प्रदेश	22(273)	25000	375.0	375.0	750.0
6.	महाराष्ट्र	7(80)	10000	150.0	150.0	300.0
7.	उड़ीसा	5(148)	5000	75.0	75.0	150.0
8.	तमिलनाडु	8(218)	5400	81.0	81.0	162.0
9.	उत्तर प्रदेश	36(651)	203670	3055.0	3055.0	6110.0
10.	पश्चिम बंगाल	7(188)	20900	313.50	313.50	627.0
	कुल	114(2136)	338470	5077.0	5077.0	10154.0

वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

2725. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने निर्यात ऋण और नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना के अन्तर्गत किए गए भुगतान में विभिन्न अनियमितताओं का उल्लेख किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5.24 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी, हां।

सी ए जी के कार्यालय से दिनांक 2.8.1989 को रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त की गई। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रेक्षेपों की आगे जांच की जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में इस संबंध में कोई भी टिप्पणी समय-पूर्व होगी।

विक्कलोन पुनालूर सेक्शन पर रेलवे स्टेशनों का विकास

2726. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केरल में विक्कलोन और पुनालूर के बीच स्थित किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई विकास कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में इस सेक्शन के स्टेशनों पर किए जाने वाले विकास कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) पुनालूर तथा कोट्टारकरा स्टेशनों पर स्टेशन इमारतों के सुधार से संबंधित निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं।

(ग) स्टेशनों के सुधार की एक सतत प्रक्रिया है और इन्हें आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के आधार पर धन की उपलब्धता के अनुरूप किया जाता है। 1989-90 के दौरान, कोल्लम स्टेशन पर नये बुकिंग एवं आरक्षण कार्यालय का निर्माण करने, मध्यम स्तर के प्लेटफार्म को उंचा करने, मीटर लाइन के प्लेटफार्म नं० 1 और 2 को चौड़ा करने, यात्री एवं माल प्लेट-फार्म पर शेड की व्यवस्था करने तथा नये पार्सल कार्यालय का निर्माण करने से सम्बन्धित कार्य चल रहे हैं।

अनिवासी भारतीयों की जमा राशि

2727. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों के खाते में इस समय कुल कितनी धनराशि जमा है;

(ख) क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीय दुर्लभ मुद्राओं में अधिक से अधिक राशि जमा करा रहे हैं और इसका भुगतान भी उन्हीं मुद्राओं में किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष ब्याज और मूल के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है; और

(घ) अनिवासी भारतीयों की निधि का सामान्य रूप से किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

निर्यात से आमदनी

2728. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार निर्यात से डालर मुद्रा में कुल कितनी आमदनी हुई ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ग) इस अवधि के दौरान किन वस्तुओं की निर्यात आमदनी में कमी आई; और

(घ) इस कमी को रोकने के लिए क्या प्रयास किये गये और इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) 1986-87 से 1988-89 के वित्तीय वर्षों में अमरीकी डालर में भारतीय निर्यात और प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है :–

वर्ष	निर्यात (मिलि० अमरीकी डालर)	प्रतिशत वृद्धि
1986-87	9745	×9.4
1987-88 (आं० सं०)	12140	×24.6
1988-89 (अ०)	14005	×15.5 (×)

[(×) वर्ष 1987-88 के 12123 मिलियन अमरीकी डालर के संगत अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में]

अ = अनन्तिम आं० सं० = आंशिक रूप से संशोधित ।

(ग) और (घ) जिन मदों के सम्बन्ध में वर्ष 1986-87 से वर्ष 1988-89 तक की अवधि में भारतीय निर्यातों में निरन्तर गिरावट रही, उनमें शामिल हैं : कृषि उत्पाद जैसे—गेहूं, तम्बाकू, काजू (सी एन एस एल सहित) तथा कपास । इस गिरावट का मूल कारण थी विगत दो वर्षों के दौरान सूखे की स्थिति । इस वर्ष अपेक्षाकृत बेहतर मानसून के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादों के निर्यात में सामान्यतया वृद्धि होने की आशा है ।

विश्व मंडी में भारतीय काफी की मांग

2729. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मण्डी में भारतीय काफी की मांग कम होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश के काफी उत्पादकों की सहायता करने तथा काफी के अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का प्रकाशन

2730. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों को, अब तक किए गए संशोधन सहित, संहिताबद्ध रूप में प्रकाशित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां। अधीनस्थ विधान विषयक संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुशरण में, अधीनस्थ विधान को अद्यतन बनाने और वह जनता को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। तदनुसार, किसी अधिनियम के अधीन अधीनस्थ विधान, उस मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं जो प्रशासनिक रूप से उस अधिनियम से संबंधित है।

(ख) अभी तक मन्त्रालयों ने 22 अधिनियमों के अधीन अधीनस्थ विधान के संकलन प्रकाशित किए हैं। 47 अधिनियमों के अधीन अधीनस्थ विधान के संकलन की पांडुलिपियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उन्हें शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का लागू किया जाना

2731. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 प्रवर्तित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार को, इस अधिनियम के कुछ उपबंधों के उपांतरण की बाबत विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों के आधार पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विधिक सेवा के सम्पूर्ण आंदोलन को न्यायपालिका मानिटर करती है, अतः सरकार यह चाहती है कि अधिनियम को प्रवृत्त करने के पूर्व, न्यायपालिका के दृष्टिकोण की जांच गहराई से की जाए।

शेयर बाजार में कम्पनियों की सूची तैयार करना

2732. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 73 के अनुसार सार्वजनिक रूप से शेयर जारी करने वाली कोई भी कम्पनी अनिवार्य रूप से देश के किसी भी शेयर बाजार की सूची में अवश्य सूची बद्ध होनी चाहिए;

(ख) क्या हाल ही में प्रतिभूत संविदा (विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कोई भी ऐसी कम्पनी जिसकी कुल शेयर पूंजी तीन करोड़ रुपए से कम है, सूचीबद्ध किए जाने के लिए आवेदन नहीं कर सकती; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में संक्षेप में स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) कंपनी अधिनियम की धारा 73(1) के अनुसार प्रत्येक कम्पनी, जो विवरणिका (प्रोसपेक्टर) जारी करके जनता को अभिदान के लिए शेयरों या ऋण पत्रों की पेशकश करना चाहती हो ऐसे निर्गम से पूर्व एक या एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों को इस प्रकार पेशकश किए जाने वाले शेयरों या ऋण पत्रों का उस स्टाक एक्सचेंज में या ऐसे प्रत्येक स्टाक एक्सचेन्ज में कारोबार किए जाने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी ।

(ख) और (ग) सूची बद्ध किए जाने के लिए पात्र निर्गमों के आकार में वृद्धि करने और स्टाक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात, उनकी नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति की सम्भावनाओं में सुधार करने की दृष्टि से मंत्रालय में फरवरी, 1989 में जारी किए जाने के लिए पात्रता संबंधी मानदण्ड के स्तर को बढ़ा दिया था । संशोधित मानदण्डों के अनुसार एक कम्पनी की न्यूनतम निर्गमित इक्विटी पूंजी 3 करोड़ रुपए होगी और इक्विटी पूंजी की न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश 1.80 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी ।

वित्तीय संस्थाओं और पारस्परिक निधियों को प्रोत्साहन

2733. **डा. बी. एस. शैलेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि वित्तीय संस्थान और पारस्परिक निधियों शेयरों के सीधे लेन-देन हेतु सरकार द्वारा उनको दिये गए प्रोत्साहन का लाभ उठाने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का वित्तीय संस्थाओं और पारस्परिक निधियों की पूंजी संबंधी गतिविधियों की और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों के लेन-देन को किस प्रकार नियंत्रित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वित्तीय संस्थानों तथा सांझी निधियों के स्टाक बाजार प्रचालन-कार्य उनके अपने-अपने चार्टरों तथा वाणिज्यिक निर्णय द्वारा मार्गदर्शित होते हैं ।

विधि के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग

2735. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधि के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग आरम्भ करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) योजना आयोग के आधीन नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (एन. आई. सी.) के पास विधायन के क्षेत्र में विधि और न्याय मंत्रालय को, उच्चतम न्यायालय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय को कम्प्यूटर सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम है । इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रूप में शुरूआत कर दी गई है :—

(i) भारत के संविधान से सम्बन्धित मामलों पर कम्प्यूटर आधारित प्रश्न सेवा, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के लिए तैयार की गई है ।

(ii) उच्चतम न्यायालय के लिए कम्प्यूटर पर आधारित निर्णयज विधि जानकारी पुनः प्राप्ति प्रणाली विकसित की गयी है जो न्यायाधीशों और वकीलों की, उच्चतम न्यायालय के लिए नए मामलों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगी ।

(iii) उच्चतम न्यायालय के समान ही निर्णयज विधि प्रणाली, दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए भी विकसित की गई है जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के मामलों के अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले भी होंगे ।

(iv) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों की बाबत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए कम्प्यूटर पर आधारित निर्णयज विधि जानकारी पुनः प्राप्ति प्रणाली विकसित की गई है ।

ग्रुप "बी" अधिकारियों के वेतनमान

2736. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल विभाग में सहायक पद के वेतनमान से इसके वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति पर ग्रुप "बी" अधिकारियों का वेतन जोकि पहले कनिष्ट वेतनमान में अभिप्रायात्मक निर्धारण और उसके बाद संमत सारिणी (कोनकोरडेन्स टेबल) के माध्यम से निर्धारित किया जाता था, के निर्धारण के सम्बन्धित नियम समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या वेतन निर्धारण की इस प्रणाली पर चौथे वेतन आयोग द्वारा विचार किया गया था;

(ग) क्या तीसरे वेतन आयोग ने इस प्रणाली को जारी रखने और इसे ऐसी अखिल भारतीय सेवाओं पर भी लागू करने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1960 से प्रभावी इस नियम में संशोधन करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केवल ग्रुप "बी" के अधिकारियों का वेतन पदोन्नति पर उन्हें इससे पहले मिलने वाले वेतन की तुलना में कम हुआ है;

(च) क्या सरकार को इसके विरुद्ध अभ्यावेदन मिले हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का वेतन निर्धारण के पुराने नियमों को पुनः लागू करने का विचार है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में कानकारडेन्स टेबल पर कोई विचार विमर्श का उल्लेख नहीं है। बहरहाल, आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 23.15 में यह सिफारिश की है कि एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति के सभी मामलों में एफ आर 22-सी लागू किया जाना चाहिए।

(ग) कानकारडेन्स टेबल तीन अखिल भारतीय सेवाओं तथा कतिपय इन्जीनियरी सेवाओं सहित केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी 1 की कुछ पदों पर पहले ही लागू थी। बहरहाल, तृतीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि यह लाभ श्रेणी-1 की उन अन्य संगठित सेवाओं में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिनका स्वरूप सुव्यवस्थित सेवा का है।

(घ) एक पद से दूसरे पद पर होने वाली सभी पदोन्नतियों में एफ आर-22 (सी) के तहत वेतन निर्धारण करने के चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के परिणामस्वरूप कानकारडेन्स टेबल के तहत वेतन निर्धारण करना समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) जी, हां। बहरहाल, एफ आर 22 (सी) के तहत वरिष्ठ वेतनमान में ग्रुप "बी" के अधिकारियों का वेतन निर्धारित किये जाने पर उनकी परिलब्धियों में कोई वास्तविक कमी नहीं आयी है।

(च) जी हां।

(छ) जी नहीं।

(ज) एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति के सभी मामलों में वेतन निर्धारित करते समय एफ आर-22 सी लागू करने की चौथे वेतन आयोग की सिफारिश सरकार ने स्वीकार की थी, एफ आर-22 सी के तहत वेतन सीधे उस वेतनमान में निर्धारित किया जाता है जिस वेतनमान में उस व्यक्ति की पदोन्नति हुई है और ऐसा करते समय यह भी देखा जाता है कि उस व्यक्ति की जिस पद से पदोन्नति हुई है उसमें उसका वेतन क्या था अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य तरीके से वेतन निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा-कासगंज और हाथरस-अलीगढ़ के बीच रेलगाड़ियां शुरू करना

2737. श्री कुंवर भरत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार (एक) मथुरा और कासगंज के बीच डीजल-कार सेवा शुरू करने (दो) हाथरस और अलीगढ़ मार्ग पर अत्यधिक यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों के बीच अतिरिक्त रेल सेवा सुलभ करने, और (तीन) हाथरस जंक्शन से एल. एम. बी. रेलगाड़ी शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हाथरस जंक्शन, हाथरस रोड और हाथरस नगर में प्रतीक्षालय/बैठने का प्रबन्ध

2738. **श्री पूरन चन्द्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथरस रेलवे स्टेशन पर कई आवश्यक सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां पर छतवाला प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय आदि की और सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) हाथरस जंक्शन, हाथरस रोड और हाथरस सिटी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर छतों, प्रतीक्षालय में स्थान, पीने के पानी की सुविधाएं आदि के मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्था की गई है। इन स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात के स्तर के लिए उपलब्ध कराई गयी सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदिशा, सलामतपुर, अब्दुल्लागंज और बूदनी रेलवे स्टेशनों पर ऊपरि पुल

2739. **श्री प्रतीप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विदिशा, सलामतपुर, अब्दुल्लागंज और बूदनी रेलवे स्टेशनों पर पैदल पथ हेतु ऊपरि पुलों के निर्माण की मन्जूरी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) सलामतपुर तथा बूदनी में ऊपरि पैदल पुल के विस्तार के लिए मन्जूरी दे दी गयी है। अब्दुल्लागंज में एक ऊपरी पैदल पुल के निर्माण की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान विदिशा, सलामतपुर, बूदनी तथा अब्दुल्लागंज में निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सिहोर जिलों में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

2740. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सिहोर जिलों में वर्ष 1989 के पहले छः महीनों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण मन्जूर किए गए हैं और वितरित किए गए हैं; और

(ख) कितने व्यक्तियों को ये ऋण दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एंड्रुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के बारे में मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सिहौर जिलों से सम्बद्ध उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :–

जिला	दिसम्बर, 1988 तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि (करोड़ रुपये)
विदिशा	12.48
रायसेन	6.58
सिहौर	8.40

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े जिन्हें उपयुक्त ऋण दिए गए हैं, उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहौर जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

2741. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहौर जिलों में जिला-वार, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एंड्रुआर्डो फैलीरो) : 1985-90 के लिए वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सिहौर जिलों में शाखाएं खोलने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को 12, 3 और 8 केन्द्र आबंटित किए हैं। इनमें से, बैंकों ने क्रमशः 5, 3 तथा 7 केन्द्रों में शाखाएं खोल ली हैं। इस प्रकार, विदिशा जिले में 7 लाइसेंस तथा सिहौर जिले में 1 लाइसेंस बैंकों के पास लंबित है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्रामीण ऋणों संबंधी सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत विदिशा जिले में 10 केन्द्र तथा रायसेन जिले में 7 केन्द्र आबंटित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उन विरले मामलों को छोड़कर, जहां न्यूनतम बुनियादी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, आबंटित केन्द्रों में शीघ्र शाखाएं खोलने के लिए कहा है।

केरल में बैंक शाखायें खोलने के लिये लाइसेंस

2742. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केरल में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं खोली गई हैं; और

(ग) राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य में इन लाइसेंसों का औसत उपयोग कितना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान केरल राज्य में ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों को 96 लाइसेंस और शहरी और महानगरीय केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते 21 लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें से बैंकों ने अभी तक 83 केन्द्रों में शाखाएं खोली हैं।

(ग) 1985-90 के लिए वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति और सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत जारी लाइसेंसों के उपयोग के बारे में केरल राज्य और अखिल भारतीय स्थिति नीचे दी गई है :–

	केरल	अखिल भारत
जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	117	7206
खोली गई शाखाओं की संख्या	83	3650
लम्बित लाइसेंसों की संख्या की अद्यतन स्थिति	34	3556

नेशनल कांफेडरेशन ऑफ बैंक एम्पलाईज (अरबन) स्टाफ कोआपरेटिव क्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मियादी जमा प्रमाण पत्र जारी करना

2743. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कांफेडरेशन ऑफ बैंक एम्पलाइज (अरबन) स्टाफ कोआपरेटिव क्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली ने गत चार वर्षों के दौरान 12 महीने और 13 महीने की अवधि के लिए 1,000 रुपये, 10,000 रुपये आदि के मियादी जमा प्रमाण पत्र (बांड) जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में इन बांडों के जरिये कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ग) बांड धारकों को बांडों के परिपक्व होने पर अभी तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और बांडों की परिपक्वता तिथि बीत जाने के बाद अभी तक कितनी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया;

(घ) जनता का पैसा वापस न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) बांडधारकों को उनकी देय राशि बिना विलम्ब दिलवाने के हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कटक-पारादीप सेक्शन में लेवल क्रासिंग पर कर्मचारी की नियुक्ति

2744. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कटक-पारादीप शाखा लाइन पर कितने लेवल क्रासिंग हैं;

(ख) क्या इस शाखा लाइन पर स्थित अधिकांश लेवल-क्रासिंगों पर अधिसंख्य दुर्घटनाएं इन पर किसी कर्मचारी के तैनात न होने के कारण होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन लेवल-क्रासिंग पर कर्मचारी तैनात करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 56 समपार हैं जिनमें से 10 चौकीदार वाले हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप पत्तन के लिए मालगाड़ी डिब्बों की सप्लाई

2745. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के लिये कोयला ढोने हेतु पर्याप्त संख्या में मालगाड़ी डिब्बे उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पारादीप पत्तन के लिए मालगाड़ी डिब्बों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि पारादीप पत्तन से कोयला आयात करने में अनिश्चितता की स्थिति समाप्त की जा सके ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी शेयरधारियों वाली कम्पनियां

2746. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कुछ कम्पनियों की जानकारी है जिनमें अमरीकी शेयरधारी हैं, जो अपने देशों में बहुत ही कम मुनाफा मंगा रहे हैं और जिनकी शेष धनराशि भारत में ही खर्च की जा रही है तथा जिनके उत्पाद भारत में ही कालाबाजार में बेचे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैकीनन मैकेन्जी एण्ड कम्पनी के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमे

2747. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैकीनन मैकेन्जी एण्ड कम्पनी के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन दायर किये गये किन मुकदमों में अधिनिर्णय दिया गया;

(ख) अधिनिर्णयों का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कारंवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय ने फेरा, 1973 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए 1986 और 1987 में 6 कारण बताओ नोटिस जारी करके मैसर्स मैकीनन मैकेन्जी एण्ड कम्पनी लिमिटेड और कम्पनी से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनिर्णय कार्यवाही प्रारम्भ की है। कार्यवाही पूरी हो जाने पर कानून के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यथा अपेक्षित उपयुक्त कारंवाई की जाती है।

प्रस्थान कर लगाया जाना

2748. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेश जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर 300 रुपये का प्रस्थान कर लगाना प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका मजदूरों और मध्यम श्रेणी के लोगों पर क्या प्रभाग पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) के अन्तर्गत पड़ोसी देश से भिन्न किसी अन्य स्थान की अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा प्रारम्भ करने पर एक सौ रु० प्रति यात्री और पड़ोसी देश में किसी स्थान की यात्रा प्रारम्भ करने के लिए पचास रु० प्रति यात्री लगाये जाने वाले विदेश यात्रा कर की दरों को वित्त अधिनियम, 1989 (1989 का 13) के अन्तर्गत बढ़ाकर क्रमश: तीन सौ रुपए और एक सौ पचास रुपए कर दिया गया था। विदेश यात्रा कर की नई दरें पहली जून, 1989 से लागू हुई थीं।

(ख) चूंकि कर में यह वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा में होने वाले खर्च की तुलना में नगण्य सी राशि है इसलिए कामगारों और मध्य वर्ग के लोगों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

12.00 मध्याह्न

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हमारे देश में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निजी क्षेत्र हैं। वे इसे गैर-सरकारी विद्यालय तथा 'पब्लिक स्कूल' कहते हैं और उसी क्रम में आगे चिकित्सा महाविद्यालय तथा इंजीनियरी महाविद्यालय हैं। जहां ऐसे न्यास इन संस्थाओं को धर्म-निरपेक्ष आधार पर चलाते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कुछ इंजीनियरी महाविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय हैं जो धार्मिक सम्प्रदायों के नाम पर चलाये जाते हैं। मेरी एक आपत्ति यह है कि यदि ऐसी संस्था एक समुदाय के नाम पर हैं तो उन्हें उस सम्प्रदाय के लिए 50% स्थान ही आरक्षित करने चाहिए। वे ऐसा नहीं करते हैं। इंजीनियरी महाविद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिले के लिये वे प्रवेश शुल्क के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। मैं ऐसे कई महाविद्यालय जानता हूँ जहां सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और विधायक केवल न्यासों में ही नहीं हैं बल्कि वे इन संस्थाओं के अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक भी हैं और इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। चिकित्सा महाविद्यालय में एक स्थान के लिये वे 3 से 5 लाख रुपये लेते हैं। अतः इस शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए। किसी को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर कई बार चर्चा की है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये जहां संस्था धर्मनिरपेक्ष आधार पर चलती है और न्यास हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे अच्छे महाविद्यालय है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिये, पता करवा देंगे।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परन्तु ऐसी कई संस्थायें हैं जो धार्मिक सम्प्रदायों के नाम पर चल रही हैं और उनमें उन सम्प्रदायों के लिए स्थान आरक्षित नहीं हैं। वे केवल धन कमा रहे हैं। मेरी नजर में कई विधायक हैं। लोग बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं।(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त कई अन्य मामलों पर हमारा मतभेद हो सकता है। परन्तु यह बहुत विवादास्पद मामला है।(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन सोज : मेरी आपत्ति यह है कि वे काफी पैसा कमाते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिये। आपका आइडिया आ गया है, ठीक है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : हम सभी श्रीलंका के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति जानने के लिए उत्सुक हैं। लम्बे समय से बातचीत जारी है और यहां कुछ भी मालूम नहीं है। आज शाम को हम यहां से उठेंगे और फिर सोमवार सुबह ही मिलेंगे। कम से कम कुछ जानकारी तो होनी चाहिए कि स्थिति क्या है। बेशक, मैं जानता हूँ कि आपने इस विषय पर चर्चा स्वीकृत कर ली है। परन्तु वह तो बाद में होगी। अभी हम यह जानने के लिये उत्सक हैं कि वास्तविकता क्या है।

अध्यक्ष : हम पता लगायेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : आज दिन भर में, इस विषय पर सरकार को सभा में वक्तव्य देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : हरियाणा में भारी धोखाधड़ी हो रही है। 21 लाख घन फुट भूमि कार्य, एक दिन में किया जाना है—यह कैसे सम्भव है ? हरियाणा सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। एक दिन में, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 21 लाख घनफुट भूमि की खुदाई की जा रही है ? यह पैसा कहां जाता है ? क्या यह तिजोरियों में जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, स्टेट असेंबली है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : यह महालेखाकार की रिपोर्ट है।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर राज्य विधान सभा में चर्चा की जा सकती है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : कृपया हमें इस गम्भीर मामले पर चर्चा करने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति कैसे दे सकता हूं ? किन नियमों के तहत मैं ऐसा कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य के महालेखाकार की रिपोर्ट है। मैं यहां इस पर चर्चा की अनुमति कैसे दे सकता हूँ ?

श्री शान्ताराम नायक : वह पिछली बार आपको धमकी दे रहे थे। वह हर एक को उपदेश दे रहे हैं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ग्रैंट देना कमजोर आदमी का काम होता है और ग्रैंट लेना भी कमजोर आदमी का काम है, इस चीज को छोड़िये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम निपट लेंगे। आप मेरी चिंता मत करो।

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : भ्रष्टाचार के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना है। (व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : यह हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के बारे में है। उन्होंने यह लिखित में दिया है। पत्र यह है।

श्री राम प्यारे पनिका : यह वित्तीय मामले के बारे में है। कृपया वित्त मन्त्री को इसकी जांच करने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों से बंधा हुआ हूं।

[हिन्दी]

मैं तो कानून से बंधा हुआ हूँ।

[अनुवाद]

मैं उन्हें नहीं तोड़ूंगा।

[हिन्दी]

मैं उन्हें नहीं तोड़ सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस पर यहां नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, श्री अशोक सिंघल, राम-जन्म-भूमि आन्दोलन के महासचिव ने एक प्रेस कांफ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, जो लगभग सभी समाचार पत्रों में छपा है, कि वे नवम्बर में अयोध्या में एक मन्दिर बनाने जा रहे हैं। यह मामला पहले ही न्यायालय को भेजा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात श्री चव्हाण कह रहे थे—जिम्मेदाराना और गैर-जिम्मेदाराना, दोनों प्रकार के वक्तव्य दिये जा रहे हैं और इसे समझना जनता का काम है। मैं उन पर ध्यान नहीं देता।

श्री पी० एम० सईद : गृह मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

वह तो उन्हीं की रहेगी।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल-मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किये गये रेल यात्री (टिकट रद्दकरण तथा किराये की वापसी) संशोधन नियम, 1989, जो 26 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 574(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8110/89]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पांचवा संशोधन) नियम, 1989 जो 10 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 514(अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) सा. का. नि. 551(अ), जो 16 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 87/89-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा जिनके द्वारा टेलीविजन ग्राही, जो वीडियो रिकार्डिंग अथवा पुनरुत्पादन संयंत्र के साथ सज्जित हो, पर 35 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्धारित किया गया है तथा पिक्चर-इन-पिक्चर टाइप टेलीविजन के विषयक्षेत्र को भी परिभाषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 557(अ), जो 19 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 25 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 205/88-के उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि सौर प्रकाश वोल्टीय सैलों को बिना शर्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 558(अ), जो 19 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्विचों, प्लगों और साकेटों को, जब उनका विनिर्माण सांचे में ढालने की संक्रियाओं के लिये पूर्णतः हस्तचालित प्रेसों का प्रयोग करके किया गया हो, समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 561(अ), जो 19 मई 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उस दशा में उत्पाद-शुल्क से छूट देना है जब कि उन्हें हवाई अड्डे के सीमा-शुल्क के हाल में पहुँचने पर शुल्क मुक्त दुकानों में विदेशी मुद्रा में बिक्री के लिए निकाला गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा.का.नि. 632(अ), जो 15 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 13 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 447/86-के. उ. शु. तथा 448/86-के. उ. शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1989, जो 22 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 535(अ) में प्रकाशित हुये थे ।

(आठ) सा.का.नि. 675(अ), जो 4 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 257/88-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 706(अ), जो 18 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनमें यह उपबन्ध किया गया है कि अमोनियम क्लोराइड पर उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क का 10 फरवरी, 1987 से 21 जून, 1988 तक की अवधि के दौरान संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[सभा पटल पर रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 8111/89]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 468(अ) तथा सा.का.नि. 469(अ), जो 25 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा विदेश में रूपान्तरण की लागत जताने वाले मूल्य और दोनों तरफ के भाड़ा एवं बीमा प्रभारों के 95 प्रतिशत (मूय तथा उपषंगी) की दर पर टोल प्रगलन अथवा टोल प्रसंस्करण के लिए भारत से बाहर भेजे गये तांबे के रिबेट, तांबा मुक्तशेष एनोड और तांबा एनोड अवपंक से उत्पादित तांबे के केथोडों/तार शलाकाओं/तार छड़ों और निकल पर रियायती आयात शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 470(अ) जो 25 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 9 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 311/88-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.कि. 471(अ), जो 25 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 315/89-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 582(अ), जो 31 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 136/86-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि मिथानोल पर मूल सीमा शुल्क की वर्तमान मूल्यानुसार 60 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर मूल्यानुसार 80 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 615(अ), जो 12 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 6 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 355/85-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 627(अ), जो 15 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय कम्प्यूटर सोफ्टवेअर पर मूल सीमा शुल्क की वर्तमान मूल्यानुसार 60 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर मूल्यानुसार 62 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 628(अ), जो 15 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय कम्प्यूटर सोफ्टवेअर पर लागू 5 प्रतिशत की उपषंगी शुल्क की रियायती दर को वापस लेना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 630(अ), जो 16 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारिणी में दर्शाई गई क्रम संख्या 51 के सामने की प्रविष्टि को एक नई प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 632(अ), जो 19 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 1 जुलाई, 1988 की अधिसूचना संख्या 215/88-सी शु. की वैधता अवधि को 30 जून, 1990 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 633(अ), जो 19 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे जिनके द्वारा कीटनाशी माह्यस्थक (पेस्टीसाइड इण्टरमीडिएट) नामतः क्लोरो एसीटाइल फ्लोराइड पर अतिरिक्त (प्रति सन्तुलनकारी) शुल्क से दी गई विद्यमान छूट को समाप्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 645(अ), जो 27 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे जिनके द्वारा 23 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या 203/88-सी. शु. की वैधता को 30 जून, 1989 तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 650(अ), जो 28 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 1988 की अधिसूचना संख्या 216/88-सी. शु. की वैधता को 30 जून, 1990 तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का. नि. 652(अ), जो 29 जून 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय पेस्टीसाइड इण्टरमीडिएट बी.-सिस्थेमिक पर अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा. का. नि. 664(अ) और 665(अ), जो 30 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा बूटाडीन को, जब उसका आयात 31-12-1989 तक की अवधि में संश्लिष्ट रबड़ के निर्माण के लिए किया जाए, मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क तथा समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है तथा बूटाडीन पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत उपधंगी शुल्क विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 670(अ) तथा सा.का.नि. 671(अ), जो 3 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एथीलीन पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क और समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है तथा एथीलीन पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत उपधंगी शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा.का.नि. 687(अ), जो 7 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो आयात-निर्यात पास-बुक स्कीम को शासित करते हैं और जिनके द्वारा निर्बाध सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित माल के संबंध

में निशुल्क निकासी की सुविधा उस स्थिति में प्रदान करना है जब किसी भांडागार से अथवा अन्यथा, सीमा-शुल्क के नियंत्रण से बाहर माल की निकासी करते समय एक वैध आयात-निर्यात पास-बुक प्रस्तुत कर दी जाती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा.का.नि. 639(अ), जो 11 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में रूपान्तरित करने के लिए विनिमय की संशोधित दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी० 8112/89]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष के प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ ।

(1) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8113/89]

(दो) फरीदकोट-भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8114/89]

(तीन) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8115/89]

(चार) यवतमाल ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8116/89]

(पांच) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8117/89]

(छः) हड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8118/89]

(सात) सहयाद्री ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8119/89]

(आठ) डुंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8120/89]

(नौ) सर्वश्री ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8121/89]

(दस) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8122/89]

(ग्यारह) विदुर ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8123/89]

(बारह) छिन्दवाड़ा-सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8124/89]

(तेरह) वलसाद-डॉग्स ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8125/89]

(चौदह) बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8126/89]

(पन्द्रह) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8127/89]

(सोलह) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8128/89]

(सतरह) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8129/89]

(अठारह) ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-8130/89]

आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं श्री प्रियरंजन दास मुंशी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 565(अ), जो 21 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 1/88 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-8131/89]

(2) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) लिनोलियम का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) विनियम, 1989 जो 29 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 856 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) विनायल फिल्मस और शीटिंग्स (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1989, जो 13 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1133 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) बासमती चावल निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1989, जो 10 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1470 में प्रकाशित हुये थे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-8132/89]

12.07 म० प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 3 अगस्त, 1989 को सभा में प्रस्तुत अपने 16वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :–

1. श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण— 21 फरवरी, से 17 मार्च, 1989 तक और 27 मार्च से 12 अप्रैल, 1989 तक

2.	श्री जगन्नाथ कौशल—	17 मार्च, 1989, 27 मार्च से 31 मार्च, 1989 तक, 1 अप्रैल से 12 अप्रैल, 1989 तक 19 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1989 तक और 1 मई से 10 मई, 1989 तक
3.	श्रीमती किशोरी सिंह—	19 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1989 तक और 1 मई से 10 मई, 1989 तक
4.	श्री के० वी० शंकर गौडा—	18 जुलाई से 11 अगस्त, 1989 तक
5.	डा० संकटा प्रसाद—	18 जुलाई से 11 अगस्त, 1989 तक
6.	श्री सुनील दत्त—	13 मार्च से 17 मार्च, 1989 तक 27 मार्च से 12 अप्रैल, 1989 तक 19 अप्रैल से 15 मई, 1989 तक और 18 जुलाई से 27 जुलाई, 1989 तक
7.	श्री रणजीत सिंह गायकवाड़—	18 जुलाई से 1 अगस्त, 1989 तक

क्या सभा की यह इच्छा है कि सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान कर दी जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

12.08 म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही—सारांश

श्री अनूप चन्द्र शाह (बम्बई उत्तर) मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 2 अगस्त, 1989 को हुई बैठक के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.08½ म०प०

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

20वां प्रतिवेदन

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.9 म०प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री एच० के० एल० भगत की ओर से यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 7 अगस्त, 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।
2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—
   (क) संविधान (64वां संशोधन) विधेयक, 1989
   (ख) संविधान (65वां संशोधन) विधेयक, 1989
   (ग) संविधान (63वां संशोधन) विधेयक, 1989
   (घ) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार और पारित करना ।
   (ङ) उच्च न्यायालय और उच्चत्तम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1989
   (च) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1989
   (छ) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 1989
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग को 5वें से 8वीं रिपोर्ट तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयुक्त की 28वीं रिपोर्ट पर चर्चा ।
4. 29 जुलाई, 1989 को हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका समझौते के कार्यान्वयन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर चर्चा ।
5. राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार और पारित करना ।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह संभव है कि सारा कार्य उन पांच कार्य दिवसों में हो जाये जो हमें मिलते हैं ? सरकार का क्या विचार है ? महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप हमें संरक्षण दें । हमें अपनी कार्य व्यवस्था भी तो करनी होती है । यदि एक दम अन्तिम क्षणों में हमें देर तक और अतिरिक्त दिनों तक बैठने के लिए कहा जाये तो हमारे सारे कार्यक्रमों में गड़बड़ी हो जाती है । इस चुनाव वर्ष के दौरान हमारे कार्यक्रमों में गड़बड़ी न करें । महोदय, यह भी बहुत बड़ा संरक्षण है । हमें विश्वास में लिया जाना चाहिये । हम सहयोग देंगे और सारा कार्य करेंगे । हम जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विचार है ताकि महोदय, हम कार्यक्रम को आपके साथ खुशी-खुशी ढंग से पूरा कर सकें । यहां किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए ।

श्री पी. नामग्याल : महोदय, हम हर बात का ध्यान रखेंगे ।

12.11 **म. प.**

समिति के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

श्री के. एस. राव (मछलीपटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा प्राक्कलन समिति से त्याग-पत्र दिये जाने पर उनके स्थान पर इस समिति की शेष अवधि के लिये इस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा प्राक्कलन समिति से त्याग-पत्र दिये जाने पर उनके स्थान पर इस समिति की शेष अवधि के लिये इस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.12 **म. प.**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

यू. एस. ओम्नीबस ट्रेड एण्ड कम्पीटीटिवनेस एक्ट, 1988 के "सुपर 301" प्रावधान के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका सरकार द्वारा भारत को "अनुपयुक्त व्यापारी" की संज्ञा दिया जाना

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैं वाणिज्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें ।

"संयुक्त राज्य व्यापार अधिनियम के सुपर 301 उपबन्ध के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा भारत को "अनुपयुक्त व्यापारी" की संज्ञा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया ।"

12.12 **म. प.**

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वाणिज्य मंत्री (श्री विनेश सिंह) : संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के इस एक तरफा निर्णय पर मैं भी माननीय सदस्यों की भांति ही चिन्तित हूँ जिसके द्वारा भारत को 1988 के यू०एस०ओम्नीबस ट्रेड एण्ड कम्पटीटिवनेस एक्ट के तथाकथित "सुपर 301" प्रावधान के अधीन एक प्रायरिटी देश बना दिया गया है। संयुक्त राज्य अमरीका ने पूँजीनिवेश और बीमा के संबंध में हमारी कुछ नीतियों को ऐसी प्रायरिटी प्रैक्टिसेज मान लिया है जिन्हें वह समयबद्ध अवधि में ही जरूर दूर कराना चाहेगा। अमरीकी सरकार ऐसा क्षेत्राधिकार चाहती है जिसके जरिए यह निश्चित कर सके कि हमारी घरेलू आर्थिक नीतियों के कुछ पहलू सही या न्याय संगत हैं अथवा नहीं। उसका यह कदम भारत की सम्प्रभुता का अवांछनीय उल्लंघन है। इन क्षेत्रों में हमारे ऊपर किन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम अपने विकास के उद्देश्यों के अनुसार वांछित नीतियां अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

अमरीका ने अपने कानूनों के तहत जांच शुरू करके हमारे निर्यात व्यापार में कुछ अनिश्चय की स्थिति ला दी है। अमरीकी कानून के प्रावधान और पिछले उदाहरणों को देखते हुए, इस कदम से अमरीका को होने वाले हमारे निर्यात पर वास्तविक संकट आ गया है। भारत और अमरीका दोनों ही गाट की संविदा पार्टियां हैं। और गाट के तहत वस्तुओं के व्यापार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिकारी कदम उठाने से पहले पूर्व अनुमोदन जरूरी है। हमारा यह विश्वास है कि अमरीका इस प्रावधान की उपेक्षा करके बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को संकट में डाल रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, भारत मौजूदा बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर में भाग ले रहा है। जिसकी कार्यसूची में व्यापार संबंधी निवेश उपाय तथा सेवायें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भारत से दबाव डालकर जबरन रियायतें लेने की कोशिश करके अमरीका ने इन वार्ताओं को खतरे में डाल दिया है। उसने इस सम्बन्ध में स्थिरता रखने के उस राजनीतिक प्रयत्न का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो उसने उरुग्वे दौर शुरू करने के समय दिया था।

अमरीकी सरकार ने सुपर 301 के निर्णय के संबंध में वार्ता करने का हमसे अभी तक अनुरोध नहीं किया है। लेकिन हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार प्रतिकारी या बदले की कार्रवाई की धमकी पर किसी भी प्रकार की वार्ता में भाग नहीं लेगी। हमने गाट में प्रत्येक अवसर पर और उरुग्वे दौर के विभिन्न वार्ता समूहों में इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर दी है। भारत के दृष्टिकोण को व्यापक समर्थन मिला है और विकसित और विकासशील दोनों ही देशों ने अमरीकी कार्रवाई की आलोचना की है। हमें आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय राय का दबाव अमरीका को ऐसी एकतरफा कार्रवाईयां करने से रोकेगा।

डा० गौरीशंकर राजहंस : सर्वप्रथम मैं वाणिज्य मन्त्री महोदय को उनके स्पष्ट वक्तव्य के लिए बधाई देता हूँ। विशेषकर मैं उन्हें वक्तव्य के निम्नलिखित अंश के लिए बधाई देता हूँ।

> "उसका यह कदम भारत की सम्प्रभुता का अवांछनीय उल्लंघन है इन क्षेत्रों में हमारे ऊपर किन्ही अंतर्राष्ट्रीय संधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम अपने विकास उद्देश्यों के अनुसार वांछित नीतियां अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।"

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को एक चुनौती है। भारत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वागत नहीं कर सकता है। इस संबंध में मैं सभा का ध्यान प्रधानमन्त्री राजीव गांधी द्वारा हाल ही में कर्नाटक में हुबली में एक सार्वजनिक सभा में दिए गए भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जहां उन्होंने कहा था।

"भारत सुपर 301 जैसी धमकियों से भयभीत होने वाला नहीं और न ही वह अमरीका के साथ इसकी अवांछनीय कार्यवाही के संबंध में चर्चा करने को तैयार है।"

जो कुछ अमरीका कर रहा है वह सचमुच एक गम्भीर मामला है। 25 मई को अमरीका की व्यापार प्रतिनिधि श्रीमती कार्ला हिल्स ने बुश प्रशासन की योजनाओं को प्रकट करते हुए कहा कि उन देशों के प्रति सख्त उपाय किए जायेंगे जिनका व्यापार संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हानिकारक प्रतीत होगा। संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार अधिनियम, 1988 की धारा 301 के अन्तर्गत जो सामान्यतः सुपर 301 कहलाती है। जिन देशों को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अनुपयुक्त माना जाएगा उन्हें अपने गुमराह करने वाले ढंग को बदलने और अमरीकी मांगों के अनुकूल होने के लिए कहा जाएगा अन्यथा उन्हें महाशक्ति अर्थात अमरीका की ओर से बदले का सामना करना पड़ेगा।

सुपर 301 के अन्तर्गत भारत, ब्राजील और जापान तीन देश हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका की भारत के खिलाफ मुख्य शिकायतें यह हैं : (1) व्यापार से संबन्धित निवेश उपाय (2) बीमा व्यापार प्रथायें। सभी नई तथा विस्तृत विदेशी पूंजीनिवेशों के लिए सरकार की स्वीकृति चाहिए और यह स्वीकृति अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। विदेशी इक्विटी भागीदारी सामान्यतः 40 प्रतिशत तक सीमित है। पूंजीनिवेश में कहा जाता है कि इन संघटों को आयात करने के बदले स्थानीय तौर पर तैयार किए गए संघटकों का प्रयोग करें। उन्हें निर्यात लक्ष्य भी पूरे करने होते हैं। अमरीका का विचार है कि ये व्यर्थ के व्यापार अवरोध हैं। इससे अधिक व्यंगात्मक बात क्या हो सकती है।

अमरीका का यह भी विचार है कि साधारण बीमा और जीवन बीमा दोनों राज्य के एकाधिकार में आते हैं। विदेशी कम्पनियों को इनके साथ मुकाबला करने की अनुमति दी जानी चाहिए हमारे पास बहुत कम विदेश की रक्षित मुद्रा निधि है और यदि हम अपने बीमा व्यापार में अन्य लोगों को मुकाबला करने की अनुमति देंगे तो वह निधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी।

अमरीका का आरोप यह है कि भारत संयुक्त अमरीका के बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार जैसे प्रकाशनाधिकार, मार्का और एकस्व की सुरक्षा नहीं करता है। यह भारत को सही रास्ते पर लाने के लिये "स्कूल मर्मिज़" किस्म का प्रयास है। जिस प्रकार एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से अच्छा व्यवहार करने को कहती है अन्यथा उनकी पिटाई की जायेगी, इसी प्रकार अमरीका कहता है "आप हमारे आदेशों का पालन कीजिए अन्यथा आपको प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा।" यह पूर्णतया अनुचित विवेकहीन और असंगत है। अमरीका की कार्यवाही विशेष रूप से आश्चर्यजनक है जैसाकि मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है क्योंकि अमरीका ने स्वयं अपने ही बाजारों में जाने के खिलाफ अनेक रुकावटें खड़ी कर दी हैं अतः वह स्वयं रुकावटों को दूर किए बिना अन्य लोगों को ऐसा करने के लिए कहने की स्थिति में नहीं है।

भारत को निश्चय ही संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सम्पर्क रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसने 1988 में 3.2 बिलियन डालर का सामान खरीदा था। भारत का व्यापार अधिशेष केवल 57000 लाख डालर है जो इसके व्यापार असंतुलन का केवल 0.4 प्रतिशत है। यह बहुत मामूली है अतः इस बात की आशा की जाती है कि संयुक्त राज्य अमरीका इस मामले को और अधिक आगे ले जाना उचित न समझें। हाँ, यह हमारी आशा है; हम नही जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका वाले क्या करेंगे।

सुपर 301 स्पष्ट रूप से हमारी अर्थव्यवस्था के लिये एक खतरा है। भारत एक विकासशील देश है जिसकी प्रतिव्यक्ति आय प्रतिवर्ष केवल 350 डालर है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में यह 20,000 डालर प्रतिवर्ष है। जहाँ तक हमारी अर्थव्यवस्था का संबंध है 54 बिलियन डालर की हमारी लघु विदेशी मुद्रा समाप्त हो गयी है, जैसे कि मैंने पहले कहा है। हम माननीय वाणिज्य मन्त्री को इस संबन्ध में दृढ़ता से काम करने पर बधाई देते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राज्य अमरीका पूँजीनिवेश व्यापार संबंधी उपायों और बीमे के क्षेत्र में भारत से छूट की माँग कर रहा है जब इन पर बहुक्षेत्रीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर में चर्चा हो रही है। हम किस प्रकार इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय राहत दे सकते हैं और साथ ही साथ बहुपक्षीय वार्ताओं पर अर्थपूर्ण ढंग से भाग ले सकते हैं ? यह असंभव है क्योंकि हम उरुग्वे वार्ताओं के दौर में इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही संयुक्त राज्य अमरीका की इच्छा है कि हम इन विषयों पर द्विपक्षीय चर्चा करें। यह लगभग असंभव है।

प्रश्न यह है कि हमें एकपक्षीय कार्यवाही के प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अभी-अभी वाणिज्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि उन्हें इस संबंध में विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे विकासशील तथा विकसित देश कौन-कौन से हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव पर हमारा समर्थन किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार किस प्रकार इस स्थिति का सामना करेगी, यह अत्यन्त आवश्यक है यदि स्थिति अत्यन्त खराब होती है और संयुक्त राज्य अमरीका धमकी देता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका को हमारा निर्यात बड़े पैमाने पर होता है क्या इस समस्या के संबंध में विचार किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जापान और ब्राजील के साथ कोई सम्पर्क किया गया है जिन के नाम भी "सुपर 301 के सम्बन्ध" में लिए गए हैं ?

जैसा कि सभी जानते हैं कि हम संयुक्त राज्य अमरीका को मुख्यतः कपड़ा और इंजीनियरी का सामान निर्यात करते हैं। यदि सुपर 301 को धमकी दी जाती है तो और कौन सी चीजें प्रभावित होंगी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राज्य अमरीका के बदले अन्य देशों को सामान का निर्यात करने के बारे में कोई प्रयास किया गया है।

अन्त में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय व्यापारियों का कोई प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राज्य अमरीका की जनता की राय तैयार करने के लिए वहां भेजा गया है।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अमरीका ने व्यापार अधिनियम के प्रावधान सुपर 301 के तहत भारत को अहितकारी घोषित किए जाने के कारण जो स्थिति पैदा

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

हुई है, वह बहुत ही चिन्ताजनक है। भारत को अपनी आर्थिक नीति के निदान का पूर्णतौर से अधिकार है। अगर कोई भी राष्ट्र भारत की आर्थिक नीति के निर्माण में हस्तक्षेप करता है तो उस स्थिति को हम कभी भी सहन नहीं कर सकते। भारत स्वतन्त्र देश है, नान एलाइन्ड कन्ट्री है और उसका अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा प्रभाव है अमरीका सुपर 301 के अन्तर्गत भारत पर दबाव डालना चाहता है और दबाव डालकर यह स्थिति पैदा करना चाहता है कि जो अमरीका डेफिसिट ट्रेड करती जा रही है और भारी डेफिसिट जो है, उस पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दूसरे देशों पर जिस प्रकार का प्रहार कर रहा है और जिस प्रकार का ऐक्शन ले रहा है, उसकी कोई भी देश प्रशंसा नहीं करेगा, निन्दा ही करेगा। कनाडा में, आस्ट्रेलिया में और अन्य देशों में जो हमने स्टैंड लिया है, उसका स्वागत किया है। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने भी जिस प्रकार से ध्यान दिया है, वह वास्तव में हमारे देश की जो नीति है, उसके बिल्कुल अनुकूल है और कामर्स मिनिस्टर साहब ने भी जो स्टेटमैंट दिया है और चौहान साहब ने भी सदन के अन्दर जो बयान दिए हैं, वह स्वागत योग्य हैं। मुझे यही कहना है कि हमें पूरी तरह से सुदृढ़ रहना है और किसी भी प्रकार की स्थिति हो, चाहे उससे हमें ऐक्सपोर्ट का भी नुकसान पहुँचे, टैक्नोलोजी को भी नुकसान हो, वह नुकसान सहन करना है परन्तु हमारी जो सौवरेनिटी है, उसपर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं होने देना है। अगर हमने हमारी सौवरेनिटी पर प्रहार करने दिया और अन्य किसी प्रकार की कमजोरी दिखाई और अमरीका के सामने घुटने टेक दिए तो यह हमारे लिए बहुत ही गम्भीर स्थिति होगी। मुझे विश्वास है कि हम सुदृढ़ रहेंगे और कभी भी, किसी भी सूरत में ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि हमारे राष्ट्र के सम्मान को धक्का पहुंचे। गाट जो ट्रेड निर्धारण करता है नीति का, उसके अन्तर्गत किस प्रकार की नीति निर्धारण की गई है, उस सम्बन्ध में हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हमारे राष्ट्र को भी बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अमरीका भी इस बात को स्वीकार कर ले और जो इन्सटीटूशन है गाट, उसके जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करेगा और बातचीत करने के लिए तैयार होगा। हमें ऐसा ऐटमासफियर पैदा करना चाहिए जिससे कि अमरीका जो अन्याय करने जा रहा है और जिस प्रकार हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, वह उस नीति को छोड़ दे। प्रश्न यह होता है कि इन्टर-नेशनल जगत में हमारी एक आवाज है, भारत की आवाज है। उससे अमेरिका को बहुत धक्का लगा है और अमेरिका इस प्रकार हमारे एक्सपोर्ट को और टेक्नालाजी को हमें न देकर हमें दबाना चाहता है। स्पष्ट यह है कि हमें सुदृढ़ नीति अपनानी है। इसलिए मैं अधिक न कहकर यह कहना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय हमें आश्वस्त करें कि वह सुदृढ़ नीति अपनाएंगे और किसी भी प्रकार इस ट्रेड के बारे में अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। प्रश्न यह है कि अन-फेयर ट्रेड के लिए वह हमें नसीहत दे रहा है, आज जो भी ट्रेड कर रहे हैं वह प्रैक्टिस अन-फेयर करने की है और वह अन-फेयर ट्रेड की प्रैक्टिस करके हम पर प्रहार करे कि हम अन-फेयर कर रहे हैं, इसको हमारा आत्म-सम्मान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में आप ठोस कदम उठाएं, यही आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, सुपर 301 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय न केवल हमारे व्यापार को अपितु उस देश के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभा-

वित करता है। केवल भारत को ही नहीं अपितु ब्राजील और जापान को भी इस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। एक ओर अमरीका नहीं चाहता कि जापान उनके बाजारों में जापानी माल भर दे और दूसरी ओर वह नहीं चाहता कि मेक्सिको, ब्राजील और भारत जैसे विकासशील देश तेजी से उन्नति करें। अमरीका के साथ हमारे व्यापार संबंध पिछले 40 वर्षों से हैं। वे हमारे व्यापार में हमारे महत्वपूर्ण साझीदार हैं। मैं नहीं जानता कि इस विशेष चरण पर उन्होंने ऐसे सुपर 301 का सहारा क्यों लिया और कुछ ऐसी चीजें स्वीकार करने के लिए हम पर क्यों दबाव डाला जो वे हमारे से लेना चाहते हैं। यह कुछ भी हो सकता है। यह वह विकास हो सकता है जो हम स्वतन्त्रतापूर्वक कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में विकास भी संकट में हो सकता है। मुझे केवल ऐसा लगता है कि हमारे देश को ऐसे अन्य मित्रों को ढूंढ़ निकालना चाहिए जो हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं और हमें ऐसी सुविधायें दे सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमारे पास और भी अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। यह 1947 नहीं है। बात केवल इतनी है कि हमें जाकर उससे चर्चा करनी है कि जो कुछ हमें चाहिए वह हमें उस देश से मिल जायगा। वह हमें रियायती दरों पर दे सकते हैं। हमने देखा कि अमरीका ने ही चीन का समर्थन किया था।

इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने में सहायता की और आज वही देश जापान से सामान आयात करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमरीका का सोचने का ढंग क्या है। मैं केवल यही चाहता हूं कि यद्यपि कई विकसित और विकासशील देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और वे हमारा साथ दे रहे हैं, फिर भी हमें अन्य देशों से भी सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए। हमें व्यापार के लिए अन्य देशों के पास जाने से हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए। अमरीका के ही पास तो सब कुछ नहीं है। क्यूबा जैसा छोटा देश भी अमरीका की परवाह नहीं करता। उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका की कोई परवाह नहीं हैं। फिर हम क्यों इस बारे में उसकी इतनी परवाह करें ? निःसंदेह, वे हमारे सबसे बड़े साझेदार हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम अन्य साझेदार भी बना सकते हैं और मैं केवल यही चाहता हूं कि आपको यह भावना छोड़ देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी. एस. बासवराजू।

***श्री जी. एस. बासवराजू** (तुमकुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका का यह निर्णय कि भारत एक बेईमान व्यापारी देश है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अमरीका भले ही वह सोच सकता है कि भारत अब भी 1947 वर्ष में ही है। हमने प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। विकसित देशों की नजर विकासशील देशों की प्रगति पर है। अतः हम जागरूक रहना होगा।

हम जानते हैं कि किस तरह अमरीका चीन और पाकिस्तान की मदद कर रहा है। साथ ही हमें किसी भी देश से डरने की जरूरत नहीं है हम सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहते हैं और हम किसी भी देश के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते। मंत्री महोदय, ने इस संबंध में जो वक्तव्य दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस बारे में दृढ़-निश्चयी रहे और ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक कदम उठाएं।

*मूलतः कन्नड़ में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, मैं वाणिज्य मन्त्री जी को इस साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए बधाई देता हूँ।

अमरीका की राजनीति हमेशा ही बहुत खतरनाक है क्योंकि उनके पास धन है। जब वे अपना बजट तैयार करते हैं, तो वे पूरे विश्व पर नजर रखते हैं कि किन किन देशों को ऋणी बनाया जा सकता है और उन्हें अपने देश में निर्मित वस्तुएं किस तरह बेचनी चाहिए ताकि वे ऋणी बने रहें। लैटिन अमरीका के देशों में ऐसा देखा जा सकता है जहां मुद्रा स्फूर्ति बहुत अधिक है। इसी कारण हर महीने वहां मुद्रा-स्फीति 50 प्रतिशत बढ़ जाती है। वे हर देश को अधीन रखना चाहते हैं।

कई बार यह कहा गया कि क्या राजनीति धन की चेरी है या धन राजनीति की चेरी है। अमरीकावासी धन से खेलते हैं और व्यापार भी राजनीति का एक हथकंडा है। शुरू से ही हमने ऐसा ही देखा है। अंग्रेज भी हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे और यहां आकर बस गए। हमें यह देखना होगा कि क्या यह राजनीतिक खेल है या वाणिज्यिक खेल और यदि यह राजनीतिक खेल है और वे हमें दबाना चाहते हैं, तो हमें इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। ब्राजील और जापान द्वारा उनके साथ बातचीत के बाद हमें यह देखना चाहिए कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है और क्या यह हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था या हमारी नीति के अनुकूल है। उसे ध्यान में रखना होगा।

दूसरे, यदि हम आगामी समझौते में रखे गए सिद्धान्त या प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो हमारे पास क्या विकल्प है ? जापान में भी जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 'यैन' की कीमत बहुत बढ़ गई थी तो वे लोग वस्तुओं को खरीद कर उन पर अपना ब्रांड लगाकर बाजार में उन्हें बेचना चाहते थे। हमारे पास कई मण्डियां हैं। तथापि हमारे देश की वस्तुओं पर वहां प्रतिबंध लगने से निश्चिय ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम हतोत्साहित हुए हैं। अतः इस सम्बन्ध में हमारी सरकार क्या सोच रही है ? क्या हम राजनैतिक या वाणिज्यिक समझौता करना चाहते हैं ? वाणिज्यिक रूप से कोई समझौता नहीं किया जायगा और हमारा उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना है। यह एक बहुत विशिष्ट मामला है अब तक हममें 60-65% से अधिक का आयात किया और हमारा निर्यात मात्र 18-20 प्रतिशत ही रहा है। अतः उन्हें कभी घाटा नहीं हुआ। अथवा क्या दसवें दशक में वे धीमी प्रगति करके अपनी अर्थ व्यवस्था में मंदी ला रहे हैं और इसी भय से उन्होंने ऐसा किया है ? ये सभी महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनकी हमें जांच करनी होगी और अमरीका में हमारे साथ जैसा भी बर्ताव किया हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। हमें इनकी जांच करनी होगी और फिर सोच समझकर आगे निर्णय लेना होगा। राजनीतिक परिस्थितियों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे हमारी प्रगति से खुश नहीं हैं और अन्य कई देशों को भी हमारी प्रगति से खुशी नहीं हो सकती। उन्हें तो हमारे 'अग्नि' परीक्षण से भी खुशी नहीं हुई होगी। व्यापार भी राजनीति का मुख्य शस्त्र है। इस संबंध में हमारा क्या जवाब है ? हमें भविष्य में कैसा व्यवहार करना चाहिए और अन्य देशों से हमें क्या फायदा हो सकता है ?

अन्ततः मैं जानना चाहता हूँ कि ब्राजील और जापान ने क्या कदम उठाए हैं और इनके उपरान्त वे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ? इन दोनों देशों, और विशेषकर जापान की अर्थ-व्यवस्था बहुत अच्छी है और अन्य किसी भी देश के मुकाबले उनके हाथ काफी मजबूत हैं। उनकी

क्रय शक्ति भी सबसे अधिक होने के कारण, उनको भी ऐसा ही बताया गया है। भारत को इस बारे में मात्र राजनीतिक दृष्टि से ही बिचार नहीं करना चाहिए। इस पर वाणिज्यिक दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि वे अपना व्यापार इस दृष्टिकोण से नहीं करते, तो उनकी आर्थिक प्रगति रुक सकती है।

मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में पहले ही कदम उठा चुके हैं और मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये तीनों प्रस्ताव व्यवहार्य हैं तथा हमारे देश के हित में ठीक हैं।

जैसा कि मेरे मित्र महोदय ने कहा है हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने में समर्थ है। हम 1947 में नहीं हैं हम 9वें दशक में हैं। अब हमारी अर्थ व्यवस्था उतनी खराब नहीं है। आज हम अन्य सभी देशों से आगे हैं और हम अन्य सभी देशों से अग्रणी बने रह सकते हैं क्योंकि श्री राजीव गांधी 20 वीं शताब्दी के सिद्धान्त पर बहुत कुछ कर रहे हैं। यह बात ऐसे ही नहीं कही गयी है। इससे लोगों को कड़ा परिश्रम करने और प्रगति करने की प्रेरणा मिलती है।

30 वर्षों में हमने बहुत प्रगति की है। 30 वर्षों में जितनी प्रगति की है, उतनी प्रगति हम आगामी 10-15 वर्षों में कर सकते हैं। हम अपनी प्रगति में तेजी ला सकते हैं। इन परिस्थितियों में मैं नहीं समझता कि हमें इन लोगों से डरना चाहिए। यदि हम डर गए तो कोई भी हमें नुकसान पहुँचा सकता है। यदि वे वास्तव में इसे वापस नहीं ले रहे है, अथवा हालात से समझौता नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनकी चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारा देश अन्य किसी देश से पीछे नहीं रहेगा।

श्री विनेश सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्हें सरकार की नीतियों का समर्थन किया है और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत के विरुद्ध की गई 301 कार्यवाही के संबंध में उठाए गए कदम के लिए प्रधानमन्त्री तथा मेरी प्रशंसा की है। मैं यह बता दूं कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, मैंने बहुत सावधानीपूर्वक उन्हें लिख लिया है ? जैसी भी स्थिति होगी उससे निपटते समय हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन कुछ विशेष मामलों में यह प्रश्न पूछा गया था कि किन-किन देशो ने हमारा समर्थन किया है। जिन देशों ने जेनेवा में "गैर" सम्मेलन में तथा अन्यत्र वक्तव्य देकर हमारा समर्थन किया है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। आपकी अनुमति से में उनमें से कुछ देशों के नाम बताऊंगा यूरोपियन आर्थिक समुदाय, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील, थाईलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटिना, तंजानियां, कोरिया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान, तुर्की,मिस्र, क्यूबा, पेरू, चेकोस्लोवाकिया, कनाडा, उत्तर यूरोपीय देश, हांग-कांग तथा अन्य कई देश, वास्तव में यदि प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जाता तो मेरे लिए यह कहना आसान हो जाता कि विश्व में किसी देश ने संयुक्त राज्य अमरीका के मत का समर्थन नहीं किया है।

मैं माननीय सदस्य श्री जैन को यह आश्वासन दे सकता हूँ :-

[हिन्दी]

भारत की प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय सम्मान पर हम कोई धक्का नहीं लगने देंगे। हमारी नीति इस संबंध में सुदृढ़ है और यह देश किसी दूसरे के सामने कभी झुकेगा नहीं।

[श्री दिनेश सिंह]

[अनुवाद]

हमें इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना होगा कि आजादी के इन 40 वर्षों के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का अनुसरण करते हुए, भारत ने आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है कि जिस देश में 40 साल पहले किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता था, आज वह एक प्रमुख औद्योगिक देश है। इसलिए हमें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई हमारी नीतियों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है और हमें हमारी आत्मनिर्भरता की नीति से हटाना चाहता है। जैसा कि डा० राजहंस ने ठीक ही कहा है, स्वयं संयुक्त राज्य अमरीका में उनकी मण्डियों तक पहुँचने में कई बाधायें हैं। इसलिए इसकी स्थिति ऐसी नहीं हैं कि वह भारत जैसे विकासशील देश से यह कहे कि हम उसका माल अपने बाजार में रखें अथवा वहां के पूंजीपतियों को अपने देश में निवेश करने दें या उनकी सेवायें प्राप्त करें। पूंजीनिवेश के मामले में हमारी नीति उदार है। हम किसी भी देश के साथ पक्षपात नहीं करते। सभी को पूंजीनिवेश की समान सुविधायें प्राप्त हैं। हम विदेशी पूंजीनिवेश का स्वागत करते हैं। लेकिन हम उन्हीं क्षेत्रों में उनका स्वागत करते हैं जो हमारे लिये प्रमुख हैं। साथ ही हमने उनका भी स्वागत किया है यदि वे हमारी अर्थ-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। हम समझते हैं कि भारत की अर्थ-व्यवस्था भारतीय हाथों में ही रहनी चाहिए।

महोदय, हमें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का है कि जबकि पिछले वर्ष अमरीका ने पहले की तुलना में अपना पूंजीनिवेश दुगना कर दिया था, उन्होंने भारत को उस क्षेत्र में प्रमुख देश घोषित किया, जहां उन्होंने सबसे अधिक सुविधा का लाभ उठाया है। ब्रिटेन के कुछ प्रारम्भिक ऐतिहासिक निवेशों को देखते हुए संयुक्त राज्य अमरीका आजकल भारत में सबसे बड़ा निवेशक है, किंतु इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीका सबसे बड़ा निवेशक है और हमें उनके बैंकों की ओर से अथवा निवेश एजेन्सियों की ओर से किसी भेदभाव या हानि के संबंध में कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जो संयुक्त राज्य अमरीका के निवेशकों को भारत में हुई हो। वास्तव में हमें पता चला है कि कुछ बैंकों और अन्य कम्पनियों ने अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि से निवेदन किया है कि जिस कार्यवाही की वे योजना बना रहे हैं अथवा भारत के खिलाफ जिस कार्यवाही के संबंध में वे विचार कर रहे हैं वह अनुचित है, कि भारत उनके कार्य और उनके निवेश के लिए एक अच्छा देश है। अतः हमें इस बात पर यदि प्रसन्नता से अधिक आश्चर्य हुआ है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने पूंजीनिवेश के संदर्भ में भारत को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया है।

सेवाओं के संबंध में भी यह प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया है जिससे भारत की एक विशेष सेवा है अर्थात बीमा जिसको उन्होंने इस देश में राष्ट्रीयकृत बताया है। और यह आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राज्य अमरीका हमसे यह आशा करते हैं कि हम अपने नागरिकों से भी अधिक सुविधायें उनके नागरिकों को दें। यदि हमारे यहां बीमा राष्ट्रीयकृत है, तो हम संयुक्त राज्य अमरीका अथवा अन्य किसी देश को बीमा करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं ? अतः इस से हमें हैरानी है और इससे उसे भी हैरानी होती है जिससे हम भी बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित करने के लिए इन दो क्षेत्रों को क्यों डाल लिया है। अतः हमारे लिए इस अत्यन्त निरर्थक मामले के संबंध में नीति निर्धारित करना बहुत कठिन है। यदि इसमें कोई मुद्दा था, यदि ऐसे मामले में यथार्थ से कोई संबंध था, तो

मैं समझ सकता था कि हमें किस बात पर चर्चा करनी है, समझौता करना है और एक नीति तैयार करनी है। ऐसे स्पष्ट मामले में चर्चा के लिए क्या है ? इसीलिए हमारे अन्दरूनी मामलों में उनकी ना समझी और उनके हस्तक्षेप को किसी भी प्रकार से स्वीकार न करने के अतिरिक्त हम समझते हैं कि इसके गुणों के आधार पर भी उनके साथ समझौता करने का कोई कारण नहीं है। अतः हमने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि भारत सुपर 301 के अन्तर्गत समझौता नहीं करेगा। किंतु मैं यह भी कह सकता हूँ कि देश के रूप में हमने बातचीत के किसी भी निवेदन को नहीं ठुकराया है। किन्तु सुपर 301 के अधीन किसी दबाव के अधीन कोई बातचीत नहीं हो सकती है। यदि संयुक्त राज्य अमरीका हमारे साथ किसी भी मामले पर चर्चा अथवा बातचीत करना चाहता है तो हम ऐसा करने को तैयार हैं यदि ऐसा किसी धमकी अथवा बदले के बिना उचित ढंग से किया जाए। और इसी लिए हमने सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि ऐसे अनेक मंच हैं जहां ऐसी बातचीत हो सकती है और वास्तव में विगत में हुई भी है, उदाहरण के तौर पर हमारे संयुक्त भारत अमरीका आयोगों में हमने पहले भी इन मुद्दों पर चर्चा की है और उन्हें अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता समझाई हैं। जैसा मैंने कहा हमारे लिए पूरी तरह निरर्थक स्थिति के लिए नीति तैयार करना कठिन है। तथापि, एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या हमने जापान और ब्राजील तथा अन्य देशों से इस मामले में परामर्श किया है। इसका उत्तर है जी, हां जापान और ब्राजील ने स्वयं घोषणा की है कि वे सुपर 301 के अन्तर्गत बातचीत नहीं करेंगे। उनकी स्थिति हमारी स्थिति से अधिक भिन्न नहीं है। जहां तक जापान का संबंध है, उन्होंने पहले ही जापान और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच अपने आर्थिक संबंधों पर पूरी तरह से पुनर्विचार किया है। मैं समझता हूँ कि इस मामले पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। ब्राजील का कहना है कि इन मामलों पर तो पहले ही बहुपक्षीय मंच पर चर्चा हो रही है, अतः वे इन पर एकपक्षीय तौर पर चर्चा नहीं करेंगे किंतु इन पर बहुपक्षीय मंच में ही होंगी। निश्चिय ही इन मामलों पर बहुपक्षीय मंच पर चर्चा होगी जिसमें हम भी भाग लेंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका की आर्थिक शक्ति के प्रश्न के संबंध में इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें आर्थिक शक्ति प्राप्त है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उनके आगे झुकना नहीं चाहिए उनके पास सैन्यशक्ति थी और हम उनके आगे नहीं झुके। अतः इस मामले में उनके आगे झुकने का कोई प्रश्न नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने हमसे पूछा है कि इसका क्या कारण हो सकता है। मैंने कहा कि यह हमारी समय से बाहर है। क्योंकि हमारा व्यापार बढ़ रहा है उनका निवेश बढ़ता जा रहा है और उनके द्वारा हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वे बुद्धिमत्ता से काम लेंगे हम आशा करते हैं कि हमारे विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय नहीं करेंगे। किंतु यदि वे ऐसा करते हैं तो बहुराष्ट्रीय मंच हमारे लिए खुला है। वे वचनबद्ध है तो हम भी वचनबद्ध हैं और हम इन मुद्दों को उचित समय पर टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के विवाद निपटान तंत्र में ले जायेंगे।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि हमें अपने व्यापार में विविधता लानी चाहिए ताकि किसी एक देश की ओर से कोई धमकी न दी जा सके। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देता हूँ कि हमारे व्यापार में विविधता आ रही है, और हम किसी एक देश अथवा देशों के समूह

पर निर्भर नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार में हमारा सबसे बड़ा साथी है। किंतु यूरोपीय समुदाय सोवियत संघ तथा अन्य देश भी ऐसे हैं। हम अपने व्यापार में विविधता लाते रहेंगे तभी हम किसी एक देश के दबाव में न रहें।

12.57 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में कोटा और बूंदी जिलों में चम्बल कमान क्षेत्र में भूमि सुधार के लिये "जलग्रहण कार्यक्रम" की समीक्षा किये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री शांती धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने कोटा बूंदी जिलों में चंबल कमांड एरिया में 1975 से भूमि सुधार कार्यक्रम केचमेंट के नाम से केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार की वित्तीय सहायता से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर शुरू से ही काश्तकारों में भयंकर असंतोष व्याप्त है क्योंकि यह कार्यक्रम भूमि सुधार न करके इस तरह चलाया जा रहा है कि इससे काश्तकारों की भूमि जो पहले समतल थी व जिस पर जाने का रास्ता था एवम् जिस पर पहले आसानी से सिंचाई होती थी वह उल्टा हो गया एवम् काश्तकारों को दिक्कतें कम होने के बजाय बढ़ गयी। काफी विरोध के बाद भी सालों से यह योजना जबरदस्ती क्रियान्वित की जा रही है। सरकारी इन्जीनियरों द्वारा प्रलोभन देकर कुछ काश्तकारों के हस्ताक्षर कराकर आंकड़े ऐसे दिए जाते हैं कि सब कुछ ठीक लगे।

52 हजार 900 हैक्टर में केचमेंट का तथाकथित कार्य किया गया है जिससे करीब तीस हजार काश्तकार प्रभावित हैं तथा इस केचमेंट के कार्य ने उन्हें करीब 15 करोड़ रुपए के कर्जे में डाल दिया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चम्बल कमाण्ड ऐरिया के काश्तकारों को अविलम्ब राहत पहुँचाई जानी चाहिए। उनके खेतों पर सुधार कार्यक्रम हाथ में लिए जाने चाहिए एवम् 15 करोड़ का मूल व ब्याज जो काश्तकारों से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मांगा जा रहा है उसे स्थगित कर राज्य सरकार व काश्तकारों के प्रतिनिधियों से पूरे कार्यक्रम के सुधार व बकाया रकम की माफी पर विचार किया जाना चाहिए।

(दो) गुजरात के बलसार जिले में समुद्र के किनारे दीवार बनाई जाने की मांग ताकि दरिया समुद्र के पानी को समुद्र किनारे बसे मच्छीमारों के घरों, खेतों आदि में जाने से रोका जा सके

श्री उत्तम भाई पटेल : (बलसार) उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े समय पूर्व गुजरात के बलसार जिले में दरिया का पानी मोटीदान्ती एवं छोटादान्ती गाँवों में जो दरिया किनारे बसे हैं फैल गया जिससे 35 मकान जमीनदोज हो गए एवं 300 एकड़ खेती लायक भूमि खराब हो गई और मच्छीमार जो दरिया किनारे रहते हैं उनके घर-बार छूटे एवं रोजी रोटी से वंचित रह गए।

केन्द्रीय सरकार की योजना है कि समुद्र किनारे दीवार बनाई जाए ताकि दरिया समुद्र का पानी समुद्र किनारे बसे लोगों के घर, खेत में ना जा पावे । मच्छीमार आदिवासी एवं पिछड़ी जाति के हैं, उनकी जीवन रक्षा की जाए । इस समुद्र पानी से जमीन में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि उसको ठीक न किया गया तो हजारों मच्छीमारों की जानमाल को खतरा है । ओरवा-पोरबंदर में जैसी दरियाई दीवार बनानी शुरू की है वैसी ही दीवार बलसार जिले में तुरन्त बनाई जाए । ये केन्द्र सरकार की योजना है अतः तुरन्त हाथ में लेकर कार्य शुरू किया जाए वरना मच्छीमारों की जानमाल को भारी नुकसान होगा ।

(तीन) भोपाल में गैस रिसाव से प्रभावित लोगों की सहायता करने संबंधी योजनाओं को मन्जूरी दिये जाने की मांग

1.00 म० प०

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : भोपाल के गैस पीड़ितों को न्याय मिलने में निरन्तर देरी हो रही है । उनको पुनर्वासित करने के कार्य चल रहे हैं, परन्तु अनिश्चितता की स्थिति निरन्तर बनी हुई है ।

एक ओर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मई 1988 में 371 करोड़ रुपए की कार्य योजना भेजी गई है । जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है । केन्द्र सरकार हर प्रकार की विपदाओं में बड़ी फराखदिली से राज्य सरकारों को करोड़ों रुपयों की मदद देती है, लेकिन दुनियां की भीषणतम त्रासदी से पीड़ित लोगों को मदद में इसी फराखदिली से काम नहीं ले रही है ।

दूसरी ओर गैस पीड़ितों के लिए स्थापित किए जाने वाले विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र की परियोजना को रसायन एवम् पेट्रो रसायन विभाग से आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया है, जब कि यह परियोजना भारत सरकार के मणवरे के साथ ही बनाई गई थी और इस पर भारी खर्चा हो चुका है । इस परियोजना की अधारशिला भी केन्द्रीय उद्योग मंत्री माननीय श्री वेंगलराव जी ने रखी थी । ऐसा लगता है कि इस योजना को आर्थिक सहायता न देने का फैसला विभिन्न विभागों में तालमेल न होने के कारण हुआ है ।

इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने गैस पीड़ितों के प्रति प्रारम्भ से जो सहानुभूति दिखाई है उसी के अनुरूप उपरोक्त दोनों योजनाओं पर शीघ्र निर्णय के लिए आदेश दें ।

(चार) स्वतंत्रता सेनानियों को अधिक सुविधायें प्रदान किये जाने विशेषकर प्रत्येक रेल डिब्बे में उनके लिये एक सीट आरक्षित किये जाने की मांग

श्री भानकूराम सोढी (बस्तर) : देश के कुछ उत्प्रेरित क्रांतिकारी, देशभक्त युवक तथा जवान भारत माता की जकड़ी हुई बेड़ियां तोड़ने हेतु प्राण-पण के साथ अपनी जान को हथेली पर रखकर अंग्रेज के शिकंजों से छुड़ाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए जिससे स्वतंत्र भारत का उदय हुआ । जब तक इतिहास का पन्ना है भारत उन्हें भूला नहीं सकता ।

[श्री मानकराम सोडी]

उन क्रांतिकारियों में से अब कुछ ही जीवित हैं। शासन ने उन्हें जीवन के अन्त तक सम्मान करने का प्रयास किया है । ये वे सेनानी हैं जिनके कारण भारत प्रगति पथ पर खड़ा है। उनके सम्मान में जो भी किया जा रहा है वह नगण्य है। इसलिए भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि जो स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं उन्हें सम्मान, स्वतंत्रता सेनानी के माप-दण्ड के मुताबिक दिया जाए क्योंकि वे करीब 60–65 के ऊपर के ही उम्र वाले हैं।

आज जो सेनानी रेलवे पास लेकर यात्रा करने के लिये निकलते हैं उन्हें रेलवे के आरक्षित डिब्बों में "नो वेकेंसी" का शब्द सुनना पड़ता है जबकि एक बोगी में एक सेनानी के लिए जगह आरक्षित की जा सकती है। ऐसे शब्द उन्हें घोर अपमान का बोध करा रहे हैं। अतः शासन इस गंभीर समस्या पर पुनः विचार कर निर्णय ले ।

(पांच) मद्रास बंगलौर रेल सैक्शन पर अराकोनम-कटपाड़ी-तिरुत्थानी और मद्रास नगर के बीच ई० एम० यू० और शटल रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : महोदय, मद्रास नगर के अन्दर और आस-पास बहुत सी सरकारी, व्यापारिक तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण तीन दशाओं में मद्रास नगर की सीमा 70 से 80 कि० मी० तक बढ़ाने की आवश्यकता पहले ही उत्पन्न हुई है। दफ्तर जाने वालों छोटे तथा बड़े व्यापारियों दैनिक मजदूरी करने वालों कर्मकारों, श्रमिकों, विद्यार्थियों आदि को प्रतिदिन मद्रास बंगलौर रेल खंड पर अराकोनम, कटपाड़ी, तिरूत्थानी आना जाना पड़ता है ।

महोदय, अराकोनम,कटपाड़ी-तिरूत्थानी और मद्रास के बीच रेल मार्ग का पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है । इस समय इन स्टेशनों के बीच चलने वाली ई.एम.यू. रेल सेवा और शटल रेल गाड़ियों अराकोनम, कटपाड़ी तिरूत्थानी और अन्य उपनगरीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा नहीं करती हैं । इन स्टेशनों के बीच चलने वाली ई.एम.यू. तथा अन्य स्थानीय गाड़ियां सदा खचाखच भरी होती हैं। मद्रास में उचित किराए पर आवास उपलब्ध न होने के कारण लोगों को विवश होकर उपनगरीय इलाकों में रहना पड़ता है ।

अतः मेरा निवेदन है कि रेल मंत्री कृपया इस मामले की ओर ध्यान दें और शीघ्र इन स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियां चलायें ताकि यात्री आसानी से यात्रा कर सकें ।

(छः) तमिलनाडु में डिंडुगुल रेलवे जंक्शन के निकट रेल फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने की मांग

श्री के आर. नटराजन (डिंडिगुल) : डिंडिगुल तमिलनाडु में प्रथमश्रेणी का नगर कस्बा है। चूंकि मदुरइ जिला एक बहुत बड़ा जिला है, अतः सरकार ने इसका विभाजन किया और 15-9-1985 से एक नया जिला बनाया जिसमें डिंडिगुल को जिले की राजधानी बना दिया। यहां कलक्टरी, जिला कार्यालय बनाए गए हैं । नगर तेजी से बढ़ रहा है अब इसकी जनसंख्या लगभग

5 लाख है। डिंडिगुल में विभिन्न कार्यालयों और विमानन केन्द्रों में आने जाने वाले लोगों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हो रही है। डिंडिगुल एक रेल जंक्शन है जहां से मद्रास मदुरैई और कोयम्बटूर के लिये गाड़ियां चलती हैं। अब बड़ी लाइन बिछाई गई है और रेलगाड़ियां करूर और डिंडिगुल के बीच चलती है। इन रेल लाइनों को काटते हुए अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य सड़कें जाती हैं। इन जंक्शनों के पास रेल फाटक बनाए गए हैं। जब इन मार्गों पर से रेलगाड़ियां जाती हैं तो रेल फाटक बन्द किए जाते हैं यातायात रोक दिया जाता है। मुदरैई की ओर जाते हुए मुख्य रेल मार्ग पर रेल जंक्शन के दक्षिण में एक फाटक है जो अधिकांशतः बन्द ही रहता है। यह कस्बे का केन्द्र है और इस पर बहुत यातायात रहता है जो रेलमार्गों को काटते हुए जाता है। अतः यहां शीघ्र ही ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता है। मैंने यह मामला कई बार लोक सभा में उठाया तत्कालीन रेल मंत्री श्री बंसीलाल ने वहां ऊपरी पुल बनवाने का वचन दिया था। किंतु अभी तक कोई ऊपरी पुल नहीं बनाया गया है। चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। अतः मैं रेल मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे अपने पूर्वाधिकारी के वचन को पूरा करें और वहां एक ऊपरी पुल का निर्माण करायें।

(सात) रोजगार के अवसर पैदा किये जाने तथा एक राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार किये जाने की मांग

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सम्पूर्ण देश में उल्प रोजगार के मामले में वृद्धि के अलावा शिक्षित लोगों में बेरोजगारी का राष्ट्रीय स्तर चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब ऐसी राष्ट्रीय रोजगार नीति की आवश्यकता है जिसे रोजगार के अवसर पैदा किए जाने के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली बनाई जाए, जिसमें स्थानीय बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इसका अर्थ है कि कार्य की प्रत्येक श्रेणी, ग्रुप-वार, उसके भावाह-क्षेत्र से अच्छी तरह से परिभाषित करके जोड़ी जानी चाहिए। कुछ श्रेणियां स्थानीय स्तरों पर, कुछ जिला स्तर पर, कुछ राज्य स्तर पर और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भरी जानी चारिए। राष्ट्रीय नीति न होने की वजह से निवास स्थान के अधिकार का दावा करने वाले और अन्य लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति को बढ़ावा मिल रहा है। शरारती शक्तियां राष्ट्र-विरोधी विचारों को भड़काने के लिए स्थानीय लोगों की शिकायतों का नाजायज फायदा उठाती हैं और भाषायी अथवा जातीय अल्प-संख्यकों तथा देश के अन्य भागों से आने वाले लोगों के विरुद्ध आन्दोलनों का आयोजन करते हैं। अतः रोजगार के वर्गीकरण और श्रेणीकरण के लिए और विभिन्न श्रेणियों के लिये आवाद क्षेत्रों की परिभाषा के लिये एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति तैयार की जानी चाहिए। इससे स्थानीय आकांक्षाओं को अधिकतम संसद सीमा तक सन्तुष्ट किया जा सकेगा और इसके साथ ही रोजगार के लिये आवश्यक उच्चतर स्तर की कुशलता अथवा विशेषज्ञता के लिए चयन का व्यापक क्षेत्र सुनिश्चित हो सकेगा।

इसीलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह न केवल रोजगार के अवसरों को पैदा करने की ओर ध्यान दें बल्कि राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार किये जाने की ओर भी ध्यान दें।

(आठ) नए मोटर यान अधिनियम के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने के लिये एक समिति गठित किए जाने की मांग

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : नये मोटरयान अधिनियम के कार्यान्वयन से मोटर-यान मालिकों और ड्राइवरों के विभिन्न वर्गों ने इसका विरोध किया है और उसमें कई विवाद पैदा

[श्री शरद दिघे]

हो गए हैं। टैक्सी मालिकों, ट्रक मालिकों, पर्यटक कार मालिकों तथा स्कूल बस मालिकों और निजी कार मालिकों ने विशेषकर बम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में हड़तालों और मोरचों के रूप में आन्दोलन किये है और इसका विरोध किया है। इस अधिनियम की कई धाराओं को लागू किये जाने के बारे में कई संदेह व्यक्त किये गये है। इसके कई उपबन्ध तो बहुत ही कठोर माने गये हैं। इसीलिये, मैं जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह नए मोटरयान अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों की, समीक्षा करने की दृष्टि से, लोगों की शिकायतों पर विचार करने के लिए समिति का गठन करें।

1.10 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.10 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.16 म०प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.16 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

कर्नाटक बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा

और

अनुदानों की माँगें (कर्नाटक)—1989-90

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब कर्नाटक राज्य के लिए 1989-90 के बजट पर और आगे चर्चा करेगी और कर्नाटक राज्य के बजट, 1989-90 के सम्बन्ध में, अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा तथा मतदान करेगी अर्थात मद संख्या 12 और 13 को एक साथ लिया जाएगा।

श्री बासवराजू अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री जी० एस० बासवराजू (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक बजट के संबंध में अपना भाषण जारी रखूंगा। बजट का अर्थ क्या है ? यह लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। दुर्भाग्यवश, कर्नाटक में 6 महीने के लिये लेखानुदान लिया गया था। कर्नाटक राज्य के इतिहास में 6 महीने के लिये लेखानुदान कभी नही लिया गया। हालांकि विधान सभा वहां मौजूद थी, विधान-सभा के सदस्य वहां मौजूद थे, उन्होंने केवल छः महीने के लिए लेखानुदान लिया। उसके बाद इस तरह की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। जबकि नई सरकार के सत्ता संभालने की संभावना है; अथवा जबकि चुनाव कराए जाने वाले हैं तब ही केवल कुछ महीनों के लिये लेखानुदान लिया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन सरकार ने दुर्भावपूर्वक धारणाओं से लेखानुदान लिया। यह प्रथा बहुत ही बुरी है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद रिकार्ड में घाटा 180 से 200 करोड़ रुपये के लगभग्य होगा। मेरा विचार है यह घाटा 300 करोड़ रुपए तक जा सकता है क्योंकि आंकड़ों में कुछ हेरा-फेरी की गई है। कर्नाटक जैसे एक छोटे राज्य के लिये यह बहुत ही

दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कर्नाटक एक समृद्ध राज्य है और इसके अपने संसाधन हैं। दुर्भाग्यवश तत्कालीन सरकार वे संसाधन जुटाने की स्थिति में नहीं थी और इसीलिये, यह 200 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

वर्ष 1983 में कुल राजस्व 1487 करोड़ रुपये था। तब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। अब वर्ष 1988-89 में, राजस्व बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और वर्ष 1989-90 में 2600 करोड़ रुपये तक राजस्व आने की आशा है। वह इसलिए कि कर्नाटक के लोगों पर बहुत से कर लगाये गये हैं। वे बहुत ही ईमानदार, सच्चे और कर्मपरायण लोग हैं वे कभी भी उत्तेजित नहीं होते और वे नियमित रूप से कर अदा करते हैं। वर्ष 1983 से 1989 तक कर्नाटक के लोगों पर 800 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क लगाये गये हैं।

मैं एक ठोस उदाहरण देता हूँ, जनता सरकार हर वर्ष कर में वृद्धि करती है। हर वर्ष 1000 करोड़ रुपये से अधिक केवल बिक्री कर से प्राप्त हुए। जब हम महाराष्ट्र जैसे राज्य जिसकी राजस्व आय सबसे अधिक है, से हम इसकी तुलना करते हैं, उनका बिक्रीकर केवल 1200 से 1250 करोड़ रुपये है। हमारे यहां 4 करोड़ लोग हैं जो बिक्री कर देते हैं हर वर्ष कर ढांचा बढ़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह धनराशि कहां जाती है ? मैं यह कहूंगा कि निहित स्वार्थ के लोग वह सारी धनराशि खा गए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि यहां संसाधन जुटाए जाने चाहिए। वहां 155 करोड़ रुपये का बिक्रीकर बकाया है। 40 करोड़ रुपये का वन राजस्व वहां बकाया है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क का भी वहां बकाया है। कुल बकाया धनराशी अब 250 करोड़ रुपये से अधिक है। इस बजट घाटे को पूरा करने के लिये उस धनराशी को वसूल किया जाना चाहिए।

अब मैं योजना परिव्यय की ओर आता हूं। किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि योजना परिव्यय के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। वर्ष 1987-88 में योजना परिव्यय 940 करोड़ रुपए था और 640 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई थी। इस तरह 300 करोड़ रुपए की धनराशि कम खर्च की गई। वर्ष 1988-89 में, योजना परिव्यय 900 करोड़ रुपए था और धनराशि केवल 680 करोड़ रु० खर्च की गई। अतः वर्ष 1988-89 में यह 220 करोड़ रु० कम हो गई।

इस वर्ष अर्थात 1988-89 में योजना परिव्यय 1040 करोड़ रुपए है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि कुछ अतिरिक्त धनराशि देकर उस धनराशि को पूरा किया जाए। अन्यथा इससे राज्य के कार्यकरण में बाधा आएगी।

किसी भी आदर्श सरकार को योजना पद्धति को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्नाटक राज्य में, सिंचाई और बिजली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कर्नाटक राज्य में जनता शासन का जबरदस्त प्रभाव था। केवल 22 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है और शेष शुष्क भूमि है। राज्य से बहने वाली सभी नदियों में पानी की कमी नहीं है। हमारे राज्य के मुख्यमन्त्री हमेशा यही कहते रहे हैं कि कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन अब तक उन्होंने किसी कृषि संबंधी कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी है। इस संबंध में उन्होंने 10 करोड़ रुपए लागत वाली सिंचाई परियोजना के लिए उदघाटन भी नहीं किया है। मैं आपको ठोस सबूत दूंगा।

[श्री जी० एस० बासवराजू]

वर्ष 1986-87 के लिए कृषि फार्मों के लिए 210 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी और उसमें से उन्होंने केवल 180 करोड़ रुपए खर्च किए और 60,000 हैक्टेयर के क्षमता क्षेत्र के लक्ष्य में से केवल 50,000 हैक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। वर्ष 1987-88 में 230 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी और 175 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई थी। संभावित 54,000 हैक्टेयर की क्षमता क्षेत्र में से केवल 36,000 हैक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। वर्ष 1988-89 में, 245 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी और उसमें से 124 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई थी और 36,000 हैक्टेयर के क्षमता क्षेत्र में से केवल 12,000 हैक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। अतः यह जनता शासन का हाल है।

उठाऊ सिंचाई के मामले में, 246 उठाऊ सिंचाई परियोजनायें वहां पर हैं और उनमें से 100 कार्य नहीं कर रही हैं। इससे पता चलता है कि जनता सरकार ने सिंचाई क्षमता को ठीक तरह से प्राप्त नहीं किया था।

अब मैं कावेरी विवाद के विषय की ओर आता हूँ। मैं भी उसी घाटी से आया हूं। हेमावती राज्य योजना के अन्तर्गत आती है। दुर्भाग्यवश, मंत्रियों ने निजि स्वार्थों के कारण जनता शासन के दौरान राज्य सरकार द्वारा उचित धनराशि प्रदान नहीं की गई थी। हेमावती परियोजना में पानी है लेकिन कोई नहरें नहीं है। कोई उचित सिंचाई व्यवस्था नहीं है। आज हमें हेमावती जलाशय से एक एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। अब वहां राष्ट्रपति शासन है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब तक कर्नाटक में एक लोकप्रिय सरकार नहीं आती है तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाये। अन्यथा इससे कर्नाटक राज्य की प्रगति में व्यवधान पड़ेगा।

मैं हेमावती परियोजना में बागुर-नवेली नहर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निकट है और यह लगभग 9 किलोमीटर लम्बी नहर है। जनता शासन के मंत्रियों ने ठेकेदारों के साथ सांठगांठ करके लगभग एक करोड़ रुपया हड़प लिया था। आपको इस संबंध में जांच करनी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि आप अब क्या कर रहे हैं। इसलिये मैं राज्यपाल से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर गौर करने के लिये तुरन्त एक जांच आयोग बैठायें। इसे कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री के पुत्र से सम्बद्ध क्लांड के साथ लिया जाना चाहिये।

अब मैं कृष्णा नदी के पानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप भी तेलगू गंगा परियोजना के बारे में जानते हैं। मैं कन्नड़ में तेलगू गंगा परियोजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

*मैं इस उचित दर (विनियम) की दुकान विधेयक को इस उद्देश्य से लाया हूं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियां दूर की जा सकें तथा यह प्रणाली अधिक कार्यकुशल बन पाये। इस महान सभा में 6 घंटे से अधिक समय तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी और तीस से अधिक माननीय सदस्यों ने उचित दर की दुकानों के कार्यकरण के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है।

*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैंने विभिन्न स्तरों पर बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था तथा जिनके बारे में श्रीमती बसवराजेश्वरी श्री कृष्णा राव तथा विभिन्न सदस्यों ने जिक्र किया था। यदि बोर्ड ने यहां सारे कदाचारों की जांच की होती तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण और प्रभावी हो जाता तथापि मैं माननीय मंत्री श्री सुखराम के दिये गये उत्तर से खुश हूँ। वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, वह मिलावट तथा उचित दर की दुकानों पर होने वाले अन्य कदाचारों को रोकने के लिए कई उपाय कर रहे हैं।

मेरे माननीय साथी ने अपना विधेयक पुरःस्थापित करना है और इसलिए मैं स्वयं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं तक ही सीमित रखूंगा। पामोलीन तेल उचित दर की दुकानों को सप्लाई किया जाता है ताकि गरीब लोग इसका फायदा उठा सके। लेकिन इस तेल का क्या हो रहा है ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जिला परिषद मुख्य सचिव हैं। उसने पामोलीन तेल के कारोबार में काफी पैसा बनाया है। यह तेल 11 रुपए प्रतिकिलो के भाव से उपलब्ध किया जाता है। इसे उस अधिकारी ने शहरों में 22 रुपये के भाव से बेचा। यह सब चलता रहा और थोड़े समय के अन्दर ही उस अधिकारी ने लगभग 80 लाख रुपए कमाए। मैंने इस बात की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी थी लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि अब तक उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जहां तक अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, चावल आदि की बात है, इसी तरह के कदाचार हो रहे हैं और अन्ततः गरीब आदमी को ही नुकसान उठाना पड़ता है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढांचे में सुधार लाया जाए तथा इसका कार्यकरण नियंत्रित किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों के मध्य अच्छा सहयोग होना चाहिए।

हमारी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रही है और गरीब आदमी को इस सहायता से वंचित रखा जा रहा है। इस पैसे का मुख्य भाग काला बाजारियों की जेब में चला जाता है। इसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिये। मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त कदाचारों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। वास्तव में विभिन्न राज्यों के सदस्यों जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि ने इस मुद्दे पर काफी विस्तार में चर्चा की है।

माननीय मंत्री ने इन कदाचारों में लिप्त कुछ व्यक्तियों के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में कहा था। ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, केवल 7000 है। मेरे विचार से 80 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति इन कदाचारों में लिप्त हैं और इसलिए इस बुराई को रोकने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने चाहिए। काला बाजारियों तथा अन्य को जो मिलावट करते हैं एवं अन्य कदाचारों में लिप्त रहते हैं, काफी कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इन मामलों पर गौर करने के लिए एक निगरानी सैल होना चाहिए। जो मदें इन दुकानों में उपलब्ध की जाती है इनकी जानकारी रेडियों, टेलीविजन, समाचार पत्रों आदि के जरिए अन्य आदमी को दी जानी चाहिये। इस मुद्दे के बारे में हमारे वरिष्ठ व अनुभवी नेता प्रो० रंगा ने भी कहा है। विभिन्न मदों के भाव स्पष्ट रूप से दिखाए जाने चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता बनाई रखी जानी चाहिए।

[श्री जी०एस० बासवराजू]

माननीय मंत्री ने विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है जो वह इन कदाचारों को रोकने तथा उचित दर की दुकानों के कार्यकरण को सुधारने के लिए करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस कदम से देश के गरीब लोगों को सभी आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतः मैं अपना विधेयक वापस लेता हूं। महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया तथा इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : जब मैं वर्ष 1989-90 के लिए कर्नाटक की मांगों पर इस वाद-विवाद को सुन रहा था तो मुझे मिलटन के **पैराडाईज लास्ट एण्ड पैराडाईज रिमेण्ड** की याद आ गयी।

ऐसा लगता है कि वर्ष 1983 तक, जब जनता दल सत्ता में आया, कर्नाटक स्वर्ग था— सभी मुख्य मंत्री जिन्होंने 1947 से लेकर 1983 तक वहां शासन किया और अन्त में श्री गुन्डू राव —और फिर यह श्री हेगड़े तथा श्री बोमई के जनता शासन काल में निःसंदेह नरक बन गया और अब राष्ट्रपति शासन लागू करने से स्वर्ग का शासन राज्य पाल श्री वेंकट सुबय्या के नेतृत्व में पुनः लाया गया है।

मुझे खेद है कि यहां वाद विवाद अप्रासंगिक पृष्ठ भूमि पर किया गया है। यह तो पिछली सरकारों के कार्यों की समीक्षा करना जैसा है। लेकिन इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि कर्नाटक में पिछले 6 महीनों में क्या हुआ है और इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है कि इस बजट के अन्तर्गत कर्नाटक को दिये जाने वाले पैसे का उपयोग करके भविष्य में क्या किया जायेगा।

यह कहा गया है कि सुन्दर बंगलौर पत्थरों के जंगल में बदल गया है। निःसंदेह जनता पार्टी की सरकार ने बंगलौर के मौसम को भी बदल दिया तथा वहां सूखा पड़ा है और बाढ़ भी आयी है क्योंकि दैवी शक्तियां भी उन लोगों से अप्रसन्न थी जो कर्नाटक का शासन चला रहे थे। सरकारें सूखा और बाढ़ों का निर्धारण नहीं करती हैं; और यदि यही कसौटी हो तो हम सम्पूर्ण देश के बारे में क्या कहेंगे ?

यह कहा गया कि भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। मैं नहीं जानता कि इसके विरुद्ध पहली कार्यवाही कौन करेगा। भ्रष्ट लोगों को दूसरों को भ्रष्ट कहने से पहले भलीभांति सोच-विचार कर लेना चाहिए। यदि आप देश पर गौर करें और 1947 से अब तक के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि तब से अब तक इस देश पर जितनी समयावधि तक शासन हुआ है, उसमें से कम से कम 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत समयावधि तक केवल एक ही दल ने शासन किया है। और आज तक हम देश की जो खस्ता हालत देखते हैं, वह केवल उसी दल तथा केवल एक ही दल की बजह से है। लेकिन वे कहते हैं ऐसा नहीं है। कर्नाटक में श्री हेगड़े के 1983 में सत्ता में आने से पहले सब कुछ ठीक-ठाक था और अब जनता पार्टी और जनता दल के सत्ता में न रहने से पुनः सब कुछ ठीक हो जायेगा।

मैं बिहार राज्य से हूँ तथा मैं उस भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं जो कि सारे देश में बहुत अधिक फैला हुआ है। यह एक राज्य की कहानी नहीं है बल्कि यह

स्थिति तो सारे देश में एक जैसी है और अपने एक दशक से कम के सार्वजनिक जीवन के अनुभव से मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के सोच-विचार के लिए एक नम्र सुझाव देना चाहूंगा। मन्त्रियों के लिए आधार संहिता है। मैं कहता हूँ कि हमें इसमें किसी को भी शामिल करने के लिए, जो विधायिका का साथ देना चाहता है और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है इस आचार संहिता का विस्तार करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को न केवल अपनी अचल सम्पत्ति की बल्कि चल सम्पत्ति की भी घोषणा करनी चाहिये जो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के समय उसके करीबी रिश्तेदार हैं तथा उसके बाद ऐसी सम्पत्ति की हर वर्ष सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी चाहिए। कानून में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि ऐसी किसी भी प्रकार की सम्पत्ति जिसके बारे में वह सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं करे उसे भारत के लोगों के नाम पर जब्त कर लिया जाना चाहिए। क्या सत्ता पक्ष में ऐसा कानून संसद के समक्ष लाने का हौंसला हैं ? और फिर भी वे भ्रष्टाचर की बात करते हैं।

महोदय, ऐसा कहा गया है कि तबादलों तथा पदोन्नतियों में पक्षपात किया गया है। सरकार द्वारा पक्षपात किया गया है। धन कमाने के लिए पक्षपात एक सुनिश्चत तरीका है। और निस्संदेह देरी और पुनर्विचार—ऐसे तरीके हैं जो सत्तारुढ़ लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपनाते हैं। किस राज्य में यह कहा जा सकता है कि स्थानान्तरण तथा पदोन्नतियां बिकाऊ नहीं हैं ? किस राज्य में यह कहा जा सकता है कि एल्कोहल पर उत्पाद शुल्क का प्रयोग सतारुढ़ दल के खजानों को भरने के लिए नहीं किया जा रहा है ? ऐसा कहां कहा जा सकता है कि शिक्षा का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ है? निःसन्देह, मैं यह महसूस करता हूं कि कर्नाटक को अशिक्षित लोगों के लिए आश्रय स्थल में बदल दिया गया है जैसाकि संसार में कुछ स्थान हैं जो कर अपवंचकों के लिए स्वर्ग हैं, जो श्री पांजा और श्री पुजारी भलीभांति जानते हैं। बेशक कर्नाटक ने कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त कर ली है। मैं पूरी तरह महसूस करता हूं। परन्तु मैं कहूंगा कि कर्नाटक में प्रत्येक राजनीतिज्ञ शिक्षा सम्बन्धी किसी न किसी घोटाले में फँसा है। प्रत्येक जाति नेता, प्रत्येक समुदाय नेता, प्रत्येक राजनैतिक नेता कर्नाटक में धन कमा रहा है और भारत सरकार में इतना हौंसला नहीं है कि वह इसी सभा में बार-बार दिए गए आश्वासनों को पूरा कर सके कि प्रादेशिक कैपिटेशन शुल्क को समाप्त कर दिया जायेगा। मैं सरकार को, सत्ता पक्ष को चुनौती देता हूँ कि वह प्रादेशिक शुल्क को समाप्त करने हेतु कल एक कानून लाये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा देश आपकी सराहना करेगा। परन्तु मैं जानता हूँ कि आप नहीं...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : वे जबाब जानते हैं।

महोदय, वे कह रहे हैं कि कर्नाटक में बहुत अधिक बेरोजगारी है मानो बेरोजगारी बीती हुई बात हो। बेरोजगारी वहां थी। हम वर्ष दर वर्ष बेरोजगारी के आंकार के सम्बन्ध में आंकड़े लें। आंकड़े सरकार के पास हैं। और हमें यह सिद्ध कर देना चाहिए कि कर्नाटक में जनता पार्टी या जनता दल के 6 साल के शासन के दौरान बेरोजगारी का स्तर राष्ट्रीय स्तर से अधिक हो गया, सभी कांग्रेस शासित राज्यों को मिला कर बेरोजगारी के स्तर से भी अधिक हो गया। हमें यह साबित कर देना चाहिये। जी नहीं श्रीमान, आप यह साबित नहीं कर सकते। महोदय, बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या है और इसके कारण बहुत गहरे हैं। उनमें जाने के लिए हमारे पास समय

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

नहीं है। कारण बहुत गहरे हैं। बुनियादी रूप से इसके कारण विकास प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली गलत प्राथमिकतायें और गलत नीतियां हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी का यही कारण है। और कर्नाटक कोई अपवाद नहीं है।

किसी ने कहा है कि सभी मन्त्री बनना चाहते हैं। कौन सा विधायक और कहां मन्त्री बनना नहीं चाहता ? सभी जगह दस प्रतिशत वाले नियम की अवज्ञा की जाती है यहां तक कि केन्द्र सरकार को सूचित करने में भी। एक परम्परा हुआ करती थी। वह कानून नहीं है, संविधान का अनुच्छेद नहीं है, बल्कि एक सुपरिचित संसदीय परम्परा है कि मन्त्रियों की संख्या समर्थन करने वाली पार्टी के सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु हर जगह, मध्य प्रदेश, बिहार में मन्त्रियों की फौज है और जो लोग अपने नाम के आगे मन्त्री नहीं लगा सकते उन्हें विभिन्न निगमों के अध्यक्षों के रूप में मन्त्रियों जैसी सुविधायें दी गई हैं, जिनके पास करने को अधिक कुछ नहीं होता, जिनकी सारी चल पूँजी अध्यक्ष तथा उनके परिजनों की जीविका उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह स्थिति है। अतः आप कर्नाटक का ही नाम क्यों लेते हैं ? किसलिये ?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि कर्नाटक में जनता दल सरकार ने—और मैं श्री हेगड़े या श्री बोम्मई की वकालत नहीं कर रहा हूँ---कोई भ्रष्टाचार का कार्य किया है तो मैं इस सभा में यहां स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि उन्हें एक विधिवत गठित न्यायाधिकरण के समक्ष अभियोग लगा कर अपनी ईमानदारी सिद्ध करने दीजिये। मैं यहां किसी भ्रष्ट प्रथा का समर्थन नहीं करता हूँ। परन्तु मुझे यह अवश्य कहना चाहिये कि कर्नाटक में जनता पार्टी सरकार ने कुछ नई बातें शुरु कीं कुछ नये विचार प्रस्तुत किये हैं। इसने कई विचार प्रस्तुत किये हैं। हो सकता है कुछ विचार फले-फूले न हों, शायद उनके पास पर्याप्त समय नहीं था शायद उन्हें केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिली, शायद इन सुधारों के लिए उपयुक्त समय नहीं था। और फिर भी कई नई खोजें हैं जिनका श्रेय जनता पार्टी सरकार को जाता है। इन सभी बातों के ब्यौरे में जाने का मेरे पास समय नहीं है। परन्तु कुछ प्रस्ताव हैं जो राज्यपाल शासन लागू करते समय लम्बित थे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने हेतु एक कानून है—केवल एक कार्यकारी अनुदेश ही नहीं है बल्कि एक वैधानिक दायित्व है। मैं जानना चाहता हूँ कि कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक प्रस्ताव था। तत्कालीन सरकार ने विशेष सरकारी सेवा श्रेणियों में महिलाओं के लिये 30% स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया था। केन्द्र सरकार का कहना है कि वे ऐसा पंचायत की सदस्यता हेतु करने जा रहे हैं। हम ऐसा कर्नाटक में क्यों नहीं कर सकते ? राज्यपाल प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों की है ? उस सरकार ने एक निर्णय लिया था कि यदि दलितों और महिलाओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और उनके साथ भेद भाव किया जाता है तो सरकार विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। इस निर्णय को अभी लागू किया जाना है। कृषि मजदूरों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना थी, विशेषतौर पर कर्नाटक के लिए-- सेवा या कार्य के दौरान विकलांग हुए खेतिहर मजदूर के लिए 60 रु० मासिक पेंशन तथा मृत्यु हो जाने पर 2500 रुपये देने की योजना थी। इस योजना हेतु बजट में

प्रावधान किया गया था। पिछले 6 महीनों के दौरान इस दिशा में कोई कार्यवाही, कोई प्रगति नहीं हुई है। एक आवास योजना थी जिसका नाम एक महान व्यक्ति, नजीर के नाम पर रखा गया था, जिसके नाम पानी का पर्याय बन गया था। उसे नीर साहब कहा जाता था, नजीर साहब नहीं। और नजीर साहब के नाम पर इस योजना का नाम नजीर निवास योजना रखा गया था जिसके अन्तर्गत कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड द्वारा एक वर्ष में 10,000 मकान बना कर 53,000 से भी अधिक लाभ भोगियों को लाभ पहुँचाना था। यद्यपि इस हेतु बजट में प्रावधान किया गया था परन्तु फिर भी इसे शुरू नहीं किया गया है। बंगलौर, हुबली, धारवाड़ तथा गुलबर्गा में बेघर तथा गन्दी बस्ती के लोगों को विश्व बैंक की सहायता से जगह मुहैया करायी जानी थी और बाद में इस योजना का विस्तार मैसूर, मंगलौर तथा बेलगांव तक करना था और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 530 करोड़ रुपये अलग रखे गये थे परन्तु एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। युवाओं के लिये 'सीखो और कमाओ' योजना थी। 6 महीने बीत गये हैं। बजट में प्रावधान किया गया था, परन्तु कोई प्रगति नहीं हुई है। तत्कालीन सरकार ने 153 पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वीकृति दी थी परन्तु पिछले 6 महीने में एक भी महाविद्यालय नहीं खोला गया है। शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कार्ड सुविधा मुहैया करायी जानी थी परन्तु कोई प्रगति नहीं हुई है। कर्नाटक-हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाया जाना था। हर व्यक्ति यह कहता है कि यह क्षेत्र कर्नाटक का सबसे अल्प विकसित है, परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। मुदनाल रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये कुछ योजनायें हैं जो स्वीकृति की गई थी और अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कर्नाटक में कई प्रमुख परियोजनायें लम्बित पड़ी हुई हैं। मैं यहां माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ, विशेषतौर पर कर्नाटक से आने वाले सदस्यों को, कि कर्नाटक से आने वाले संसद सदस्यों की 4 अप्रैल, 1989 को एक बैठक हुई थी। केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय न लिए जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति न दिए जाने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि आवंटित न किए जाने के कारण जिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है उनका संक्षिप्त विवरण यहां है। 4 अप्रैल, 1989 को बीते ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं पूरी रिपोर्ट सभा के समक्ष तथा माननीय मंत्रियों और सत्ता पक्ष के समक्ष विचारार्थ हेतु रखना चाहता हूं। कृपया हमें बताइए कि पिछले 6 महीने के दौरान जब से आप शासन में हैं, इन परियोजनाओं में से किस परियोजना में आपने प्रगति दिखाई है। इसमें लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए परियोजना, कर्नाटक के विभिन्न भागों में जलविभाजकों के विकास के लिए परियोजना तथा नारियल और आक के पौधे लगाने तथा बागवानी के विकास के लिए एक परियोजना शामिल है। इसमें मंगलौर तेलशोधक कारखाने तथा पैट्रो-रसायन के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परियोजना शामिल है जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार के पास है, मैं पूछना चाहूँगा कि इस पर पिछले छः महीने के दौरान कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कम्पनी के अधिग्रहण के लिए एक परियोजना थी। इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। बंगलौर में एक निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया जाना था। सड़क परिवहन निगम के लिए एक परियोजना तैयार की जानी थी। कर्नाटक सरकार ने परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु धनराशि देने के लिए विशेष अनुरोध किया था लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। छोटे तथा मध्यम नगरों के विकास, राष्ट्रीय

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

राजमार्गों के तहत और अधिक सड़कों को लेने, कर्नाटक के लिए रेलवे नैटवर्क में और अधिक भागीदारी, मौजूदा सड़कों के स्तर को उच्च करने के लिए केन्द्रीय सड़क कोष का उपयोग, बंगलौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने, कारवाड़ को एक उचित कस्टम बन्दरगाह के रूप में घोषित करने के लिए परियोजनाएं थीं। कुछ भी नहीं किया गया है। इस लिए मैं माननीय मंत्री को कहना चाहूंगा कि हमारे सम्मुख धनराशि के लिए आयें तो यह भूल जायें कि हेगड़े सरकार या बोम्मई सरकार द्वारा क्या किया गया था अथवा क्या नहीं किया गया था। वह हमें यह बतायें कि राज्यपाल ने गत छः मास में क्या किया है।

मेरा अन्तिम मुद्दा इन मांगों से सम्बन्धित है। मुझे अत्यधिक खुशी है कि इन मांगों में एक तिहाई-800 करोड़ रुपये शिक्षा को दिए गए हैं मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ है। सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये हैं। मैं समझता हूँ कि इससे प्राथमिकता का अच्छी तरह पता लग रहा है। कृषि के लिए 200 करोड़ रुपए हैं लेकिन उद्योग तथा परिवहन के लिए आबंटन को बढ़ाने पर विचार करें। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए केवल 100 करोड़ रुपए है। मुझे नहीं पता कि अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा विकास के लिए स्थापित निगम अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के लिए कुछ धनराशि का आबंटन हुआ है अथवा नहीं। वक्फ निगम को लगभग एक करोड़ रुपये ही मिले हैं। मैं अभी भी यही महसूस करता हूं अपेक्षाकृत, आबंटन तथा प्राथमिकतायें सही दिशा में हैं। लेकिन कार्यान्वयन की प्रक्रिया में काफी कुछ किया जाना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि हम मौजूदा राज्य सरकार को कहें कि वह लम्बित परियोजनाओं पर गौर करे और यह सुनिश्चित करे कि जो राशि उपलब्ध है वह लोगों के कल्याण के लिए अच्छी तरह उपयुक्त हो। निःसन्देह हमें लोगों के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है। एक लोकप्रिय और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की बहाली संविधान के अनुसार आवश्यक है। मैं सत्ता पक्ष से अनुरोध करता हूँ कि वे राष्ट्रपति-शासन की अवधि बढ़ाने का विचार न लायें। मेरे विचार से कर्नाटक में राष्ट्रपति-शासन की अवधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। कर्नाटक देश का एक आदर्श राज्य है और यह ऐसा ही रहना चाहिए। हमें कर्नाटक के लोगों में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। इसलिये मैं इस अवसर पर सरकार से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रपति-शासन की वर्तमान अवधि में ही चुनाव करवायें।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री अब हस्तक्षेप करेंगे।

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सत्ता पक्ष तथा विपक्ष, दोनों द्वारा इस वाद-विवाद में किए गए योगदान को गौर से सुना। वास्तव में जब मैंने बिहार से एक बुद्धिजीवी माननीय सदस्य की प्रारम्भिक टिप्पणियों को सुना तो मुझे अचरज हुआ। उन्होंने सभी को आश्चर्य में डालते हुए कहा है कि हमें जनता पार्टी तथा जनता दल के शासन के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार के गत कार्य-निष्पादन को भुलाकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए .....(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मैंने ऐसा केवल बजट के वाद-विवाद के सन्दर्भ में कहा था। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है क्योंकि जब चुनाव अभियान चल रहा है तो आप इसे मुद्दा बना रहे हैं।(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न कह रहा हूँ। क्या वह कर्नाटक सरकार के कार्य-निष्पादन से डरे हुए हैं ? क्या यह इसलिए है कि वे ऐसा कर चुके हैं तो आपको इसका उल्लेख करने में गर्व नहीं है ? इस बारे में सभा को विचार करना है। यह बजट-भाषण है, मैं कह सकता हूं कि 17-3-1989 को कर्नाटक विधान सभा में जनता दल के प्रथम मुख्य मंत्री तथा दूसरे माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट है। उन्होंने यह उल्लेख किया था कि उपलब्ध संसाधन क्या है तथा उन्होंने यह भी कहा था कि वह विकास कार्यों में सभी क्षेत्रों के लिए क्या-क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह आपके सम्मुख है और इस बारे में आपको ही पता लगाना है। उन्होंने चालू वर्ष में किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया है। माननीय सदस्य शाहबुद्दीन जी, मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे कर्नाटक में सत्ता में आये तब आपकी जनता पार्टी ने कर्नाटक को यह कहते हुये आश्वासन दिये थे तथा वायदे किये थे कि 'हम एक स्वच्छ प्रशासन देंगे, हम मूल्यों पर आधारित राजनीति लायेंगे तथा हम प्रवेशिक शुल्क समाप्त कर देंगे और भ्रष्टाचार के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं होगी। हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे।' अब आप क्या कह रहे हैं ? आप यहां यह मुद्दा उठा रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है, प्रवेशिक शुल्क है तथा कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचार का बचाव करना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि कार्य-निष्पादन खराब होगा क्योंकि सभी जगह ऐसी स्थिति है। क्या आपका यह दावा है ? क्या उस समय आपका यही दावा था ? आपने कर्नाटक के लोगों पर यह कहते हुए शासन किया कि 'हम आपको स्वर्ग देंगे। पहले कांग्रेस सरकार ने आपको नरक दे रखा था।' कर्नाटक के लोगों ने यह विश्वास किया। लेकिन पिछले साढ़े छः वर्षों के दौरान आपके मुख्य मन्त्री ने क्या किया और उनका कार्य निष्पादन कैसा रहा ? उन्होंने लोगों से कहा कि कर्नाटक को अग्रणी बनाया जाएगा। अभी तक कर्नाटक पर कर्नाटक के लोगों का शासन नहीं था। बल्कि दिल्ली का शासन था, अब से आगे ऐसा नहीं होगा। हम आपको प्रशासन देंगे और मुख्य मन्त्री कर्नाटक में रहेगा तथा कोई भी बाहर से आदेश नहीं देगा। मैं आपके मुद्दे पर भी आऊंगा और मैं आपको आंकड़े देकर यह दिखलाऊंगा कि वह कब तक रहे तथा उन्होंने किस प्रकार का प्रशासन दिया। अब हम बजट को लेते हैं। कर्नाटक के लोगों को 1040 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय दिया गया था। उन्होंने 91.53 करोड़ रुपये घाटा दिखाया है। क्या यह सही स्थिति है ? उन्होंने यहां भी कर्नाटक के लोगों को धोखा दिया। पहले, योजना परिव्यय 900 करोड़ रुपये था। 100 करोड़ रुपये की कटौती थी। यह मैंने नहीं कहा है, यह उनके बजट भाषण के पैरा 15 में कहा गया है।

3.00 म०प०

900 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में 100 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार से कर्नाटक का विकास किया जा सकता है ? अब, मैं आंकड़े दूंगा। वर्ष 1985-86 में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में योजना परिव्यय 651 करोड़ रुपये था, लेकिन वार्षिक व्यय केवल 637.67 करोड़ रुपये था, वर्ष 1986-87 में योजना परिव्यय 765 करोड़ रुपये था और व्यय केवल 696.17 करोड़ हुआ, वर्ष 1987-88 में योजना परिव्यय 870 करोड़ रुपये था लेकिन यह कम होकर 769.45 करोड़ रह गया; वर्ष 1988-89 में योजना परिव्यय 900 करोड़ रुपये था और उन्होंने इसे कम करके 800 करोड़ रुपये कर दिया है। चालू वर्ष अर्थात 1989-90 के लिए उन्होंने योजना परिव्यय के लिए 1040 करोड़ रुपये दिये हैं। मैं नहीं जानता

[श्री जनार्दन पुजारी]

कि केन्द्र सरकार कर्नाटक का बचाव किस प्रकार कर सकती है। उनका योगदान क्या है ? सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित योजना के अनुसार सरकार की सहायता 1041.53 करोड़ रुपये थी लेकिन केन्द्र सरकार ने 1241.69 करोड़ रुपये दिये हैं। जहां तक राज्यों को हस्तांतरित केन्द्रीय करों का सम्बन्ध है, 1681 करोड़ रुपये के सातवीं योजना के अनुमोदित लक्ष्य की तुलना में यह अनुमानतः 2283.25 करोड़ रुपये थे। फिर, चालू राजस्व से, सातवीं योजना का अनुमोदित लक्ष्य 1436.57 करोड़ रुपये था। 1989-90 के लिए अनुमोदित लक्ष्य सहित अन्तिम अनुमान 784.67 करोड़ रुपये है। जब 1436.57 करोड़ रुपये का वायदा किया गया था तो इस अवधि में दी गई राशि कितनी थी ? पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए यह राशि 784.67 करोड़ रुपये थी जबकि यह तथ्य है कि सातवीं योजना के अनुमोदित 1681 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में राज्यों को हस्तांतरित केन्द्रीय करों में हिस्सा अनुमानतः 2283.25 करोड़ रुपये था। इसका यह मतलब होगा कि बी.सी.आर. में 1254.15 करोड़ रुपये तक की कमी हुई है। आप आप इसके लिये संसाधन कहां से लायेंगे ? उन्होंने इस अवधि के दौरान क्या किया है ? शाहबुद्दीन जी, यह देखना आपका काम है क्योंकि आप उस सरकार के अभिन्न अंग हैं और आप उस पार्टी से हैं।

एक माननीय सदस्य : अब नहीं हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : अब नहीं लेकिन पहले थे। अब, जहां तक इस उद्देश्य का सम्बन्ध है, हम अतिरिक्त संसाधन जुटा रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार ने प्रथम चार वर्षों में 1514.90 करोड़ रुपये जुटाने का निश्चय किया था। इसने वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय 1007.18 करोड़ रुपये जुटाये हैं। अन्तिम वर्ष में, आप इसे 1989-90 के लिए अनुमोदित लक्ष्य में भी शामिल करते हैं तो सातवीं योजना में 2111.94 करोड़ रुपये के वार्षिक योजना परिव्यय की तुलना में राज्य का कार्य-निष्पादन 1604 करोड़ रुपये होगा। इसका मतलब है कि इसमें 510.80 करोड़ रुपये की कमी है। क्या कर्नाटक ऐसे विकास कर सकता है ? पिछले 5 वर्ष के दौरान लगभग 510.80 करोड़ रुपये की कमी रही है। आपके अनुसार जनता पार्टी, जनता दल सरकार ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। कर्नाटक के लोगों ने यही प्रगति देखी है। यदि वर्ष 1988-89 के लिए जारी की गई वास्तविक राशि को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक कुल केन्द्रीय सहायता 1253.89 करोड़ रुपये की थी और सातवीं योजना के दौरान लघु बचत ऋण 912.29 करोड़ रुपये के थे।

संसद के बाहर भी कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता राशि का उपयोग बहुत ही प्रभावशाली रूप से किया गया। उन्होंने कैसे इसका उपयोग किया था ? बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। वर्ष 1987-88 में राज्य सरकार ने बाहर से प्राप्त सहायता का पूरा उपयोग नहीं किया, जिसके फलस्वरूप 25.30 करोड़ रुपये की कमी हुई। मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा नहीं देना चाहता।

गैर योजना व्यय के सम्बन्ध में आपका क्या मत है ? आप कह रहे थे कि गैर-योजना व्यय में कमी की जायगी और प्रशासन के खर्च में कटौती की जाएगी । आपका क्या योगदान है ? राज्य में गैर योजना व्यय में बढ़ोत्तरी हो रही है । मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे किया जा रहा है । वर्ष 1984-85 में इसकी प्रतिशत वृद्धि 69.62 थी । वर्ष 1985-86 में वृद्धि 70.75 प्रतिशत थी । वर्ष 1986-87 में 65.43 प्रतिशत 1987-88 में 65.48 प्रतिशत 1988-89 में इसमें 70.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । जनता सरकार ने वास्तव में कहां गलती की थी ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : पिछले 5 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि क्या रही है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपको इसका उल्लेख करूंगा यदि मैं इस वक्त आपको इसका उल्लेख करने में असमर्थ रहा तो मैं आपको इस सम्बन्ध में लिखूंगा ।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, कर्नाटक ने 8-4-1989 तक 50 करोड़ रुपये की धनराशि तीसरे दिन ओवर ड्राफ्ट के रूप में ली थी । इस ओवर ड्राफ्ट की भरपाई राज्य सरकार तभी कर सकी जब उसे 48 करोड़ रुपये का कर अग्रिम किश्त के रूप में, अन्य राज्यों के अनुसार ही दिया गया, जिसमें 22.37 करोड़ रुपये के लघु बचत ऋण भी शामिल हैं जो 10-4-89 तक कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपया होता है ।

वह कह रहे थे कि मैं लोगों की इच्छा को पूरा नहीं कर सका क्योंकि सूखे के कारण योजना व्यय उन तक नहीं पहुँच सका । वह दावा करते हैं कि उन्होंने इसके लिए 800 करोड़ रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक व्यय किया है और देश में ऐसा कभी नहीं हुआ । यह उनका दावा था । माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर यह दर्शाऊंगा कि 1983-84 में उनके द्वारा कितना खर्च किया गया है जो खुद उनकी सरकार द्वारा कहा गया है । यह व्यय आंकड़े राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को सूचित किये गये हैं जो कि उन्हें केन्द्रीय सहायता जारी करने के संबंध में हैं । उन्होंने यह व्यय "सूखे" शीर्षक के अन्तर्गत किया है ।

वर्ष 1983-84 में उन्होंने 14.68 करोड़ रुपये व्यय किया था ।

वर्ष 1984-85 में	—	35.84 करोड़ रुपये
1985-86 में	—	82.01 करोड़ रुपये
1986-87 में	—	49.30 करोड़ रुपये
1987-88 में	—	28.90 करोड़ रुपये
1988-89 में	—	20.00 करोड़ रुपये

अभी तक किया गया कुल व्यय 231.79 करोड़ रुपये का है ।

आपको यह धन कहां से मिलता है ? उन्होंने कहां 800 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया है क्या इसमें योजना व्यय सम्मिलित है ? एक जिले में बाढ़ के लोगों का निर्माण किया जा रहा है । वह इसमें इसे भी सम्मिलित कर रहे हैं । कर्नाटक विधान सभा को गुमराह करने की भी सीमा होती है । क्या उनकी तुलना मुझे अन्य लोगों के साथ करनी चाहिए । राजस्थान और गुजरात में गम्भीर

[श्री जनार्दन पुजारी]

सूखा पड़ा था। पिछली कर्नाटक सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित परिव्यय नहीं कर सकी है। वर्ष 1988-89 में उन्होंने भोजन परिव्यय 900 करोड़ से घटाकर 800 करोड़ रुपये कर दिया राज्य सरकार के खराब कार्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का बहाना बनाया वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्र सरकार ने पिछली कर्नाटक सरकार से कहा था कि वह 37.34 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है वे सतर्क और साबधान होते और अपने कल्याणकारी राज्य को साकार बनाना चाहते तो निश्चिय ही वे इस धन को खर्च कर सकते थे। लेकिन राज्य सरकार इस राशि को भी खर्च नहीं कर सकी है और वास्तव में उसने 19.70 करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि का सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग किया। आप नहीं चाहते कि लोग यह सब बातें सुनें। आप नहीं चाहते कि इन सब बातों पर चर्चा संसद में हो। हां हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन कर्नाटक के लोग सब जानते हैं। वे जनता पार्टी के द्वारा दिये गये योगदान को जानते हैं। इसकी तुलना हमें दूसरों के साथ करने दें क्योंकि राजस्थान और गुजरात में सूखे की गम्भीरता से आप अवगत हैं। दूसरी ओर जो राज्य सूखे से ज्यादा प्रभावित हुए हैं जैसे राजस्थान और गुजरात, उसने ज्यादा तरक्की की है। राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से 100 करोड़ रुपये ज्यादा सूखे से निपटने के लिए खर्च किये हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने योजना परिव्यय में 61 करोड़ रुपये की कमी की है जबकि उसने निर्धारित खर्च से 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च किया है। एक छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश ने भी बाढ़ का गम्भीर असर होने के बावजूद अपनी योजना परिव्यय को सुचारू ढंग से पूरा किया है। उसने एक भी करोड़ रुपया कम नहीं किया है। फिर भी वह कहते हैं कि सूखे की स्थिति के कारण वे इस धन को खर्च करने में असमर्थ रहे हैं। उस समय वह क्या कर रहे थे ? सूखे की स्थिति वहां व्याप्त थी। कर्नाटक के लोगों में रोष था इस बारे में हर जगह चिंता व्यक्त की जा रही थी। उस समय के कर्नाटक के मुख्य मन्त्री प्रभावित लोगों के पास नहीं गये। वह सत्ता में पांच साल और सात महीने, अर्थात 2,005 दिन तक थे। राज्य से बाहर उनके विदेश दौरों में उनके बीमारी का समय भी सम्मिलित है। वह दिल्ली में भी बीमार पड़े थे। उन्होंने बिहार का भी दौरा किया था। लेकिन उन्होंने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नही किया। उन्होंने बिहार और अन्य जगहों का दौरा किया था। उन्होंने 1,305 दिनों तक कर्नाटक से बाहर का दौरा किया जब कि वे कर्नाटक में मात्र 602 दिनों तक उपलब्ध थे। वह मात्र 266 दिन विधान सभा में उपस्थित रहे तत्पश्चात दूसरे मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला। महोदय, मैं उनका नाम यहां लेना नहीं चाहता हूँ। दूसरे मुख्य-मन्त्री 251 दिन तक अपने कार्यालय में रहे। इन 251 दिनों में से, कर्नाटक के बाहर और विदेशों के दौरे में उन्होंने 176 दिन बिताये वह 176 दिन कर्नाटक से बाहर रहे। उस समय, वह कर्नाटक में मात्र 75 दिन के लिए उपलब्ध थे। वह मात्र 33 दिनों के लिए विधान सभा में उपस्थित हुए।

जनता पार्टी और जनता दल के उन सम्मानित मुख्यमंत्री का यह योगदान रहा है। उस समय वह क्या कर रहे थे। उस समय कर्नाटक में बहुत ही खराब स्थिति व्याप्त थी। वह लोगों के दुःख-दर्द को देखने नहीं गये। जैसा कि मैंने पहले कहा है, लोग इससे चिंतित थे। हमारे मान-नीय प्रधानमन्त्री जी ने तुरन्त वहां का दौरा किया। उन्होंने कर्नाटक के प्रत्येक भाग का दौरा किया। हमारे संसद सदस्य राहत के उपायों की देख-रेख कर रहे थे। चारे का प्रबन्ध किया गया,

हमारे दल के माननीय सदस्यों द्वारा पशु ग्रहों का निर्माण किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री इससे विचलित नहीं हुए। मानवीय प्रधानमन्त्री कर्नाटक गये और उन्होंने लोगों के दुख:-दर्द को सुना। वास्तव में 'मजदूरी रोजगार योजना' के तहत लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी गई। कोई भी व्यक्ति वहां जाना नहीं चाहता था। कोई भी मन्त्री यह सब देखना नहीं चाहते थे। कर्नाटक के लोगों ने ऐसा कहा। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने कर्नाटक का दौरा किया। उन्होंने 200 मील से ज्यादा क्षेत्र का सफर किया। पहले मुख्यमन्त्री ने तो चिकबलापुर का भी दौरा नहीं किया जो 70 मील से ज्यादा दूर नहीं था। यह मात्र एक या डेढ़ घंटे की यात्रा थी। मैं वहां कांग्रेस दल का अध्यक्ष था। मैंने जगह-जगह का दौरा किया था। मैंने अनेक गांवों का दौरा किया। कर्नाटक के दूर-दराज के लोगों ने कहा कि मुख्यमन्त्री उनके पास नहीं गये और उनके मन्त्री भी वहां नहीं आये। वे मुझसे मन्त्रियों द्वारा दौरा करने के लिये अनुरोध कर रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री श्री ने वहां का दौरा किया। अन्ततः कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा की। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमन्त्री को यह चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के अन्दर वह उन क्षेत्रों का दौरा नहीं करते तो सम्पूर्ण राज्य में प्रदर्शन किए जाएंगे। इससे मुख्य-मन्त्री घबरा गये। वह भयभीत हो गये। तब उन्होंने दौरा प्रारम्भ किया। ऐसा उन्होंने कब किया? मानसून आरम्भ होने के उपरांत ही उन्होंने दौरा करना प्रारम्भ किया। मुख्यमन्त्री के कार्य करने का यही तरीका है। यही उनका व्यक्तित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, आज हमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करनी है। आप और कितना वक्त लेंगे?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं जल्द ही समाप्त कर रहा हूँ। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। उन्होंने उस अवधि में क्या किया? मैं आपके वक्तव्य पर भी चर्चा करूंगा। श्री शाहबुद्दीन ने वक्तव्य की सराहना की है। उस वक्त उन्होंने क्या किया था? क्या मैं आपको बताऊं? यदि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों दुर्बल वर्गों के सबसे कमजोर वर्ग हरिजनों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती, तो उसे सरकार कहलाने का अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर इस शासन के दौरान अत्याचार हुए। मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दूंगा। आप इसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं 1983 से 1989 तक का विवरण प्रस्तुत करूंगा। वर्ष 1983 में, उनके ऊपर हुए अत्याचारों की संख्या एक साल में 329 थी। हताहत हुए हरिजनों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 524 थी। उनकी 1,49,300 रुपये मूल्य की सम्पत्ति बर्बाद हो गयी। एक साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई?

एक वर्ष में 44 हरिजनों की मृत्यु हो गई। वर्ष 1984 में 368 घटनायें हुई, 412 लोग घायल हुये और उनकी 1,36,500 रुपये मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई और 33 लोगों की हत्या की गई। वर्ष 1985 में 553 घटनायें हुई जिसमें 623 लोग घायल हुये, 1 लाख 88 हजार 875 रुपये मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई, और 49 लोग मारे गये। क्योंकि समय की कमी है अतः मैं 1983 से 1989 तक के कुल आंकड़े बता देता हूँ। कुल घटनायें 3579 हुई है जिनमें हरिजन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 4908 व्यक्ति घायल हुये, 10 लाख रुपये मूल्य

[श्री जनार्दन पुजारी]

की सम्पति नष्ट हुई और 266 हरिजन और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति के लोग मारे गये।

यदि आपके हृदय में दर्द है, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या किया ? आपने उनके कार्य के बारे में कहा है। सत्ता में आते ही उन्होंने घोषणा की थी कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्र जिनके अच्छे अंक होंगे उनके लिए श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के अधिकारियों के पदों पर बिना साक्षात्कार के सीधी भर्ती की जायेगी और विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में जानकारी दे सकते हैं जिसके तुरन्त बाद उन्हें नियुक्त कर दिया जायेगा लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया। आप कहते हैं हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या किया ? अभी तक 260 लोग मारे जा चुके हैं।

बेलगांव जिले के बिदीगौरे गांव में जोकि श्री सिदनाल का चुनाव क्षेत्र है, वहां हरिजनों को बन्द किया गया, गालियां दी गई, धमकियां दी गई, खाने के लिए मजबूर किया गया आप जानते हैं क्या ? मानव मल-मूत्र। उन पर आरोप क्या था ? यह था ज्वार की फसल चुराने का···· ····(व्यवधान) ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों को सुरक्षा दी जायेगी। राज्य में जनता दल के अध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं। लेकिन उस समय किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी मंत्री खामोश रहे। वे उनके साथ रहे।

फिर 29.1.1988 को शिमोगा जिले के थठ्ठर गांव में हरिजनों को पूजा नहीं करने दी गई और उन्हें धमकी दी गई कि यदि उन्होंने अन्दर जाने का प्रयत्न किया तो उनकी चप्पलों से पिटाई की जायेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की स्थिति क्या है ? गुलबर्गा जिले के यादगीर ताल्लुक में अनुसूचित जाति के सहायक आयुक्त और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को एक सवर्ण हिन्दु ने जनता दल के मन्त्री की मौजूदगी में चांटा मारा। यदि अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, तो समान्य लोगों की सुरक्षा की बात करना बेकार है ? आप उन्हें अभी भी चाहते हैं। आपने देखा है। रीवा जीतू कांड में उनके स्वयं के सगे सम्बन्धी शामिल थे। भारत हेडगे मेडिकल सीट कांड नाम से एक कांड था। यह भारत हेडगे कौन हैं ? यह आपको विचार करना है।

अब सरकार की बात लीजिए। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक राज्य के गृह मन्त्री हत्या के मामले में शामिल हों। आज वह एक अभियुक्त हैं। क्या आप अभी भी पक्षपात और भाई भतीजावाद चाहते हैं ?

कई बार आप खुलकर और स्पष्ट रूप में बोलते हैं ? श्री शाहबुद्दीन मैं आपको बता दूं भारत हेडगे मेडिकल सीट कांड में उन्होंने हेरा फेरी की है।

यहां तक कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि न्यायधीश को हटाया जाये। उन्होंने इस तरह से हेरा-फेरी की। अपने पुत्र को बचाने के लिए····· ···*····· को राज्य सभा की सदस्यता दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री जनार्दन पुजारी : लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह इन्दिरा गांधी हत्याकांड के अभियुक्त के बचाव के लिए किया गया। यह उनकी संस्कृति है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मन्त्री महोदय आप जानते हैं कि मैंने ·····** ·· ···को राज्य सभा सीट देने के विरोध में जनता पार्टी संसदीय बोर्ड से त्यागपत्र दिया था।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं ऐसा नहीं कहता। राष्ट्र में सिद्धान्त वादी लोग हैं।

फोन को टेप करने के मामलों में उन्होंने किनके फोन टेप किये ? उन्होंने कहां राजनीति शामिल की ? उन्होंने राष्ट्रवादी और असमाजिक तत्वों के फोन टेप नहीं किये उन्होंने फोन टेप किये विपक्ष के नेता श्रीमती नागरत्नम्मा के, अपने मंत्रिमण्डलीय सहयोगी श्री देव गौडा के, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री गुरुपदस्वामी के श्री चन्द्रशेखर और श्री अजीत सिंह के और वह बातें इंडियन एक्सप्रेस में छपी थीं। उसे रिकार्ड करके उनके निकटतम समाचार पत्र को दी गई, इण्डियन एक्सप्रेस को जो उनके परामर्शदाता हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।

क्या ऐसा पहले कभी देश में हुआ है। आपने एक वक्तव्य दिया कि यह बहुत शर्मनाक कार्य है। यह "इलेस्ट्रेड वीकली" में भी छप चुका है। लेकिन वह इससे सहमत नहीं हुए। आपके अनुसार यह अनैतिक है। जनता कह चुकी है कि यह एक अनैतिक कार्य है। इन सब बातों के रहते हुए, वह अभी भी बने हुए हैं।

आखिरकार क्या हुआ ? वहां सत्ता की भूख की आन्तरिक लड़ाई थी। वहां कोई प्रशासन नहीं था, वहां कोई सरकार नहीं थी। एक मन्त्री दूसरे से लड़ रहे थे और विधायक सत्ता पाने का प्रयास कर रहे थे। पैसे का लेन-देन हुआ। यह हरेक ने कहा है। कर्नाटक के लोग इस बारे में जानते हैं। आखिरकार उनकी पार्टी हट गई।

हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मैं अध्यक्ष था। मैंने कहा कि हम उनके नजदीक भी नहीं जायेंगे। इसका श्रेय श्री ओस्कर फर्नान्डीज और श्री वीरेन्द्र पाटिल को भी जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा स्तर इससे कहीं अधिक ऊंचा है उनके मामले में हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का स्तर कहीं ऊंचा है।

मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। उनकी सरकार अपनी ही करतूतों के कारण से गिर गई। इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सका। लोगों ने राहत की सांस ली वह बहुत खुश थे। माननीय प्रधान मन्त्री कर्नाटक गये। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने उन्हें मसीहा माना। कर्नाटक के लोगों का मान-सम्मान दाव पर लगा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जनार्दन पुजारी]

यह वे लोग हैं जो केन्द्र में सत्ता में आना चाहते थे। वह प्रधान मन्त्री को हटाना चाहते हैं। श्री शाहबुद्दीन आप यहां मौजूद हैं, आप साहसी व्यक्ति हैं। आप हमारा सामना कर सकते हैं क्योंकि लोगों ने आपको पांच साल के लिए चुना है। आप यहां से भागे नहीं। वह विपक्ष के लोग जिसमें कर्नाटक के भी चार संसद सदस्य हैं वह यहां से भाग खड़े हुए। यहां तक कि प्रो० मधु दंडवते भी भाग खड़े हुए। जबकि कर्नाटक के बजट पर आज चर्चा हो रही है वह यहां मौजूद नहीं हैं। उनकी यही रुचि है। श्री शाहबुद्दीन, आपको अपने लोगों के बारे में धारणा बदल लेनी चाहिए जिनका आपने कभी समर्थन किया था। आप उनके साथियों में से एक थे। यह वे लोग हैं जो प्रधानमन्त्री को हटाना चाहते हैं। इस देश का क्या होगा ?

वहां 7 या 8 नेता हैं। वह प्रधान मन्त्री के पद पर दावा करते हैं और यदि वह सत्ता में आ जाते हैं तो वह झगड़ा करेंगे, वह देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे और देश की उन्नति को नुकसान पहुँचेगा। उसको सही रास्ते पर लाने में वर्षों लग जायेंगे। यह स्थिति होगी, इसीलिये हम इतने निर्भीक हैं। हम उनके लोक-सभा छोड़कर चले जाने से डरे नहीं हैं। हम उनकी चालों को समझते हैं। कैसे श्री हेगडे ने नाटक खेला-मुख्य मन्त्री के बाद मुख्य मन्त्री। किस तरह उच्च न्यायालय द्वारा 7 मामलों में दोषी पाये जाने के बावजूद आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने नाटक खेला और कर्नाटक के पहले मुख्य मन्त्री एक में नहीं दो मामलों में दोषी हैं। वह 1969 में दोषी सिद्ध हुये जब वह मन्त्री थे। यह स्थिति है। इसीलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि हमें संसाधनों का पता लगाना होगा। यह बहुत मुश्किल होगा फिर भी कर्नाटक के लोगों के हित में हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें व्यवस्था को ठीक-ठीक करना होगा। यह अब हमारा उत्तरदायित्व है। हालांकि वह गैर-जिम्मेदार थे मैं फिर भी माननीय वित्त मन्त्री से अपील करूंगा वह यथाशीघ्र कुछ उपाय करें। उसका श्रेय कर्नाटक के राज्यपाल और उनके सलाहकारों को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि हमने शराब के ठेकेदारों के विरुद्ध कदम उठाये जो आज की आवश्यकता है। आखिर-कार इससे कर्नाटक के लोगों को मदद मिलेगी और हम संसाधनों का पता लगा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गैर-सदस्यों के विधायी कार्य पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों पर विचार किया जायेगा। श्री शांताराम नायक बोलें।

3.32½ म० प०

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 6 में संशोधन)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 4-8-1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम नायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

3.33 **म० प०**

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम नायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.33½ **म० प०**

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 20 में संशोधन)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम नायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

---

*दिनांक 4-8-1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

3.34 म० प०

उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक-[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री जी० एम० बासवराजू द्वारा प्रस्तुत उचित दर दुकान (विनियमन) वियधेक पर आगे विचार किया जाएगा। अब श्री रामभगत पासवान अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : (रोसड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस रोज कह रहा था कि जन वितरण प्रणाली में जितनी दुकानें हैं वह देश के अन्दर पर्याप्त हैं। लेकिन जहां-तक आवश्यक वस्तुओं का प्रश्न है, कभी कभी बहुत अभाव हो जाता है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बहुत ही शिथिलता बरती जाती है जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाइयां होती हैं। इसका कारण यह है कि शहरों के अन्दर देहात से जो वस्तुयें जाती हैं फिर वह देहात में पहुँचती हैं और शहर में वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो आवश्यक वस्तुयें हैं उसके जो डीलर्स हैं वह बड़े-बड़े साहूकार हैं, ये लोग कभी-कभी ऐसा करते हैं कि इन चीजों को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, जिससे ये देहात में नहीं पहुँच पातीं। जैसे चीनी है, सूजी है, मैदा है, तेल इत्यादि हैं। सरकार की जो नीति है बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगारों को लाइसेंस देने की, हरिजनों विधवाओं को लाइसेंस देने की, लेकिन जो आवश्यक वस्तुयें हैं और जो उसके थोक विक्रेता है, ये बड़े-बड़े साहूकार हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे मंत्रीजी से कि आप इसकी समीक्षा करें। मेरा आग्रह है कि बड़े-बड़े सेठ साहूकारों के हाथ से असैन्श्यल कमैडिटिज का लाइसेंस वापस लेकर विकलांगों को, हरिजनों को और विधवाओं को दिया जाना चाहिए। महोदय, देहातों तक असैन्श्यल कमोडिटीज ले जाने में आजकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत आता है, जो डीलर को वहन करना पड़ता है। हमारे यहां 50-50 और 60-60 किलोमीटर दूर देहात हैं, जहां शहरों से आने जाने के लिए रेलमार्ग नहीं है, सारा सामान बैलगाड़ी पर या दूसरे किसी माध्यम से ले जाना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि दूरदराज देहातों तक आवश्यक वस्तुयें ले जाने का व्यय सरकार स्वयं वहन करे। मै आपसे यह आग्रह भी करूंगा कि असैन्श्यल कमोडिटीज में कई स्थानों पर मिलावट की जाती है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियां फैलती हैं और लोगों की जान पर बन आती है। हमारे यहां एक कठिनाई यह भी आती है कि डीलरों के पास सामान होते हुए भी बनावटी अभाव दिखला दिया जाता है, और उसी सामान की जमाखोरी के माध्यम से, ब्लैक मार्केटिंग करके, बेचा जाता है, जो कि जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जाना था। मेरा आग्रह है कि इस समस्या की ओर भी सरकार अविलम्ब ध्यान देकर ठोस पग उठाये। सामान रहते हुए भी यदि लोगों को ब्लैक मार्केट में सामान खरीदना पड़ें और देहातों में स्थित डीलरों और शहरों के डीलरों ने भी, एक निश्चित समय बना रखा है कि 4 बजे तक जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान बेचेंगे और 5 बजे के बाद वही सामान आपको ब्लैक मार्केट के रेट्स पर मिलना शुरू हो जायेगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस त्रुटि की ओर ध्यान दे और लोगों को हर वक्त आवश्यक वस्तुएं दिलाने की व्यवस्था करे।

हमारे यहां गांवों में गोदामों की व्यवस्था न होने से, आवश्यक सामान पड़ा जाता है परन्तु उस सड़े हुए सामान को भी जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों में बेच दिया जाता है। वैसे ही शहरों में भी हमने देखा है कि स्टेशनों पर पड़ा सामान बारिश या पानी में पड़ा होने के कारण

सड़ता रहता है और उसी सामान को फेयर प्राइस शाप्स के माध्यम से लोगों को बेच दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार हर गांव में आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण के लिए गोदामों की आवश्यक व्यवस्था कराए ताकि सामान सुरक्षित रह सके, वह सड़ने न पाए और उसे खाकर लोग बीमार न हों।

हमारा बिहार राज्य हमेशा से प्राकृतिक विपदाओं का मारा हुआ स्टेट रहा है। यद्यपि वह कृषि-प्रधान राज्य है, वहां के लोगों का एकमात्र पेशा खेती है लेकिन हर साल किसी न किसी प्राकृतिक विपदा के आने से, कभी वहां बाढ़ आती है, कभी वहां सूखा पड़ जाता है, इसकी वजह से अनाज का ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता। मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार बिहार राज्य को हर 6 महीने में 10 लाख टन गल्ला अवश्य देने की व्यवस्था करे और उस गल्ले को जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों में वितरित किया जाए ताकि लोगों को खाद्यान्न की कमी न रहने पाये। इस वर्ष बिहार जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है परन्तु अभी तक बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई राहत नहीं पहुँची है। उन्हें ब्लैक मार्केट रेट्स पर सामान बाजार से खरीद कर खाना पड़ता है। मंत्री महोदय मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार में मिट्टी का तेल कहीं 10 रु०, कहीं 14 रु० और कहीं 15 रु० प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, क्योंकि वहां कम्यूनिकेशन के साधन नहीं हैं, देहातों तक सामान पहुँच नहीं पाता। यदि पहुँचता भी है तो उसे जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से न बेचकर, ब्लैक मार्केट रेट्स पर बेचा जाता है। इसलिये मेरा आग्रह है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के सभी जिला कलैक्टर्स को यहां से स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिये कि वे नावों द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं को बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुँचाने की व्यवस्था करें ताकि जनता को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये। हमारे देश में जितने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनके पास अपना कोई रोजगार नहीं है, मेरा आग्रह है कि सरकार उन लोगों को सब-सिटाइज्ड रेट्स पर अनाज दे। वैसे ही जो लोग विकलांग हैं, विधवा है जिनके पास अपनी आजीविका चलाने का सहारा नही है, वृद्ध हैं, बेसहारा लोग हैं, उन्हें भी सबसिडाइज्ड रेट्स पर आवश्यक वस्तुयें मुहैया कराये। यदि सम्भव हो तो ऐसे लोगों को फ्री राशन दिया जाना चाहिए अन्यथा सबसिडाइज्ड रेट्स पर तो अवश्य ही मिलना चाहिये। जहां तक लोगों को राशन कार्ड देने का सम्बन्ध है, दिल्ली शहर में आप जानकारी करा लें, गरीब लोगों के राशन कार्डस बन नहीं पाते, जो दिन भर कठिन परिश्रम करके 10-15 या 20 रुपया शाम को लेकर अपने घर आते हैं। राशन कार्डस के अभाव में उन्हें ब्लैक मार्केट रेट्स पर अनाज और दूसरी आवश्यक वस्तुयें बाजार से खरीद कर खानी पड़ती हैं। उनके सामने राशन कार्ड बनाने में अनेक कठिनाइयां आती हैं, कभी कहते हैं मकान का नम्बर लाओ, कभी दूसरे बहाने से, उनका राशन कार्ड नहीं बनाया जाता। वे लोग झोंपड़ियों में रहते हैं। मेरा आग्रह है कि दिल्ली और सभी महानगरों में ऐसे गरीब लोगों की जांच कराने के बाद सबके राशन कार्ड बनवाए जाने चाहिए ताकि उन्हें ब्लैकमार्केट रेट्स पर बाजार से अनाज खरीद कर न खाना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं बामवराजू जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का जिक्र किया है और उनसे सम्बन्धित विधेयक इस सदन में पास किया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो मांगे हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधार के बारे में की है, कृपया उन पर ध्यान दें और हमारे सुझावों के अनुसार उसको सुधारने का प्रयास करें।

[श्री राम भगत पासवान]

महोदय, मैं यह भी चाहूँगा कि इन दुकानों पर सारा सामान उपलब्ध रहना चाहिए। सामान का अभाव नहीं होना चाहिए। समय पर सबको सामान मिल जाये, ऐसी व्ययस्था होनी चाहिए। हम देखते हैं, कभी दो-दो और चार-चार महीने तक सामान नहीं मिलता है। इसकी भी समीक्षा की जाये और इन कारणों को दूर किया जाये। कभी-कभी पर्व के अवसर पर मैदा और सूजी बहुत हाई रेट पर मिलती है। इन सब कठिनाइयों को देखकर दूर करने की कृपा करें। ऐसी व्यवस्था भी करें जिससे ये वस्तुयें आसानी से गरीब लोगों को उपलब्ध हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मेरे साथी श्री बासवराजू द्वारा प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण बिधेयक की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ क्योंकि यह उन वास्तविक समस्याओं के बारे में है जो मुख्य रूप से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के सामने हैं। ये गरीब लोग अधिकांशतः उचित दर की दुकानों और आवश्यक वस्तुयें बेचने वाली ऐसी ही अन्य दुकानों पर निर्भर रहते हैं।

उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार क्यों किया ? इस विधेयक से स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को इस विधेयक को कानून में बदलकर हल किया जा सकता है। निस्संदेह कुछ कमियां हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। परन्तु विधेयक का उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट है और निस्संदेह लाभदायक है। उन्होंने उचित दर की दुकानों के लिये केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के गठन का प्रस्ताव किया है। ऐसा क्यों सोचा है ? हम अनुभव करते हैं कि अनेक स्थानों पर उचित दर की दुकानों पर उपभोक्ताओं की दी जाने वाली आवश्यक वस्तुयें निर्धारित वजन की नहीं होती हैं। उनकी किस्म भी घटिया होती है। जब हम ऐसी उचित दर की दुकानों के मामलों से सम्पर्क करते हैं तो वे हमसे कहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से वस्तुओं की आपूर्ति के वजन में 5-10 किलोग्राम प्रति क्विंटल की कमी होती है। यह सच है कि हमें इस मामले में केन्द्रीय सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इन वस्तुओं की भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सही वजन में ही आपूर्ति की जाए।

हमारा अनुभव है कि हमारे राज्य उड़ीसा में राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राशन निकालते समय वहां उपस्थित रहने के लिए पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों की नियुक्ति की है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सही वजन में आपूर्ति की गई है। परन्तु व्यापारियों भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के प्रभारी अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों या निरीक्षकों की मिली भगत से निर्धारित वजन के अनुसार आपूर्ति नहीं की जाती है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस वर्ष 26 मई के चक्रवात का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। जब राज्य सरकार ने आपात कालीन राहत प्रदान की तो स्वयं मैंने और कुछ अधिकारियों ने खाद्यान्नों की आपूर्ति की जांच की थी। आठ या दस किलोग्राम प्रति क्विंटल वजन कम था। जब हमने व्या-

पारियों से पूछा कि कम वजन के खाद्यान्नों को क्यों लिया तो उन्होंने कहा कि गोदामों पर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने उनसे कहा कि यदि वे खाद्यान्नों को उठाना चाहते हैं तो उठायें अन्यथा खाली हाथ लोट जायें क्योंकि इनकी आपूर्ति चक्रवात से पीड़ित लोगों को युद्ध-स्तर पर की जा रही है। इसलिए उन्होंने वजन में कम होने के बावजूद भी आबंटित कोटा उठा लिया। अन्ततः नुकसान उपभोक्ता को उठाना पड़ा। उचित दर की दुकानों में क्या हो रहा है ? उचित दर की दुकानों पर उपभोक्ताओं को कम वजन के खाद्यान्न वितरित किये जाते हैं तथा वजन की कमी को खाद्यान्नों की आपूर्ति दर में वृद्धि करके समायोजित किया जाता है। मान लीजिए यदि चावल की आपूर्ति 2.50 रुपये प्रति किलो की दर से की जाती है तो वजन की कमी को 2.50 रुपये की निर्धारित दर में वृद्धि करके समायोजित किया जायेगा। अन्ततः उपभोक्ताओं को ही नुकसान होता है। इसी तरह, गुणवत्ता भी सन्तोषजनक नहीं है। निःसन्देह, केन्द्रीय सरकार अनुमोदित गुणवत्ता का मूल्य दे रही है। परन्तु जब यह जनता तक उपभोग के लिए पहुँचती है तो यह देखा गया है कि यह गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है। मैं यह नहीं जानता कि कौन मूल्य निर्धारित कर रहा है और किस प्रकार मूल्य निर्धारित किये जा रहे हैं। इसकी जांच की जाए। यह दूसरी कठिनाई है। हमारी सरकार के इस आग्रह के बावजूद, कि सहकारी संस्थाओं और ग्राम पंचायतों को डीलरशिप में उच्च प्राथमिकता दी जाये, कोई सहकारी संस्था या ग्राम पंचायत कठिनाइयों तथा अड़चनों अर्थात् लाभ की गुंजाइश कम होने के कारण डीलरशिप के लिए सहमत नहीं है। इनका लाभ इतना कम है कि वे डीलरशिप नहीं लेना चाहते हैं। जब कभी वे आगे आते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। मुझे पहले ही बताया गया है कि लाभ की गुंजाइश इतनी कम है कि उन्हें दर बढ़ानी पड़ी ऐसा केवल कागजों में ही नहीं किया गया बल्कि इसकी सरपंच समेत प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी थी यह एक और ऐसी समस्या है जिसकी जांच की जानी चाहिए। लाभ की गुंजाइश बढ़ाई जानी चाहिए ताकि डीलरशिप लेने के लिए ग्राम पंचायतें और सहकारी संस्थायें आगे आ सकें।

दूसरा पहलू खाद्यान्नों की अनियमित आपूर्ति के सम्बन्ध में है। सरकार खाद्यान्नों की ढुलाई में विलम्ब के लिए रेलवे पर आरोप लगा रही हैं। परन्तु रेलवे का कहना है कि वे खाद्यान्नों की ढुलाई को उच्च प्राथमिकता दे रहे है। मैं जानता हूं कि खाद्यान्नों की ढुलाई को उच्च प्राथमिकता दी जाती है परन्तु रेल रोको आन्दोलन जैसी घटनाओं तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्न समय से वितरण केन्द्रों पर नहीं पहुँचते हैं। यह दूसरा कारण है जिसकी वजह से सहकारी संस्थायें और ग्राम पंचायतें, जिनकी इस कार्य में रुचि है, आगे नहीं आ रही हैं। इस पहलू की भी जांच की जानी चाहिए। केन्द्र के निर्देशों के आधार पर हमारी राज्य सरकार ने सभी उचित दर की दुकानों के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। यद्यपि मानदण्ड के अनुसार, इस परामर्शदात्री समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए परन्तु खेद की बात है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये परामर्शदात्री समितियां उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। वास्तव में वे कतई काम नहीं कर रही हैं। निःसंदेह कागजों में अवश्य परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये परामर्शदात्री समितियां उचित ढंग से कार्य करें ताकि इस तरह की बातों से बचा जा सके।

तत्पश्चात, खुदरा केन्द्र समय से नहीं खुलते हैं। यह दूसरी कठिनाई है। गरीब आदमी 4, 5 या 6 रुपये में राशन लेकर अपने काम पर जाना चाहता है। परन्तु यदि राशन की दुकान

[श्री चिन्तामणि जेना]

समय से नहीं खुलेगी तो उसका बहुत नुकसान होगा। इसलिये, इन उचित दर की दुकानों के लिये निर्धारित समय का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए तथा राशन की दुकानें समय से खुलनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, हमें अपनी इच्छानुसार समय निर्धारित नहीं करना चाहिए। इसे स्थानीय पंचायत अथवा स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वे यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं के लिये कौन सा समय उपयुक्त रहेगा ताकि वे इन दुकानों से अपना राशन ले सकें। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी आवश्यक वस्तुओं को ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के लिए अलग अलग स्थानों पर न जाना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिट्टी के तेल के लिए उसे दो कि०मी० की दूरी तक और चावल व गेहूँ के लिए 3-4 कि०मी० और दूर जाना पड़े। इस बात पर ध्यान दिया जाये।

मुझे अपने प्रधान मन्त्री और सरकार को प्रति वर्ष 2000/- करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्नों पर राज सहायता देने के लिए बधाई देनी चाहिए। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि हमें खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं का उचित वितरण करना चाहिए अगर हम यह सुनिश्चित करते हैं तो प्रधान मन्त्री का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति गरीबों और समाज के निर्धनतम लोगों के कल्याणों का उद्देश्य पूरा हो जायेगा। अगर हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे तभी हमें सफलता मिलेगी।

मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि खाद्यान्नों की आपूर्ति न किये जाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तव में क्या हो रहा है ? मन्त्री महोदय इसका पता कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने निश्चय किया है और यह समाचार पत्रों में भी आया है कि वह राज्य जो तिलहनों का उत्पादन कर रहे हैं उन राज्यों को आयातित तेल जैसे पामोलिन तेल नहीं दिया जाना चाहिए। इसी कारण उड़ीसा को आयतित खाद्य तेल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। मैं नहीं जानता यह कहां तक सच है लेकिन अगर यह सच है, तो मैं मंत्रीजी से इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। फिर भी राज्य सरकार या कृषि विभाग द्वारा ये आंकड़े दिये गये हैं वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है ? हमारा अनुभव है कि सरसों का तेल और अन्य खाने के तेल 25/- रुपये प्रति किलो से कम पर नहीं मिलते। यह स्थति है। अतः मैं मंत्रीजी से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

उड़ीसा, केरल, आंध्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम ये राज्य चावल खाने वाले राज्य हैं। जब कभी किसी विशेष राज्य के लिए चावल का कोटा निर्धारित किया जाता है तो इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्र के लिए यह संभव नहीं है कि वह हमारी सभी आवश्यकतायें पूरी करे क्योंकि केन्द्र चावल उत्पादन नहीं कर रहा है। वे राज्य जो खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि खरीद का लक्ष्य भली प्रकार पूरा किया जाये। मेरा नम्र निवेदन है कि सभी राज्यों में खरीद बोर्ड होने चाहिए जो खेती से एक विशेष राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खाद्यान्न एकत्र कर सकते हैं। इससे राज्यों को नियत समय पर खाद्यान्न खरीदने में सहायता मिलेगी लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है ? मैं आपको उड़ीसा राज्य के बारे में बता

रहा हूं। वहां पा एक नागरिक आपूर्ति समिति है। किसान अपने उत्पादों को सस्ते मूल्य पर बेच रहे हैं। जब वे खाद्यान्नों की खरीद के लिए छोटे व सीमान्त किसानों के पास जाते हैं तो वे अपने उत्पादों को सस्ते मूल्य पर पहले ही बेच चुके होते हैं। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में, मुझे कहना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम अपर्याप्त हैं कि आशानुकूल खरीद किये जाने पर भी वह गोदाम छोटे पड़ते हैं। मेरा नम्र निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और भारतीय खाद्य निगम के अधिक गोदाम या वेयरहाऊस होने चाहिए और फसल कटने के समय से पहले ही खरीद प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए जिससे कि किसानों को अपने उत्पादन के लिए समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके।

इन शब्दों के साथ, महोदय, मैं श्री बासवराजु द्वारा रखे गये विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, केवल 8 या 9 मिनट शेष रह गए हैं लेकिन अभी भी बहुत से सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। अतः अगर सदन इस विधेयक के लिए समय बढ़ाने के लिए सहमत होता है। तो इन सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाएगा।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय, इसे एक घन्टे तक बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से दो घण्टे की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी सदस्य जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। अतः इस पर चर्चा करने के लिए दो घण्टे बढ़ाए गए हैं।

जी हां, श्री जगन्नाथ पटनायक।

***श्री जगन्नाथ पटनायक** (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी राजभाषा उड़िया में बोलने की अनुमति दी जाए।

महोदय, मेरे मित्र जी जी० एस० बासवराजू द्वारा प्रस्तुत उचित दर पर दुकान (विनियमन) विधेयक पर मैं कुछ शब्द कहता हूं। श्री बासवराजू का विधेयक देश में उचित दर दुकान के कार्य करण को नियंत्रित करने के बारे में है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में उन्होंने समूचे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मजबूत बनाने और सरल तथा कारगर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने उचित दर दुकानों द्वारा उचित मूल्यों पर अच्छी क्वालिटी के खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के समय पर वितरित करने पर बल दिया है। वह महसूस करते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी है और इसलिए वह महसूस करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता ढूढ़ना चाहिए जिससे कि क्रियान्वयन ऐजेन्सियों अर्थात राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच उचित समन्वय किया जा सके और इस प्रणाली को सफलता मिले।

महोदय, अब हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भर बन गया हैं। सरकार द्वारा किसानों के लिए कल्याणकारी नीति अपनाने में ऐसा संभव हुआ है। हमारी सरकार प्रभावित बीजों के वितरण अच्छी क्वालिटी के उर्वरक किसानों को समय पर ऋण सहायता देने पर जोर दे रही

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

है । इसके अलावा आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से खेती करना और जल संसाधनों के उचित प्रयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की गई है । सरकार कृषि संबंधी वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दे रही है जिससे कि वे प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक तरीकों का खेती में उपयोग करें । बन घटकों से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होगी । इन सब सफलताओं के बावजूद यह दुःख की बात है कि देश के प्रत्येक हिस्से में कमजोर वर्गों को हित पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारी सरकार उनके लिए काफी चिंतित है । सरकार ने देश में काफी संख्या में उचित दर दुकानें खोली हैं सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के प्रति दृढ़ संकल्प है क्योंकि हमारा कल्याणकारी राज्य है और हमारी सरकार का मुख्य प्रयास कमजोर वर्गों के हितों को सुरक्षित करना है । विशेषतया जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं । सरकार खाद्यान्नों में वृद्धि करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नीतियां अपना रही है । सरकार किसानों के बीच तथा उर्वरक खरीदने के लिए ऋण तथा राजसहायता दे रही है केवल यही नहीं, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहायता के रूप में 2000/ करोड़ रुपए भी दिए हैं । भारत एक समाजवादी और लोकतांत्रिक देश है । हमारे समाज में रह रहे विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही है । सरकार ऊंची दरों पर खाद्यान्न खरीद रही है और उन खाद्यान्नों को वे कम और उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को बेच रही है क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल गरीब लोगों को निर्धनतम लोगों को फायदा पहुँचाना है और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है । हम उन्हें सुरक्षित रखना होगा और उन्हें न्याय दिलाना होगा जिन लोगों का लम्बे अर्से से दमन तथा उपेक्षा की जाती रही है उनके लिए बहुत सी योजनायें क्रियान्वित की जा रही है । उन्हें पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों द्वारा कोई लाभ नहीं पहुँचा है । महोदय, 1962 में जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी तब उचित दर की सिर्फ 4700 दुकानें थी । अब उचित दर दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गयी है । सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उचित दर की दुकान खोलने का नीतिगत निर्णय लिया है लेकिन महोदय, कुछ पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जो अगम्य हैं । इस तरह के दूरवर्ती इलाकों में एक से अधिक उचित दर की दुकानें खोलनी चाहिए । महोदय, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा । मैं उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां प्राय सूखा पड़ता है ऐसे जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने अनेकों बार इस जिले का दौरा किया है । इस जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निरीक्षण वे स्वयं कर रहे हैं । उनकी सलाह पर इस जिले में एक नई पद्धति अपनायी गयी है । सप्ताह बाजारों में वाहनों पर चलती फिरती दुकानें लगायी जाती हैं । इन चलती फिरती दुकानों से लोग अनेक दिनों के लिए आवश्यक सामान खरीद पाते हैं । यह एक बहुत ही अच्छी पद्धति है । देश के अन्य सूखा-ग्रस्त क्षेत्र तथा अगम्य क्षेत्रों में इस पद्धति को अपनाया जाना चाहिए । अगम्य क्षेत्रों की पंचायतें बहुत बड़ी होती हैं । लोगों को पंचायत मुख्यालयों में जाकर उचित दर दुकानों से राशन लाने में बहुत कठिनाई होती है । चलती फिरती दुकानों से वे आवश्यक सामान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं । अतः प्रत्येक पंचायत में जहां तक संभव ही यह पद्धति अपनायी जानी चाहिए ।

हमें एक अन्य बात अर्थात परिवहन व्यय के संबंध में बहुत ही व्यवहारिक बनना पड़ेगा । जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी तेल की डीलर अथवा उचित दर की दुकान के लिए लाइसेंस कुछ लोगों को दिया जाता है लेकिन हम उन्हें परिवहन व्यय के लिए उचित धनराशि का भुगतान

नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जो वे परिवहन खर्च करते हैं वह भी उन्हें नहीं मिल पाता है। जब वे मिट्टी तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो रिसने के कारण या अन्य कारणों से कुछ तेल सड़क पर गिर जाता है। चावल अथवा गेहूँ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त ऐसी खाद्यान्न वर्षा अथवा अन्य कारणों से खराब हो जाते हैं। यदि इन विक्रेताओं को कुछ लाभ नहीं दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उचित दर की दुकान खोलने की पेशकश नहीं करेगा। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में काला-बाजारी और अव्यवस्था की चर्चा कर रहे है। लेकिन हम थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की वास्तविक कठिनाइयों को नहीं समझ रहे हैं। यदि हम उन्हें कुछ लाभ नहीं देंगे तो वे कालाबाजारी में संलिप्त होंगे ही। अतः हमें इस मुद्दे पर विचार करना होगा।

4.07 म० प०

[प्रो० नारायण चन्द पराशर पीठासीन हुए]

अब मैं भंडारण पद्धति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की संख्या अधिक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी गोदामों की संख्या अपर्याप्त है। एक विशेष क्षेत्र के लिए भारतीय खाद्य निगम चावल जारी करता है। यह रेल अथवा ट्रकों द्वारा खाद्यान्न भेजता है। कभी कभी तो ये खाद्यान्न अनेक दिनों तक इनमें ही पड़े रह जाते हैं। जब बारिश शुरू होती है तो ये खाद्यान्न खराब होने लगते हैं और पीछे घटिया स्तर के ही पाये जाते हैं। खाद्यानों को खराब होने से बचाने के लिए हमें अधिक संख्या में गोदामों का निर्माण करना है। सहकारी समितियों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। चूंकि उचित दर की दुकानों में खाद्यान्नों की बिक्री में लाभ की कोई गुंजाइश नहीं है अतः सहकारी समितियां आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहती है। अतः परिवहन व्यय में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

महोदय, हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। देश में पंचायती राज और जिला परिषद पद्धति लागू की जा रही है। पंचायतों और जिला परिषद् द्वारा प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जाना एक नये युग का निर्माण करने वाली बात है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली पंचायतों के हाथ में आ जायेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह पद्धति एक बार फिर गांव के लोगों को अधिक अधिकार प्रदान करेगी और पंचायत इसका प्रबन्ध करेंगे।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रधान मन्त्री जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मजबूत किये जाने पर विशेष ध्यान दिया है। समन्वित जनजातीय विकास ऐजेन्सियों के अन्तर्गत अब उन्होने जनजातीय लोगों को 1.85 रुपये से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल देने का निर्णय किया है। समन्वित जनजातीय विकास ऐजेन्सियों के अन्तर्गत सहकारी विकास समितियों द्वारा प्रत्येक परिवार को 13 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह बहुत ही अपर्याप्त है। अतः इस आवंटन को बढ़ाकर 24 किलोग्राम प्रति परिवार किया जाना चाहिए। साथ ही मैं सरकार को यह भी सुझाव देना चाहूँगा कि कह सूखा ग्रस्त क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और अगम्य इलाकों में रहने वाले लोगों को 1.85 रुपये से 2.00 रुपये तक की दर से चावल उपलब्ध कराये।

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

महोदय, देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कि लोग चावल खाते हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री चिन्तामणि जेना कह रहे थे कि जिन राज्यों में लोग अधिक चावल खाते हैं वहां अधिक गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। केन्द्र द्वारा आवंटन करते समय सरकार को यह देखना चाहिए कि जिन राज्यों में अधिकांश लोग चावल खाने वाले हैं वहां अधिक मात्रा में चावल आवंटित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अधिक रोटी खाने वाले लोगों के लिए आवंटित किये जाने वाले गेहूं की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए। मैं चीनी के आवंटन के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में चीनी का आवंटन किया जा रहा है। यह भेद क्यों बरता जा रहा है ? इस प्रकार की एक भावना ग्रामीण लोगों में उत्पन्न की जा रही है। वे ऐसा महसूस करते हैं कि वे शहरी लोगों से घटिया हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि कैसे उनकी आवश्यकतायें शहरी लोगों से कम हैं ? मैं सरकार से इस भेद-भाव को दूर किये जाने का अनुरोध करता हूं। इस बात को भुला कर कि वे शहर में रहते हैं अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक कार्डधारी को बराबर मात्रा में चीनी दी जानी चाहिए। मैं पामोलीन के सम्बन्ध में भी कुछ कहूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में पामोलीन की मांग बढ़ती जा रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका आवंटन बहुत ही अपर्याप्त है। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पामोलीन के आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए। मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक दोष पाता हूँ। सभी आवश्यक वस्तुएं उचित दर की दुकानों द्वारा प्रत्येक कार्डधारी व्यक्ति को चाहे वह धनी हो या निर्धन बेची जाती हैं। मैं यह बात नहीं समझ सका कि धनी व्यक्तियों को उचित दर की दुकानों से राशन लेने की अनुमति क्यों दी जाती है गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यह दुकान आवश्यक है, धनवान लोग सभी प्रकार खाद्यान्न खुले बाजार से ऊँची दरों पर खरीद सकते हैं। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ सिर्फ समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए। धनवान लोगों को यह सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।

महोदय, यदि मैं उड़ीसा के सम्बन्ध में कुछ न कहूँ तो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। यह दुःख की बात है कि उड़ीसा राज्य को चावल और पामोलिन के लिए केन्द्र द्वारा किया जाने वाला आवंटन बहुत ही अपर्याप्त है। राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली मांग और केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने वाले आवंटन में बहुत ही अन्तर होता है। मैं यह मांग करता हूं कि उड़ीसा को आवंटित किए जाने वाले चावल और पामोलीन की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी संदर्शी योजना का मूल सिद्धान्त यह देखना है कि "देश के निर्धनतम व्यक्ति भी बेहतर स्थिति में हो और उन्हें भोजन वस्त्र और आवास प्रदान करना हमारा संवैधानिक दायित्व है" अतः जब हमने कृषि और चीनी के क्षेत्र में अधिक विकास कर लिया है और जब हम अनाज के उत्पादन में आत्म निर्भर हैं तो हमें इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक प्रणाली बिल्कुल प्रभावकारी रूप से कार्य करे और अन्न की कमी के कारण इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इस विनम्र निवेदन के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

*श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : सभापति महोदय, सभा में श्री बासवराजु द्वारा प्रस्तुत किये गये उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ यह अत्यन्त

*मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महत्वपूर्ण विधान है। माननीय श्री बासवराजू महोदय ने ऐसे समय में विधेयक प्रस्तुत किया है जब कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत सारी अनियमितताएं देख रहे हैं। वास्तव में इन अनियमितताओं को दूर करना नितान्त आवश्यक है। अतः यह विधेयक समय-समय पर प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकलापों की चर्चा की है। मैं उन बातों को पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सरकार को सिर्फ इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि वर्तमान पद्धति में व्याप्त अनियमितताएं किस प्रकार दूर की जा सकती है और कैसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं।

महोदय, एक समय था जब हमारे यहां खाद्यान्न की कमी थी। भारत भारी मात्रा में चावल और गेहूं का आयात कर रहा था। हमारे सतत प्रयासों के पश्चात उत्पादन में कई गुणा वृद्धि हुई और अब देश खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो चुका है और अब हम खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं। जब केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को चावल, गेहूँ और दालें आदि आवश्यक वस्तुएं उनकी आवश्यकतानुसार अवश्य मिलनी चाहिए और साथ ही उचित मूल्यों पर मिलनी चाहिए। देश में जमाखोरी, काला बाजारी को रोकने और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर इस देश के आम लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी है। लेकिन यह दुःख की बात है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को उचित दर की दुकानों से उनकी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। अनेक स्थानों पर डीलरों और उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा अधिकांश राशन ऊंचे दर पर काला बाजार में बेचा जा रहा है। आम आदमी इन वस्तुओं को खुले बाजार से काफी ज्यादा कीमतों पर खरीदता है। इन अनियमितताओं को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। अन्यथा गरीब व्यक्तियों को जन-वितरण-प्रणाली से कुछ भी लाभ नहीं होगा जिनके लिए इसे लाया गया है। अतः ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा।

पहली बात यह है कि सरकार जनता में से ही भंडारण-ऐजेन्ट नियुक्त कर रही है। ये भंडारण एजेन्ट मुनाफाखोर होते हैं। वे दुकानदारों से अनाज ले लेते हैं और इसे खुले बाजार में काफी ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं और इस प्रकार अच्छा लाभ कमाते हैं। इन व्यक्तियों को भंडारण-एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक ब्लाक में एक भंडार खोले और इसके कर्मचारियों को भंडारण-एजेन्टों के रूप में कार्य करना चाहिए। इन भंडारों में काम करने वाले कर्मचारियों को कालाबाजारियों द्वारा प्रलोभन दिये जाने की सम्भावना है इसलिए इन कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए और भंडारों की नियमित रूप से जांच की जाए।

दूसरे जन-वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इस समय खोली जाने वाली खुदरा दुकानों के बारे में, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने इस प्रत्येक गांव अथवा पंचायत में खुदरा व्यापारियों की दुकानें खोली हैं जहां पर कि उचित दर की दुकानें खोली गयी हैं। उड़ीसा में गांव अथवा पंचायत स्तर की समितियां होती हैं जो उचित दर की दुकानों की प्रभावशाली कार्य प्रणाली की निगरानी

[श्री हरीहर सोरन]

करती हैं। परन्तु दुःख की बात यह है कि ये खुदरा व्यापारी, उन व्यापारियों में से ही चुने जाते हैं जो किसी प्रकार समिति के सदस्यों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। अतः खुदरा समितियां प्रभावी नहीं है अतः मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि किसी भी व्यापारी अथवा निजी काम करने वाले व्यक्तियों को खुदरा व्यापारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश राज्य-सरकारों को जारी किए जाने चाहिए। खुदरा वस्तुओं की दुकानें पूरी तरह से सहकारी समितियों के अधीन होनी चाहिए। इस प्रकार हम जन-वितरण प्रणाली को काफी सफल बना सकते हैं।

तीसरे, मैं इनके ढुलाई-प्रभार के बारे में कहना चाहूँगा। मेरे मित्र श्री जैन इसकी बात कर रहे थे। हर कोई यह जानता है कि ढुलाई-व्यय जो दुकानदारों को दिया जाता है, बहुत कम है। यहां तक कि जितना वे खर्च करते हैं यह उससे भी कहीं अधिक कम है। अतः वहन-की लागत बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा, दुकानदार अपनी ढुलाई लागत को वसूल करने के लिए काला बाजार में अनाज के कुछ बोरे बेचने का काम जारी रखेंगे। इस के साथ ही लाभ का अंश भी बढ़ाया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब ग्राम पंचायतें और सहकारी समितियाँ इस कार्य को करने के लिए सहमत हो जायेंगी। जब हम विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनके लाभार्थियों को राज-सहायता के रूप में इतनी बड़ी राशि खर्च कर रहे है, तब हम वहन-प्रभार पर कुछ और अधिक पैसा खर्च क्यों नहीं कर सकते ? व्यापारियों, बेईमान व्यापारियों और कालाबाजारियों को बहुत अधिक लाभ देने की बजाय हम सहकारी-समितियों और ग्राम पंचायतों को क्यों न कुछ और लाभ दें ? जब हम पंचायतों को और अधिक अधिकार एवं शक्ति देने जा रहे हैं तब पंचायतों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जायेगा ? क्योंकि अन्ततः हमारा उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना है। अतः इस सम्बन्ध में, हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए।

महोदय, चौथी बात मैं उपभोक्ता-राशनकार्ड के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उपभोक्ताओं को राशन-कार्ड दिये जा रहे हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ता सीधे-सादे और भोले-भाले होते हैं। खुदरा-व्यापारी इन उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। वह सारे राशन-कार्ड अपने पास रखता है। वह अपनी इच्छानुसार उपभोक्ताओं को राशन देता है। वह उपभोक्ताओं को प्रत्येक वस्तु का पूरा कोटा नहीं देता है। परन्तु वह हर बात कार्ड और रजिस्टर दोनों में रिकार्ड करता है। वह कोटे का काफी बड़ा भाग काले बाजार में बेच देता है। इस कार्य में वह काफी अधिक मुनाफा कमाता है और दूसरी तरफ, आवश्यक वस्तुओं के अभाव में उपभोक्ताओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमें किसी भी कीमत पर इस भ्रष्टाचार को रोकना है।

महोदय, मैं विभिन्न राज्यों को आवंटित किये जाने वाले अनाज के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूँगा। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि हर स्थान के लोगों की भोजन के बारे में भिन्न-भिन्न रुचियां हैं। जैसे, दक्षिणी राज्य के व्यक्ति चावल खाना पसन्द करते हैं परन्तु उत्तरी राज्यों के व्यक्ति हर रोज चावल खाना पसन्द नहीं करते। वे आटे से बनी चपाती प्रतिदिन भोजन में खाते हैं। परन्तु जन-वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनाज का आवंटन करते समय हम लोगों की भिन्न-भिन्न रुचियों का ध्यान नहीं रखते। हम इस देश के हर हिस्से को चावल और गेहूँ दोनों

आबंटित कर रहे हैं। मान लें कि हम उन राज्यों को अधिक गेहूं आबंटित करते हैं जहां लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है, तब उपभोक्ता गेहूं कैसे लेंगे ? इसी प्रकार, जिन राज्यों में गेहूं खाने वाले व्यक्ति है वे चावल अधिक नहीं लेना चाहते जोकि हम उन्हें आबंटित कर रहे हैं। उड़ीसा में कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं - आदिवासी गेहूं खाना पसन्द नहीं करते। अतः वे राशन की दुकानों से गेहूं नहीं लेते। परन्तु अक्सर यह देखा गया है कि राशन-कार्ड में उनके नाम पर गेहूं लिया गया, ऐसा लिखा होता है। इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि अतिरिक्त गेहूं अथवा चावल काले बाजार में बेच दिया जाता है। जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में उसी अनाज की कमी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए और ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार लोगों की भोजन सम्बन्धी रुचियों का ठीक से पता लगाये तथा विभिन्न क्षेत्रों में चावल अथवा गेहूं जो कुछ वे पसन्द करते हैं, उसकी वास्तविक आवश्यकता का भी सही निर्धारण करें। उसी के अनुसार आबंटन होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर समुचित ध्यान देंगे। महोदय, उड़ीसा में चावल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। परन्तु सारा गेहूं का कोटा काले-बाजार में बेचा जा रहा है। चीनी के बारे में भी यही स्थिति है। जब विभिन्न राज्यों के लिए चीनी आबंटित की जाती है तब यह देखा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी चीनी उसी मात्रा में आबंटित की जा रही है। उसी मात्रा में चीनी आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी आबंटित की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की तुलना में अधिक चीनी की जरूरत होती है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आबंटित की गई चीनी उन तक नहीं पहुँचती। खुदरा व्यापारियों का कहना है कि चीनी मुख्यायालय से नहीं आई है। इस बहाने से वह अधिकतर चीनी का कोटा बेच देता है। आदिवासी क्षेत्रों के बारे में जितना कम कहा जाये, उतना ही अच्छा। जैसाकि मैंने पहले बताया है, आदिवासी सीधे-सादे और भोले-भाले होते हैं। वे इस बारे में अधिक चिंता नहीं करते कि उचित दर दुकानों पर कितना और किस प्रकार का अनाज आया है। उनको तो यह भी पता नहीं होता कि उनको कितना मिलता है और उन्हें कितनी चीनी मिलनी चाहिए। खुदरा व्यापारी उनके इस सीधेपन का लाभ उठाते हैं और आदिवासी क्षेत्रों के लिए आबंटित किया हुआ सारा चीनी का कोटा काले बाजार में बेच देते हैं। इस प्रकार से बेईमान व्यापारी जिन्हें खुदरा व्यापारी अथवा डीलर्स के रूप में नियुक्त किया जाता है, वे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित राज्य-सरकार के अधिकारी उपभोक्ताओं का संरक्षण करने में असमर्थ हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई क्षेत्रों में नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी खुदरा-व्यापारी और डीलर्स के साथ सांठ-गांठ करके कालाबाजारी कर रहे हैं। महोदय, हमारा मुख्य उद्देश्य इस देश के प्रत्येक नागरिक को उचित दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है। उस बात को मद्देनजर रखकर ही भारत सरकार ने जन-वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। परन्तु यह खेदजनक है कि इसका लाभ सबसे निर्धन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिनके लिए इस प्रणाली की व्यवस्था की गई है और इन योजनाओं के अन्तर्गत काफी अधिक राज-सहायता दी जा रही है। अब हमें गरीब व्यक्तियों के हितों की रक्षा करनी है। अतः डीलर्स, खुदरा व्यापारी और अन्य मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो जन वितरण प्रणाली की असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। हम अब और अधिक मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। भारत सरकार को, विभिन्न अनियमिततायें जो कि वर्तमान प्रणाली में की जा रही हैं, उनका पता लगाने के लिए अपने तंत्र का उपयोग करना चाहिए। इन अनियमिताओं को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए। एक नई प्रणाली को लाना चाहिए।

[श्री हरिहर सोरन]

जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। भारत-सरकार को राज्य-सरकारों के लिए नये मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए। जिससे वे व्यवस्थित रूप से इसको क्रियान्वित कर सकें। हमें यह देखना है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं राशन की दुकानों से प्राप्त करते हैं। इस सुझाव के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बहस में भाग लेने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, यद्यपि श्री बासवराजू द्वारा प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है, फिर भी वास्तव में ऐसा विधेयक इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पायेगा। यह व्यवहार में लाया नहीं जा सकता क्योंकि उचित दर की दुकानों की सम्पूर्ण व्यवस्था का केन्द्रीय सरकार प्रबन्ध नहीं कर पायेगी। यह किया जाना है और राज्य सरकारों का यह सबसे पहला कर्त्तव्य है कि वह इन उचित दर की दुकानों की व्यवस्था करे। खैर ऐसा नहीं है क्योंकि इस विधेयक को लाने के श्री बासवराजू के कई कारण भी हैं। कुछेक राज्य हैं, जहां उचित दर की दुकानों का प्रबन्ध बहुत खराब तरीके से किया जाता है और इसलिए माननीय सदस्य यह मानते हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राज्य बोर्ड के द्वारा उचित दर की दुकानों की कार्य प्रणाली व्यवस्थित की जा सकती है। फिर भी, जैसाकि मैंने कहा है कि किसी भी बोर्ड के प्रबन्ध में उचित दर की दुकानों की कार्य-प्रणाली की व्यवस्था करना, जिनका निरीक्षण राज्य सरकारें करें बिल्कुल अव्यायहारिक होगा।

महोदय, जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है, वस्तुओं आदि के संबंध में सामान्य उपबंध राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख प्रविष्ट 27 में किया गया है :–

"सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, माल का उत्पादन प्रदाय और वितरण।"

समवर्ती सूची की सूची 3 में मद संख्या 33 में उल्लिखित है :–

"व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।।"

(क) जहां संसद द्वारा, विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है, वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में;

(ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं;

हमारे संविधान, विशेषज्ञों ने इस विषय को समवर्ती सूची में रखकर ठीक ही किया है। क्योंकि वे चाहते थे कि इस उपबंध के जरिए केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण रखे-समय समय पर आवश्यक वस्तुओं के प्रबंधन के बारे में विभिन्न आदेश तथा मार्गनिर्देश जारी कर सके।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हाल ही में, अर्थात 1986 में, हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 नामक एक आदर्श विधान पारित किया है। मेरा कहना है और जैसाकि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जहां तक उपभोक्ता एवं आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है यह एक

वास्तव में एक अत्यंत क्रांतिकारी उपाय है। वर्ष 1986 में यह अधिनियम बनाए जाने के बाद इसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा इसके कार्यान्वयन में कमी के कारण हुआ। वास्तव में इस प्रकार के आदर्श विधान से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती थी तथा लोगों को उचित दर दुकानों के माध्यम से उत्तम किस्म की वस्तुयें उपलब्ध कराई जा सकती थी। इसमें केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का भी प्रावधान किया गया है। इसमें जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच तथा राज्य आयोगों के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की भी व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत इन चार आवश्यक निकायों की स्थापना की गई है तथा कुछ मामलों में इन समितियों के प्रमुख सदस्य उच्च स्तर के न्यायिक अधिकारियों के समतुल्य हैं। अत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे महत्वपूर्ण तंत्र की स्थापना का प्रयत्न किया गया था और यदि हम इस अधिनियम का उचित ढंग से कार्यान्वयन करते तो उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलती। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अनेक राज्यों में इन निकायों की स्थापना नहीं की गई है। इसलिए 1986 में पारित किये जाने के बावजूद यह अधिनियम केवल कागजों पर ही रहा। यह अत्यंत आवश्यक है कि इस अधिनियम को सभी राज्यों में कार्यान्वयन किया जाए। यह समूची व्यवस्था के लिए एक आदर्श क्रांति थी। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप राज्य सरकारों से इस विधान के कड़ाई से कार्यान्वयन का अनुरोध करें। मेरे राज्य में भी राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा किसी अन्य शिकायत निवारण मंच की स्थापना नहीं की गई है। अतः हमें इस विधान का कड़ाई से कार्यान्वयन करना चाहिए। तत्पश्चात मूल्य नियन्त्रण की समस्या है और उसमें दो बातें हैं। एक कुछ वस्तुओं की कमी है तथा दूसरी है कुछ व्यक्तियों द्वारा पैदा की गई कृत्रिम कमी। अतः आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः इसका मूल्यांकन करना होगा कि कृत्रिम कमी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं अथवा नहीं। यदि वस्तुओं की कमी है तो हमारे लिए आयात के अलावा वे वस्तुएं मुहैय्या कराना अत्यंत कठिन है, जोकि सदा संभव नहीं होता। किंतु यदि कोई कृत्रिम कमी है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपितु निवारक उपायों का प्रावधान करने वाले अन्य उपबन्धों के तहत भी कड़ी कार्यवाही करें ताकि उन नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कृत्रिम कमी बर्दाश्त नही की जायेगी। वे समझ सकते हैं कि यदि किसी समय किसी वस्तु की आपूर्ति कम है तो सरकार उस वस्तु को कहीं से नहीं ला सकती। किंतु यदि कृत्रिम कमी की स्थिति आ जाती है तो वे बहुत नाराज हो जाते हैं। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप राज्य सरकारों से अनुरोध करें कि वे कृत्रिम कमी न पैदा करें। जैसाकि आप जानते हैं, कुछ राज्य सरकारें–आपने उनको उचित उत्तर दिया है–उपभोक्ता की कीमत पर, गरीब लोगों की कीमत पर लाभ कमाने पर तुली हुई हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का मामला हमारे सामने है। वे इससे इन्कार करते रहे हैं तथा इसे कुछ और बताते रहे हैं। किंतु चावल के मामले में उन्होंने जो अपराध किया है वह धोखा-धड़ी के सिवाय और कुछ नहीं है। यदि कोई जनता को चावल के मामले में धोखा दे और जब उसे अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा हो तो यह धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है ? परन्तु यदि वे पकड़े जाते हैं तो नाराज हो जाते हैं। कल मैंने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि वर्ष 1986 में आई बाढ़ के दौरान भी जब केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत धनराशि दी गई थी तो भी उसका अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया गया था। बाढ़-राहत कार्यों के लिए

[श्री शांताराम नायक]

दिए गए 92 लाख रुपयों में से बड़े पैमाने पर एयर-कंडीशनर खरीदे गए थे। कुछ क्षेत्रों में सरकार का नेतृत्व कर रहे क्षेत्रीय दलों का यह दृष्टिकोण है। इन राज्यों पर आपका नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। चूंकि हम अपनी पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। यद्यपि आपका संपर्क सीधे राज्य सरकारों से है और वे जो भी जानकारी आपको देते हैं, आपको उसी पर निर्भर करना पड़ता है, किंतु कृपया इस तरीके को आजमा कर देखें। एक नमूना सर्वेक्षण अथवा उदाहरण के तौर पर आप आवश्यक वस्तुओं के वितरण के बारे में सीधे पंचायतों से जनकारी मांगी जाएगी तो आपको वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी क्योंकि कभी-कभी राज्य सरकारें गलत जानकारी दे देती हैं।

अन्त में, मैं अपने राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता हुँ। गोवा छोटा सा राज्य है। जहां तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का प्रश्न है, इसमें समय-समय पर समस्यायें आती रहती हैं हमें कभी-कभी अच्छा चावल, गेहूँ अथवा अन्य वस्तुएं नहीं मिलती। गोवा एक छोटा सा राज्य है और यदि आप सही समय पर थोड़ा ध्यान दें तो हम संतुष्ट हो जायेंगे। वहां तीन मुख्य त्यौहार होते हैं, चतुर्थी, दीपावली तथा क्रिसमस। उस समय हमारे राज्य पर कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे देश की विशालता को देखते हुए गोवा की आवश्यकताओं को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप गोवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त सप्लाई दें तो आप एक राज्य की जरूरतें पूरी कर देंगे और वहां कोई समस्या न होने का श्रेय आपको प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : सभापति महोदय, मैं फेयर प्राइस शाप्स रैगुलेशन बिल पर बोलने की इजाजत देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूं।

हमारे प्रजातंत्र में रोटी, कपड़ा और मकान सबको उपलब्ध हो, यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी भी हमारी 30 परसैंट से ज्यादा पोपूलेशन पावर्टी लाइन से नीचे है और उनको यह सब चीजें उपलब्ध होने में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह पोपूलेशन ज्यादातर अन-आर्गेनाइज्ड है। जो आर्गेनाइज्ड सैक्टर हैं, चाहे लेबर के हों, वह तो अपने प्रेशर टैक्टिक्ट्स से सब तरह के कन्सैशन ले सकते हैं जो हमारे यहां सब्सीडाइज्ड फूड मिलता है तो वह ले सकते हैं, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज में या दूसरी जगह जो लेबर है, वह अपनी स्ट्रैन्थ के हिसाब से तनख्वाह वगैरह के लिए अपनी बात कर सकते हैं, दूसरे प्रिविलेजेज की बात कर सकते हैं लेकिन जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो पावर्टी लाइन से बिलो हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है जो बिखरे हुए हैं और गांवों में फैले हुए हैं, उनके लिए कोई भी प्रावीजन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि स्टेट की मशीनरी चुस्त भी हो और ओनस्ट भी हो और डेडीकेटेड भी हो। कायदे से उनकी जो सहूलियत की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान वह उनको दिलायें।

इसलिए आवश्यक है कि गवर्नमेंट की मशीनरी जो भी क्रिएट की जाती है, गवर्नमेंट की इंटेंशन सब चीजें प्रोवाइड करने की है, लेकिन अभी भी वह नहीं हो पा रहा है। हमारे पास फेयर प्राइस शाप गांव में भी हैं लेकिन जो इंटेंशन गवर्नमेंट की है कि उनके पास कपड़ा और रोटी ठीक से मिल जाये लेकिन वह अभी नहीं मिल पाती है। जो बिल ये लाये हैं, वह स्वागत-योग्य है और सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से इसके लिये कुछ किया जाये यह अच्छी बात होगी।

हर साल हम देखते हैं जब किसानों का अनाज आता है। वह 12 महीने मेहनत करता है, उसको स्टार्व भी करना पड़ता है। सब तरह की बातें कर के मेहनत करके उसको जो प्राइस मिलता है वह हार्डली नैग्लीजिबल है। कभी-कभी पार्लियामैंट में फिगर्स आपने दिये हैं, लेकिन उसको मिलने वाली कीमत से 10,12 रुपये का फर्क भी उसका नहीं मिलता और उसी पर उसको बाजार में बेचना पड़ता है। लेकिन 15,20 दिन के बाद जैसे ही यह माल व्यापारियों के पास पहुँचता है, बरसात भी होती है, उसका असर प्राइस विद-इन ए मन्थ डबल हो जाता है और व्यापारियों के माध्यम से अनाज कंज्यूमर्स के पास पहुँचता है। ना तो पैदा करने वालों को कुछ मिलता है और न कंज्यूमर को मिलता है जो बीच की एजेन्सीज हैं, वह सारा प्राफिट ले लेती हैं। उसकी वजह से सारी व्यवस्था बिखरी हुई है। उसको कैसे संतुलित किया जाये ? यह जो प्रविष्ट है, यह एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष न कमाकर समाज को मिले या पैदा करने वाले को मिले, इस तरह की व्यवस्था हो तो यह बहुत लाभदायक बात होगी।

यह भी देखना है कि यह जो फेयर प्राइस शाप्स हैं उनमें जो भी चीजें हैं, मकान की भी हैं, सीमेंट वगैरह है और दूसरी चीजें भी हैं, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि बहुत सी चीजें फैस्टिवल्स के टाइम पर आती हैं। कोई इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि चीजें उस समय पर मुहैया हो जाया करें।

बहुत सिम्पल चीज है, बिल भी ठीक है, उनकी मांगें भी वाजिब हैं, अगर हमारे सिद्धान्तों के अनुकूल हैं, जो भी कमी आ रही है, परेशानी आ रही है वह व्यवस्था की है। यह स्थिति फेयर प्राइस शाप्स पर ही नहीं है, हर सैक्टर में चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्टर हो, डैवलपमैंट का सैक्टर हो या कोई भी सैक्टर हो, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था इतनी विगड़ी हुई है कि जब तक इसे टाइटेन्ड-अप नहीं किया जायेगा जब तक उसे लाइन पर न लाया जाये तब तक जो भी व्यवस्था हम करते हैं, उसका पूरा फायदा लोगों को नहीं मिलेगा।

मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये मैं उनका स्वागत करता हूँ। पंचायतों को अब आप ज्यादा पावर देने जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमैंट से उनको फंड सीधे मिलेगा। जितने भी बिचौलिये होते थे वे पहले सारा का सारा माल खुद खा जाते थे और वह माल गरीबों तक पहुँच नहीं पाता था। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप उस पर जरूर गौर करें। फेयर प्राइस शाप्स में बांटी जाने वाली जो आवश्यक वस्तुयें हैं वह आप पंचायतों को दें। अब वैसे भी पंचायतों को पावर्स ज्यादा मिल रही है और स्टाफ की भी उनके पास कमी नहीं रहेगी। इससे जो आपकी मंशा है, वह पूरी हो जायेगी।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूँ।

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, यह जो उचित मूल्य के दुकानों से संबंधित विधेयक पेश किया गया है, वह बहुत अच्छा है। इसकी भावना बहुत अच्छी है। जिस उद्देश्य से मूल्य की दुकानें खोली गई थीं उस उद्देश्य की यह पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। इन पर जितना नियन्त्रण सरकार का होना चाहिए था उतना नियन्त्रण हो नहीं पाया है।

हमारे गांवों व दूर-दराज के इलाकों में जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां पर चीनी, कैरोसिन आयल, शक्कर, चावल आदि समय पर लोगों को मिलता नहीं है। वह उन जगहों में महीने तक पहुँचता नहीं है। जब गांव वाले उन दुकानों पर अपने कोटे का माल लेने जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि इस बार का कोटा हमें नहीं मिला है। इसकी वजह से वे लोग बहुत परेशान होते हैं और उनको महंगे और बाजार मूल्य से माल खरीदना पड़ जाता है।

हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 46 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लोग व आदिवासी लोग रहते हैं। वहां प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो शक्कर व चावल मिलना चाहिए केन्द्र की तरफ से, वह नहीं मिलता है। इसकी वजह से भी कठिनाई होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से तेल, शक्कर और कैरोसिन आयल पूरी मात्रा में आवंटित करें। हमारे प्रदेश के शासन और शासकीय अधिकारियों ने हर सम्भव यह कोशिश की है कि उचित मूल्य की दुकानों पर पूरा नियन्त्रण रहे और लोगों को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध होती रहें। फिर भी कभी कभी देखने में आता है कि जब खाद्यान्न की कमी होती है या किसी वस्तु विशेष की कमी होती है तो नगर की दुकानों पर भी उनका अभाव हो जाता है। हमारे यहां उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाला खाद्यान्न, गांवों में दुकानें न होने के कारण, ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी वितरित कराया जाता है परन्तु देखने में आया है कि ग्राम पंचायतें भी लोगों को वह सामान उपलब्ध कराने में सफल सिद्ध नहीं हुई हैं, उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश को, केन्द्र सरकार की ओर से भेजा जाने वाला सामान, जैसे शक्कर, खाद्यान्न आदि, पूरी और समुचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाये और फेयर प्राइस शौप्स वितरण व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रहे ताकि हमारे गरीब किसान और मजदूर भाइयों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती रहें।

श्री नन्दलाल चौधरी (चौधरी) : माननीय सभापति जी, माननीय श्री बासवराजू ने इस सदन में जो बिल पेश किया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, मुझे वह जमाना याद याद आता है जब आजादी से पूर्व बंगाल में अकाल पड़ा था और अनाज न मिलते से लाखों लोग अकाल का शिकार हो गये, मारे गये। उन दिनों हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं था और न हमारे यहां खाद्यान्न की ट्रांसपोर्टेशन के उचित साधन ही उपलब्ध थे। आज हमारे देश ने खाद्यान्न के मामले में काफी उन्नति कर ली है और हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो गये हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन भी मौजूद हैं। बंगाल में पड़े अकाल के बाद, जबसे हमें आजादी मिली है, एक व्यक्ति भी अनाज के अभाव में भूख से नहीं मरा, यह हम सबके लिए कितने गौरव की बात है। इसका सारा श्रेय हमारी सरकार की सफल नीतियों को जाता है। हमारे नेता श्री राजीव गांधी इस सदन में पिछले दिनों पंचायती राज बिल पेश किया था जिसके अन्तर्गत हम पंचायतों के स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने का प्रावधान है। इसे मैं बहुत प्रशसनीय कदम मानता हूं। इस बिल का उद्देश्य यही है कि छोटे से छोटे गांव में भी लोगों को स्वत: सभी आवश्यक वस्तुएं और आसानी से उपलब्ध हो सके और

गरीबों को राहत मिले । वर्तमान बिल में सस्ती दुकानों के माध्यम से मंहगाई को रोकने के लिए जो सुझाव दिये गये हैं, मैं उन्हें भी गरीबी उन्मूलन की दिशा में कारगर कदम मानता हूँ । वैसे तो फेयर प्राइस शौप्स आज भी विद्यमान हैं लेकिन देखने में आता है कि इस प्रणाली से हम गरीबों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुए हैं । कुछ बिचौलिए किस्म के लोग उन खाद्यान्नों का होर्डिंग करके, ब्लैक मार्केट रेटस पर वही वस्तुएं लोगों को बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे गरीब मजदूरों का शोषण होता है । हमारे क्षेत्र में कुछ लोगों ने छद्म नामों से दुकानें ले रखी हैं और उन्होंने ऐसी व्यस्था कर रखी है जिससे कि गरीबों को वह खाद्यान्न न मिल सके और उसी सामान को ब्लेक मार्केट में बेचकर वे मुनाफा कमा सकें । इससे कमजोर तबके के के लोगों और गरीब किसानों को भारी असुविधा हो रही हैं । मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसा कोई तरीका खोजे जिससे कि गरीब लोगों तक हम सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करा सकें आज ब्लैक मार्केटिंग होने से, हमारी सारी योजना निष्फल सिद्ध हो रही है और फेयर प्राइस शौप्स के माध्यम से हम गरीबों को जो सुविधा उन तक पहुँच नहीं रही है । असल में, फेयर प्राइस शौप्स के दुकानदारों को इस काम में जितना मार्जिन मिलना चाहिए उतना मार्जिन मिल नहीं पाता इसलिए भी वे अपना गल्ला या खाद्यान्न ब्लैक में बेच देते हैं । मैं समझता हूँ कि यदि उन्हें पर्याप्त मार्जिन मिलने लगे तो सम्भव है उनकी ब्लैक मार्केट में खाद्यान्न बेचने की आदत पर अंकुश लग सके । इस प्रकार से अच्छा मार्जिन होगा, तो लोगों को खाद्यान्न मिल सकता है । विशेष तौर से इसमें जो दुकानों का गल्ला बेचते हैं, उसमें उनको कोई डर नहीं होता है । इसलिए बहुत कड़े कानून इसके लिए हों, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान हो, ताकि जब कानून का और सजा का डर होगा तो वे गल्ला मार्केट में नहीं बेच सकेंगे । होता क्या है, जब कभी ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता है, तो उस दुकानदार को थोड़ा सा जुर्माना कर के छोड़ देते हैं, और दुकान फिर उसी को थोप देते हैं । मेरा इसमें निवेदन यह है कि इस प्रकार की दुकानदारों को ये दुकानें न दी जाएं, बल्कि पंचायतों और सोसायटियों को दी जाएं और उनकी मार्फत गल्ला लोगों को दिया जाए । गल्ले की देहाती क्षेत्र में भी बड़ी दिक्कत होती है । इसलिए मेरी मांग है कि देहाती क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोली जाएं और ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को अपने ही गांव में सामान मिल जाए । इसके लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए या सप्ताह में दो या तीन दिन भी मुकर्रर किए जा सकते हैं उन दिनों में खाद्यान्न की दुकानें खुली रहें और वहां पर निश्चित रूप से लोगों को खाद्यान्न वगैरह मिल सकें । इसी प्रकार जहां-जहां बाजार हाट लगते हैं वहां-वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि लोग उस दिन आकर अपना खाद्यान्न वहां से ले सकें । खाद्यान्न के साथ-साथ आयल वगैरह अन्य वस्तुएं भी उनको उन्हीं दुकानों से वितरित की जा सकें, ऐसी व्यवस्था करें ।

सभापति महोदय, यह जो कमेटी फार्म करने की बात और बोर्ड बनाने का जो प्रावधान इसमें किया गया है, मैं चाहूँगा कि जैसे जिला स्तर पर समितियां काम कर रही हैं, उसी प्रकार से गांवों में भी समितियां हों जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और गरीब तबके के प्रतिनिधि हों । जो दुकानें ये सामान वितरण करती हैं उनको ये लोग देख सकें और मानिटरिंग की कड़ी व्यवस्था हो और इनकी जांच होती रहे । यदि ऐसा होगा तो दुकानदारों को अपना गल्ला या और सामान बाजार में बेचने का मौका नहीं मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, जिलों में खाद्यान्न का जो कोटा दिया जाता है, वह वहां की आवश्यकताओं और व्यक्तियों के हिसाब से कम दिया जाता है । इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए ।

[श्री नन्दलाल चौधरी]

जहां पर गरीब लोग ज्यादा हों, उन पंचायतों में और उन क्षेत्रों में अन्न का कोटा ज्यादा दिया जाना चाहिये क्योंकि गरीब लोग खाद्यान्न का उपभोग ज्यादा करते हैं और अमीर लोग कम करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि गरीब लोग जहां हों, वहां खाद्यान्न का कोटा ज्यादा दिया जाए।

सभापति महोदय, मैंने कई जगह देखा कि खाद्यान्न खुले में रखा रहता है जिससे देश का बहुत नुकसान होता है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनाए जाएं ताकि खाद्यान्न सड़े नहीं और उसकी ठीक ढंग से देख भाल हो सके और चलित दुकान अधिक से अधिक खोली जायें ताकि लोगों को समय पर खाद्यान्न मिल सके।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के पेश करने के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं और शासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उनका देखें और मंत्री महोदय अपनी तरफ से एक बिल लायें जिससे जन साधारण को सुविधा हो और जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, उस पर रोक लगे।

5.00 म० प०

चौधरी लच्छी राम (जालौन) : माननीय सभापति जी, उचित दर विनियमन विधेयक जो हमारे साथी ने प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में हमारी सरकार ने काफी अच्छी परिस्थितियों में, जबकि गरीब लोगों को सामग्री नहीं मिलती थी- उस समय इस बिल को लागू किया था और उससे काफी लाभ भी हुआ। कई दिनों से इस पर चर्चा चल रही है। हमारे साथियों ने इसकी अच्छाइयों बुराइयों पर प्रकाश डाला। वास्तव में अच्छाइयां अपने अपने स्थान पर हैं, इसमें दो राय नहीं कि इसमें बुराइयां भी हैं और उन बुराइयों का कुछ कारण भी है। अभी हमारे साथी ने कहा कि इस-पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है। इसमें दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार होता है परन्तु भ्रष्टाचार करने के अवसर इतने अधिक हैं कि भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। मिसाल के तौर पर, जो समान दुकान-दार को एफ०सी०आई० से मिलता है, उसको वह तोलकर नहीं मिलता है। उसमें अक्सर कमी निकलती है और कभी-कभी तो शक्कर में पानी मिलाकर उसका बोझा बढ़ा दिया जाता है। उनको शक्कर पर छः रुपये बोरा कमीशन मिलता है। एक समय था जब 40-50 पैसे बोरा किराये में जाता था और आज किराये के लिये चार रुपये बोरा मांगता है और छः रुपये मुनाफा मिलता है। इसी तरह से गल्ले पर भी एक क्विंटल पर जो उसका मुनाफा मिलता है, वह 4-5 रुपये प्रति बोरा मिलता है और उसमें भी छलिया वाले ले लेते हैं। इसी वजह से वह बेईमानी करता है। सरकार से आग्रह करने के बावजूद कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है।

सभापति जी, पाम आयल जो हमारे यहां पर बिकता है उसमें पच्चीस पैसे मुनाफा मिलता है। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि हमारे निरीक्षकों को महावारी देनी पड़ती है और जो महावारी नहीं देता, वह दुकान नहीं चला सकता है। इसीलिये इसमें बेईमानी होती है। हमारे गांव में जो दुकानें हैं, वह दूर-दूर हैं, जिसकी वजह से लोगों को दूर जाना पड़ता है। थोड़े से राशन के लिये लोगों को दो किलोमीटर तक जाना पड़ता है और वह इतनी दूर जाना पसन्द नहीं करता है और इसलिये वह अपना राशन छोड़ देता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर पुनः नये नियम बनाये जाने चाहिये जिससे कि बेईमानी पर कन्ट्रोल किया जा सके। जब तक यह बेईमानी बनी रहेगी तब तक आम जनता को जो लाभ मिलना है, वह नहीं मिल पायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

श्री रामश्रेष्ठ झिरहर (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष जी, उचित दुकान विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इसमें, जैसा मैंने देखा है, बहुत सारे प्रावधान नये किये गये हैं जिसमें उच्च दर दुकान को खोलने से लेकर उसपर नियंत्रण करने की बात की गई है। केन्द्र ने इसमें अपना हाथ बटाया है। ऐसे प्रावधान इसमें किये गये हैं जिससे कि बुराइयों का निपटारा किया जा सके। परन्तु मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूंगा। मन्त्री जी बैठे हैं, जो शहरी क्षेत्र या देहाती क्षेत्र हैं, अगर दोनों की तुलना हम करते हैं फेयर प्राइस शाप्स की तो लगता है कि सौतेलेपन का व्यवहार देहाती इलाकों से किया जा रहा है। अगर उचित दर दुकान से किसी सामान का वितरण किया जाता है तो यह शहरों तक ही सीमित है। ग्रामीण इलाकों में जो उचित दर की दुकानें हैं, वह खुलती हैं, उनमें जो सामान वितरित होता है, मैंने अपने गांव में जो कुछ देखा है, मैं इन्डो-नेपाल बार्डर से आता हूं जो कि सूदूर इलाका देश का है सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें कुछ पर्व-त्यौहार जैसे होली, दीवाली या ईद, बकरीद जैसे त्यौहारों पर चीनी शक्कर तो मिल जाती है यह गनीमत है, ये सहूलियतें इस अवसर पर तो मिल जाती हैं, गेहूं चावल भी मिल जाता है लेकिन तीसरी कोई चीज जैसे कपड़ा वगैरह है, वह देहात में तो कभी नहीं मिलता। अभी हमारे से पुर्व एक वक्ता कह रहे थे कि उचित दर दुकानों में भ्रष्टाचार है या उनके वितरण में कमियां पाई जाती हैं, उन्होंने बताया कि अफसरों के साथ मिलीभगत होती है और उनको उसका परसेंट या कमीशन देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दुकानों को भी सही ढ़ंग से मुनाफा नहीं मिलता है जिसकी वजह से मजबूर होकर दुकानदार को यह काम करता पड़ता है। यह बात सही उन्होंने की है, मैं उनका समर्थन करता हूं। आप उसे एक निर्धारित रकम मुहैया नहीं करते जिससे वह जीवन-यापन कर सके और आपकी दुकान भी सही चल सके। यदि उसकी जीविका का भी प्रबन्ध उससे न हो तो उससे दुखी होकर वह गलत रास्ता अख्तयार करता है। मेरा सुझाव है कि इस तरह के विधेयक पहले भी थे और आज भी बना रहे हैं, लेकिन क्या हर्ज है कि जो नियंत्रित मूल्य की दुकानें हैं, आज अन-एम्पलायमेंट की बड़ी भारी समस्या है देहाती इलाकों में या शहरी इलाकों में जहां कहीं भी देखो एकेडमिक क्वालीफिकेशन मैट्रिक, बी०ए० पास लोग हैं, आप फिक्स कर दीजिये कि यह दुकान उनको चलानी चाहिये और उनको दे दी जाये। अलग से जब हम उनको देंगे और सर्विस कंडीशन भी रहेंगी तो उन्हें भय भी होगा कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमारी नौकरी चली जायेगी और इस तरह से उसे किसी को कमीशन देने की हिम्मत नहीं बनेगी। उसको तो अपनी पे पर रहना है तो उससे अन-एम्लायमेंट की समस्या भी सौल्व होगी। दुकानों पर जो दुर्व्यवस्था है, मैल-प्रेक्टिसेज हैं, जैसा हमारे साथी ने बताया आप जानते हैं कि तरह-तरह के धन्धे चलाये जा रहे हैं, अण्डर-हैंड डीलिंग होती हैं वह भी रुकेंगी। मैं समझता हूं कि अन-एम्प्लायमेंट की समस्या को देखते हुए उचित दर की दुकानें पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट लोग बैठे हैं, उनको दी जायें। और जितनी भी हमारी सर्विस कंडीशन्ज हैं वह उन पर लागू की जायें। इससे हमारा ख्याल है कि कुछ नियंत्रण हो पायेगा। इससे अफसरान की जो मिली-भगत है उनको भी कमीशन नहीं मिलेगी और जो चोर-बाजारी होती है वह भी नहीं होगी।

[श्री रामश्रेष्ठ खिरहर]

इन बातों के साथ सभापति महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : सभापति महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूँ श्री बासवराजू को जोकि हमारे इस माननीय सदन के सदस्य हैं, कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के विधेयक के जरिए चर्चा के लिए उठाया है। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ विरोधी दल, जिनको देश के बड़े-बड़े प्रश्नों पर यहां हिस्सा लेना था और उनमें जो खामियां या कमजोरियां हैं, उन पर भी उनको प्रकाश डालना था, उनका काम है। महज हमारे महान नेता और इस माननीय सदन के नेता का चरित्र हनन करने के सिवाय उनके सामने दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश के लोगों लिए और उनकी बड़ी-बड़ी परेशानियों को हल करने के लिए कटिबद्ध है। यही वजह है कि एक माननीय सदस्य जो हमारी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या कमजोरी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की वितरण प्रणाली में है किस प्रकार उसमें सुधार लाया जाये इससे चिंतित होकर इस विधेयक को लाए हैं। हमें खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छे सुझाव इसमें रखे। हमारी पार्टी का और हमारी पार्टी की सरकार का 20 सूत्री कार्यक्रम उपभोक्ता वस्तुओं की वितरण प्रणाली का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। इसके अलावा जो मिनीमम नीड्स प्रोग्राम है, उसका एक कम्पोनेंट है और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि इस देश में खास तौर पर जो गरीब लोग हैं, उनको जीवन की आवश्यक वस्तुयें उचित कीमत पर मिलें। इसके लिए सरकार ने इंतजाम भी किया है। इसमें हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये सब चीजें उन तक समय पर और पूरी मात्रा में पहुँचे।

हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से तकरीबन 70 प्रतिशत अनाज और चावल खरीदते हैं। फिर उसका सारे देश में वितरण करते हैं। इसमें करीबन 1500 किलोमीटर के फासले का एवरेज निकलता है। 1800 जो हमारे बड़े-बड़े वेयर हाउस जगह-जगह फैले हुए हैं उनके जरिए से देश के सभी राज्यों को तथा यूनियन टैरिटरी को यह अनाज पहुँचाते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें कमियां हैं और उन कमियों को दूर करना है।

एक बात हम को नहीं भूलनी है कि हमारे यहां जो सूखा पड़ा वह इस शताब्दी का बड़ा भयंकर सूखा था। अगर हमारे यहां भंडार भरे हुए न होते, अगर हमारी वितरण प्रणाली सुदृढ़ न होती तो उस हालात का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता था। दो करोड़ पचास लाख टन अनाज हमारे भंडारण से गया। हमने किसी देश के सामने और किसी समृद्धिशाली देश के सामने हाथ नहीं फैलाया और झोली नहीं फैलायी। अपने साधनों से ही उसका मुकाबला किया।

पिछले वर्ष जब मैं वर्ड फूड मिनिस्टर कांफ्रेंस में गया था तो सभी देशों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से हमारी तारीफ की और कहा कि सबसे बड़ी हिन्दुस्तान की यह उपलब्धि है कि वह अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला उसने अपने साधनों से किया। यह कोई मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर फिर हमारी वितरण प्रणाली की जो खामियां हैं उनको हमने दूर किया है। यह राज्यों की और केन्द्र सरकार की साझी जिम्मेदारी है और इसका मुकाबला करना है।

एक बात और ध्यान में रखनी है कि जितनी भी आवश्यक वस्तुयें राज्यों को हम देते हैं उसके अलावा जितनी उनकी कमी है उनको पूरा करना हमारा काम नहीं है, बल्कि सप्लीमैंटल है और राज्यों को अपने साधनों के जरिए, जो कमी रहती है, उसे पूरा करना है। अभी केन्द्रीय सरकार केवल 7 आइटम्स ही राज्यों को वितरित करने के लिये देती है। इनके अलावा यदि राज्य चाहें तो इसमें अपनी तरफ से कुछ और चीजों को शामिल करने के लिये स्वतंत्र हैं। हमारी एक एडवाइजरी कौंसिल भी है जिसकी मीटिंग हम साल में दो बार करते हैं। सभी राज्यों और यूनियन टैरिटरीज के खाद्य मंत्री उस कौंसिल के मैम्बर हैं। हम उनसे हमेशा यही कहते हैं कि वितरण व्यवस्था को सारे देश में सुदृढ बनाया जाये। यहां कुछ माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह बिलकुल वाजिब है कि फेयर प्राइस शौप्स चलाने वालों को जितनी रिटर्न मिलनी चाहिये, उतनी मिल नहीं पाती। फिर भी, जैसा कुछ राज्यों ने किया है, इसमें कुछ और आइटम्स डालकर उस मार्जिन को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक फेयर प्राइस शौप्स का ताल्लुक है, पूरे देश में 1979 में जहां 2.34 लाख दुकानें थीं, आज उनकी संख्या बढ़कर 3.50 लाख हो गयी हैं। इस संख्या का 72 प्रतिशत दुकानें देहातों में हैं और 28 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। हम हमेशा जोर देते हैं कि फेयर प्राइस शौप्स को आपरेटिव के अधीन होनी चाहिए, कोआपरेटिव के माध्यम से चलायी जायें, क्यों कि हम इस काम में पंचायतों को भी जोड़ना चाहते हैं, महज सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के जिम्मे रखकर ही, सारी व्यवस्था नहीं चलाना चाहते। जब करोड़ों लोगों का इससे ताल्लुक है तो हम चाहते हैं कि करोड़ों लोगों की नजर इस पर रहनी चाहिए। इसी वास्ते हमने सभी राज्य सरकारों को लिखा कि वे अपने यहां विजिलैंस कमेटीज बनायें।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : हमारे यहां को-आपरेटिव्ज बिल्कुल फेल सिद्ध हो रही है उनका कमीशन ठीक न होने से सारी व्यवस्था गड़बड़ा गयी है।

श्री सुखराम : मैं आपकी बात ही कह रहा हूँ इसी वास्ते हमने राज्यों को कहा कि वे अपने यहां विजिलैंस कमेटीज बनायें, मौनिटरिंग हमारे मंत्रालय के स्तर से होती है। स्टेट लेवल से भी मौनिटरिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसकी व्यवस्था है। कुछ स्टेटस ने अपने यहां फेयर प्राइस शौप्स की प्रोपर विजिलैंस की व्यवस्था भी कर रखी है और वहां जो विजिलैंस कमेटीज बनी है उनमें उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है ताकि वे शौप्स पर नजर रख सकें। वे देख सकें कि उन दुकानों को सस्ते मूल्य की जितनी चीजें दी जाती हैं, उनका वितरण सही तरीके से गरीब और दूसरे लोगों को हो सके। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए हमारी एक प्लान स्कीम है जिसके अन्तर्गत हम राज्यों को 75 प्रतिशत लोन तथा 25 प्रतिशत सबसिडी देते हैं ताकि वे मोबाइल वैन खरीद सकें। वर्ष 1985-86 से 1988-90 तक कुल 276 मोबाइल वैंस खरीदने के लिए हमने 642.88 लाख रुपया मदद के तौर पर दिया है ताकि दूरदराज के इलाकों तक वैंस के माध्यम से वे चीजें पहुँचायी जा सकें जो केन्द्र सरकार उचित दर दुकानों के माध्यम से लोगों को देना चाहती है। यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जितनी शिकायतें कीं, वे भी ठीक हैं, इसमें करप्शन है, होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग है और दूसरी कई शिकायतें भी है। हम असैन्शयल कमोडिटीज एक्ट के तहत सभी राज्यों को हमेशा लिखते हैं कि वे अपने लोगों को सस्ती दर की वस्तुयें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। जहां तक इस एक्ट की इम्पलीमैंटेशन का ताल्लुक है, हर राज्य और यूनियन टैरिटरीज की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार है, वे ही इसे इम्पलीमैंट करती हैं और समय समय पर एक्शन लेती है। 1986 में 9124 व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए

[श्री सुखराम]

पकड़े गए, जिन्हें अरेस्ट किया गया और 1146 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया। वैसे ही 1987 में 8750 व्यक्तियों को अरैस्ट किया गया और 1580 लाख रुपए का जमानत जब्त किया गया। अभी 1988-89 में 8552 आदमियों को अरेस्ट किया और 1564 लाख रुपए का माल जब्त किया। इससे मालूम होता है कि राज्य सरकारें उसमें एक्शन लेती हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई तरीका तो निकाल ही लिया जाता है। चूंकि फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए जो चीजें बेची जाती हैं वे सस्ती होती हैं और उनकी कीमत मार्केट में ज्यादा होती है। इसी वजह से फेयर प्राइस शॉप्स पर प्रेशर ज्यादा रहता है।

सभापति महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने 1985 के नवम्बर में जन जातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जिसमें 191 ब्लाक सारे देश में में और 17-18 राज्यों में फैले हुए हैं और जितने जनजातीय राज्य हैं, जहां पर आबादी ज्यादा है, वहा पर सबसे सस्ते दामों पर चावल और गन्दम बेचने का कार्यक्रम किया। जहां 1985 से उन क्षेत्रों में 5 या 6 लाख टन अनाज वितरित करते थे जहां आज 2 बिलियन, 20 लाख से 22 तक प्रतिवर्ष सस्ते दामों पर वहां अनाज देते हैं। अभी वहां कुछ लोगों ने बड़ा हंगामा किया। एक बात तो यह थी कि हम जो 1.85 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को एक एंड रिटेल प्राइस पर बेचने के लिए दे रहे थे, उसी प्राइस पर उनको बेचना पड़ता था। यह केवल एक राज्य में नहीं था, बहुत राज्यों में था लेकिन एक राज्य आंध्रप्रदेश में उसे दो रुपए में बेचा। उसके पीछे एक बात और थी। यह केन्द्र की स्कीम थी और केन्द्र का कार्यक्रम था, इसलिए वह सरकार उसको दो रुपए प्रति किलो बेचती रही। वहां के लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि यह केन्द्र की स्कीम है। अतः हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने उस स्कीम को चलाया था, लेकिन वहां यह कहकर इसको चलाते रहे कि यह आंध्र प्रदेश सरकार की स्कीम है। यह शक्ल उसको देकर के चलाया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ड "चीटिंग" का इस्तेमाल किया है, वह ठीक किया है। केन्द्र इतनी मदद दे रहा है और प्रत्येक वर्ष दे रहा है, लेकिन वह राज्य उस स्कीम को अपने नाम पर चला रहा था। यह तो धोखा और "चीटिंग" के सिवाय और क्या हो सकता है। मगर मैं कहता हूं कि अब राज्यों में एक बात का अहसास हुआ है कि हम केन्द्र के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन बहुत सी रीजनल पार्टियां आज यह साबित करना चाहती हैं कि हमारा केन्द्र से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे सदन में और इस सदन में ये बातें उठी हैं कि किस प्रकार से राज्यों को केन्द्र मदद दे रहा है और मदद से वहां की प्रगति हो रही है।

महोदय, इस प्रकार से हमारे जो बड़े कार्यक्रम हैं, हम अपने मंत्रालय के स्तर पर इसकी मानीटरिंग कर रहे हैं और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि दुकान पर सैम्पल होना चाहिए, प्राइस लिस्ट होनी चाहिए। सभी राज्यों को ये आदेश हैं कि फेयर प्राइस शॉप्स पर लिस्ट लगनी चाहिए और सैम्पल भी हो। मैं मान सकता हूं कि 15 से 18 लाख मीटरिक टन का जहां ट्रांसैक्शन जहां होता है, उसमें शिकायतें आ सकती हैं। सब स्टैंडर्ड माल की और खामियों की शिकायतें आ सकती हैं। मगर जब हम राज्यों को अनाज देते हैं उस वक्त देने से पहले जाइन्ट इंसपैक्शन होता है। जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और एफ०सी०आई० के क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर करते हैं और फिर वे राज्यों को देते हैं और आगे फिर फेयर प्राइस शॉप्स के लिए वितरण

होता है । अगर कहीं शिकायत आती है, तो वे न लें । एफ०सी०आई० उनको जबरदस्ती नहीं थोप सकती है । अगर यहां से माल जाने के बाद फेयर प्राइस शॉप्स में जाकर कोई चीज खराब निकलती है, तो यह राज्यों की जिम्मेदारी है, उसको वे देखें कि उसमें किसी किस्म की सब-स्टेंडर्ड चीजें नहीं होनी चाहिए । कुछ लोगों की शिकायत आई और माननीय सदस्यों ने भी कहा है, चावल के बारे में शिकायत आई है ।

जहां तक प्रोक्योरमैंट का ताल्लुक है, यह तो पंजाब सबसे ज्यादा कान्ट्रीब्यूट करता है । दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा में पीछे बहुत भारी बाढ़ आई थी जिसकी वजह से धान की खड़ी फसल को बहुत नुकसान हुआ था । उन किसानों को जो सारे देश को खिलाते हैं, मदद करना देश का भी काम था । हमारे प्रधान मंत्री जी स्वयं वहां पर गए, किसानों की समस्याओं को देखा और यह तय किया कि उसका जो सर्पसिफिकेशन है, उसका रिलैक्सेशन कम है । जहां से चालीस लाख टन प्रोक्योर करने का हमारा लक्ष्य था, वहां से हम अठ्ठाइस लाख टन ही प्रोक्योर कर सके । चावल खाने के लिए ठीक था वह चावल हमने राज्यों को बांटा और यह नहीं कि विरोधी सरकारों के राज्यों को बाटा बल्कि सभी राज्यों को बाटा । वैस्ट बंगाल में जहां पर बड़ी क्षति होती है, वहां पर 300 लाख टन भेजा । महाराष्ट्र में भी हमने 350 लाख टन भेजा । सभी राज्यों को भेजा मगर किसी राज्य ने यह नहीं कहा कि हम इसको लेने से इन्कार करते हैं । खासतौर पर वैस्ट बंगाल में लोगों को यह कह दिया कि यह चावल तो बिलकुल खराब है, इसको नहीं खाना चाहिए । अगर राज्य इस तरह से चले, कनफ्रनटेशन से चले और जहां तक हमारी नीति है, हम कभी भी इसमें चाहे वह किसी पार्टी का शासन किसी राज्य में क्यों न हो, मगर अनाज के मामले में, एसैनशल कमोडिटीज के मामले में हम मतभेद नहीं करते । हम कोई पोलिटिकली या कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाते । आज भी आंकड़ों से सिद्ध है कि चाहे विरोधी पार्टियों के राज्य हों, आज जितना एलाटमैंट है और विरोधी पार्टियों के राज्य जहां पर हैं, वहां पर इकत्तीस प्रतिशत आबादी में इकतालीस प्रतिशत राइस का एलोकेशन आज उन राज्यों का है । आज हमारी भारत सरकार दो हजार दो सौ करोड़ की सबसिडी का खर्चा जो बहन कर रही है, उसमें से छत्तीस प्रतिशत इन चार-पांच राज्यों को चला जाता है । अगर हमारी इस तरह की कोई नियत होती तो आंकड़ों से साबित होता । आज जो हमारे बड़े-बड़े राज्य हैं, उनका जितना भी हिस्सा पड़ता है उससे भी कम दिया जा रहा है लेकिन वहां पर कोई शिकायत नहीं है । यहां पर बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं और मैंने उनको नोट किया है और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग, जो साल में दो बार होती है, उसमें सभी की राय, मशविरा या जो कमी है, उसको देखा जाए । मगर मैं तो उससे भी आगे गया था और मैंने कहा कि रीजनल लैवल पर मीटिंग करके वहां की समस्याओं को देखें और गहराई तक जाएं और देखें कि हम कहां तक मदद कर सकते हैं । मैंने शिलांग में तीन-चार महीने पहले मीटिंग की थी । वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और बरसात के दिनों में सड़कें टूट जाती हैं । शायद मिजोरम में तो परेशानी होती है । इस वास्ते हमने तय किया कि दो महीने का बफर-स्टाक होना चाहिए मगर दुर्भाग्य से जो बोडो एजीटेशन और दूसरे एजीटेशन थे, उससे हमें परेशानी हुई, मगर उनके बावजूद भी उन राज्यों को जितना सम्भव था उतना अनाज भेजा । कुछ कमी रह सकती है उसे हम पूरा करेंगे ।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, यू०पी० और बिहार वगैरह से अलग से बात की । मैं यह भी कार्यक्रम बना रहा हूं कि सभी राज्यों में जाकर, वहां के सभी मसलों को देखकर समस्या को हल करूं,

[श्री सुखराम]

इसमें परेशानी तो है, जहां जितनी मांग है, आज चावल की खासतौर पर मांग है, जिसे 100 फीसदी हम पूरा नहीं कर सकते, मगर और अनाज की कमी हमारे देश में नहीं है। आज हमारे देश में 180 मिलयन टन अनाज पैदा हुआ है, और 33 मिलियन टन अनाज पहले की निस्बत ज्यादा पैदा हुआ है। यह मार्केट में एवेलेबल है, इसमें कोई कमी नही है मगर फिर भी हमारे पास जितना भी अनाज उपलब्ध है, उसको हम राज्यों को दे रहे हैं और राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को दे रही हैं खासकर गरीबों को वैसे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह यूनिवर्सल नेचर का है, सभी उसमें शामिल होते हैं लेकिन हम सभी राज्यों को अनुरोध करते हैं, प्रधान मंत्री जी को खासतौर पर चिंता रहती है कि ट्राइबल एरियाज के लिए कार्यक्रम बनायें, वह चाहते हैं, कि जो गरीब हैं उनको जो हम आज सब्सीडाइज्ड अनाज दे रहे हैं, उनको उससे भी कम कीमत पर मिलना चाहिये। मगर कुछ लोगों का इल्जाम लगाना, चरित्र हनन करना ही उनका काम है। उनका देश के मसलों को हल करने से कोई ताल्लुक नहीं है। वह किसी न किसी तरह सिर्फ इधर आने की कोशिश में लगे हैं वह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह 1977 की हालत को कैसे रिपीट किया जाये। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि देश की जनता उस इतिहास को दौहराएगी नहीं, वह समझ गई है कि उनका काम कैसा रहा है। जो बड़े-बड़े इम्पार्टमेंट प्रश्न इस माननीय सदन में उनको हटाने में उनकी बजाय एक ही प्रश्न इन 4 बरसों में उन्होंने उठाया है। मैं भी पहली बार इस सदन में आया हूं और 4, साढ़े 4 साल में जो बड़े-बड़े प्रश्न विरोधियों को यहां उठाने थे, हमारी कमजोरियों को दिखाना था, वह उन्होंने नहीं किया लेकिन एक ही प्रश्न को बार-बार उठाकर उन्होंने देश के सारे अखबारों को भर दिया और इस माननीय सदन में गतिरोध करने की कोशिश की। इस माननीय सदन को रोकने के लिए उनके पास एक ही कार्यक्रम था। आज की जनता उनको पहचान गई है।

[अनुवाद]

प्रो० एन०जी० रंगा (गुन्टूर) : मैं एक सुझाव दूंगा। उदाहरणार्थ, जनजातीय व्यक्तियों के लिए चावल रियायती दरों पर बेचा जा रहा है। इस प्रकार की योजनाओं को अच्छी प्रकार विज्ञापित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो, पूरे भारत में इसे बार-बार रेडियो तथा दूरदर्शन पर भी बताया जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार किस रियायती कीमत पर इसकी आपूर्ति कर रही है। तब वे इस अन्तर को समझ पायेंगे कि उनसे वास्तव में क्या कीमत वसूली जा रही है तथा राज्य सरकार को यह किस कीमत पर मिल रहा। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है कि लोगों के विभिन्न वर्गों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजनाओं के बारे में भली प्रकार बताया जाना चाहिए तथा उन्हें विज्ञापित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि वे योजनायें क्या हैं। अब बीते जमाने की भांति नहीं है जब वे सरकार से मालूम होती थी। कौन सी सरकार ? दो प्रकार की सरकारें हैं —केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार। जब वे एक दूसरे से होड़ में लगे हैं तो जनता को कैसे मालूम होगा। इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बात का उचित प्रचार किया जाए कि वे किस वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, यह सुझाव बहुत अच्छा है। किन्तु इसके अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि निगरानी इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि राज्यों में केन्द्र के प्रतिनिधि संसद सदस्यों को भी शामिल किया जा सके ताकि वह त्रुटि को दूर कर सके।

श्री सुखराम : मैं प्रो० रंगा की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। केन्द्रीय योजनाओं का पूरा प्रचार किया जाना चाहिए तथा इस देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत सरकार का क्या योगदान है। देश की एकता के लिए यह आवश्यक है केन्द्रीय सरकार सुदृढ़ होनी चाहिए और लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अपनी प्रगति के लिए वह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं पर आश्रित हैं। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे विचार से यह राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वह यह देखें कि इन योजनाओं को पूरा प्रचार मिले। किन्तु कुछ राज्य सरकारें उन्हें यह करने के बजाय कि यह योजनायें भारत सरकार की है यह कहती है कि यह उनकी अपनी योजनायें हैं; इससे ऐसा आभास मिलता है कि जैसे यह योजनायें उनकी अपनी हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश के मामले में हुआ। वे यह कहते हैं कि यह योजनायें उनकी अपनी है और वह उसके लिए धन व्यय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात कह रहा था। पिछले कुछ वर्षों में इस माननीय सदन में बहुत बड़े-बड़े कानून पास हुए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस माननीय सदन में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पहल पर पास किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि इस ऐक्ट के मुकाबले में और दूसरा प्रगतिशील कानून कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी राज्य सरकारें इसको कार्यान्वित करें। कुछ राज्यों ने तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल बना ली हैं लेकिन कुछ राज्यों में अभी बननी बाकी हैं। कुछ राज्यों में अच्छा काम चल रहा है और कुछ में अभी कमजोरियां हैं। हम लगातार सभी राज्यों से सम्पर्क किए हुए हैं और 3-4 मीटिंग एक वर्ष में कर लेते हैं। सभी राज्यों को समय-समय पर लिखते भी रहते हैं। जब तक उसका पूरी तरह से कार्यान्वियन नहीं होता तब तक हम राज्यों का पीछा नहीं छोड़ेंगे।

माननीय सदस्य ने जो यह बिल रखा है और उसकी जो भावना है मैं उसकी कद्र करता हूं और मुझको बहुत इससे फायदा हुआ है। जितने भी सुझाव इस बिल की वजह से इस माननीय सदन में आये उन सबसे हमें फायदा होगा। मगर एक बात जो बिल में ही है कि 100 करोड़ रु० इसमें खर्च होगा उसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम जो अनाज खरीदते हैं उसकी लागत पांच हजार करोड़ रुपया है और इसके लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे एफ.सी.आई. के करीबन 85 हजार कर्मचारी व अधिकारी काम करते हैं उन सबका ही हम को देखना है इस वजह से इस रुपए से काम चलेगा नहीं। फिर क्रय भी करना है, सपोर्ट प्राइस भी देनी है जिनकी वजह से आज उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों को लाभकारी मूल्य भी मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जो मकसद है सरकार का ध्यान दिलाना, उस तरफ हम सबका ध्यान दिला कर आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं मानता हूं कि कुछ कमजोरियां हैं। हम उन कमजोरियों को पूरी तरह से दूर करेंगे। इस बारे में हम प्रदेश सरकारों को कहते और लिखते भी रहते हैं।

माननीय सदस्य ने जो भी सुझाव यहां पर रखे उन सब को हम ध्यान में रखेंगे। आपने जो कुछ भी बातें यहां पर कहीं अगर उससे सुधार होता तो मैं जरूर मान लेता मगर उसका इम्पलीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगा।

[श्री सुखराम]

इसलिए मैं माननीय सदस्य से दरखास्त करूंगा कि वे अपने बिल को वापस लें। आपके सुझावों को हमने नोट कर लिया है और उनसे हम लाभ उठायेंगे।

[अनुवाद]

*श्री जी० एस० बासवराजू : (टुमकुर) : सभापति महोदय, जैसा कि मैं कल कह रहा था जनता शासन के दौरान राज्य के अधिकांश कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। प्रशासन अस्त व्यस्त था। विकास कार्य रूक चुका था। मंत्री और विधायक धन कमाने में लगे हुए थे। वे राज्य के कल्याण में कोई रूचि नहीं लेते थे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राज्य में निदेश करने वाले अनिवासी भारतीयों को खोजने के नाम पर विदेशों के दौरे करते रहे। वे विधान सभा में कभी कभी ही आते थे।

अमीर लोगों को बड़ी उदारता से जमीनें दी गई। सरकार ने बताया कि भूमि समितियों को दी जा रही हैं, लेकिन वह सारी फर्जी समितियां थी। वास्तव में जमीन भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को दी जा रही थी। देश में रेवाजीणु मामले की किसे जानकारी नहीं है। इसी प्रकार अर्क बाटलिंग के मामले में भी उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। एम० डी० पाठ्यक्रम के लिए एक स्थान के आबंटन और उसमें मुख्यमन्त्री के पुत्र के शामिल होने के बारे में सभी को जानकारी है। इस प्रकार से सरकार के पास कर्नाटक के लोगों के कल्याण के लिए समय नहीं था। उन्होने किसानों की उपेक्षा की है। सिंचाई पर एक पैसा खर्च नहीं किया गया। मैं माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह अपर कृष्णा परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करवायें। सरकार अपनी अन्दरूनी लड़ाई की वजह से गिर गई। सम्पूर्ण राज्य के लोग राष्ट्रपति शासन से बहुत खुश हैं और राज्य के प्रशासन में सुधार हुआ है।

न्यू गवर्नमेंट इलैक्ट्रीकल फैक्टरी की सम्पूर्ण देश को जानकारी है। इस कारखाने में बिजली का सामान निर्मित किया जाता था तथा यह भली प्रकार चल रहा था। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जनता सरकार के पहले मुख्यमन्त्री ने इस कारखाने का क्या किया। सभी लाभ डब्ल्यू. ए. ज. सी. को बेच दिया गया। कुछ आई.ए.एस. अधिकारी भी न्यू गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्ट्री के मामले में शामिल है।

अपने मित्रों के साथ मुझे भी कई सूचनायें प्राप्त हुई है। कुछ आई.ए.एस. अधिकारियों का भी न्यू गवर्नमेंट इलैक्ट्रिसिटी फैक्टरी का प्रबंध बिगाड़ने में हाथ है। इन अधिकारियों को बड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए और केन्द्रीय जांच ब्यौरो द्वारा जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। अन्यथा हम इस प्रतिष्ठित फैक्टरी को गवां बैठेंगे।

राज्य में वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। महोदय आपको इस वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वास्तविक लाभार्थियों के बारे में जानकर आश्चर्य होगा। प्रत्येक गांव में पेंशन पाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार 12.5 लाख लोग वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं। नाम के लिए विधवा पेंशन भी दी जा रही है। पति स्वयं अपनी पत्नी को संबंधित कार्यालय में ले जाकर उन्हें

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उसे विधवा पेंशन दिलवाता है जनता शासन के दौरान बेरोकटोक धन बांटा गया। पिछले 6 वर्ष में वह 400 करोड़ रुपए से अधिक खा चुके हैं।

कांग्रेस (आई) पार्टी ने लोगों की सेवा की है। हम इस बारे में जानते हैं। किन्तु जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है। जनता सरकार के शासनकाल में किसान लोग सर्वाधिक लोग प्रभावित हुए। उन्होंने उनके वोट प्राप्त करने के लिए उनसे कई वादे किए थे। किसानों ने सोचा कि उनके कर्जों पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया गया। बाद में किसानों को कोई ऋण नहीं दिए गए। जनता शासन में उनकी स्थिति खराब हो गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। उचित दर की दुकानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। चीनी, मिट्टी का तेल और पामोलीन में मिलावट आम बात हो गई है। बिचौलियों का धंधा जोरों पर है। और वह आम आदमी कोलूट रहे हैं। केन्द्रीय सरकार उचित दर की इन दुकानों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि दलितों हरिजनों और परिजनों को लाभ मिल सके। दुर्भाग्यवश इसका लाभ बिचौलियों को मिल रहा है। इस प्रकार के बिचौलियों का पता लगाकर उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों के फीस ढांचे में परिवर्तन करना होगा। इन्जीनियरी कालेजों में दो से तीन लाख रुपए तक कैपिटेशन फीस ली जाती है। मैडिकल कालेजों में आवेदक के माता-पिता की क्षमता के अनुसार 2 से 5 लाख तक प्रवेश चंदा लिया जाता है। न केवल इन कालेजों में दाखिले बढ़े हैं बल्कि कई नए कालेज भी खुल गए हैं। इन में से अधिकांश कालेज प्राइवेट प्रबंध में हैं और फीस वसूल करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें और सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक समान फीस ढांचा लागू किया जाए। हरिजनों और गिरिजनों पर अत्याचार जारी है उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। हां अब राष्ट्रपति शासन में राज्य में स्थिति सामान्य करने का प्रयत्न कर रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो रही है। जनता शासन के दौरान हरिजनों पर सर्वाधिक संख्या में अत्याचार हुए। इन अत्याचारों के कारण होने वाली मौतों की संख्या भी सर्वाधिक है। इसलिये, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह हरिजनों, गिरिजनों और अन्य दलित लोगों की रक्षा करें।

बजट में दर्शाया गया घाटा निश्चित रूप से बढ़ेगा। कुल घाटा कम से कम 300 करोड़ रुपए होगा, इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह विशेष सहायता के रूप में कम से कम 300 करोड़ रुपए मंजूर करें।

मैं बजट का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उचित दर दुकानों के कार्यकरण को विनियमित करने तथा उनसे संबंधित मामलों वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है; कि उचित दर दुकानों के कार्यकरण तथा उससे संबंधित मामलों को विनियमत करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ]

श्री जी० एस० वासवराजू : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं। श्री एस० एन० नज्जे गौडा अनुपस्थित।

श्रीमती ऊषा चौधरी।

5.47 म० ब०

फसल बीमा योजना विधेयक

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"व्यापक फसल बीमा योजना के लिए तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, किसानों के बारे में और कृषि के लिए अगर कुछ करना है, तो कृषि को एक उद्योग के रूप में घोषित करना होगा। किसानों को ऊपर उठाने के लिए एक मात्र साधन यह है कि कृषि को उद्योग बनाया जाए। इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए इस विधेयक का बहुत महत्व है और सन 1985 में जो विधेयक बनाया गया था उसमें सुधार लाने की भी जरूरत है। इसलिए मैं यह विधेयक यहां पेश कर रही हूँ। आपने देखा कि मैंने जब से संसद में कदम रखा है, चिट्ठी के अलावा स्पीकर तक कभी नहीं पहुंची, आज पहली बार मैं सीढ़ी चढ़कर यहां तक आई हूं। इससे उसका महत्व इस सदन में स्पष्ट हो जाता है। किसानों की इस समस्या को उठाने के लिए जिन भाइयों ने मेरा साथ दिया है और मंत्री महोदय की भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी अपना जवाब जल्दी देकर मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मौका दिया है। मैं आज यह भी समझ गई हूं कि मेहनत और इमानदारी के साथ-साथ मैनीपुलेशन की भी आवश्यकता होती है। मेनीपुलेशन शायद किसानों में कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं आज यह सोच रही हूं कि जिस प्रकार से मैनीपुलेशन करके मैं आज किसानों की आवाज यहां पर उठा रही हूं वह उचित ही कर रही हूँ। महोदय, संसद में और विधान सभाओं में हमें किसानों की भलाई के लिए आवाज जरूर बुलन्द करनी है। हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यदि मैनीपुलेशन करें, तो शायद वह गलत होगा, लेकिन सामाजिक उन्नति और समाज व देश की उन्नति तथा पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए यदि मैनीपुलेशन करने की जरूरत पड़े तो हमें वह मैनीपुलेशन करने में चूक नहीं करनी चाहिए।

सभापति, महोदय, अभी हमारे मंत्री महोदय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जब बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि हमने इतने टन अनाज उगाया है। भारतवर्ष आजादी के बाद अनाज उत्पादन में, फसल उत्पादन में स्वाबलम्बी बन गया, तो इसके साथ-साथ किसान को क्या मिला, यह भी देखना चाहिए। आज शासन के पास, गवर्नमेंट के पास, देश के पास अनाज का बहुत भण्डार है, लेकिन किसान के घर के छोटे से डिब्बे में कितना अनाज है, इसको भी हमें देखना है। हमारे देश में, फसल का और खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, देश की पर कैपीटा इन्कम बढ़ी, लेकिन किसान और मजदूर तथा आम आदमी की गरीबी दूर नहीं हुई, इसका क्या कारण है।

इसका कारण यह है कि जो परिस्थिति देश में चल रही है, इसमें कहीं थोड़ा सा सुधान लाने की जरूरत है। प्रगति के आईने में हम पूरे भारत-वर्ष को न देखें, बल्कि हम भारत के आम नागरिक को देखें कि वह कितना ऊपर उठा है। इन किसानों और ग्रामीण मजदूरों को ऊपर उठाने के लिए हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी और हमारी सरकार और उसके पहले की प्रधान मंत्री हमारी इन्दिरा गांधी जी ने सदैव ठोस और अच्छे काम किए और योजनाएं चलाईं।

हमारी सरकार और कांग्रेस की विचारधारा गरीब और पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के प्रति रही है। आज रिजर्वेशन का कानून किसी को अच्छा लगे या न लगे लेकिन गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, आदिवासी लोगों के लिए और महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने यह योजना बनाई है। मैं यह मिसाल इसलिए यहां पर रख रही हूँ कि 1985 में हमने जो बीमा योजना बनाई थी, उसे सभी प्रान्तों में लागू नहीं किया था। आज जो लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं करती, उनको मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने वहां पर कृषि की योजना लागू की है। केन्द्र की कृषि बीमा योजना सभी प्रान्तों में लागू की जाए। एक बात मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि जितना सूखा इस बार पड़ा है, पिछले सौ सालों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा। इससे फसल को भारी नुकसान हुआ है। हमने कुछ ही फसलों में बीमा योजना लागू की है। यदि हम सभी फसलों पर बीमा योजना लागू कर देते तो जो नुकसान किसानों को हुआ है, वह नहीं होता। 1985 के बाद कुछ नुकसान हुआ है इसलिए हमने काफी कटौती की है और उसका मुआवजा कम दिया है। मैं चाहती हूं कि यह जो नुकसान हुआ है, उसे कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा देना चाहिए। इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहती हूं कि जवाहर रोजगार योजना, पंचायती राज का पुनरुथान और कई सारी योजनाएं जो हैं, उन्हें हम इसलिए ला रहे हैं कि ग्रामीण जनता को, किसानों को, मजदूरों को हम ऊपर उठा सकें। एक बात मैं बीमा योजना के बारे में और कहना चाहती हूं कि यदि हम फसल का बीमा किसान को पूरी तरह से नहीं दे पायेंगे तो वे कभी ऊपर नही उठ पायेंगे। पंचायती राज के माध्यम से भी हमें गरीब लोगों को ऊपर उठाना है और उनके लिए बीमा योजना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बर्ष हमारे यहां 75 से 125 रुपए में एक हजार संतरा बिका है। मैं इसलिए जानती हूँ कि मेरे खुद के बागात हैं, मैं खुद किसान हूं। विदर्भ के किसानों के लिए संतरे को मार्केट में लाने के लिए कोई यातायात के साधन मोजूद न होने से वे अपने संतरे को सस्ते भाव में बेचने को मजबूर होते हैं। दिल्ली, मद्रास, बम्बई और बंगलौर ले जाने में उनको किराया पुरता नहीं है, इसलिए मजबूरी में उनको वह संतरा वहां सस्ते भाव में बेचना पड़ता है। बाजार में संतरा एक या दो रुपए तक का एक बिक ज.ता है जबकि किसान से 125 रुपए में एक हजार खरीद लिए जाते हैं। हमारी मजबूरी यह है कि वहां तूफान आया हुआ है। इसलिए हमें वे सस्ते बेचने पड़ते हैं। चूंकि कपास की फसल कई राज्यों में होती है, इसलिए कपास के लिए फसल बीमा योजना लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि हम किसान की फसल को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, तो फिर सारे व्यवसाय बन्द हो जायेंगे और किसान के साथ-साथ आप इण्डस्ट्रीज भी नहीं चला पायेंगे। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं विस्तार में सभी चीजों का नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कपास से, संतरे से लेकर जितनी भी फसल हैं, उसमें बीमा योजना लागू की जाए। मैं पूछना चाहती हूं कि पिछड़े हुए लोगों और अमीर लोगों में जो असंतुलन है, उसको दूर करने का हमारा नारा है और बजट पेश करते समय इस बारे में बार-

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

बार कहा जाता है और इस बारे में हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी और हमारी सरकार ने बड़ा रिस्क लेकर पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाया और किसानों के लिए योजनाएं बनाई। और देहाती लोग भी है। इसीलिए जब पिछड़े हुए लोगों के लिए हम कोई योजना बनाते हैं तब नफे और नुकसान का नहीं सोचना चाहिए। ऊपर लेवल तक लाने के लिए हमें नुक्सान सहना पड़ेगा। इसलिए बीमा योजना में 85 के बाद जो कटौती की है, परसेंटज कम रखा गया है, नुक्सान को देखते हुए, वह कम नहीं करते हुए वह बढ़ाना चाहिए और सब प्रान्तों के लिये लागू करना चाहिए।

तब प्रान्तों को कम्पलसरी करने के साथ-साथ सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कुछ भूगतान पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार को जो किसानों को फसल बीमा का देना चाहिए था उसकी राशि विभाग में जमा हो गई है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसका हिसाब जो रहता है, 25 परसैंट वह अभी तक दिया नहीं है। यह बात मैं यहां पर रखना चाहती हूं। इसलिये केन्द्रीय सरकार से जो हिस्सा अभी देने का है वह तुरन्त दिया जाये।

इसके साथ-साथ 1986-87 में 250 से 300 करोड़ तक गवर्नमैंट ने कृषि बीमा के लिए हिम्मत भी लगाई और मदद भी की। इसके लिये शासन को धन्यवाद देते हुए मैं आखिरी बात और कहना चाहती हूं।

1988 में महाराष्ट्र में कृषि बीमा योजना अच्छी तरह से जारी की गई लेकिन मेरा एक सुझाव यह है कि ताल्लुके को हमने एक यूनिट माना हैं। ताल्लुके में पूरे ब्लाक में अकाल हो, सूखा हो या फसल गई हो तो उसको हम यूनिट मानते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि सूखा ताल्लुके को दो गांव में है, 4 गांव में नहीं होता है। इसलिए उस कानून में सुधार की आवश्यकता है कि ताल्लुके के अलावा ब्लाक के लैवल को गांव का युनिट बनाया जाये। बीमा योजना लागू करने के लिये नुक्सान को देखना चाहिये। उसके साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 6.73 कोटि साधारण बीमा निगम ने अपना हिस्सा रखा है किसान को बीमा देनी चाहिएं। सैंट्रल गवर्नमैंट की राशि जाने की है। उसके बाद किसान को बीमा मिल पायेगा। ऐसी हालत में और कई प्रान्तों में आवश्यकता है जहां बीमा योजना लागू हो गई है। उसके लिए भी इस विधेयक पर विचार करते समय सोचना चाहिये।

हमारा विधेयक लिखित रूप में सदन के सामने है, लोगों के सामने है। मैं इस पर अभी ज्यादा बात नहीं कहना चाहती मेरी इच्छा है कि मेरे साथ-साथ एक दो सांसदों को इसका समर्थन करना चाहिये।

मैं एक बात यह बताना चाहती हूँ कि जो कटौती की गई है उप पर आपको ध्यान देना चाहिये। 2,3 साल में 1985 के बाद जो नुक्सान हुआ या उसमें लोगों को लास आय कृषि बीमा योजना जारी करने में इस बजह से कुछ चेन्जेज आ गये हैं। किसानों को जो हम लोन देते है, वह 10 हजार रुपये तक किया गया है यानि कम किया गया है सुरक्षा के लिए बीमा की रकम जो हम

देते थे परसैंटेज देते थे, परसैंटेज 150 तक थां वह 190 तक किया गया है, उसमें भी हमने कटौती की है और मिनिमम लैवल तक हम 80 प्रतिशत क्षतिपूर्ति करते हैं, जो नुक्सान हुआ उसका 80 प्रतिशत देते थे ।

6.00 म० प०

और केन्द्र सरकार ने 60 परसेंट करने का सोचा है । पिछले 2-3 सालों में जो नुक्सान हुआ है उसकी बजह से ही केन्द्र सरकार ने परिवर्तन लाने की बात की है । इसमें सुधार होना आवश्यक है । इसमें हानि को न देखते हुए किसानों की तरफ उदार दृष्टि से देखना चाहिये । फसल बीमा योजना सभी फसलों के लिये अच्छा मुआवजा देते हुये चलाई जाये और इसे सभी प्रान्तों में चलाया जाये ।

एक बात मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे गरीब लोगों को कितना फायदा हुआ है ? हम चाहते हैं कि गरीब लोगों का ज्यादा से ज्यादा उद्धार हो ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल को पेश करती हूं ।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, वह अपनी बात 9वीं लोक सभा में जारी रख सकती हैं ।

सभापति महोदय : उनकी बात समाप्त हो गई है । प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि व्यापक फसल बीमा योजना के लिए तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, मेरा सुझाव है कि हम एक घंटा और बैठें । यह अन्तिम सत्र है और इस विधेयक पर विचार करने के लिये हम अगली बार से पहले नहीं बैठ पायेंगे । मेरा सुझाव है कि हम 10 या 15 मिनट और बैठें ? मंत्री महोदय सरकार की नीति के बारे में बतायें कि वह फसल बीमा के पक्ष में हैं । नई लोक सभा के आने से पहले हम मंत्री महोदय को बोलने का अवसर दें··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : सभापति महोदय, इस बिल के लिए समय बढ़ाया जाये ।

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : इसको अगले शुक्रवार लेकर आ जायेंगे ।

सभापति महोदय : अगला शुक्रवार क्योंकि रिजोल्यूशन्स का है, इसलिये यह अगले शुक्रवार को नहीं आ सकता है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस बारे में कोई पूर्व दृष्टान्त नहीं है। अब सभा सोमवार, 7 अगस्त, 1989 को 11.00 बजे म० पू० पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात, लोक सभा सोमवार 7 अगस्त, 1989/16 श्रावण, 1911 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।